लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र]

Tenth Session

सत्यमेव जयते

[खण्ड 38 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XXXVIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 30, शुक्रवार, 3 अप्रैल, 1970/13 चैत्र, 1892 (शक)

No. 30, Friday, April 3, 1970/Chaitra 13, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
किसी भी सदन का सदस्य न रहने पर मंत्री की स्थिति के बारे में	Re : Position of Minister who is not a Member of either House	1—3

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
781. संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग	Demand for Statehood for union territories ..		3—10
782. लद्दाख में बौद्धों के साथ भेदभाव	Discrimination against Buddhists in Ladakh	..	10—16
783. दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति का घेराव	Gherao of Vice Chancellor of Delhi University		16—17
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.			
12. आई० सी० एस० अधिकारियों को प्राप्त विशेषाधिकारों की समाप्ति	Abolition of special privileges enjoyed by I. C. S. Officers	..	18—25

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
784. जांच आयोगों के अध्यक्ष पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति	Appointment of Judges for Heading Commissions of Inquiry		25
785. नागालैंड सीमा पर नक्सलवादियों का केन्द्र	Naxalite centre on Nagaland border	..	25—26
786. मूर्ति उठाने वालों का अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह	International Gang of Idol-lifters	..	26
787. मिजो पहाड़ियों को 'गड़बड़ी वाला क्षेत्र' घोषित करना	Declaration of Mizo Hills as a 'Disturbed Area'	..	26—27

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
788. पर्यटन के संवर्द्धन तथा वन्य जन्तु केन्द्रों के विकास के लिए योजनायें	Scheme for promotion of Tourism and development of wild life centres ..	27—28
789. वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ताओं की भारतीय सांख्यिकीय सेवा चतुर्थ ग्रेड में पदोन्नतियां	Promotions of senior investigators to the Indian Statistical Service Grade ..	28—29
790. जिला बस्तर में हरिजनों का धर्म परिवर्तन	Conversions of Harijans in District Bastar ..	29
791. पाकिस्तान के मुसलमानों की आसाम में घुसपैठ	Infiltration of Pakistani Muslims into Assam ..	29—30
792. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में रियायत	Age concession to candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes ..	30
793. तमिलनाडु सरकार द्वारा तमिलनाडु में राजकीय समारोहों के लिए 'तमिल वन्दना' का गायन आरम्भ करना	Introduction by Tamil Nadu Government of 'Tamil Anthem' for Ceremonial functions in Tamil Nadu ..	30—31
794. केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाये जाने की विश्वविद्यालयों की मांग	Demands from Universities for their conversion into Central Universities ..	31—32
795. अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ द्वारा संयुक्त सलाहकार व्यवस्था में भाग लेना	Participation by All India Defence Employees' federation in Joint Consultative Machinery	32
796. नक्सलवादियों की गतिविधियों को दबाने के लिए राज्यों को निर्देश	Directives to States for curbing activities of Naxalities ..	32
797. गांधी जी की हत्या के बारे में कपूर आयोग का प्रतिवेदन	Kapoor Commission report on murder of Gandhiji ..	33
798. हिमाचल प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा	Statehood for Himachal Pradesh ..	33
799. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना	Setting up Central Translation Bureau ..	33
800. पारादीप पत्तन को राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 से जोड़ना	Connecting Paradeep port with National Highway No. 5 ..	34

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
801. दक्षिण भारत में केन्द्रीय विश्वविद्यालय	Central University in the South India ..	34
802. केशोद तथा अहमदाबाद के के बीच विमान सेवा	Air Service between Keshod and Ahmedabad ..	35
803. जम्मू तथा काश्मीर राज्य को अनुदान	Grants to Jammu and Kashmir State ..	35
804. लेबनान द्वारा एयर इंडिया को 'पांचवें स्वतन्त्रता अधिकार' से वंचित किया जाना	Withdrawing of fifth freedom right of Air India by Lebanon ..	35—36
805. बम्बई की उर्दू समिति द्वारा प्रधान मंत्री को प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum submitted by Urdu committee of Bombay to Prime Minister ..	36
806. मैसर्स आर० अकूजी जादवत एण्ड कम्पनी को अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में व्यापार करते रहने की अनुमति	Permission to M/s. R. Akuji Jadawat and Co. to continue trade in Andaman and Nicobar Islands ..	36—37
807. क्रिकेट खिलाड़ियों को चुनने में कथित भाईभतीजावाद	Alleged Nepotism in the Selection of cricket players ..	37
808. युवकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए आयोग स्थापित करना	Setting up of a commission to study problems of youth ..	37
809. कलकत्ता में बमों की खुले-आम बिक्री	Free sale of Bombs in Calcutta ..	38
810. तटीय तथा विदेश व्यापार के लिए अपेक्षित मालवाहक जहाजों की टनभार क्षमता	Tonnage of Cargo ships required for Coastal and overseas trade ..	38—39
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4966. चीन से भारत विरोधी साहित्य	Anti-Indian Literature from China ..	39
4967. आसनसोल कोयला खान में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	Police firing in Asansol Colliery ..	39—40
4968. केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा दिये जाने वाले वेतनमानों को युक्तियुक्त बनाना	Rationalisation of Pay scales of Central and State Governments ..	40

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4969. इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करना	Declaring Allahabad University as a Central University ..	40
4970. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतन-क्रम	Scale of Pay recommended by U. G. C. ..	41
4971. साम्प्रदायिक दंगे	Communal disturbance ..	41—42
4972. टीकरी कलां बोर्डर और केन्द्रीय सचिवालय के बीच दिल्ली परिवहन की सीधी बस सेवा	Direct D. T. U. Bus service between Tikri Kalan border and Central Secretariat ..	42
4973. संसद् सदस्यों तथा उनकी धर्मपत्नियों के लिये 6 सप्ताह की पैकेज यात्रा के लिये एयर इंडिया का प्रस्ताव	Air India's proposal for six-week package tour for M. Ps. and their wives to Japan ..	42—43
4974. विदेशी छात्रवृत्तियां	Foreign scholarships ..	43
4975. डिजायन कार्य में लगे इंजीनियर तथा टेक्नोलोजी विज्ञ	Engineers and Technologists engaged in design activity ..	44
4976. गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली	Grih Kalyan Kendra, New Delhi ..	44—45
4977. कलकत्ता के भारतीय वानस्पतिक उद्यान में नैमित्तिक श्रमिकों के लिये दैनिक मजूरी	Daily Wages for casual workers in Indian Botanical Garden, Calcutta ..	45—46
4978. इंडियन बोटेनिकल गार्डन, कलकत्ता में नैमित्तिक कर्मचारी	Casual workers in Indian Botanical Garden, Calcutta ..	46
4979. भारत में काम कर रही गैर सरकारी विमान कम्पनियों के नाम	Private airlines operating in India ..	46—47
4980. दिल्ली मिडिल स्कूल परीक्षा (मार्च 1970) के प्रश्न-पत्रों का गायब हो जाना	Disappearance of question papers for Delhi middle school examination (March, 1970) ..	47
4981. आवेदन-पत्रों को आगे भेजना	Forwarding of applications ..	47—48
4982. बड़ौदा असैनिक हवाई अड्डा	Baroda civil airport ..	48—49
4983. गुजरात में 'पावागढ़' पहाड़ी का एक पर्यटक स्थान के रूप में विकास	Development of 'Pavagadh' Hill in Gujarat as a tourist resort ..	49

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4984. गोआ के उप-राज्यपाल का वापिस बुलाया जाना	Recall of Lt. Governor of Goa ..	50
4985. फाजिलका और अबोहर को हरियाणा को दिये जाने के बारे में हरियाणा सरकार से ज्ञापन	Memorandum from Haryana Government re. Transfer of Fazilka and Abohar to Haryana ..	50
4986. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु के कारणों की जांच	Enquiry to probe into cause of death of Netaji Subhash Chandra Bose ..	51
4987. शिक्षा मंत्री के कार्यालय में हिन्दी आशुलिपिक की नियुक्ति	Appointment of a Hindi Steno-grapher in Educational Minister's Office ..	51
4988. दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर तस्कर व्यापारियों से बरामद प्राचीन वस्तुएं	Seizure of antiques from smuggler on Delhi-U. P. border ..	51—52
4989. गोहाटी में चीन की मुद्रा का पकड़ा जाना	Seizure of Chinese currency in Gauhati ..	52
4990. रायल नेपाल एयरलाइन्स के फोक्कर फ्रेंडशिप विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बारे में जानकारी न देने के कारण पालम हवाई अड्डे के सीनियर एयरोड्रोम आफिसर के विरुद्ध शिकायत	Complaint against senior Aero drome Officer, Palam Airport for failure to furnish information regarding crash of Fokker Friendship Plane of Royal Nepal Airline ..	52
4991. राजस्थान सीमा में सैनिकों को सावधान करना	Army personnel alerted on Rajasthan border ..	53
4992. शिक्षा मंत्रालय द्वारा अवैतनिक ग्रन्थालय परामर्शदाता की अनुचित तरफदारी किये जाने के बारे में शिकायत	Complaint regarding undue favour shown to Hony. Library adviser by Education Ministry ..	53
4993. देश बन्धु चित्तरंजन दास की जन्म शताब्दी मनाना	Celebration of Birthday centenary of Deshbandhu Chittaranjan Das ..	53—54
4994. आसनसोल के निकट श्रीपुर कोयला खानों में बम फटने की घटना	Explosion of a Bomb near Sripur Coal Mine near Asansol ..	54
4995. विद्रोही मिजो लोगों से अमरीका में बने हथियार पकड़े जाना	Seizure of U. S. made weapons from Mizo Hostiles ..	54—55

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4996.	राष्ट्रीय पुस्तकालय के भूत-पूर्व पुस्तकाध्यक्ष के विरुद्ध जांच	Inquiry against a former librarian of National Library ..	55
4997.	राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के कर्मचारियों की प्रबन्ध व्यवस्था के बारे में न्यायाधीश खोसला की रिपोर्ट	Justice Khosla's report on personnel Management of National Library, Calcutta ..	56
4998.	कलकत्ते में भव्य होटल	Luxury Hotels in Calcutta ..	56
4999.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के निदेशकों द्वारा उनके साथ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा किये गये अनुचित व्यवहार के विरुद्ध शिकायतें	Complaints by Directors of C. S. I. R. against the unfair treatment meted out to them by C. S. I. R. ..	57
5000.	चण्डीगढ़ में मालिक और किरायेदार के झगड़े में पुलिस का हस्तक्षेप	Police interference in Chandigarh in Landlord-tenant dispute ..	57—58
5001.	थकाफत-उल-हिन्द का मुख्य सम्पादक	Editor-in-Chief of Thaqafat-Ul-Hind ..	58
5002.	छोटे अंदमान द्वीप में कारोबार आरम्भ करना	Setting up of Business in little Andaman Island	58—59
5003.	अहमदाबाद में साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में कश्मीर की पीपुल्स एक्शन कमेटी के अध्यक्ष का कथित वक्तव्य	Reported statement by Chairman of People's Action Committee of Kashmir re. Communal riots in Ahmedabad ..	59
5004.	पाकिस्तान द्वारा सिल्हट सीमा पर से सीमा स्तम्भ हटाये जाना	Removal of boundary pillars by Pakistan on Sylhet border ..	59—60
5005.	पार्श्व सड़क परियोजना का निर्माण	Construction of lateral roadways project ..	60—61
5006.	दिल्ली में एक आशुलिपिक की सर्किल राशनिंग अधिकारी तथा बाद में सहायक आयुक्त, बिक्रीकर के रूप में नियुक्ति	Appointment of a stenographer as circle rationing Officer and later as Asstt. Commissioner Sales Tax in Delhi ..	61—62
5007.	डा० धर्म तेजा के विरुद्ध बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही	Recovery proceeding against Dr. Dharama Teja ..	62

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5008.	राज्यपाल के चुनाव या कार्यपालिका को विधान सभा से स्वतन्त्र बनाने के बारे में संविधान में संशोधन	Amendment of Constitution providing for Election of Governor or making executive independent of legislative Assembly ..	63
5009.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्ति	Filling of vacancies reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes ..	63
5010.	उन सरकारी कर्मचारियों को वरीयता जिन्होंने अपनी जाति से बाहर विवाह किया हुआ है	Preference to Inter-caste married employees of Government ..	63—64
5011.	राजनयिक थैले का दुरुपयोग	Misuse of diplomatic bag ..	64
5012.	ग्रीष्म ऋतु की बजाय बुआई तथा कटाई के मौसमों में स्कूलों तथा कालेजों को बन्द करने की मांग	Demand for closing schools and colleges in sowing and harvesting seasons instead of in summer ..	64
5013.	दिल्ली में छठी से ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ रहे अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देना	Grant of scholarships to scheduled castes and scheduled tribes students studying in VI to XI Classes in Delhi ..	65
5014.	इथोपिया के लिये भारतीय शिक्षकों की भर्ती	Recruitment of Indian teachers for Ethiopia ..	65
5015.	कच्छ में पाकिस्तानी वाष्प नौकाओं द्वारा भारतीय जल-सीमाओं का अतिक्रमण	Intrusion by Pakistan Steam Boats in Indian Waters in Kutch ..	65—66
5016.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, हटिया में अग्निकाण्ड के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की गिरफ्तारी	Arrest of persons involved in the fire in Heavy Engineering Corporation, Hatia ..	66
5017.	वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग के लिए रूस के साथ करार	Agreement with U. S. S. R. for Co-operation in scientific field ..	66—67
5018.	गांधी शताब्दी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति	National committee for Gandhi Centenary ..	67—68
5019.	फोम कंक्रीट का निर्माण	Manufacture of Foamed concrete ..	68
5020.	हिन्दुओं के बारे में पंजाब के भूतपूर्व मंत्री का वक्तव्य	Former Punjab Chief Minister's statement re. Hindus ..	69

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5021. दिल्ली के गांवों को राष्ट्रीय राजपथों से मिलाना	Connecting villages in Delhi to National highways ..	69
5022. 'सार्वजनिक व्यवस्था' (पब्लिक आर्डर) को एक केन्द्रीय समवर्ती विषय बनाने के लिये संविधान का संशोधन	Amendment of Constitution to make "Public order" a Union/concurrent subject ..	69—70
5023. बम्बई पत्तन न्यास के पास रखे गये रेलवे के 350 वैगन	Custody of 350 Railway wagons with Port trust of Bombay ..	70—71
5024. सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण	Reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Public services ..	71
5025. इंडिया आफिस लाइब्रेरी लन्दन से पुस्तकों तथा चित्रों का अर्जन	Acquisition of Books and Portraits from India office Library, London ..	71—72
5026. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन	Reorganization of Council of Scientific and Industrial Research ..	72
5027. पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा में पाकिस्तानियों की घुसपैठ	Infiltration of Pakistanis into West Bengal and Tripura ..	73
5028. मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद के बारे में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री का प्रधान मंत्री को पत्र	Union Education Minister's letter to Prime Minister re. Mysore-Maharashtra border dispute ..	73
5029. गांधी दर्शन काम्पलेक्स पर हुआ व्यय	Expenditure of Gandhi darshan complex ..	74
5030. आनन्द कुमारास्वामी जन्म शताब्दी के लिए समिति का बनाया जाना	Setting up of a Committee for Ananda Coomaraswamy Centenary ..	74
5031. भारत में लापता विदेशी	Untraced foreigners in India ..	75
5032. वीजा लेकर आये पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की गुमशुदगी	Untraced Pak Nationals entering India on Visas ..	75
5033. श्री श्री० अ० डांगे का लघु मोर्चा सरकारें बनाने के बारे में वक्तव्य	Statement by Shri S. A. Dange regarding formation of minifront Governments ..	75
5034. राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय झण्डे का फहराया जाना	Unfurling of National flag at Rashtrapati Bhawan ..	76

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5035. बंगलौर में तमिल भाषी लोगों पर आक्रमण की घटनाएं	Cases of Assault on Tamil-speaking people in Bangalore ..	76
5036. शिव सेना प्रधान द्वारा समानान्तर पुलिस दल गठित किया जाना	Organisation of parallel police force by Shiv Sena chief ..	77
5037. चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के कर्मचारियों के वेतमानों तथा भत्तों में विषमता	Disparity in grades and allowances of employees of Chandigarh Union territory ..	77
5038. भोगल, दिल्ली के कारतूस बनाने के कारखाने में विस्फोट	Explosion in Cartridge factory in Bhogal, Delhi ..	77—78
5039. सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित करना	Fixation of seniority of Government employees	78
5040. पालम हवाई अड्डे पर 'केटरर' से बकाया राशि की वसूली	Recovery of dues from Caterer at Palam airport ..	78—79
5041. राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग	Demand for Imposition of President's rule in Rajasthan ..	80
5042. मिजो विद्रोहियों द्वारा आक्रमण	Attack by Mizo hostiles	80
5043. त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों का वेतन ढांचा	Pay structure of Tripura Government employees ..	81
5044. पश्चिम बंगाल के कोयला खान क्षेत्रों में डकैतियां	Dacoities in West Bengal collieries ..	81
5045. समान स्तर की पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् के सुझाव	Suggestions by National council of Educational Reasearch and Training for Uniform standard Text-Books	81—82
5046. अन्तर्देशीय विमानों की उड़ानों में देरी	Delay in Flights of domestic planes ..	82
5047. केन्द्र द्वारा राज्य के चुनीदा विश्वविद्यालय को अपने हाथ में लेना	Take over of selected State Universities by the Centre ..	82—83
5048. प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों के वेतन	Pay scale of Primary school teachers ..	83

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5049. दौरे के समय केन्द्रीय मंत्रियों के लिये आचार संहिता	Code of conduct for tours by Union Ministers ..	83—84
5050. लोदी कालोनी, नई दिल्ली में फोर्थ एवेन्यू पर यातायात सिगनल और पैदल पारपथ	Need for Traffic signals and Pedestrian Crossings in fourth Avenue, Lodi Colony, New Delhi ..	84
5051. दिल्ली सशस्त्र पुलिस और दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को सेवा से हटाया जाना/बहाली	Removal/Reinstatement of Constables in Delhi Armed Police and Delhi Police ..	84—85
5052. अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की सेवा का समाप्त किया जाना	Termination of services of temporary government servants ..	85—86
5053. निवारक निरोध अधिनियम की समाप्ति के बाद नागाओं, मिजो और नक्सलवादियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Nagas, Mizos and Naxalites after the lapse of preventive detention act ..	86
5054. मनीपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करना	Inclusion of Manipuri language in Eighth Schedule of the Constitution ..	86
5055. डमडम हवाई अड्डे पर यात्रियों को वातानुकूलित गैलरी से सीधे विमान तक जाने के लिये सुविधा प्रदान करना	Facility to passengers at Dum-Dum airport to walk straight from Airconditioned Gallery to Aircraft ..	87
5056. दिल्ली में सिनेमा टिकटों की चोरबाजारी	Black-marketing in Cinema tickets in Delhi ..	87—88
5057. दिल्ली में लाल किले और कुतुब मीनार में प्रवेश टिकटों की दर में वृद्धि	Increase in rate entry tickets at Red fort, Qutab Minar in Delhi ..	88—89
5058. दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार और चिड़ियाघर में सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Public conveniences at Red Fort, Qutab Minar and the Zoo at Delhi ..	89
5059. सरकारी कर्मचारियों के आश्रित माता-पिता को रेलवे रियायत	Railway concession for dependent parents of Government employees ..	89—90
5060. केरल में छिपाये शस्त्रों का पता लगाना	Unearthing of concealed arms in Kerala ..	90

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
5061.	राष्ट्रीय राजपथ के रूप में घोषित सड़कें — Roads declared as National highways	.. 90—91
5062.	उदयपुर विश्वविद्यालय के लिये विशेष अनुदान — Special grant to Udaipur University	.. 91
5063.	औद्योगिक सुरक्षा दल में भर्ती के लिये सेवामुक्त आपात कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों को प्राथमिकता — Priority for released emergency commissioned officers in recruitment to Industrial security force	.. 91
5064.	गांधी दर्शन प्रदर्शनी, दिल्ली — Gandhi darshan exhibition, Delhi	.. 91—92
5065.	मंगलौर पत्तन परियोजना के लिये तलकर्षण का कार्यक्रम — Schedule for dredging of Mangalore harbour project	.. 92—93
5066.	देश में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि — Increase in road accidents in the country	.. 93
5067.	सड़कों पर सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन दल द्वारा प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना — Submission of report by study group on road safety	.. 93—94
5068.	रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली में कल्याण समिति के महामंत्री की नियुक्ति — Appointment of General Secretary of Welfare Committee in R. K. Puram New Delhi	.. 94
5069.	अन्दमान प्रशासन में अध्यापकों के लिये विशेष वेतन — Special pay to teachers in Andaman Administration	.. 95
5070.	अन्दमान में लोगों की भर्ती — Recruitment of persons in Andaman	95—96
5071.	श्री जे० बी० एक्स० डीक्रूज की मृत्यु के बारे में जांच — Inquiry into the death of Mr. J. B. X. D'Cruz	.. 96
5072.	भारतीय न्यायालय शुल्क अधिनियम और भारतीय डाक टिकट अधिनियम को त्रिपुरा में लागू करना — Application of Indian Court Fees Act and Indian stamps Act to Tripura	.. 97
5073.	त्रिपुरा में सड़क परिवहन योजनाओं की कार्यान्विति — Implementation of road transport schemes in Tripura	.. 97—98
5074.	केरल में साम्प्रदायिक दंगे भड़काना — Investigation of Communal riots in Kerala	.. 98
5075.	पालम हवाई अड्डे के ऊपर इंडियन एयरलाइन्स के केरावेल विमान का एक घंटे से अधिक समय तक चक्कर लगाना — I. A. Caravelle Flight remained circling over Palam Airport for over an hour	.. 98

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5076. सरकारी कर्मचारियों की समय-पूर्व सेवा निवृत्ति	Premature retirement of Government employees ..	99
5077. विमान यात्रियों के लिये खरीदे गये समाचार-पत्र तथा पत्रिकायें	Newspapers and Magazines purchased for Air Passengers ..	99
5078. दिल्ली पुलिस में सब-इन्सपेक्टरों की भर्ती	Recruitment of Sub-Inspectors in Delhi Police ..	99—100
5079. गैर - सरकारी नौवहन कम्पनियों द्वारा यात्री सेवाओं का स्थगित किया जाना	Suspension of Coastal passenger services by private shipping companies ..	100
5080. विशाखापटनम में बाहरी पत्तन योजना के लिये सलाहकार इंजीनियर	Consultant engineers for outer Harbour scheme at Visakhapatnam ..	100—102
5082. पश्चिमी बंगाल में हिंसा की घटनाएं	Incidents of violence in West Bengal ..	102—103
5083. पश्चिम बंगाल में बम विस्फोट	Bomb explosions in West Bengal ..	103
5084. भारतीय पत्तनों का आधुनिकीकरण करने के बारे में राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड की अठारहवीं बैठक में निर्णय	Decision of eighteenth meeting of National Harbour board on Modernisation of Indian Ports ..	103
5085. श्री बलदेव सिंह की हत्या	Murder of Shri Baldev Singh ..	103—104
5086. प्रेजीडैन्सी कालेज, कलकत्ता के पास विदेशी बम का पाया जाना	Recovery of foreign live bombs near Presidency College, Calcutta ..	104
5087. हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग के स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	Class IV Employees in schools of Himachal Pradesh education Deptt. ..	104
5088. मैसूर राज्य में पर्यटक केन्द्र	Places of tourist interest in Mysore State ..	105
5089. नक्सलवादियों द्वारा कलकत्ता में चलचित्र गृहों पर हमले	Raids by Naxalites on Cinemas in Calcutta ..	105—106
5090. बम्बई में कन्नण-भाषा-भाषी लोगों के जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा	Security of life and property of Kannada-speaking people in Bombay ..	106

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5091.	नागालैंड में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना	Separation of Judiciary from executive in Nagaland ..	106
5092.	सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि	increase in representation to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Government Services	107
5093.	संसद् में विरोधी दलों तथा ग्रुपों के मुख्य सचेतकों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of facilities of chief whips of opposition parties and groups in Parliament ..	107
5094.	नये होटल स्थापित करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र का प्रोत्साहन	Incentives to private sector to set up New Hotels ..	108
5095.	जबलपुर में पाकिस्तानी राष्ट्रिक	Pak. Nationals in Jabalpur ..	108—109
5096.	जयपुर संग्रहालय में चोरी हुई वस्तुओं की बरामदगी	Recovery of material stolen from Jaipur Museum ..	109
5097.	केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को माध्यमिक स्कूल अध्यापक संघ से करार क्रियान्वित करने के लिये अतिरिक्त सहायता	Additional assistance by Central Government to U. P. Government for implementing agreement with secondary schools teachers Association ..	109
5098.	सरकार द्वारा नौवहन कम्पनियों को दिये गये ऋण	Loans given to shipping companies by Government ..	109—110
5099.	नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु के बारे में जांच के लिये आयोग	Commission to enquire into the death of Netaji Subhash Chandra bose ..	110
5100.	कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति	Appointment of chief justice of Calcutta High Court ..	111
5101.	बम्बई में शिव-सेना द्वारा तमिल लोगों पर आक्रमण	Attacks on Tamilians in Bombay by Shiv Sena ..	111
5102.	जामिया मिलिया, नई दिल्ली में आग लगने के बारे में जांच	Enquiry into fire in Jamia Millia, New Delhi ..	112
5103.	पश्चिमी बंगाल में बम बनाने वाले एक कारखाने का पकड़ा जाना	Unearthing of a Bomb-manufacturing factory in West Bengal ..	112

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5104.	पूर्वी भड़ौच में हड़प्पा काल के बाद के काल की वस्तुएं	Post-Harappan finds in Eastern Broach ..	112—113
5105.	वैज्ञानिकों के लिये एस० एस० भटनागर पुरस्कार	S. S. Bhatnagar awards for Scientists ..	113
5106.	दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों का स्थायी बनाया जाना	Confirmation of Scheduled Caste and Scheduled Tribes employees in Delhi Administration ..	114
5107.	दिल्ली प्रशासन के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी	Employees of different categories of Delhi Administration ..	114
5108.	ऋण के लिये एयर इंडिया तथा अमरीका के आयात तथा निर्यात बैंक के बीच करार	Agreement between Air India and Export and Import Bank of U. S. A. for Loans ..	115
5109.	हिन्दी अनुवादकों और हिन्दी अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति	Filling of posts of Hindi Translators and Hindi Officers ..	115
5110.	संसद् में विरोधी पक्ष के नेता के लिये सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Amenities for leader of opposition in Parliament ..	116
5111.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण	Reservation for Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates ..	116—117
5112.	इन्जीनियरिंग विभागों में पदोन्नतियां	Promotions in Engineers departments	118
5113.	भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के बारे में वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक का प्रतिवेदन	Report of staff Inspection Unit of Finance Ministry on I. C. C. R. ..	118—119
5114.	चण्डीगढ़ स्थानीय सलाहकार समिति	Chandigarh local advisory committee ..	119
5115.	चण्डीगढ़ में कर्मचारियों को पंजाब राज्य के वेतन-मानों के लाभ	Benefit of Punjab pay scales to employees in Chandigarh ..	119—120

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5116.	राष्ट्रीय स्वस्थता दल संगठन को समाप्त करने पर कर्मचारियों को फालतू घोषित करना	Staff Declared surplus on winding up of N. F. C. Organisation ..	120—121
5117.	राष्ट्रीय स्वस्थता दल योजना का राज्यों को हस्तान्तरण किया जाना	Transfer of N.F.C. Scheme to States ..	121—122
5118.	मध्य प्रदेश में डाकुओं का आतंक समाप्त करना	Liquidation of dacoit menace in Madhya Pradesh ..	122
5119.	दमदम पुलिस स्टेशन पर हमला	Attack on Dum-Dum Police Stations ..	122
5120.	दिल्ली उच्च न्यायालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Delhi High Court ..	123
5121.	पिछले मध्यावधि चुनावों के दौरान प्रधान मन्त्री के दौरे के सम्बन्ध में हुआ खर्च	Expenditure incurred in connection with Prime Minister's tour during the past mid-term elections ..	123
5122.	जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानी तोड़-फोड़ कर्त्ताओं की गिरफ्तारी	Arrest of Pakistani saboteurs in Jammu and Kashmir ..	123—124
5123.	भारत में विन्टेज कार वर्ल्ड रैली आयोजित करना	Holding of vintage car world rally in India ..	124
5124.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में अनुसंधान अधिकारी तथा तकनीकी कर्मचारी	Research Officers and technical employees in Commission for Scientific and Technical Terminology ..	124
5125.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में नियुक्तियां	Appointments in Commission for Scientific and Technical Terminology and Central Hindi Directorate ..	125
5126.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में अनुसन्धान सहायकों की नियुक्तियां	Appointment of research Assistants in Commission for Scientific and Technical Terminology ..	125
5127.	गृह-मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Home Ministry ..	126
5128.	निम्न आय वर्ग के माता-पिताओं के बच्चों के लिये उपशैक्षणिक (ट्यूटोरियल) कक्षाएं	Tutorial classes for children of low-income group parents ..	126—127

अता० प्रा० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
5129.	मंत्रियों के नाम पर निजी कर्मचारियों द्वारा अपने काम निकालना — Work got done by personal staff in the name of ministers	.. 127
5130.	मंत्रियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें — Complaints against Ministers and Officers	.. 127—128
5131.	सरकारी सेवा में महिलाओं के नियोजन (नौकरी) के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश — Recommendation of Administrative Reforms Commission re. employment of ladies in Government service	.. 128
5132.	श्री मदन लाल ढींगरा के मामले की कार्यवाही तथा निर्णय के रिकार्ड को प्राप्त करना — Acquisition of Records of proceedings and Judgement in the case of Shri Madan Lal Dhingra	.. 128
5133.	पदोन्नति पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद राष्ट्रीय स्वस्थता कोर निदेशालय में पदों की पूर्ति — Filling up of posts after imposition of ban on promotion in National Fitness Corps Directorate	.. 129
5134.	राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कर्मचारी संघ को मान्यता — Recognition to NFC Employees' Association	.. 129—130
5136.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार, नई दिल्ली — Central Government Employees consumer Co-operative Stores, New Delhi	.. 130
5137.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार, नई दिल्ली द्वारा आयातित माल की बिक्री — Sale of imported goods by Central Gevernment employees Consumer Co-operative Stores, New Delhi	.. 130—131
5138.	मिडिल स्कूलों का दिल्ली प्रशासन को हस्तान्तरण — Transfer of Middle Schools to Delhi Administration	.. 131
5139.	राजस्थान में मूर्तियों की चोरी — Theft of Idols in Rajasthan	.. 131—132
5140.	श्री नाना साहिब धोंधूपन्त के राजमहल तथा स्मारक का रख-रखाव — Maintenance of Palace and Memorial of Shri Nanasaheb Dhondopanth	.. 132
5141.	केन्द्रीय सड़क निधि से महाराष्ट्र के लिये नियतन — Allocation made to Maharashtra from Central Road Fund	.. 132—133

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5142.	नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा चाणक्यपुरी नई दिल्ली में 200 से अधिक कमरों वाली इमारत का निर्माण	Construction of a 200-Odd Room Building in Chanakyapuri, New Delhi by New Delhi Municipal Committee	133
5143.	मद्रास पत्तन न्यास द्वारा मद्रास में गोदी परियोजना के लिये शक्तिशाली कर्षनौकाओं (टगों) के लिये क्रयादेश	Placing of orders for Powerful Tugs by Madras Port Trust for Dock Project at Madras ..	133—135
5144.	मद्रास में गोदी-परियोजना के लिये मद्रास पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तुत योजना	Seheme submitted by Madras Port Trust for Dock Project at Madras ..	135—136
5145.	स्थायीकरण तथा पदोन्नति के प्रयोजन के लिये गैर-हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हिन्दी में परीक्षा	Test in Hindi for Central Government Employees from Non-Hindi areas for purposes of Confirmation and promotion ..	136—137
5146.	दिल्ली परिवहन उपक्रम कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमण्डल द्वारा प्रधान मंत्री को दिया गया ज्ञापन	Memorandum presented by a deputation of D. T. U. Employees' Union to Prime Minister ..	137
5147.	दिल्ली के स्कूलों में नई परीक्षा प्रणाली लागू करना	Introduction of New System of Examination in Delhi Schools ..	137
5148.	एल० पी० स्कूल, मनीपुर के चौकीदारों के वेतन का पुनरीक्षण	Revision of Pay of Chowkidars of L. P. School, Manipur ..	138
5149.	मनीपुर के स्कूलों में स्नातक प्रधानाध्यापकों के वेतन मान	Pay scales of graduate headmasters in Manipur Schools ..	138
5150.	प्रजातंत्र पत्रिका के सम्पादक को इम्फाल में भूमि का आवंटन	Allotment of land in Imphal to Editor of Prajatantra Patrika ..	138—139
5151.	मनीपुर में प्राइमरी इन्वेस्टीगेटरों के वेतनमान	Pay scales of Primary Investigators in Manipur	139
5152.	सेन्ट्रल स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्र	Scheduled Caste and Scheduled Tribe Students in Central Schools	140
5153.	त्यागराज नगर, नई दिल्ली के लिये समाज सदन	Samaj Sadan for Thyagraj Nagar, New Delhi	140

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.		
5154. जम्मू तथा कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठिये	Pakistani Infiltrators in Jammu and Kashmir ..	140
5155. सहायता-प्राप्त तथा मान्यता प्राप्त स्कूलों को केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन लाने की योजना	Scheme for bringing Aided and recognised Schools under Control of Central Government ..	141
5156. केन्द्रीय विधि उपमन्त्री द्वारा पूना नगर निगम के कार्यों में तथाकथित हस्तक्षेप	Alleged Interference by Union Deputy Minister of Law in the Affairs of Poona Municipal Corporation ..	141
5157. दिल्ली में नव-वर्ष समारोह के अवसर पर की गई गिरफ्तारियां	Arrests made on the Occasion of New Year Celebrations in Delhi ..	141—142
5158. भारत से ऐतिहासिक अभिलेख बाहर जाना	Drain of Historical records from India ..	142
5159. उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा स्तर में विषमता तथा असमानता	Disparity and lack of Uniformity in the Standard of Education upto Higher Secondary Stage ..	143
5160. दिल्ली नगर निगम के बारे में मुरारका आयोग की सिफारिशें	Moraka Commissions recommendations re. Delhi Municipal Corporation ..	143—144
5161. देश में आग लगाने तथा हत्या की घटनायें	Cases of Arson and Murder in the Country ..	144
5162. कलकत्ता तथा कूच-बिहार के बीच विमान सेवाएं	Air Services between Calcutta and Cooch-Behar ..	144
5163. पुलिस तथा नक्सलवादियों की मुठभेड़	Clashes between Police and Naxalities ..	145
5164. इण्डियन क्रिश्चियन एसोसिएशन, दिल्ली	Indian Christian Association, Delhi ..	145
5165. भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के सचिव के विरुद्ध जांच-पड़ताल	Enquiry against Secretary, I. C. C. R. ..	145—146
अतारांकित प्रश्न संख्या 990 के उत्तर में शुद्धि	Correction in Answer to Unstarred Question No. 990 ..	146
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance— ..	
पाकिस्तान की टैंक बेचने की संयुक्त राज्य अमरीका की कथित योजना	Reported Plan of USA to Sell tanks to Pakistan ..	147—150

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ संसद् सदस्यों को दिये गये नोटिसों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege re. Supreme Court Notice to Certain M. Ps.	..	150—151
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	..	151—153
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	..	153
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	..	153
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—		
111वां प्रतिवेदन	Hundred and Eleventh Report	..	153
अनुदानों की मांगें, 1970-71—	Demands for Grants, 1970-71—		
गृह-कार्य मन्त्रालय	Ministry of Home Affairs	..	154—170
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain		154
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza	..	154—156
श्रीमती इला पाल चौधरी	Shrimati Ila Palchoudhuri	..	156—157
श्री लताफत अली खां	Shri Latafat Ali Khan	..	157
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi		158
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad		158
श्री यशवन्त राव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	..	159—169
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members Bills and Resolutions—		
60वां प्रतिवेदन	Sixtieth Report	..	171
बेरोजगारी की समस्या के बारे में संकल्प	Resolution Re. Unemployment problem	..	171—186
डा० रामसुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	..	171—174
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	..	174—175
श्री वीरेन्द्रकुमार शाह	Shri Virendrakumar Shah	..	175—177
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	..	177—178
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	..	178—179
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	..	179—180
श्री एस० कण्डप्पन	Shri S. Kandappan	..	180—181
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	..	181—182
श्री क० मि० मधुकर	Shri K. M. Madhukar	..	182—183

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	..	183—184
श्री देवराव पाटिल	Shri Deorao Patil	..	184—185
श्री के० एम० अब्राहम	Shri K. M. Abraham	..	185—186
आधे घन्टे की चर्चा-	Half-an-hour discussion—	..	
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय में संशोधन	Amendment of convention of international labour organisation	..	186—190
श्री मोलहू प्रसाद	Shri Molahu Prasad	..	186
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	..	186—190

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 3 अप्रैल, 1970/13 चैत्र, 1892 (शक)
Friday, April 3, 1970/Chaitra 13, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

किसी भी सदन का सदस्य न रहने पर मंत्री की स्थिति के बारे में
RE : POSITION OF MINISTER WHO IS NOT A MEMBER OF EITHER HOUSE

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Mr. Speaker, I want to rise on a point of order. Elections to Rajya Sabha are over and Smt. Jahanara has not been elected. She was appointed a Minister on being a member of Rajya Sabha. Since she ceases to be a member, and cannot continue as a Minister. I mean to say that a fresh oath is required to be taken if she is to continue as a minister.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : If she is to continue as a Minister she should be re-appointed.

Shri Rabi Ray (Puri) : It is an important question and you should decide that.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका निरीक्षण करूंगा परन्तु इस समय, मैं अपना निर्णय नहीं दे सकता ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : आपको अपना निर्णय देना चाहिये । क्या वह यहां स्थान ग्रहण कर सकती हैं ।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : जब से उनकी सदस्यता समाप्त हुई उनका मंत्री रहना भी स्वतः ही समाप्त हो गया । यदि वे उन्हें मंत्री बनाये रखना चाहते हैं तो उन्हें नये सिरे से शपथ लेनी चाहिए तथा फिर से मंत्री नियुक्त किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह वही बात है जो श्री बाजपेयी जी ने कही है ।

श्री रा० धो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : हमें उनकी सदस्यता की बात नहीं उठानी चाहिये ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मैं इस बात का खंडन करता हूं। यह गम्भीर अव्यवस्था का मामला उठाया जा रहा है।

Shri Rabi Ray : Point of order, Mr. Speaker. We respect Mrs. Jahanara Jaipal Singh but this matter concerns with the safe guarding of Constitutional provisions and observance of rules and laws. This does not mean that we have got no regards for her.

श्री शिव नारायन (बस्ती) : प्रधान मंत्री का यह कर्तव्य है कि वह उनका त्याग पत्र मांगें।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : जो बात उठायी गयी है वह महत्वपूर्ण है। यह ठीक है कि वह किसी भी सभा के सदस्य नहीं हैं और फिर भी मंत्री हैं। संविधान के अनुसार एक बार मंत्री नियुक्त होने के बाद वह तब तक मंत्री रह सकता है जब तक कि राष्ट्रपति की इच्छा है। दूसरे, संविधान में कोई ऐसी बात नहीं है कि यदि मंत्री किसी भी सभा का सदस्य न हो तो वह सदन में नहीं बैठ सकता।

जहां तक अध्यक्ष के निर्णय का सम्बन्ध है, वह उनके सदस्य होने अथवा न होने के विषय में निर्णय दे सकते हैं परन्तु जहां तक उनके मंत्री बने रहने पर निर्णय देने का प्रश्न है उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मैं नहीं चाहता कि अध्यक्ष महोदय इस विषय में निर्णय देकर विपदा में पड़ें। स्वर्गीय जयपाल सिंह के प्रति हमें श्रद्धा है। यह उनकी मंत्री हैं। परन्तु नियम, परम्परा तथा संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई, पता नहीं हमें इस कठिनाई में डालने से पूर्व प्रधान मंत्री तथा उनके परामर्शदाताओं ने अध्यक्ष महोदय से बातचीत करके इस समस्या पर निर्णय क्यों नहीं लिया।

गृह-मंत्री अपने साथियों से कहें कि वे, इस बात को हम पर छोड़ दें, जिससे सदन को निर्णय देने के लिये बाध्य न होना पड़े। बाद में वे आपस में निश्चय कर लें और यदि कोई नई व्यवस्था स्थापित करनी है तो हमें बतायें।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : जहां तक मुझे ज्ञात है, जैसे ही श्रीमती जहांआरा को यह पता चला कि वह अब राज्य सभा की सदस्य नहीं रहेंगी, उन्होंने प्रधान मंत्री को अपना त्याग पत्र भेज दिया। परन्तु प्रधान मंत्री ने उनसे सत्र समाप्त होने तक मंत्री पद पर रहने का परामर्श दिया।

दूसरे प्रश्न में एक नयी बात उठायी गयी है कि क्या वह सत्र में उपस्थित रह सकती हैं। हम आपके कक्ष में इस बात पर चर्चा करेंगे और कोई हल निकालने का प्रयत्न करेंगे।

श्री रंगा : जब तक इस विषय में निर्णय लिया जाय तब तक वह सदन में न आयें।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : She should atleast have legal advice **(Interruption).**

Shri Madhu Limaye : Point of order Sir. He has messed all the matter.

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : हमें उनके प्रति पूरा सम्मान है। परन्तु यह संविधान, नियम और व्यवस्था का प्रश्न है।

Shri Madhu Limaye : Home Minister has said that Prime Minister advised her to continue as a Minister till the end of the Session. whether to ask her to continue as a Minister is in accordance with the Constitution, rules and conventions. President may refer such cases to the Supreme Court in order to ascertain the constitutional position, the position should be clarified by the Supreme Court. Prime Minister has got no right to decide such cases. It can only be done by the President and the Supreme Court.

Shri D. N. Tiwary (Gopal Ganj) : Mr. Speaker, I would like to say that such a problem had arisen in Bihar also. Shri B. P. Mandal a Member of Shoshit Dal was a Member of Parliament and was appointed as a Minister there. He used to attend legislature and left therefrom only after 6 months were completed.

Shri Randhir Singh : She may continue as a Minister till 6 months even if she ceases to be a Member of Parliament. There had been a Minister in Punjab under the same circumstances. Shri Basi had also been a Minister.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : पूरी बात का अर्थ बदल गया है क्योंकि किसी भी सभा के सदस्य न होने पर भी मंत्री बने रहने का परामर्श हमने ही दिया था ।

डा० रामसुभग सिंह : वह स्पष्ट करें कि यह राष्ट्रपति की अनुमति से अथवा असंवैधानिक तौर पर किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : संवैधानिक स्थिति जाने बिना मैं कोई निर्णय नहीं दे सकता । प्रश्न केवल यह है कि राज्य सभा के सदस्यता समाप्त होने पर क्या मंत्री बने रहने के लिये उन्हें नयी शपथ लेनी होगी ।

श्री मधु लिमये : इनकी नियुक्ति भी नये सिरे से होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मैं अध्ययन करूंगा ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या वह ऐसे मंत्री के रूप में नियुक्त की जायंगी जो किसी भी सभा के सदस्य नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हाल ही में इस देश में कई नई बात हुयी हैं । पंजाब में दो ऐसे मंत्री रहे हैं और उनमें से एक सरकार के समाप्त होने से पहले ही मंत्री पद पर न रहे ।

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : Without being a Member or without having a fresh oath, neither she can sit in the House nor can be regarded a Minister.

अध्यक्ष महोदय : तुम्हारे अपने दल के ही एक सदस्य कुछ समय तक मंत्री बने रहे हैं ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग

+

*781. **श्री शारदा नन्द :**

श्री वंश नारायण सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनकी जनता ने अपने राज्यों को पूरे राज्य

का दर्जा दिये आने की मांग की है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा और दिल्ली ने राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग की है। इन मांगों के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया समय-समय पर स्पष्ट कर दी गई है। जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है, राज्य का दर्जा दिये जाने की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिये उसकी वित्तीय व्यवहार्यता का अध्ययन किया जा रहा है। मनीपुर तथा त्रिपुरा को अपने वित्तीय साधनों का विकास करने के लिये अभी पर्याप्त कमी पूरी करनी है। दिल्ली को देश की राजधानी के रूप में उसकी विशेष स्थिति के कारण एक संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है और यह विचार बना रहेगा।

Shri Sharda Nand : Mr. Speaker the Hon. Minister has just said that the economically backward States can not be granted statehood. May I ask how is it that Nagaland which was granted statehood has a population of four lakhs and is also economically backward. It is therefore natural on the part of the people of Manipur to expect statehood for Manipur. I want to ask whether the Government have fixed any criteria that the states which would fulfil certain conditions would be granted full statehood ? What are the reasons for granting statehood to economically backward Nagaland ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुझे यों कहना चाहिये कि नागालैंड का मामला एक विशेष मामला है। नागालैंड के ऐतिहासिक तथा राजनैतिक कारणों पर विचार करते हुये इस सदन ने विशेषाधिकार से उसे पूरे राज्य का दर्जा देने का अनुमोदन किया। मैं नहीं समझता कि इन मामलों के लिये इसे पूर्व उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माननीय सदस्य केवल यही पूछना चाहते थे कि क्या सरकार ने इस बारे में कोई सिद्धान्त निर्धारित किये हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने जो कुछ कहा है उसे यदि माननीय सदस्य ध्यानपूर्वक सुनते तो मैं उन्हें आर्थिक क्षमता तथा अन्य सिद्धान्तों के बारे में भी बताता।

श्री बलराज मधोक : कौनसा राज्य आर्थिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर राज्य है ? उदाहरण के लिये क्या जम्मू तथा कश्मीर आर्थिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर राज्य है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जो राज्य जैसे हैं वे तो मेरे द्वारा परिवर्तित किये नहीं जा सकते हैं। जब वर्तमान संघ-राज्य क्षेत्रों को पूरे राज्य में परिणत करने का प्रश्न उठेगा तो हमें किसी सिद्धान्त पर विचार करना होगा। वह प्रश्न उठाया गया था तथा मैंने जो सिद्धान्त था उसे बता दिया।

Shri Sharda Nand : My second question is whether the Hon. Minister is aware that economic assistance is given to the Union Territories by the Centre ? Why then their financial condition is not being improved for raising them to the status of a full state ?

The second thing I want to say is that there must be a Cabinet Minister exclusively responsible for these Union Territories, is the Government prepared to consider over the suggestion ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : ये सुझाव हैं, इनका मैं सीधे रूप से उत्तर नहीं दे सकता हूं ।

Shri Bansh Narain Singh : You have granted full statehood to small Union Territories like Nagaland and Meghalaya but Himachal Pradesh, Manipur and Delhi have not been given statehood. Was it because they did not agitate for this while the former States agitated for this?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : यह सच नहीं है; उन्हें इसलिये पूरे राज्य का दर्जा नहीं दिया गया कि उन्होंने आन्दोलन किये थे ।

Shri Prem Chand Verma : I want to know whether any deadline has been fixed for statehood to Himachal Pradesh ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : डैडलाइन मुकर्रर करने का कोई प्रश्न ही नहीं है । वह मामला सरकार के सक्रिय विचाराधीन है ।

Shri Ram Sewak Yadav : The Hon. Minister of Home Affairs indicated certain criteria for giving statehood to the Union Territories and one of the criteria was financial viability. Were the states, which given statehood, financial viable? If not, then why that criteria was not followed in this case.

The other thing which the Hon. Minister stated was that it was entirely on the House to decide. Let the House decide what it wants. I want to know from the Government whether they propose to offer statehood to Manipur or not ?

Shri Y. B. Chavan : I have given an indication in my answer regarding the working of the Government's mind and approach and if the Hon. Member reads through the reply he will know it. I have also made it clear before the House.

Shri Ram Sewak Yadav : I want to know the clarification as regards the financial viability and other financial criterion which you have fixed for the purpose.

डा० राम सुभग सिंह : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मणिपुर और त्रिपुरा सीमावर्ती राज्य हैं तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि मणिपुर में पूरे दर्जे के राज्य के लिये आन्दोलन चल रहा है और इस बात को ध्यान में रखते हुए भी कि उक्त प्रदर्शन की साक्षी गृह मंत्री जी ने दी है, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार मणिपुर, त्रिपुरा तथा हिमाचल प्रदेश को पूरे राज्य का दर्जा देने **(व्यवधान)** :..... तथा दिल्ली को भी देने का निर्णय लेने जा रही है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं जानता हूं कि मणिपुर के लोगों में एक ठोस भावना है साथ ही त्रिपुरा में भी । मैं उस विशेष तथ्य से इन्कार नहीं करता हूं । परन्तु अभी तक इन क्षेत्रों को पूरे राज्य का दर्जा देने का कोई विचार नहीं है । इस क्षण ऐसा कोई विचार नहीं है ।

Mr. Speaker : Dr. Ram Subhag Singh.

Shri Shinkre : The reorganisation of States on the linguistic basis in India has been kept in view by the people of Goa who demand for merger of Small Union Territories like Goa with the neighbouring State on the linguistical basis and geographical contiguity and the big states may be given statehood. So far as I know, the ARC is also of this view. I want to know the reaction of the Government regarding this ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं समझता हूं इस विशेष मामले में माननीय सदस्य के दिमाग में गोवा का विचार है, मैं समझता हूं कि गोवा के लोगों ने इस बारे में कोई निर्णय कर लिया है ।

श्री शिंकरे : मेरा प्रश्न केवल गोवा के सम्बन्ध में ही नहीं था । मैं यह जानना चाहता हूं कि भाषा के आधार पर भी विचार किया जायेगा अथवा नहीं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह केवल भाषा की एकता पर विचार करने का ही प्रश्न नहीं है । स्थानीय लोगों की इच्छाएं, वहां के प्रशासन आदि पर भी विचार किया जायेगा ।

श्री हेमराज : मंत्री महोदय ने सदन में बताया है कि हिमाचल प्रदेश को पूरे राज्य का दर्जा देने का प्रश्न सक्रिय विचाराधीन है । उन्होंने सदन में यह भी बताया है कि, "यदि सदन ऐसा चाहे तो ।" जहां तक हिमाचल प्रदेश के प्रश्न का सम्बन्ध है इस सदन ने तथा दूसरे सदन ने हिमाचल प्रदेश की मांग की ताईद में सर्वसम्मति प्रदान कर दी है । जहां तक "सक्रिय विचार" के प्रश्न का सम्बन्ध है, इस मामले पर विचार करने में दो वर्ष लगे हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि कितना समय और लगेगा क्योंकि आसाम और जम्मू तथा कश्मीर को तो सरकार आर्थिक सहायता और अनुदान दे रही है हिमाचल प्रदेश के मामले में उसकी अस्तित्व योग्यता पूछी जाती है जहां तक राजस्व तथा संस्थापना के खर्चों का सवाल है, हिमाचल प्रदेश बचत दिखाता है । अब एक अन्य बाधा उपस्थित कर दी गई है और वह गैर योजना व्यय की है । क्या मैं पूछ सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक क्षमता किस आधार पर निर्धारित की जाती है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जैसा कि मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का मामला विचाराधीन है । इस मामले के आर्थिक पहलुओं पर योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये कागज के आधार पर मैंने स्वयं ने कई बार चर्चा की है । मैंने दो बार स्वयं मुख्य मंत्री जी से इस विषय में चर्चा की है । मैं समझता हूं कि इस मामले में कुछ सुधार ही हो रहा है । उसके लिये कोई विशेष समय अवधि निर्धारित करना कठिन है ।

श्री हेम राज : जहां तक गैर योजना व्यय का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति । श्री एस० एम० जोशी ।

Shri S. M. Joshi : Mr. Speaker, I want to know from the Hon. Minister through you, as he has stated that there was a special case when Nagaland was granted statehood and now the same special case is with Manipur because the Government have to run administration of that place from Delhi and the people living there are surrounded by Pakistan, there must not be any sort of discontentment among the people, they must have full satisfaction, keeping it in view, will the Government take it into active consideration or not ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : यह तो कार्यवाही करने के लिये सुझाव है ।

श्री मनुभाई पटेल : मंत्री महोदय की अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की यात्रा के दौरान तथा संसद सदस्यों द्वारा विभिन्न समितियों को देखने में पता चला कि विभिन्न संस्थाओं

के प्रतिनिधियों ने मुख्य आयुक्त के प्रशासनिक ढंग के स्थान पर एक लोकप्रिय प्रशासन परिषद की मांग के लिये प्रतिनिधित्व किया । क्या मैं जान सकता हूं कि अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में लोकप्रिय प्रशासन परिषद् स्थापित करने के बारे में सरकार ने क्या कोई निर्णय लिया है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : उतनी गहराई से इस प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है । परन्तु अन्दमान निकोबार द्वीप समूह के विशेष कार्यकर्त्ताओं को लेकर एक परामर्श परिषद् अवश्य गठित की गई है जिसकी कि दिल्ली में दो बार बैठक होती है तथा अन्दमान तथा निकोबार में भी प्रायः बैठक होती है । इस समय इस प्रकार की परिषद् को कोई विधायी अंग बनाने का विचार नहीं है ।

श्री बेदब्रत बरुआ : मंत्री जी के उत्तर के उपरान्त भी क्या मैं पूछ सकता हूं कि छोटे संघीय क्षेत्रों को पूरे दर्जे के राज्य में बदलना तथा संघीय राज्यों को रखने के बीच का जो विकल्प है वह आग और कड़ाई के बीच के विकल्प जैसा नहीं है, क्योंकि संघीय राज्यों में हम लोगों के कल्याणार्थ नहीं बल्कि नौकरशाही पर अधिकतम धन व्यय किया जाता है और छोटे राज्यों में हम अधिकतम व्यय मंत्रियों एवं विधान सभाओं पर करते हैं ? उस दृष्टिकोण से क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि यदि सम्भव हो तो राज्य का छोटा स्वरूप बनायेंगे । जहां पर राज्य की शक्तियां तो वही होंगी परन्तु राज्य के राजस्व के अनुपात से मंत्रालयों पर व्यय किया जायेगा ताकि छोटे राज्य व्यय पर नियन्त्रण रख सकें ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैंने इस तीसरे विकल्प पर तुरन्त विचार नहीं किया है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : It is a matter which involves Delhi also. If you do not want to give a chance don't give, but I will say you are being partial to us. This is improper and unjust.

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार मैं आपको अवसर नहीं दूंगा आपकी पार्टी के दो दो सदस्य बोल चुके हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I do not want any accommodation. You have obliged two members from the same party while you are ignoring the other parties totally.

अध्यक्ष महोदय : क्या वह कुछ मिनटों तक इन्तजार नहीं कर सकते । मुझ पर इस तरह दबाव नहीं डाला जा सकता ।

श्री हेम बरुआ : सबसे उपेक्षित दल प्रसोपा है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : This is not the way. You have given a chance to Shri Ram Sewak and Shri Joshi but not a single person from Delhi was accommodated. We have risen so many times but you did not listen. Those who make a noise get a chance but those who respect the chair are neglected. Two members from Himachal Pradesh got a chance.

अध्यक्ष महोदय : आपके नेता ने एक प्रश्न उठाया था। उन्होंने तथा अन्य दो सदस्यों ने व्यवधान डाला।

श्री कंवर लाल गुप्त : उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने हस्तक्षेप किया था, आप रिकार्ड देख सकते हैं।

श्री एम० मेघचन्द्र : माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से यह ज्ञात हुआ है कि हिमाचल को छोड़ कर मनीपुर तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों को तब तक राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया जायगा जब तक कि वह इसके लिये स्वयं सक्षम नहीं हो जाते। गृह मंत्री जानते हैं कि लगभग पिछले दो वर्षों से वहां उपद्रव हो रहे हैं। मनीपुर के सभी दल, देहली आकर सदन के सदस्यों तथा नेताओं से बात करने के इच्छुक हैं। सदन ने भी पिछले मनीपुर बजट की चर्चा के दौरान इस मांग का एकमत से समर्थन किया था। जब वहां ऐसे उपद्रव हो रहे हैं मणिपुर के लोग यह महसूस करते हैं कि उनके संघ राज्य क्षेत्र को उचित स्तर नहीं दिया गया। मनीपुर का प्रशासन गृह मंत्रालय के हाथ में है और वहां के लोग भी शेष भारत के लोगों के समान समानता चाहते हैं। संविधान की प्रस्तावना को देखते हुए इस सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया काफी निराशाजनक है। 1968-69 में उठाये गए अनेक प्रश्नों के उत्तर में भी वित्तीय अर्थ क्षमता की बात रखी गई थी और इसी पर अधिक बल दिया जा रहा है। क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ राज्य क्षेत्र मणिपुर को, राज्य बनाने के विषय में, यहां कभी कोई चर्चा हुई थी और क्या सरकार का विचार मणिपुर के राजनीतिक दलों के नेताओं तथा प्रतिनिधियों से इस विषय में चर्चा करने का है।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि हम मणिपुर के साथ उपनिवेश जैसा व्यवहार कर रहे हैं।

श्री रंगा : यह उनका विचार है।

श्री बलराज मधोक : यही विचार धारा मणिपुर के लोगों की भी है।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : किन्तु कभी कभी विचार गलत भी हो सकते हैं। उनकी अपनी विधान सभा है, अपना मंत्रिपरिषद् है किन्तु जब मंत्रालय अपना कार्य सुचारुरूप से चलाने में असमर्थ हो जाता है वहां राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया जाता है। आजकल भी वहां राष्ट्रपति का शासन है और इसका अर्थ यह है कि वहां पर सदन का नियंत्रण है न कि किसी एक विशेष व्यक्ति का। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता, वहां मणिपुर को राज्य बनाने की मांग है। सभी राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं किन्तु हमने कभी नहीं कहा कि हम इस पर विचार करेंगे किन्तु राज्य की संज्ञा प्रदान करने की कसौटी वही रहेगी जो हमने पहले नियत की है और यही मैंने अपने वक्तव्य में कहा था।

श्री बलराज मधोक : आप इस पर विचार करने के लिये तैयार हैं।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : कोई भी प्रजातन्त्र सरकार यह नहीं कह सकती कि वह विचार नहीं करेगी।

श्री वी० कृष्णामूर्ति : जनसंख्या, क्षेत्रफल तथा सीमावर्ती क्षेत्र सम्बन्धी जो कसौटियां नागालैंड को राज्य बनाने के समय अपनाई गई थीं, वह मणिपुर के क्षेत्र में भी लागू होती हैं। यह भी सीमावर्ती क्षेत्र है तथा पाकिस्तान और चीन के समीप है। नागालैंड को राज्य बना देने से वहां की स्थिति पर नियंत्रण हो गया है। नागालैंड को राज्य बनाकर संसद ने उचित निर्णय लिया है। मैं लगभग 1½ वर्ष पूर्व मणिपुर गया था। वहां के मुख्य आयुक्त श्री बलेश्वर प्रसाद ने, जिनकी नियुक्ति अब किसी बाहर के देश में कर दी गई हैं, मुझे बताया जब तक संसद और भारत सरकार मणिपुर को राज्य नहीं बना देते, तब तक यहां की समस्याएं हल नहीं होंगी। मणिपुर के नागा टयूनसैंग नागालैंड के अन्य भागों के नागाओं की अपेक्षा अधिक द्वेषपूर्ण हैं। जब तक आप मणिपुर को राज्य बनाने की मांग स्वीकार नहीं करेंगे, देश में यह समस्या सदा बनी रहेगी। क्या मंत्री महोदय, इस सदन में व्यक्त की गई भावनाओं पर विचार करेंगे और मणिपुर को राज्य की संज्ञा देने का निर्णय लेंगे।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : हमें इन भावनाओं का पूर्ण ज्ञान है। इस सम्बन्ध में मैं और क्या कह सकता हूं।

श्री वी० कृष्णामूर्ति : आपको निर्णय की घोषणा कर देनी चाहिए। हम विधेयक को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

श्री हेम बरुआ : मनीपुर सामरिक महत्व का क्षेत्र है, अतः वहां के लोग इसे पूर्ण राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं किन्तु आपने उनकी मांग स्वीकार करने के स्थान पर 200 सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया है। यह सूचना दी गई है कि मणिपुर के विद्रोही तत्वों को उकसाने के लिए पाकिस्तान ने छितागांग के पहाड़ी क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए एक शिविर बनाया है। यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मणिपुर के लोगों को पाकिस्तान के हाथ में खेलने देगी या फिर वहां के सामरिक महत्व को देखते हुए इस समस्या का समाधान उनकी मांगों को स्वीकार करेगी।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं आपके चर्चा के विषय को समझता हूं किन्तु इन विषयों का समाधान इस प्रकार नहीं किया जा सकता। इन पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। वित्तीय पहलू प्रशासनिक सुविधाएं तथा अन्य कई बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता आपके विचार असंगत है ··· (**व्यवधान**)

श्री विश्व नारायण शास्त्री : क्या सरकार का विचार बड़े संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्ण राज्य तथा छोटे संघ राज्य क्षेत्रों को निकटस्थ राज्यों में मिलाने का है, क्या सरकार मेघालय के समान अन्य संघ राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करेगी। मेघालय की परिषद तथा केबिनेट को अन्य संघ राज्यों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त हैं। सरकार की इस प्रश्न पर क्या राय है।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : किसी भी राज्य के साथ संघ राज्य क्षेत्र को मिलाने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक दूसरे संघ क्षेत्रों का संबन्ध है, सरकार की स्थिति

मैंने स्पष्ट कर दी है । मेघालय एक विशेष वर्ग के अन्तर्गत है और मेरे विचार में इसकी और कहीं नकल नहीं की जा सकती ।

श्री समरगुह : अंडमान के बारे में क्या राय है ।

Shri Ram Gopal Shalwale : Nagaland is against IndianGovernment and more over there income is not also sufficient and even then you have given it full rights. The administration of Delhi supports you. The Metropolitan Council of Delhi is demanding full rights of the state. I want to know, why Government objects to it.

Shri Y. B. Chavan : That objection is mentioned in my original reply.

श्री बलराज मधोक : दिल्ली अपने आप में पर्याप्त अर्थ में सक्षम है, अत: आर्थिक सक्षमता की कसौटी इसके अनुकूल है ।

श्री यशवन्त राव चाह्वण : जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है, दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र बनाने का कारण यह है कि देश में इसका विशेष स्थान है, यह राजधानी है और यही बात ध्यान में रखी जाती ।

लद्दाख में बौद्धों के साथ भेदभाव

*782. **श्री जनेश्वर मिश्र :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख के निर्धन इलाके में रहने वाले 50,000 से अधिक बौद्ध काश्मीर सरकार द्वारा किये जाने वाले साम्प्रदायिक भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में न्याय और समानता सम्बन्धी उनकी मांग पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). जम्मू व काश्मीर सरकार ने हमें सूचित किया है कि लद्दाख में बौद्धों के विरुद्ध न तो साम्प्रदायिक आधार पर और न सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में ही कोई भेदभाव किया जाता है । लद्दाख जिले की सभी तीनों तहसीलों अर्थात् लेह, कारगिल और जंस्कार पर विकास तथा रोजगार के अवसरों के मामलों में पर्याप्त ध्यान दिया जाता है ।

Shri Janeshwar Misra : The area of Ladakh is one of the most sensitive part of the border which suffers from tension from in side and the outside of the country. It is a matter of shame if any State Government or the Central Government of the country do injustice to a group of people especially to those who are refugees. Most of the people in Ladakh are Buddhists who have come from Tibet. Refugees are generally miserable persons. Likewise these refugees are also very miserable. They are also motivated with the desire that they should organise

themselves and liberate Tibet. Will Hon. Minister assure the Buddhists that whenever they will make efforts to liberate Tibet the Government of India and the Government of Kashmir will help them ?

श्री यशवंत राव चह्वाण : मेरे विचार से इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । सरकार इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दे सकती । मूल प्रश्न लद्दाख के विकास तथा वहां के बौद्ध भिक्षुओं के लिये रोजगार के अवसर प्रदान करने के विषय में है । उनकी समस्याओं पर समय-समय पर विचार किया जाता रहा है । गत वर्ष कुछ मांगों को लेकर उन्होंने आंदोलन किया था । जम्मू और काश्मीर से एक मंत्री महोदय वहां गये तथा उन्होंने उनसे विचार विमर्श किया । कल ही लद्दाख के प्रतिनिधि श्री कुशोक बाकुला ने यहां एक वक्तव्य दिया जिसमें यह कहा कि वहां गत वर्ष कुछ विकास कार्य किये गये हैं । फिर भी कुछ ऐसी समस्याएं शेष हैं जिनका समाधान नहीं हो पाया । लेकिन इतना अवश्य है कि विकास कार्य अभी जारी है ।

Shri Janeshwar Misra : The Hon. Minister had discussions with a delegation of Ladakh yesterday. According to the Newspaper reports the condition of the Buddhists has deter iorated to such an extent that at any time an explosive situation may be created if their problems are not solved immediately. It was submitted by the delegation which came yesterday to meet the Hon. Minister and the Government of India that the assurance to include the Buddhists in the category of scheduled castes was not fulfilled by the Government to this day. May I know the steps being taken by the Government in this direction ?

श्री यशवंत राव चह्वाण : मैंने कुछ मांगों के सम्बन्ध में उल्लेख किया था । इस सम्बन्ध में हमने पूरा विचार-विमर्श कल ही किया है । प्रतिनिधि मंडल की यह मांग थी कि लद्दाख के लोगों को अनुसूचित आदिम जातियों में सम्मिलित किया जाय । संविधान में अनुसूचित आदिम जातियों के विषय में कुछ विशिष्ट कसौटियां निर्धारित की गई हैं । अतः इस मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता । सरकार किसी प्रकार की कोई नई अनुसूचित आदिम जाति नहीं बना सकती । किन्तु राज्य सरकार ने उनकी इस सम्बन्ध में की गई मांग को स्वीकार कर लिया है कि उस क्षेत्र को तथा उनके निवासियों को पिछड़ा हुआ क्षेत्र और पिछड़े हुए लोग घोषित कर दिया जाये । लद्दाख के सभी निवासियों को पिछड़े हुए लोग समझा जायगा जिससे उन्हें विकास की अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो सकें तथा उन्हें सरकारी सेवा में भी अच्छी सुविधाएं प्राप्त होंगी ।

Shri Bal Raj Madhok : The Buddhists of Ladakh have three main complaints regarding the discrimination. One, their language is Bodhi and the script of this language is almost similar to Devnagari. There is considerable literature in this language. But the Government of Jammu and Kashmir have been imposing Urdu language on these people. Bodhi language has not been made the medium of their education and they are not provided any kind of facilities. May I know whether the Government propose to give appropriate status to Bodhi language which is the language of that region. A large number of Tibetan refugees have come to that area but they are not being allowed to settle in Jammu like the Punjabi refugees who had not been allowed to settle there. The refugees from Tibet are not being given the rights to vote. May I know whether the Government will assist these refugees in settling there and give them the right to vote ?

Thirdly, it has been demanded by the people of Ladakh that the areas of Ladakh, Lahol and Spiti should be treated as one unit because of geographical contiguity, cultural affinity and linguistic similarity so that their development be accelerated. May I know the attitude of the Government towards the above three demands of the Ladakhi people?

श्री यशवंत राव चह्वाण : राज्य की राज भाषा उर्दू है तथा वही रहेगी। किन्तु यह सच है कि वहां के निवासियों ने अपनी भाषा के सम्बन्ध में कुछ सुविधाओं की मांग की है। सरकार के समक्ष यह बात भी विद्यमान है।

श्री बलराज मधोक : किन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री यशवंत राव चह्वाण : इस समय इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे यह विदित है कि जम्मू और काश्मीर सरकार के समक्ष यह मामला अवश्य है।

श्री बलराज मधोक : लगभग 5,000 शरणार्थियों को अभी तक वहां नहीं बसाया गया है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है।

श्री यशवंत राव चह्वाण : तिब्बत से आए शरणार्थियों की समस्या पर राज्य सरकार सावधानी से विचार कर रही है।

श्री रा० ढो० भण्डारे : क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि क्या सरकार लद्दाखी बौद्धों को तथा उस क्षेत्र को पिछड़े लोग और पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की अपेक्षा उन्हें चौथी अनुसूची के अनुच्छेद 244 (1) के अन्तर्गत निर्धारित अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेगी तथा साथ ही क्या अनुच्छेद 339 के अनुसार वहां अनुसूचित क्षेत्र के लिये नियुक्त किये जाने वाला आयुक्त नियुक्त करेगी ?

श्री यशवंत राव चह्वाण : हमारे समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं उसकी उपयोगिता भी नहीं समझता।

श्री रंगा : आशा है मंत्री महोदय इस क्षेत्र के विशिष्ट महत्व से अवगत होंगे तथा यह भी समझते होंगे कि सभी दलों के सदस्य वहां के निवासियों की प्रगति तथा कल्याण में विशिष्ट रुचि रखते हैं। क्या माननीय मंत्री मेरे मित्र श्री कुशोक बाकुला द्वारा दोनों बार उठायी और विभिन्न बातों के विषय में विशेष रुचि दिखायेंगे ? यद्यपि उन लोगों को अनुसूचित आदिम जातियों में सम्मिलित करना मुझे जंचता तो नहीं है तथापि क्या इसके साथ ही साथ उनकी सभी मांगों को पूरा करने के सम्बन्ध में हर सम्भव सहानुभूति दिखाई जायेगी? क्या बौद्धों में से एक मंत्री की नियुक्ति की जायेगी तथा क्या उनको यह आश्वासन दिगा जायेगा कि उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न केवल राज्य सरकार ही नहीं करेगी, वरन् स्वयं केन्द्र सरकार भी उत्साहपूर्वक प्रयत्न करेगी ?

श्री यशवंत राव चह्वाण : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से यह क्षेत्र सामरिक महत्व का क्षेत्र है और इसका विशेष ध्यान रखना उचित है। जहां

तक वहां के निवासियों का सम्बन्ध है, यह स्वाभाविक है कि विभिन्न मामलों में उनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके आर्थिक विकास तथा उनको दी जाने वाली रोजगार सम्बन्धी सुविधाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिये। इस सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं है। मैं यह भी मानता हूं कि इस मामले में केन्द्र सरकार के ऊपर विशेष उत्तरदायित्व है। अतः जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं कि यहां के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने तथा इन्हें रोजगार सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से इस क्षेत्र को पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना गया है जिससे उन्हें विशिष्टि सुविधाएं दी जा सकें। यह कार्य किया जा रहा है। एक यह प्रश्न भी उठाया गया है कि उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र माना जाये तथा वहां के निवासियों को अनुसूचित आदिम जाति के लोग माना जाये। महोदय ! आदिम जाति का कुछ भिन्न स्वरूप है। यदि इस प्रकार का कार्य आरम्भ कर दिया गया तो देश में इस प्रकार के अनन्त उदाहरण मिल जायेंगे। जहां तक इस क्षेत्र तथा इस क्षेत्र के लोगों का विशेष ध्यान रखने तथा इनके विकास को प्राथमिकता देने के प्रश्नों का सम्बन्ध है, क्योंकि इसका सामरिक महत्व है, इस बात को सावधानीपूर्वक विचारा गया है तथा सरकार ने सिद्धांतरूप से इसे स्वीकार कर लिया है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

Shri Prakash Vir Shastri : When your predecessor Shri Sanjiva Reddy was holding this office certain problems regarding Ladakh having national and international implications were discussed on the floor of the House.

At that time it was unanimously decided in the House that a delegation should be sent toLadakh to study their problems. But the decision could not be implemented because of the opposition of Jammu and Kashmir Government in this matter. May I know whether apart from the State Government the Central Government have collected any information at their own level to the effect that the grievances especially regarding the conversion of people there do not exist now.

Secondly, may I know whether the Government have issued any instruction to the State Government to the effect that the recommendations made by the Gajendra Gadkar Commission should be implemented immediately ?

श्री यशवंत राव चह्वाण : जहां तक संसदीय शिष्ट मण्डल भेजने पर हुये विचार-विमर्श का सम्बन्ध है, उस पर विचार किया गया था तथा मैंने यह सुझाव दिया था कि जब राज्य सरकार को इस बात पर आपत्ति है तो हमें वहां शिष्ट मण्डल भेजने की बात पर पर बल नहीं देना चाहिये। साथ ही मैंने यह भी आश्वासन दिया था कि कुछ माननीय संसद् सदस्यों के दौरे की व्यवस्था की जायेगी। हमने कुछ माननीय सदस्यों को इसके लिये निमंत्रित भी किया था तथा कुछ ने प्रारम्भिक रूप से स्वीकार भी कर लिया था। किन्तु अन्त में इस कार्य के लिये एक माननीय सदस्य सहमत हुये। इसी कारण इस निर्णय को त्याग दिया गया। जहां तक गजेन्द्र गडकर आयोग की सिफारिशों का सम्बन्ध है, इस मामले पर सदन में कल ही विचार-विमर्श किया गया था तथा मुझे इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी भी है। कुछ मांगों पर विचार किया जा रहा है। जहां तक उस क्षेत्र का मंत्रिमण्डल में प्रतिनिधित्व करने का सम्बन्ध है, एक राज्य मंत्री की नियुक्ति कर दी गई है। किन्तु उनकी मांग यह है कि एक मंत्रिमण्डल के स्तर का मंत्री नियुक्त किया जाय।

Shri Prakash Vir Shastri : He has not been assigned the charge of Ladakh Affairs.

श्री यशवंत राव चह्वाण : यह सही है । उनकी यह भी मांग है । ऐसे मामलों में हम यहां कोई निर्णय नहीं कर सकते । यह विशेषाधिकार तो केवल मुख्य मंत्री का है कि किसको क्या पद देने का निर्णय किया जाय ।

श्री बलराज मधोक : किन्तु आप उनसे कह सकते हैं ।

श्री यशवंत राव चह्वाण : यह भिन्न मामला है । इस विषय में मैं कोई निर्णय नहीं थोप सकता ।

Shri Randhir Singh : From the strategical point of view Ladakh is very important but it is most backward. It has a special status because it is a border area and at the same time one of the most backward. As has been submitted by Shri Bhandhare, may I know whether the Government will sympathetically consider over the proposal of declaring this area as scheduled area instead of declaring the Buddhists as Scheduled Tribes, as has been done in case of Assam and NEFA ?

श्री यशवंत राव चह्वाण : मैंने इस प्रश्न का ब्यौरेवार उत्तर दे दिया है ।

Shri Maharaj Singh Bharati : Mr. Speaker, Sir, I visited Ladakh at my own expenses when the agitation was going on there. I want to know from the Hon. Minister that to what extent the agreement arrived at between the people of Ladakh and the Government of Jammu and Kashmir has been implemented so far. Is it a fact that out of the financial aid given to Ladakh from the Central Government a major portion is spent on the travelling expenses of the officials of Kashmir Government ? Is it also a fact that it is demanded by the people of Ladakh that the entire amount of financial assistance should be given to them so that it could be utilised for the development of Ladakh ?

श्री यशवंत राव चह्वाण : यह सच नहीं है सभी धनराशि आने जाने पर खर्च हो जाती है । वहां नेताओं और राज्य सरकार ने कुछ बातों का समर्थन किया था तथा उनमें से कुछ को कार्यान्वित भी कर दिया गया है । कल ही श्री बाकुला ने कहा है कि उनकी कुछ मांगें राज्य सरकार ने पूरी कर दी हैं । गत दो महीनों में वहां अवश्य ही कुछ प्रगति हुई है ।

Shri Ramji Ram : The problem of Buddhists is not confined only to Ladakh but to the entire country. The issue is serious one. After the death of Baba Saheb Dr. Ambedkar the seriousness of this problem has increased manifold. May I know the reasons for adopting a dual policy with regard to the Buddhists ? While the Buddhists of Maharashtra have been provided with all the facilities except the political reservation. No such facilities, have been given to them by the Government of India any where else in the country. Will the Hon. Minister explain the reason for this discrimination ?

श्री यशवंत राव चह्वाण : भारत सरकार ने नये बने बौद्धों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं देने के सम्बन्ध में कुछ नीति अपनाई है । वर्तमान स्थिति का तो मुझे ज्ञान नहीं है किन्तु यदि मुझे ठीक याद है तो 10 वर्ष पहले महाराष्ट्र में भी ऐसा ही किया गया था जो वहां किया जा रहा है ।

श्री म० ला० सोंधी : मैं माननीय सदस्य के उत्तरों को बड़ी सावधानी से सुन रहा हूं । मेरे विचार से माननीय मंत्री सरकारी ज्वालामुखी की चोटी पर बैठे हैं, जिससे विस्फोट की किसी

भी क्षण आशंका है। अतः हम आपसे सुरक्षा की मांग करते हैं क्योंकि हमें अपने सीमा क्षेत्र पर दूर स्थित इस भूभाग के सम्बन्ध में बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम इस सम्बन्ध में निश्चित नहीं रह सकते। महोदय ! लद्दाख की समस्या परम्परावादी समाज का आधुनिकीकरण करने की समस्या है। क्या श्रीनगर के लोग आधुनिक दृष्टिकोण और भावनाओं से इतने दूर हैं कि वे लद्दाख के लोगों का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने के लिये बर्बरता अपना सकते हैं ? इससे तो मध्ययुगीन काल की बर्बरता झलकती है। क्या श्रीनगर के शासकों को आधुनिक समाज शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार परम्परावादी समाज का आधुनिकीकरण करने में आने वाली समस्याओं का ज्ञान है।

श्री यशवंत राव चह्वाण : उसके सम्बन्ध में मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं। जहां तक मुझे जानकारी है, कश्मीर सरकार में इस तकनीक को जानने वाले लोग हैं तथा जो प्राचीन समाज का आधुनिकीकरण करने में विश्वास रखते हैं। पर शायद दिल्ली में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें विश्वास नहीं रखते।

श्री म० ला० सोंधी : क्या इस सम्बन्ध में कोई विशेष अध्ययन किया गया है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : सवाल विश्वास का नहीं है। प्राचीन समाज का आधुनिकीकरण करना मुख्य समस्या है और यह समस्या केवल लद्दाख की ही नहीं है वरन् समस्त भारत की है। तथा इसके हल होने में लम्बा समय लगेगा। हमें इस ओर धीरे-धीरे बढ़ना होगा। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि इसे लद्दाख की प्रत्येक तहसील में करना होगा।

श्री एस० कन्डप्पन : लद्दाख क्षेत्रफल में कश्मीर और जम्मू दोनों के मिले-जुले क्षेत्रफल से कहीं अधिक बड़ा है। जहां तक मैं उन्हें समझ पाया हूं, लद्दाख के एक प्रतिनिधि ने कल ही यह कहा था कि पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये संचार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब तक हम पहाड़ी क्षेत्रों में संचार के साधनों का विकास नहीं करते, तब तक इन क्षेत्रों में किसी विकास की आशा करना कठिन है। मैं माननीय गृह मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात का विश्वास है कि अपने पास उपलब्ध साधनों से जम्मू और कश्मीर सरकार इस क्षेत्र में संचार व्यवस्था के कार्य को चालू कर सकती है या सरकार का इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जहां तक जम्मू तथा कश्मीर, विशेषतः लद्दाख में संचार साधनों का सम्बन्ध है, संचार साधनों के मुख्य आय का भार केन्द्रीय सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है तथा इस विकास कार्य को करने वाली संस्था को सीमा सड़क संगठन कहा जाता है। सीमा सड़क संगठन ने मुख्य संचार साधनों का विकास करने के लिये महत्वपूर्ण कार्य किया है। श्रीनगर से लेह तक बनाई गई सड़क एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

श्री एस० कन्डप्पन : लद्दाख क्षेत्र के संचार साधनों की क्या स्थिति है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : उसके सम्बन्ध में मैं बताने जा रहा हूं। लद्दाख के विकास के लिए कल ही लद्दाख के माननीय सदस्य श्री कुशोक बाकुला ने कहा था। लद्दाख में संचार के विकास

का कार्य चल रहा है तथा इसके पूरा होने में कुछ समय लगेगा। इस काम को करने के लिये तथा अन्य सुविधाओं के लिये एक एजेन्सी का होना आवश्यक है।

श्री वीर भद्र सिंह : एक प्रतिनिधि श्री कुशोक बाकुला ने लद्दाख को एक केन्द्र शासित प्रदेश बनाए जाने की वकालत की है। इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : यह एक गलत मांग है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति का घेराव

*783. **श्री हेम बरुआ** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में लगभग 60 विद्यार्थियों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति का उनके कार्यालय में घेराव किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस घेराव के क्या कारण थे और विद्यार्थियों की मांगें क्या थीं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (प्रो० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 12 फरवरी, 1970 को लगभग 20-30 छात्रों ने उपकुलपति का, जब वे शैक्षणिक परिषद् की सभा में थे, घेराव किया था।

(ख) छात्रों ने यह मांग की कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष, जिसने संघ के नियमों का उल्लंघन किया है, संघ के कोष में से अनधिकृत रूप से पैसा निकाल कर उसका प्रयोग किया है, संघ के भवन का दुरुपयोग किया है और लेखों आदि का उचित हिसाब नहीं रखा है, के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाये।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि छात्रों के एक दल ने दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति का इस कारण घेराव किया था क्योंकि उन्होंने कुछ छात्रों के प्रति जिनके विरुद्ध बहुत भीषण वित्तीय अनियमितताएं करने का आरोप था, उपेक्षा का रुख अपनाया था। यदि हां, तो मामले के उस विशेष पहलू की जांच पड़ताल करने के लिए उपकुलपति ने क्या कदम उठाए हैं ?

डा० वी० के० आर० वी राव : छात्रों ने उपकुलपति का घेराव नहीं किया था। वास्तव में 22 जनवरी को संघ के सचिव, संयुक्त सचिव तथा कुछ सदस्यों ने लिखित रूप में उपकुलपति से कुछ वित्तीय तथा अन्य अनियमितताओं की शिकायत की थी। सचिव तथा संयुक्त सचिव ने बाद में अपने आरोप वापस ले लिए। तथापि बाद में संयुक्त सचिव ने इस आरोप का पुनः समर्थन किया। उपकुलपति ने 31 जनवरी को सब छात्रों की बैठक बुलाई तथा इस सब मामले के तथ्य जानने के लिए एक जांच समिति नियुक्त कर उसे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा। जांच समिति का प्रतिवेदन 11 फरवरी को प्राप्त हुआ। उपकुलपति ने जांच समिति के प्रतिवेदन की प्रतियां छात्र संघ के अध्यक्ष तथा उन छात्रों, जिन्होंने संघ के प्रतिनिधियों के विरुद्ध आरोप लगाए थे, को दीं। जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध

में कुछ नहीं किया है क्योंकि संघ के अध्यक्ष के हिसाब किताब का लेखा प्रस्तुत नहीं किया। उपकुलपति ने संघ के अध्यक्ष से 14 फरवरी तक हिसाब-किताब पेश करने को कहा। इसकी सूचना दोनों दलों को दे दी गई। यह सब 11 और 12 को हुआ। तब 12 तारीख को शाम के 6.30 बजे छात्रों के एक दल ने संघ के अध्यक्ष पर आरोप लगाए और उपकुलपति तथा अकादमी परिषद का घेराव किया तथा उन्होंने अध्यक्ष के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करने की मांग की। उपकुलपति ने अध्यक्ष से 14 तारीख को हिसाब-किताब पेश करने को कहा था। उन्हें प्रतिवेदन 11 तारीख को मिला था। और मैं समझता हूं कि सम्बन्धित व्यक्तियों को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका देने से पहले उपकुलपति को तुरन्त कार्यवाही करने को कहना युक्तियुक्त नहीं था।

श्री हेम बरुआ : दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। वहां दीवारों पर माओं के नारे लिखे मिलते हैं तथा "अध्ययन से आदमी बेकार होता है" को अच्छा समर्थन मिला है। दूसरे नारे हैं "अंग्रेजी समाप्त हो" आदि। अंग्रेजी के सम्बन्ध में ऐसे नारे लिखने का काम हिन्दी के उग्र समर्थकों का होगा। इन्द्र प्रस्थ कालेज की दीवारों पर महिलाओं के सम्बन्ध में यह नारा लिखा गया कि "आप महिलाएं नहीं हैं, आप चपाती बनाने की मशीन हैं।"

परसों विश्वविद्यालय क्षेत्र में कला संकाय के भवन पर बम फेंका गया।

उपकुलपति के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण विश्वविद्यालय में अनुशासन हीनता की कार्यवाहियां बढ़ रही हैं।

क्या मैं यह जान सकता हूं कि विश्वविद्यालय को इस अनुशासनहीनता तथा नारेबाजी से मुक्त रख विद्या के मन्दिर के रूप में बनाए रखने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : उपकुलपति ने कोई पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है इस कथन का मैं पुरजोर विरोध करता हूं। इसके विपरीत शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं छात्रों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कार्य को दृढ़ता, प्रभावपूर्ण और साथ ही साथ संवैधानिक ढंग के और सहानुभूतिपूर्वक चलाने के लिए उन्हें बधाई देता हूं।

नारेबाजी, जिसका लगता है माननीय सदस्य ने विशेष अध्ययन किया है, के बारे में.....

श्री हेम बरुआ : मैंने कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है। मैंने इन्द्रप्रस्थ कालेज के भवन पर "आप महिला नहीं, चपाती बनाने की मशीन हैं" नारा लिखा देखा है।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं विशेष रूप से उसी नारे का जिक्र कर रहा था। किसी को कहीं पर नारे लिखने से रोकना मेरी समझ में बड़ा ही कठिन काम है। मैं उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस अस्तव्यस्त संसार, जिसमें कि हम रह रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय अपना कार्य बड़े अच्छे ढंग से चला रही है।

आई० सी० एस० अधिकारियों के प्राप्त विशेषाधिकारों की समाप्ति

+

अ० सू० प्र० सं० 12. श्री० स० कुण्डू :
श्री समर गुह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० सी० एस अधिकारियों के प्राप्त विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिये सरकार ने संविधान में संशोधन करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विधेयक को कब तक पुरःस्थापित करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवंत राव चह्वाण): (क) और (ख). भूतपूर्व राज्य सचिव सेवाओं (आई० सी० एस० तथा आई० पी० एस०) के अधिकारियों को संविधान के अनुच्छेद 314 के आधार पर सेवा की कतिपय शर्तों में संरक्षण तथा अनुशासनात्मक मामलों के सम्बन्ध में कतिपय अधिकार दिये गये हैं। संविधान में संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 314 को हटाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री स० कुन्दू : यह वस्तुतः खेदजनक बात है कि गत 22 वर्षों से भारतीय सिविल सेवा जिसका गठन एक उपनिवेशी राष्ट्र द्वारा ब्रिटिश राजसत्ता के आदेश पर शासन करने के लिए किया गया था और जिसका प्रयोग उन्होंने हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन को दबाने के लिए किया था, उसे केवल निरन्तर बनाये रखने की अनुमति ही नहीं दी गई.....

श्री लोबो प्रभु : इस प्रकार की बात मत कहिये। यह उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : या तो संसद सदस्य के रूप में अथवा अवकाश प्राप्त आई० सी० एस० अधिकारी के रूप में कार्य कीजिए।

श्री लोबो प्रभु : मैं दोनों के रूप में कार्य कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर आप संसद सदस्य की हैसियत से हैं, न कि उनके प्रतिनिधि के रूप में।

श्री स० कुन्दू : उन आई० सी० एस० आफिसरों को न केवल पदों पर रहने दिया गया अपितु उनके अधिकारों को संविधान में संहिताबद्ध भी कर दिया गया लेकिन जहां तक संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का सम्बन्ध है, उन्हें संहिताबद्ध नहीं किया गया। मैं ठीक रूप से यह नहीं जानता कि मेरा विशेषाधिकार क्या है। इस सेवा को सुनहरी सेवा कहा जाता है और इसके सदस्य अति प्रभुत्व-सम्पन्न कहे जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि 1947 में जब ब्रिटिश सरकार के आदेश पर श्री हैंडरसन इस सिविल सेवा की सुरक्षा के लिए वकालत करने आए तो उन्होंने कहा कि भारतीय सिविल सेवा के अधिकारों को संहिताबद्ध किया ही जाना चाहिए, इस बात पर वह आग्रह नहीं करते हैं। उन्होंने केवल यह इच्छा व्यक्त की थी कि

ब्रिटिश उद्भव के आई० सी० एस० सदस्यों के अधिकारों को संहिताबद्ध करना ही चाहिए और यदि हां, तो सरकार को भारतीय सिविल सेवा में भी भारतीय सदस्यों के अधिकारों को संहिताबद्ध करने के क्या कारण थे। क्या यह सच है कि सिविल सेवा के भारतीय सदस्यों ने भी मांग रखी कि उनके अधिकारों को संहिताबद्ध करना चाहिए क्योंकि ब्रिटिश राज्य के प्रति उनकी निष्ठा होने के कारण उनको कुछ आशंकाएं थीं और उन्होंने कहा कि उनकी सेवा शर्तों में रद्दोबदल नहीं होनी चाहिए और उसे अप्रत्यक्ष रूप से बनाये रखा जाना चाहिए।

श्री यशवंतराव चह्वाण : आई० सी० एस० के प्रतिनिधियों और देश में उस समय के नेताओं में हुए किसी विचार-विमर्श के विस्तृत ब्योरे के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तथ्य तो यह है कि पुराने स्वाधीनता अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें कुछ सुरक्षण दिया गया था। स्वभावतः देश में उस समय के नेताओं और सिविल सेवा के प्रतिनिधियों में कुछ विचार-विमर्श हुआ और इसमें कोई सन्देह नहीं कि नेताओं ने इस संरक्षण को देने की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया। यह केवल आई० सी० एस० अधिकारियों के आदेश से हुआ था, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सरदार पटेल ने संविधान सभा में इन विषयों का जिक्र किया था। जब आश्वासन दिये गये थे, तो वे बहुत सोच विचार कर तथा संविधान सभा की स्वीकृति से दिये गये थे। उस समय के नेताओं से हुए विचार-विमर्श की प्रामाणिकता वाले प्रश्न पर कुछ कहने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं। इनको बनाए रखा जाना चाहिए अथवा नहीं, यह एक अलग विषय है जिस पर इसके सभी पहलूओं पर विचार करने की आवश्यकता है।

श्री स० कुन्दू : लोकतंत्र में सिविल सेवा की वचनबद्धता पर और समय के अनुरूप कार्य करने पर हम बोलते हैं लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय सिविल सेवा के सदस्य जिन्होंने केवल किसी प्रकार की सामान्य शिक्षा ली थी, वे अभी तक जमे हुए हैं और समय के अनुसार उनको ढालने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। समय की मांग और लोकतांत्रिक पद्धति के सन्दर्भ में यह बात समय के विपरीत है कि उनको ब्रिटिश पैटर्न के उसी उपनिवेशी प्रशासन को बनाए रखे जाने की अनुमति दी जाए। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि अनुशासन के सम्बन्ध में उनके मामले संघ लोक सेवा आयोग के सुपुर्द नहीं किये जा सकते ? क्या यह सच है कि दो या तीन वर्षों में एक बार उनको इंग्लैंड में मुफ्त यात्रा मनाने की अनुमति दी जाती है और यदि हां, तो इनमें से कितने आई० सी० एस० अधिकारियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है ? मैं इस का स्पष्ट उत्तर जानना चाहता हूं।

श्री लोबो प्रभु : जी नहीं।

श्री स० कुण्दू : जब मैं भारतीय सिविल सेवा का जिक्र करता हूं, श्री लोबो प्रभु को सदैव बीच में नहीं बोलना चाहिये क्योंकि मैं श्री लोबो प्रभु के बारे में बात नहीं कर रहा हूं अपितु मैं भारतीय सिविल सेवा के बारे में बातें कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि उस सेवा में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उन्होंने मुझे बताया भी हैं कि वे इन अलंकरणों को नहीं चाहते हैं लेकिन श्री लोबो प्रभु अपना घनिष्ठ सम्बन्ध सदैव आई० सी० एस० से जोड़ते हैं। दुर्भाग्यवश वह इस विचारधारा से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इनमें से अब तक कितने आई० सी० एस०

आफीसर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में और गैर-सरकारी फर्मों में हैं तथा कितने राजदूत और राज्यपाल के पद पर हैं। क्या वह इसका आश्वासन देंगे कि आई० सी० एस० व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् गैर-सरकारी फर्मों में कोई उत्तरदायित्व नहीं सौंपा जायेगा क्योंकि.....

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न कहां उठता है ?

श्री स० कुण्डू : .....हमें पता है कि उनमें से कुछ, चाहे आई० सी० एस० हों अथवा आई० ए० एस० हों, बाहर चले जाते हैं और गैर-सरकारी फर्मों में वांछित पदों पर कार्य करते है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक आई० सी० एस० अधिकारियों का सम्बन्ध है कुछ विशेष शर्तों के अधीन उनके मामले भी लोक सेवा आयोग को भेजे जाते हैं उसी तरह जैसे अन्य आफिसरों को यू० पी० यस० सी० का बिना हवाला दिये सजा नहीं दी जा सकती, उसी तरह आई० सी० एस० अधिकारियों के सम्बन्ध में भी यह लागू होता है, उनके लिए कुछ विभिन्न स्थितियां हैं। जहां तक उनके वेतन-मानों, अवकाश, अनुशासनात्मक मामलों आदि का प्रश्न है उनके लिए कुछ विभिन्न नियम बनाए गये हैं। इंगलैंड जाने के लिए मुफ्त यात्रा की अनुमति अब बिलकुल बन्द है।

रोजगार के बारे में नियम हैं कि अपनी सेवा निवृत्ति के दो वर्षों के अन्दर सरकार की अनुमति लेकर वे गैर-सरकारी फर्मों में नौकरी खोज सकते हैं। इन मामलों में सरकार किसी नीति का अनुसरण करती है और उन्हें उन कम्पनियों आदि में सेवारम्भ करने की तभी अनुमति दी जाती है यदि उनका सम्बन्ध उस कम्पनी से पदीय हैसियत से रहा था। हमें नहीं कहना चाहिए कि पद निवृत्ति के बाद व्यक्ति को रोजगार की खोज नहीं करनी चाहिये।

Shri Madhu Limaye : No reply has been received about Bhide ? Have you permitted to Bhide ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

Shri Madhu Limaye : This has been raised by us in the debate. How many notices you need ?

श्री समर गुह : राष्ट्रीय गौरव की भावना को देखते हुए कुछ देर से आई जागृति की हम सराहना करते हैं। सेवाओं पर, जिनमें आई० ए० एस० सेवा भी शामिल है, साम्राज्यवाद की इस छाप को बनाए रखना, और 22 वर्ष की स्वाधीनता के बाद भी भारत के प्रशासनिक अधिकारियों को द्वितीय वर्ग का दर्जा प्रदान करना हमारे जैसे स्वतन्त्र देश के लिए बहुत सराहनीय नहीं है। इंग्लैंड में रहने वाले ब्रिटिश आई० सी० एस० अधिकारियों द्वारा अब भी पेंशन लिये जाने के प्रश्न पर क्या वे विचार करेंगे ? क्या सरकार संविधान के अनुच्छेद 314 को समाप्त करने पर विचार करेगी जो ब्रिटेन में रह रहे आई० सी० एस० व्यक्तियों पर लागू होता है ? सरकार इस विषय पर निर्णय करने में कितना समय लेगी कि इंग्लैंड में बसे हुए ब्रिटिश आई० सी० एस० व्यक्तियों को वार्षिक पेंशन देने से संबंधित यह अनुच्छेद समाप्त किया जाना चाहिए अथवा नहीं ?

श्री यशवन्तराव राव चह्वाण : इंग्लैंड में रहने वाले लोगों के बारे में, मुझे मालूम करना पड़ेगा, इस समय यह मुझे नहीं मालूम ।

जहां तक यह प्रश्न कि इस मामले पर विचार करने के लिए कितने समय की आवश्यकता है मैं कहना चाहता हूं कि मामला विचाराधीन है और श्री मधु लिमये द्वारा पेश किया गया विधेयक सदन के सामने है । उस विधेयक पर विचार-विमर्श के दौरान, हमें इस मामले में सरकार के दृष्टिकोण पर कुछ अंतिम संकेत देने पड़ेंगे ।

श्री लोबो प्रभु : आई० सी० एस० अधिकारियों के लिए मैं कोई अल्पभाषण नहीं कर रहा हूं, प्रायः हर एक के लिए मैं संक्षेप में बोलता हूं जो इस सदन में उपस्थित नहीं होता । मेरा संबंध किसी बिल्कुल अलग प्रसंग से है । इस विषय पर स्पष्ट विचार अवश्य होने चाहिए अर्थात् 85 अधिकारियों के लिए जिनका कार्य-काल 1979 तक समाप्त हो जायेगा क्या उनके लिए आय संविधान को संशोधित करने की मंहगी और क्लेशप्रद प्रक्रिया को अपनांएगे जब संविधान में स्वयं ही इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं ? मैं माननीय मंत्री का ध्यान अनुच्छेद 314 की ओर दिलाता हूं जिसे मुझे आशा है सभी दूसरे सदस्यों ने भी पढ़ा है ।

इसमें दिया गया है :

".....और अनुशासनात्मक मामलों के बारे में अधिकार अथवा बदली हुई परिस्थितियों में उसी के समान अधिकार....."

अब यदि बदली हुई परिस्थितियां हैं तो आप असैनिक कर्मचारियों के अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए समर्थ हैं । मेरा पहला प्रश्न है कि इन बदली हुई परिस्थितियों में आपने इन आई० सी० एस० के अधिकारियों के अधिकारों में परिवर्तन करना आवश्यक समझा जैसे कि अनुच्छेद 314 के अन्तर्गत आप इसको करने के लिए सक्षम थे । (**व्यवधान**) मेरे मित्रों को इसकी महत्ता पर आपत्ति है और इस सेवा को ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पक्षपाती कहा है । उनको थोड़ा सा भ्रम हो गया है । मैं श्री कुन्दू को याद दिला रहा हूं कि आई० सी० एस० किसी की दया से यहां नहीं आए हैं । विश्व की सबसे कठिन परीक्षा देकर वे यहां आए हैं (**व्यवधान**)

श्री समर गुह : उन पर ब्रिटिश साम्राज्य की छाप और उनकी वेशभूषा का प्रभाव है ।

श्री लोबो प्रभु : अब मैं दूसरे प्रश्न पर बात करता हूं । वह यह है कि आई० सी० एस० के अधिकारों के बारे में पर्याप्त वार्ता होती रही है । क्या सरकार कृपया स्पष्ट करेगी कि आई० सी० एस० लोग कौन से अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं जिनका लाभ प्रत्येक अन्य असैनिक कर्मचारी नहीं उठा रहे हैं ? यह एक अत्यन्त विशिष्ट प्रश्न है क्योंकि आई० सी० एस० के अधिकार हैं ऐसा कहना उचित नहीं है । निस्सन्देह उनके अधिकार हैं यदि वे 1926 से पहले भर्ती हुए होते तब उन्हें इंग्लैंड की यात्रा का विशेष अधिकार प्राप्त था और उन्हें अपनी पेंशन स्टर्लिंग में लेने का अधिकार था । इसके अतिरिक्त उनको केवल यह अधिकार है कि अपने सेवा अवधि के समाप्त होने से पहले ही निवृत्ति हो सकते हैं । यदि वह उचित है तो इसे वर्तमान

अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि मंत्री मेरे प्रश्नों को सतर्कता से सुन रहे हैं। मेरा तीसरा प्रश्न है क्या किसी आई० सी० एस० अधिकारी ने किसी ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है जिसे दूसरे अधिकारियों द्वारा अथवा सरकार के अन्य कर्मचारियों द्वारा प्रयोग में न लाया गया हो ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : श्रीमान्, माननीय सदस्य निश्चित रूप से जानना चाहते हैं कि विशेष अधिकार क्या हैं। मैं इसको स्पष्ट कर सकता हूं। उनको कुछ विशेष अधिकार मिले हुये हैं। मैं उनका उल्लेख कर सकता हूं।

श्री लोबो प्रभु : कृपया उनका उल्लेख कीजिये।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे विचार से माननीय सदस्य इसे जानते हैं क्योंकि वह आई० सी० एस० के सदस्य थे। (**व्यवधान**) उदाहरण के लिये सरकार किसी आई० सी० एस० अधिकारी को जबरदस्ती सेवा-निवृत्ति नहीं कर सकती। केवल अन्य अधिकारियों के सम्बन्ध में सरकार ऐसा कर सकती है (**व्यवधान**)

श्री लोबो प्रभु : आप किसी को जबरदस्ती सेवा-निवृत्ति नहीं दे सकते।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : आप नहीं जानते, यह दण्डों में से एक दण्ड है, हम उसे आई० सी० एस० अधिकारियों को नहीं दे सकते। अन्य अधिकारियों के सम्बन्ध में हम ऐसा कर सकते हैं (**व्यवधान**)

श्री लोबो प्रभु : मेरे दूसरे और तीसरे प्रश्नों के बारे में उत्तर दीजिए। इन लोगों ने किस अधिकार का प्रयोग किया जिसे अन्य कर्मचारियों द्वारा प्रयोग में न लाया गया हो ? (**व्यवधान**)

श्री यशवन्तराव चह्वाण : अब आप मुझसे मामले के बारे में कुछ व्याख्याओं को पूछ रहे हैं। जब श्री मधु लिमये का विधेयक सदन में पुनः पेश किया जायेगा हम उस पर चर्चा करेंगे।

Shri Madhu Limaye : Mr. Chairman, I have heard here that Mr. C. C. Desai during the course of his speech on the demands for Home Ministry, referred to this question and mentioned that these people get retirement pension in sterling. Having collected all the relevant details, will the Minister furnish a complete list regarding the privileges of these people and those of the other civil servants and the promises made which Mr. Salve also referred to, two or three days before the discussion on the Bill on Friday, so that we may have an intelligent and logical discussion.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं पुराने इकरारनामों आदि के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं उस पर विवरण देने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन जहां तक मतभेद आदि का सम्बन्ध है जो भी सूचना मेरे पास एकत्र है, मैं उसे देने के लिये तैयार हूं।

Shri Madhu Limaye : What about the passage ? Are these people, their wives and children still getting the passage for going to England ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जो भी सूचना दी जा सकती है, उसे मैं दूंगा।

Shri A. S. Saigal : Mr. Chairman, Sir, I want to draw your attention on this point that before independence of the country there were so many ICS officers who were taking active interest in freedom movement of the country. Especially there are about seven such officers among them in Madhya Pradesh, one of the gentlemen is a member of this House. The agreement which Sardar Patel had made with these I. C. S. officers for which it becomes the responsibility of this Government to give protection to them till 1979. After the completion of the term of that agreement the reasonable action can be taken which you deem fit but it will not be considered a good thing for this Government to break that agreement.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : जब तक अनुच्छेद जारी रहता है, सरकार का यह इरादा है कि अनुच्छेद के अन्तर्गत आने वाले नियमों को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन यह प्रश्न कि इस अनुच्छेद को जारी रखा जाए या नहीं, यह एक अलग बात है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार आई० सी० एस० के समूचे वर्ग की निन्दा नहीं करना चाहती क्योंकि उनमें से कुछ अधिकारियों ने अवश्य ही देश की सेवा की है। केवल इस प्रश्न को उठाने से, मैं यह अर्थ नहीं लेता कि वे अन्य सदस्य भी जो इस पर जोर डाल रहे हैं, वे अधिकारियों के समूचे वर्ग की निन्दा करने वाले हैं। प्रश्न तो केवल कुछ विशेषाधिकारों का है जो उन्हें प्राप्त है। यह स्वीकार करना मेरा कर्तव्य है कि काफी संख्या में ऐसे आई० सी० एस० अधिकारी हैं जिन्होंने देश की बहुत सेवा की है। अतः उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने बताया कि संविधान के उस खास अनुच्छेद में संशोधन करने की बात पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। हम ऐसा काफी पहले से सुनते आ रहे हैं। मेरे विचार में इस समय काम कर रहे आई० सी० एस० अधिकारियों की संख्या 68 है अर्थात् 70 से कम है। क्या माननीय मंत्री संविधान में संशोधन करने के लिए तब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे जब तक कि आखिरी अधिकारी सेवा-निवृत नहीं हो जाता या वे अधिकारियों के सेवा-निवृत्त होने के पहले ही संविधान में संशोधन करेंगे ? दूसरी बात यह है कि क्या माननीय मंत्री को श्री कुंडू द्वारा पूछे गये इस प्रश्न का पता है जिसमें कहा गया है कि आई० सी० एस० अधिकारी गैर-सरकारी फर्मों में नौकरी कर रहे हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात उनके ध्यान में लाई गई है कि जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष श्री भिडे ने सेवा-निवृत्त होने के तुरन्त बाद फरवरी के महीने में वोल्टास में 7000 रुपये की नौकरी कर ली तथा सभी सुख-सुविधा समेत उन्हें 30 हजार रुपये प्रति मास मिल रहे हैं।

श्री लोबो प्रभु : उनका कितना महत्व है।

श्री स० मो० बनर्जी : आप उसकी चाहे 50 हजार कीमत लगाइए मुझ इससे कोई वास्ता नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री इस बात की जांच करवाएंगे कि श्री भिडे को वोल्टास में इसलिए नौकरी दी गई थी क्योंकि जीवन-बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कई बार वोल्टास की सहायता की थी ? **(व्यवधान)**

श्री लोबो प्रभु : नियम संख्या 353 के अन्तर्गत माननीय सदस्य ऐसी बात नहीं कह सकते।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक संविधान में संशोधन करने की बात का सम्बन्ध है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मामला सरकार के विचाराधीन है। सभा के समक्ष एक विधेयक है

जिसकी चर्चा की जा रही है। सरकार वाद-विवाद के समय अपने विचार व्यक्त करेगी। सरकार ने इस विषय पर चर्चा करने का निश्चय कर लिया है।

जहां तक श्री भिडे की नियुक्ति का प्रश्न है, श्री लिमये ने अभी प्रश्न पूछा था और मैंने उन्हें कहा है कि इसके लिये नोटिस दिया जाए। इसी दौरान, मुझे कुछ खास जानकारी मिली है, जिसे मैं सभा के समक्ष रख रहा हूं। प्रथमतः, श्री भिडे की नियुक्ति के सम्बन्ध में मेरे अनुमोदन का प्रश्न ही नहीं उठता। स्थिति यह है कि उन्होंने आई० सी० एस० से त्याग-पत्र देकर ही जीवन बीमा निगम की नौकरी ग्रहण की थी। अतः आई० सी० एस० से उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहा। जब वे जीवन बीमा निगम से सेवा-निवृत्त हुए तो उन पर दो वर्ष का नियम लागू नहीं होता था और उन्हें दूसरी जगह नौकरी करने की पूरी स्वतन्त्रता थी।

श्री शिव नारायण : यह अनुच्छेद क्राउन तथा स्टेट-कौंसिल के सेक्रेटरी के बारे में है। अब भारत क्राउन के अधीन नहीं है। भारत एक समाजवादी देश है। बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार आई० सी० एस० को दी गई सुख-सुविधाओं को समाप्त करने के लिए तैयार है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मामला सरकार के विचाराधीन है।

Shri Randhir Singh : It is true that the proposed amendment is against the provision laid in the Constitution. But as my Hon. friend Sardar Amar Singh had stated that it is the obligation for the I.C.S. officers, I would like to say that this obligation was also with princes. But that is against the forthcoming society. This is being done in view of the changed circumstances. I would like to ask what are the hurdles in this matter.

I would like to know from Hon. Minister whether it is fact that quota has been fixed of the I. C. S. officers by the Government for the posts of Governers, U.P.S.C's. Chairman, high Court Judges ? Is even senior most I. A. S. officer not eligible for such posts ? Have Government laid any restriction that only I. C. S. officers would be appointed to higher posts. Due to this there is much bitterness among the officials belonging to other services. I would like to ask Hon. Minister whether he will abolish the quota system and the privileges given to I. C. S. officers.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक आई० सी० एस० को जन-सेवा आयोग एवं राज्यपालों के पद पर नियुक्त करने का सम्बन्ध है, इसे आई० सी० एस० के विशेषाधिकार नहीं कहा जा सकता और उनके लिए कोई कोटा नियत नहीं किया गया। ये राजनीतिक निर्णय है और व्यक्ति के एवं स्थिति के गुण-दोष पर आधारित हैं।

श्री श्रीचन्द गोयल : ऐसा लगता है कि आई० सी० एस० अधिकारियों के सम्बन्ध में कुछ गलतफहमी हो गई है। जहां तक मुझे स्मरण है सन् 1946 तक आई० सी० एस० के लिए अखिल-भारतीय परीक्षा हुआ करती थी और तीन या चार अभ्यर्थी गुण-दोष के आधार पर चुन लिए जाते थे। अब श्री शिवनारायण ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि क्या आई० सी० एस० अधिकारी सरकार के समाजवादी ढांचे के अनुरूप हैं। मैं माननीय गृह-मंत्री से जानना चाहता हूं

कि क्या आई० सी० एस० अधिकारी अपने कर्तव्य दक्षतापूर्वक निभाते रहे हैं, क्या वे सरकार की समाजवादी नीति को कार्यान्वित कर रहे हैं या उसमें बाधक सिद्ध हो रहे हैं ? यदि सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उन्होंने अपने आपको व्यवस्थित नहीं किया है, नई स्थितियों के अनुरूप अपने आपको नहीं ढाल लिया है, तो तभी यह प्रश्न उठेगा कि उन्हें अब तक प्राप्त विशेषाधिकारों या विशेष लाभों से वंचित किया जाए ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस समय हम संविधान में दिए गए विशेषाधिकारों के बारे में विचार-विमर्श कर रहे हैं । समग्र अधिकारियों की निन्दा से सम्बन्धित सामान्य मूल्यांकन देना मेरे लिए असंगत होगा । प्रत्येक व्यक्ति के कार्य आदि का मूल्यांकन अलग-अलग करना होगा । कुछ मामलों में वे अच्छे हो सकते हैं और मामलों में साधारण भी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

जांच आयोगों के अध्यक्ष पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति

*784. **श्री यशपाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न जांच आयोगों में नियुक्त करने के लिये न्यायाधीशों की सेवाएं प्राप्त करने में कोई कठिनाई अनुभव की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार उन्हें यह आश्वासन देने को तैयार है कि उनकी सिफारिशों को पूर्णतः स्वीकार किया जायेगा ताकि न्यायपालिका की सहायता प्राप्त हो सके ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). जांच आयोगों की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीशों की सेवाएं प्राप्त करने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं की जा रही है । जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित कोई जांच आयोग उसको सौंपे गये सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले की जांच करता है तथा अपने निष्कर्ष रिकार्ड कर सकता है किन्तु उसके पास न्याय-निर्णय करने की कोई शक्ति नहीं है । किसी आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में अग्रेतर कार्यवाही के बारे में निर्णय करते समय विधि तथा कानूनी नियमों की अपेक्षाएं ध्यान में रखनी पड़ती हैं । प्रत्येक मामले पर उसके अपने गुणावगुणों के आधार पर विचार करना पड़ेगा ।

Naxalite Centre on Nagaland Border

*785. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri T. P. Shah :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Shri Gopal Saboo :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Naxalites have set up a centre on the Nagaland border ;

(b) whether Government apprehended that the said centre could have some connection with hostile Nagas and foreign countries on the Indian border ;

(c) whether it is also possible that the said Naxalites might get arms easily from foriegn countries through this centre ; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) to (d). Government have no information of the extremists having set up a centre on the Nagaland border. However, the Government are aware that a small number of Chinese arms and ammunition has been received by the extremists in Assam from the Naga underground. A close watch is being kept on the activities of the extremists.

मूर्ति उठाने वालों का अन्तराष्ट्रीय गिरोह

*786. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री दंडपाणि : **श्री सामिनाथन् :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूर्ति उठाने वालों का एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह गत तीन महीनों से भारत में काफी सक्रिय है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल में प्रिंस आफ वेल्स संग्रहालय से बुद्ध की 13 मूल्यवान कांसे की मूर्तियां चुरायी गयी थीं ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों में भी इस अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह द्वारा मूर्तियां चुरायी गयी थीं ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारियां की गयी हैं ; और

(ङ) इस गिरोह का पता लगाने में मदद करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ग), (घ) और (ङ). अपेक्षित सूचना सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्राप्त की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) जी हां । 27-28 फरवरी, 1970 की रात्रि को प्रिंस आफ वेल्स संग्रहालय से बुद्ध की 13 कांसे की मूर्तियां चुराई गईं ।

मिजो पहाड़ियों को 'गड़बड़ी वाला क्षेत्र' घोषित करना

*787. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

श्री विश्वनारायण शास्त्री :

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजो पहाड़ी जिले को एक और वर्ष के लिए 'गड़बड़ी वाला क्षेत्र' घोषित कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रथम मिजो विद्रोह के बाद मार्च, 1966 में पहली बार इस जिले को 'गड़बड़ी वाला क्षेत्र' घोषित किया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गैर-कानूनी गिरोह इस जिले में अव्यवस्था पैदा करने तथा वहां शान्ति और व्यवस्था भंग करने के लिए जिले में घूम रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस क्षेत्र में शान्ति तथा व्यवस्था कायम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान् ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यटन के संबर्द्धन तथा वन्य जन्तु केन्द्रों के विकास के लिये योजनायें

*788. **श्री देविन्दर सिंह :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री मणिभाई जे० पटेल : **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन के संवर्धन हेतु ऐसी योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं जिनका उद्देश्य पर्यटकों के लिये अधिक आकर्षण पैदा करना तथा उन्हें और सुविधायें देना और उनके शोषण को रोकना है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या पर्यटकों को अधिक संख्या में आकर्षित करने के लिये देश में वन्य जन्तु केन्द्रों के विकास के लिये व्यावहारिक सुझाव देने के लिये विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की गई हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) . पर्यटकों की उत्तरोत्तर अधिकाधिक संख्या में आकृष्ट करने तथा उनके लिये सुविधायें प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा किये गये अथवा किये जाने वाले उपायों को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

(ग) वन्य जीव पर्यटन के प्रोत्साहन के लिये पर्यटन विभाग में एक अलग कक्ष (सेल) का निर्माण किया गया है, जिसके अध्यक्ष 'भारतीय वन सेवा' के एक अधिकारी हैं ।

विवरण

पर्यटकों को अधिक संख्या में आकृष्ट करने के लिये सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :

1. भारत और विदेशों में उत्कृष्ट पर्यटन साहित्य द्वारा व्यापक प्रचार ।
2. सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक होटल आवास की व्यवस्था और निजी होटल क्षेत्र को प्रोत्साहन ।

3. विदेशों में और प्रोत्साही यूनिटों का खोला जाना और वर्तमान यूनिटों द्वारा प्रचार अभियान को तीव्र किया जाना ।

4. चार्टर उड़ानों के परिचालन विषयक नीति का उदारीकरण ।

5. कुछ देशों के साथ पारस्परिक आधार पर बीजा-शुल्क की समाप्ति ।

6. पश्चिम जर्मनी और नार्डिक देशों के साथ 90 दिन तक के वास के लिये बिजा समाप्ति के सम्बन्ध में द्विपक्षीय करार किये गये हैं ।

7. अस्थायी लैंडिग परमिट के आधार पर बिना बीजा के प्रवेश की अवधि 7 दिन से बढ़ाकर 21 दिन करना ।

8. विमानक्षेत्र पर सरलीकरण प्रणाली का सुधार ।

9. गुलमर्ग, कोबालभ और गोआ में इन स्थानों का लक्ष्य बनाकर आने वाले यातायात के लिये अवकाशकालीन सैरगाहों का निर्माण ।

10. भिखारियों और दलालों जैसे उद्वेगकारी तत्वों के निराकरण के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

11. अपने चार अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों में बृहत् सुधार किये जा रहे हैं ।

12. देश में सड़क और रेल यातायात के लिये और अधिक उपयुक्त और पर्याप्त सुविधाओं का प्रबन्ध ।

13. वन्य-जीव एवं शिकार पर्यटन का विकास ।

14. पर्यटन सुविधाओं के संवर्धन के लिये स्वयं सेवी संगठनों, संस्थानों और निजी क्षेत्र को अनुदान और ऋण देकर सहायता ।

15. जहां संभव है, वहां पर्यटन केन्द्रों पर वर्तमान सुविधाओं में सुधार ।

16. पुरातत्विक स्मारकों सहित पर्यटन रुचि के स्थलों का और अधिक अच्छा अनुरक्षण ।

17. पर्यटन सेवाओं को चलाने के लिये प्रशिक्षण और अर्हता-प्राप्त कर्मचारियों के एक संवर्ग के निर्माण के लिये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास ।

Promotions of Senior Investigators to the Indian Statistical Service Grade IV

*789. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Senior Investigators or employees working in equivalent grades who had completed four years service in their respective grades on the 31st December, 1966, were included in the Integrated Select List prepared by his Ministry for Departmental promotion to the Indian Statistical Service Grade IV ;

(b) whether it is also a fact that certain Senior Investigators belonging to the Scheduled Castes who were appointed in 1962 through the Union Public Service Commission and who had completed four years service on the 31st December, 1966, were not included in the said List ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) Perhaps reference is to the list, which was first drawn up, of officers eligible for consideration for promotion to Grade IV of the Service. If so 5 Senior Investigators, of whom 3 belong to the Scheduled Castes, appointed in 1962 in the Department of Statistics were not included in that list.

(c) These 5 Senior Investigators were recruited through the Union Public Service Commission and appointed on various dates during the year 1962. However, they could be adjusted against regular vacancies only from October, 1963 onwards. Thus, their length of service according to the principles finalised in consultation with the Union Public Service Commission fell short of the 4 years service prescribed in the Rules. Hence, they were not included in the List of eligible officers.

Conversion of Harijans in District Bastar

*790. **Shri Atam Das :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Harijans in large number in Jagdalpur area of district Bastar are being converted into Christianity ;

(b) whether it is also a fact that out of 1,105 Harijan families of this area, 159 families have been converted into Christianity ;

(c) whether it is further a fact that there was no Christian in district Bastar prior to Independence ; and

(d) if so, whether Government propose to put certain restrictions on the large scale conversion of Harijans into Christianity which is accomplished by offering these Harijans various allurements and by taking recourse to some other methods ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). There is no such information, but facts are being ascertained from the State Government.

(d) Under the provisions of the Constitution, all persons are, subject to public order, morality and health entitled to freedom of concience and right freely to profess, practise and propagate religion. The Madhya Pradesh Government have enacted the Madhya Pradesh Dharma Swatantrya Adhiniyam 1968 making it a penal offence to make forcible conversions by offering inducements or threats.

पाकिस्तान के मुसलमानों की आसाम में घुसपैठ

*791. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में मुसलमान आसाम में घुस आये हैं तथा उनमें से कुछ वहां स्थायी रूप से रहने लगे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें वापस भेजने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ; और

(ग) उस कार्यवाही के क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) और (ख) . असम में पाकिस्तानी मुसलमानों की घुसपैठ को राज्य पुलिस और सीमा सुरक्षा दल की सतत सतर्कता के परिणाम-स्वरूप वास्तव में नियंत्रित कर लिया गया है। घुसपैठियों की खोज के लिये कड़े उपाय किये गये हैं और सावधानीपूर्वक जांच-पड़ताल के पश्चात् मामलों को विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश 1964 के अधीन स्थापित न्यायाधिकरणों को भेजा जाता है और उनके आदेशों के अन्तर्गत फैसले किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न निरोधात्मक उपाय भी किये गये हैं जिसमें सीमा सुरक्षा दल को सशक्त करना और सीमा के साथ-साथ तथा भीतर भी उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए, जो पाकिस्तानी घुसपैठ से प्रभावित है, और उन्मुख क्षेत्रों में पुलिस निगरानी चौकियों का जाल स्थापित करना शामिल है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में रियायत

*792. **श्री सूरज भान** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भर्ती के समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में पांच वर्ष की रियायत दी जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को उनकी पदोन्नति पर विचार करते समय आयु सीमा में पांच वर्ष की रियायत नहीं दी जाती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति के समय भी आयु सीमा में रियायत देने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उन सेवाओं में, जहां कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है, पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जा रही है।

(ग) और (घ). यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि क्या उन सेवाओं/पदों में, जहां ऐसी पदोन्नति के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से कम है, पदोन्तति के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिये।

तमिल नाडु सरकार द्वारा तमिल-नाडु में राजकीय समारोहों के लिये "तमिल वन्दना" का गायन आरम्भ करना

*793. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में हुए द्रमुक सम्मेलन

के सभी सरकारी तथा गैर-सरकारी समारोहों में राष्ट्रगान से पूर्व "तमिल वन्दना" गाने की प्रणाली आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या राज्य सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित कराया गया है कि इस प्रकार का निर्णय भारतीय राष्ट्र की प्रभुसत्ता की भावना के विपरीत है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकार से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि इस विषय में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, तो उपरोक्त भाग (क) में वर्णित निर्णय के बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ) . राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार तमिल नाडु के मुख्य मंत्री ने 1968 के लिये राज्य फिल्म पुरस्कार प्रदान करने हेतु 8 मार्च, 1970 को हुए उत्सव में कहा था कि श्री सुन्दरम पिल्ले द्वारा लिखित तमिल प्राचीन उच्च पद्य "मनोनभानियम" में से छः पंक्तियों को राज्य सरकार द्वारा आयोजित अथवा राज्य मंत्रियों द्वारा भाग लिये गये सभी उत्सवों के आरम्भ में प्रार्थना गीत के रूप में गाया जायगा । ऐसे मामलों में सामान्य प्रथा उत्सव की समाप्ति पर राष्ट्रीय गान गाने अथवा बजाने की है और राष्ट्रीय गान से पूर्व किसी गीत का गाया जाना न तो निषेधात्मक है और न ही भारतीय राष्ट्र की प्रभुसत्ता की भावना के विपरीत है ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाये जाने की विश्वविद्यालयों की मांग

*794. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कई विश्वविद्यालयों ने जोरदार मांग की है कि उन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना दिया जाये और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ;

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के रूप में परिवर्तित करने का मापदण्ड क्या है;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों के रूप में परिवर्तित किये जाने की संभावना है ; और

(घ) क्या चण्डीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय का मामला एक विचार करने योग्य मामला है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) नहीं, श्रीमान् जी, परन्तु पंजाब के राज्यपाल तथा मैसूर सरकार ने पंजाब विश्वविद्यालय तथा बंगलौर विश्व-विद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के लिये निवेदन किया था तथा रांची विश्वविद्यालय के कुलपति ने भी अपने विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का निवेदन किया था।

(ख) कोई विशिष्ट कसौटी निर्धारित नहीं की गई है तो प्रत्येक मामले पर उसके गुणों दोष के आधार पर विचार किया जायेगा ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया गया था परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया ।

अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ द्वारा संयुक्त सलाहकार व्यवस्था में भाग लेना

*795. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ संयुक्त सलाहकार व्यवस्था में केवल इसलिये शामिल नहीं हुआ है कि हड़ताल करने पर प्रतिबन्ध है और बाहर के लोगों, जिनमें केन्द्रीय सरकार के उत्पीड़ित कर्मचारी भी शामिल है, को संयुक्त सलाहकार व्यवस्था का सदस्य बनने की अनुमति नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन प्रतिबन्धों को हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नक्सलवादियों की गतिविधियों को दबाने के लिये राज्यों को निर्देश

*796. **श्री सीताराम केसरी** :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रा० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न भागों में नक्सलवादियों की बड़े पैमाने पर चल रही गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को ऐसे निदेश दिये हैं कि उनकी गतिविधियों को दबाया जाए ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). जबकि केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को कोई निदेश नहीं दिये हैं, तथापि, वह राज्य सरकारों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखती है और उग्रवादियों की गतिविधियों से निबटने के लिये राज्य सरकारों द्वारा जब कभी यथोचित सहायता मांगी जाती है तो ऐसी सहायता दी जाती है ।

Kapoor Commission's Report on Murder of Gandhiji

*797. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Justice Kapoor, who was enquiring into the Mahatma Gandhi murder case has submitted his report to Government ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) whether it is also a fact that Justice Kapoor, in his report, has categorically stated that the Rashtria Swayam Sewak Sangh had no hand in the murder of Mahatma Gandhi ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The report is under examination.

Statehood for Himachal Pradesh

*798. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Lt. Governor of Himachal Pradesh had, while inaugurating the Budget Session of the Himachal Pradesh Assembly, stated that the Central Government should consider over giving to Himachal Pradesh the status of a full-fledged State after re-merging those hill area in it which had gone to Haryana and Punjab in 1966 ; and

(b) if so, Government's reaction in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) According to information furnished by the Government of Himachal Pradesh the Lieutenant Governor did not say that the question of conferring statehood on Himachal Pradesh should be considered after merging in that Union territory the hill areas which had gone to Haryana and Punjab in 1966.

(b) Does not arise.

Setting up of Central Translation Bureau

*799. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to form a Central Translation Bureau under his Ministry ;

(b) if so, the broad details thereof ;

(c) whether Government propose to direct the Ministry of Home Affairs to declare this service as Central Secretariat Service as has been done in respect of other regular services and also to accord priority to Translators and Hindi Assistants working in various Ministries and Attached Offices in this respect ; and

(d) if so, whether it is proposed to prescribe 80 per cent promotion quota for the said employees in the proposed service ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). For the translation of Codes, Manuals, Forms and other procedural literature of non-statutory nature of the Government of India, a Translation Unit is already functioning in the Central Hindi Directorate—a Subordinate office under this Ministry. For expediting this work, a proposal is under consideration for strengthening this unit. A suggestion is also under consideration that this Unit should function independently.

(c) and (d). There is no such proposal under consideration of this Ministry.

पारादीप पत्तन को राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 से जोड़ना

*800. **श्री रविराय :**

श्री दे० अमात :

श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार से एक्सप्रेस राजपथ के निचले छोर को अपने नियंत्रण में लेने का अनुरोध किया हैं ताकि पारादीप पत्तन को राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 के साथ जोड़ा जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति के विस्तार का प्रश्न अभी तक विचाराधीन है और इस सड़क के दावे पर अन्य सड़कों के साथ-साथ धन उपलब्धि और राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में शामिल किये जाने के लिये सड़कों के चुने जाने की शर्तों के संदर्भ में विचार किया जायेगा ।

दक्षिण भारत में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

*801. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत के राज्यों से, उनमें केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की कोई मांग प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों से तथा कब ऐसी मांग आई है ;

(ग) इस समय कितने केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं और कहां-कहां ;

(घ) क्या दक्षिण भारत में केन्द्रीयकरण विश्वविद्यालय आरम्भ करने का निर्णय किया जाना बाकी है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस समय इस मामले की क्या स्थिति है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). बंगलौर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के बारे में, फरवरी, 1963 में, मैसूर के मुख्य मंत्री से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, किन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया । दक्षिण भारत के किसी अन्य राज्य से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) इस समय अलीगढ़, वाराणसी, शान्तिनिकेतन, दिल्ली और नई दिल्ली स्थित पांच केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

केशोद तथा अहमदाबाद के बीच विमान सेवा

*802. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केशोद तथा अहमदाबाद के बीच सीधी विमान सेवा आरम्भ करने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस मार्ग पर किस तारीख से विमान सेवा आरम्भ हो जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इंडियन एयरलाइन्स की फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कारपोरेशन ने सूचित किया है कि केशोद तथा अहमदाबाद के बीच फिलहाल पर्याप्त हवाई यातायात उपलब्ध नहीं है जिससे कि इन्हें हवाई सेवा द्वारा जोड़ने का औचित्य सिद्ध हो सके ।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य का अनुदान

*803. **श्री जय सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में जम्मू तथा काश्मीर राज्य को विभिन्न मदों के अन्तर्गत कितनी राशि के केन्द्रीय अनुदान दिये गये ;

(ख) उनका वर्षवार तथा मदवार ब्योरा क्या है ; और

(ग) राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष, अलग-अलग काश्मीर तथा जम्मू क्षेत्रों में केन्द्रीय अनुदान का कितना-कितना भाग व्यय किया ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

लेबनान द्वारा एयर इण्डिया को 'पांचवें स्वतन्त्रता अधिकार' से वंचित किया जाना

*804. **श्री रामावतार शर्मा** :
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लेबनान द्वारा 'पांचवां स्वतंत्रता अधिकार' जो एयर इण्डिया को इस समय प्राप्त है, वापिस ले लिये जाने के कथित निर्णय की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि बेरूत (लेबनान) मध्य-पूर्व का एक महत्वपूर्ण रुकने का स्थान है और यदि यह सुविधा वापिस ले ली गई तो इससे भारत की आय में काफी हानि होगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां । बेरुत से आगे के स्थानों के लिये, तथा उनसे, एयर इण्डिया के पांचवीं स्वतंत्रता (फिफ्थ फ्रीडम) द्वारा प्रदत्त यातायात अधिकार पहली अप्रैल, 1970 से वापस ले लिये गये हैं, तथा इसी प्रकार भारत से मिडिल ईस्ट एयरलाइन्स (लेबीनीज) को छठी स्वतंत्रता (सिक्स्थ फ्रीडम) द्वारा प्रदत्त अधिकार वापस ले लिये गये हैं । परन्तु, मिडिल ईस्ट एयरलाइन्स पिछले नवम्बर से भारत के लिये सेवायें परिचालित नहीं कर रहे हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मामले की जांच की जा रही है ।

Memorandum submitted by Urdu Committee of Bombay to Prime Minister

*805. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is fact that the Urdu Committee of Bombay, which had been constituted for the propagation of Urdu language had handed over a memorandum to the Prime Minister on the 6th March, 1970 ;

(b) if so, the details thereof and the names of main signatories to that memorandum ; and

(c) the reation of Government thereto ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Lok Sabha, **[Plaeed in Library. See No. LT 3078/70]**

Permission to M/s R. Akuji Jadawat and Co. to continue trade in Andaman and Nicobar Islands

806. **Shri Yajna Datt Sharma** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a judgement has since been delivered by the Calcutta High Court on the petition filed by M/s. R. Akuji Jadawat and Co. and other licensed firms challenging the powers of the Chief Commissioner, Andaman and Nicobar Islands in regard to matters of trade in the Islands and, if so, the details thereof ;

(b) whether Government have permitted the said company to continue their business in the Nicobar Islands ; and

(c) the measures being taken by Government to check the economic exploitation of tribal people of Andaman and Nicobar Islands ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). Trade in the Nicobar Islands, which are reserved areas, is regulated by the Andaman and Nicobar Islands (Protection of Aboriginal Tribes) Regulation, 1956 and Rules framed thereunder. No person other than a member of an aboriginal tribe is, except under and in accordance with the terms and conditions of a licence granted by the Chief Commissioner, allowed to carry on any trade or business in any such areas.

2. Following three firms were granted licences to carry on trade in the Nicobar Islands :

1. The Car Nicobar Trading Co.
2. The Nancowrie Trading Co. and
3. M/s R. Akuji Jadawat and Co.

There were complaints in the Parliament and elsewhere about the alleged exploitation of the tribals and it was, therefore, decided to place the entire trade in Nicobars in the hands of tribals themselves. When steps were taken in this direction the above mentioned companies filed writ petitions in the Calcutta High Court and obtained injunction orders restraining the Andaman and Nicobar Administration from interfering with their trade and business. No final Judgement has so far been delivered by the Calcutta High Court on the writ petitions challenging the validity of the Andaman and Nicobar Islands (Protection of Aboriginal Tribes) Regulation, 1956. All the three companies are competent to carry on trade in the Islands by virtue of injunction orders issued by the Calcutta High Court, though at Car Nicobar, a tribal company, viz. The Nicobarese Commercial Company started functioning on 1st July, 1967. It is also reported that the Car Nicobar Trading Co. are not carrying on any trade in conflict with the tribal company.

Alleged Nepotism in the Selection of Cricket Players

*807. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the nepotism prevailing in the selection of cricket players consequent to which India has been humbled at many places in foreign countries ; and

(b) if so, whether Government propose to select the players anew ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

युवकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये आयोग स्थापित करना

*808. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में युवकों की समस्याओं के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन करने के लिये एक युवक आयोग की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) मंत्रालय का ऐसा कोई प्रस्ताव कहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कलकत्ता में बमों की खुले आम बिक्री

*809. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 मार्च, 1970 के दैनिक "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता में तथा उसके उपनगरों में बम खुलेआम बेचे जा रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि बम बनाने के लिये आवश्यक कीमती सामग्री इतनी मात्रा में कैसे उपलब्ध होती है ;

(ग) क्या विद्रोही नागाओं और देश में फैले पाकिस्तान-समर्थक तत्वों के माध्यम से इसकी सप्लाई होती है ; और

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास यह सूचना है कि आसाम में उग्रवादियों द्वारा भूमिगत नागाओं से थोड़ी संख्या में चीनी शस्त्र तथा गोला-बारूद प्राप्त किया गया है और यह कि आसाम और पश्चिम बंगाल में उग्रवादियों के बीच सम्बन्ध है ।

(घ) कड़ी सतर्कता बरती जा रही है ।

Tonnage of Cargo Ships required for Coastal and Overseas Trade

*810. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the total tonnage of cargo ships required by India at present for her coastal and overseas trade, separately ;

(b) the estimated tonnage that would be required by the end of 1974 ;

(c) the total tonnage of cargo ships available at present for the coastal and the overseas trade ;

(d) the annual ship-building capacity in terms of tonnage available in the country at present ; and

(e) the additional measures Government propose to adopt to meet the shipping requirements of the country ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : (a) and (b). With reference to the Fourth Plan perspective as now envisaged, the tonnage requirements of coastal and overseas shisps are 4.25 lakhs GRT and 35.75 lakhs GRT, making a total of 40 lakhs GRT. The target for coastal shipping is however, still provisional but any changes therein will be correspondingly adjusted in the target for overseas tonnage and hence the overall target of 40 lakhs GRT may not get altered.

(c) As on 1-3-70, the Indian merchant fleet consisted of 3.07 lakhs GRT of coastal ships, and 20.22 lakhs GRT of overseas ships, making a total of 23.29 lakhs GRT.

(d) So far as ocean-going cargo ships are concerned, only Hindustan Shipyard Ltd., Visakhapatnam, is at present building them. Their present estimated capacity is about 3 ships of about 12,500 DWT each i. e. about 37,500 DWT per year. Mazagon Dock Ltd. Bombay, has also a berth available for building ocean-going vessels. It is proposed to build 2 passenger ships in this yard during the current plan period.

(e) So far as indigenous production of ships is concerned, the measures to be adopted by Government are as follows :—

(i) The production capacity of Hindustan Shipyard Ltd. is proposed to be increased to 6 ships of 12,500-14,500 DWT, aggregating about 80,000 DWT per year.

(ii) The capacity available with the Mazgon Dock Ltd. will continue to be utilised for building passenger or cargo ships according to requirements.

(iii) The capacity of Garden Reach Workshops, Calcutta, is proposed to be expanded to enable it to build ocean-going cargo ships of about 15,000 DWT.

(iv) A new shipyard has beeen sanctioned to be built at Cochin. It will be capable of building two ships of 66,000 DWT each per year.

In cases of acquisition of ships from abroad, the Indian shipowners themselves try to obtain suitable credit facilities and then approach Government for sanction. However, the Government of India helps them to secure Suppliers' Credit from abroad, wherever feasible, and also permits them to utilise some Government-to-Government credits for making down payments in foreign exchange for financing acquisition of such ships.

चीन से भारत-विरोधी साहित्य

4966. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को इस बात का पता है कि भारत-चीन सीमा पर चीन द्वारा भारत-विरोधी साहित्य नियमित रूप से बांटा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो साहित्य के वितरण को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Police Firing in Asansol Colliery

4967. **Shri Ramesh Chandra Vyas** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Police had to open fire to control the situation arising out of the conflict between both the Communist parties in the Asansol Colliery on the 25th February, 1970 ;

(b) the number of labourers injured and killed as a result of the said Police firing ; and

(c) whether Government propose to give any compensation to the injured labourers and to the families of the deceased ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). According to information received from the State Government, a clash took place between the supporters of two unions on February 25, 1970 in Benali colliery in Asansol. To control the situation the police had to resort to firing, as a result of which one person was killed.

(c) The information is being obtained from the State Government.

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा दिये जाने वाले वेतनमानों को युक्तियुक्त बनाना

4968. **श्री सूरज भान :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल ने केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सभी वेतनमानों को युक्तियुक्त बनाकर 12 मानक वेतनमान बना देने का सुझाव दिया है और उसने दिसम्बर, 1967 में अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की थीं ;

(ख) क्या सरकार ने सिद्धांततः उन सुझावों को स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग की उपयुक्त सिफारिशों को प्रस्तावित तीसरे वेतन आयोग के विचारार्थ भेजने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्, किन्तु अध्ययन दल ने प्रशासनिक सुधार आयोग को, जिसने इस दल की नियुक्ति की थी, अपनी सिफारिशें भेजी थीं ।

(ख) से (घ). कर्मचारी प्रशासन विषयक प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन में अध्ययन दल की उपरोक्त सिफारिश को ध्यान में रखा गया है जो अभी तक सरकार के विचाराधीन है ।

Declaring Allahabad University as a Central University

4969. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government propose to declare the Allahabad University the oldest University in the country, as a Central University in view of its deteriorating financial condition ;

(b) if so, by when ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). There is no such proposal under consideration.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतन-क्रम

4970. **श्री शिव नारायण :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी विज्ञान तथा कला पाठ्यक्रमों के अध्यापक कर्मचारियों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन-क्रम सभी राज्य सरकारों ने स्वीकार कर लिये हैं, और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ख) किन राज्यों ने सिफारिशों को (एक) पूर्णतया और (दो) आंशिक रूप में स्वीकार किया है तो इसका ब्योरा क्या है ;

(ग) सभी राज्यों में एक समान वेतन-क्रम लागू करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) अध्यापक कर्मचारियों को वेतन-क्रम देने के लिये होने वाले खर्च को पूरा करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकारों द्वारा व्यय की जाने वाली राशि का ब्योरा क्या है ;

(ङ) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने हिस्से के खर्च का भुगतान इकतरफा कर देता है ; और

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्रीय सरकार ने राज्यों द्वारा इन अनुदानों की शर्तों का पालन किये जाने के बारे में जांच करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (च). विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3079/70]** ।

साम्प्रदायिक दंगे

4971. **श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री नाथू राम अहिरवार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष हुए साम्प्रदायिक दंगों का राज्य-वार ब्योरा क्या है ;

(ख) राज्य सरकारों तथा लोगों को कितनी-कितनी हानि हुई है ;

(ग) इन दंगों के कारणों का पता लगाने के लिये कितने मामलों में आयोग नियुक्त किये गये ;

(घ) साम्प्रदायिक दंगों को भड़काने के कारण कितने व्यक्तियों को न्यायालयों ने दोषी ठहराया है ; और

(ङ) इन दंगों के लिये कौन-कौन से राजनैतिक दल जिम्मेदार हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 1969 के प्रथम दस महीनों में देश में साम्प्रदायिक घटनाओं की राज्य-वार संख्या तथा इन घटनाओं में नष्ट हुई सम्पत्ति के मूल्य के बारे में सूचना 21 नवम्बर, 1969 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 929 के उत्तर में दे दी गई थी। राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार नवम्बर व दिसम्बर, 1969 में जम्मू व कश्मीर, मैसूर, नागालैण्ड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन व दीव, मनीपुर, लक्कादीव, मिनीकाय तथा अमिनदीवी द्वीप समूह, अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह, दादरा व नागर हवेली, पांडिचेरी, नेफा और चण्डीगढ़ में कोई साम्प्रदायिक घटनाएं नहीं हुईं। इन दो महीनों में आन्ध्र प्रदेश में एक घटना हुई। शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्रत्याशित है। 1969 में साम्प्रदायिक दंगों में नष्ट हुई सरकारी सम्पत्ति के मूल्य का भी पता लगाया जा रहा है।

(ग) मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकारों ने इंदौर और गुजरात के दंगों की जांच करने के लिए आयोग नियुक्त किये हैं।

(घ) और (ङ). राज्य सरकारों से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

टीकरी कलां बार्डर और केन्द्रीय सचिवालय के बीच दिल्ली परिवहन की सीधी बस सेवा

4972. **श्री प० मु० सईद** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टीकरी कलां बोर्डर और केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली के बीच दिल्ली परिवहन की सीधी बस सेवा चालू करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली परिवहन उपक्रम टीकरी कलां सीमा से होकर बहादुरगढ़ और केन्द्रीय सचिवालय के बीच पहले ही तीन सेवाओं को चला रहा है। उपक्रम द्वारा टीकरी कलां सीमा पर किया गया परिवहन सर्वेक्षण टीकरी कलां सीमा और केन्द्रीय सचिवालय के बीच कोई सीधी सेवा की आवश्यकता को प्रदर्शित नहीं करता है।

संसद् सदस्यों तथा उनकी धर्मपत्नियों के लिये 6 सप्ताह की पैकेज यात्रा के लिए एयर इंडिया का प्रस्ताव

4973. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान के एक्सपो 70 मेले के लिये एयर इंडिया का संसद् सदस्यों और उनकी धर्मपत्नियों के लिये 6 सप्ताह की एक ऐसी पैकेज यात्रा का प्रबन्ध करने

का विचार है जिसमें, विशेष रियायती दरों पर होटल तथा अन्य आनुषंगिक परिवहन व्यय शामिल होगा और यदि हां, तो प्रस्ताव को कब अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एयर इंडिया को छोड़ कर कई विमान कम्पनियां जापान के वापसी टिकटों के किराये में 40 प्रतिशत तक कटौती दे रही है और इसमें ओसाका में रियायती दरों पर एक सप्ताह तक रहने का खर्च भी शामिल है ;

(ग) क्या एयर इंडिया, संसद् सदस्यों और उनकी धर्मपत्नियों को जापान की यात्रा के लिये वापसी किराये में 40 प्रतिशत कटौती देने पर विचार करेगी ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या एयर इंडिया का जापान में कोई समुचित सस्ता आवास प्रबन्ध है ; यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या एयर इंडिया अपने ग्राहकों के लिये ऐसा कोई प्रबन्ध करेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ग) एयर इंडिया आई० ए० टी० ए० (अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था) के विनियमों के अनुसार, जिसके कि वे एक सदस्य हैं, कोई ऐसी छूट देने से प्रतिबंधित हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) एयर इंडिया जापान में चालू दरों पर आवास प्रबंध करने में सहायता प्रदान करने के लिये सहर्ष तैयार है, बशर्ते कि उन्हें समुचित नोटिस दिया जाये ।

विदेशी छात्रवृत्तियां

4974. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में, विदेशी सरकारों तथा संस्थाओं द्वारा भारत सरकार को कितनी तथा किस प्रकार की छात्रवृत्तियां दी गईं ;

(ख) इन छात्रवृत्तियों की कुल राशि कितनी थी ;

(ग) छात्रवृत्तियों की पेशकश करने वाले देशों के नाम क्या हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा कितनी छात्रवृत्तियों का उपयोग नहीं किया गया तथा उनका अवधि के अन्दर उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ख). विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3080/70]**

डिजाइन कार्य में लगे इंजीनियर तथा टेक्नोलोजी विज्ञ

4975. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 के दौरान वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों के राष्ट्रीय रजिस्टर में कुल कितने इंजीनियर और टेक्नोलोजीविज्ञ दर्ज किये गये और डिजाइन कार्य में वस्तुतः कितनों को लगाया गया ; और

(ख) अनुसंधान डिजाइन इंजीनियरों की कमी के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 20,984 उपाधिस्तर के इंजीनियर तथा टेक्नालोजी विज्ञ 1967-69 के दौरान वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मियों के राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज किये गये थे। उनमें से 4124 डिजाइन कार्य में लगे बताए गये थे।

(ख) नवम्बर, 1969 के तकनीकी जनशक्ति बुलेटिन की एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है, जिसमें डिजाइन इंजीनियरों की उपयोगिता का अध्ययन शामिल है। इस अध्ययन से जाहिर होता है कि यद्यपि काफी संख्या में डिजाइन इंजीनियर हैं, तथापि उनकी निपुणता की पूर्ण उपयोगिता को प्रयोग में नहीं लाया गया है।

Grih Kalyan Kendra, New Delhi

Shri Jamna Lal : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government give grants to the Grih Kalyan Kendra, 19, Mahadev Road, New Delhi ;

(b) if so, the purpose for which the grant is given and the basis thereof ;

(c) the amount of grant given to that Kendra annually and the total amount of grant given so far to the said Kendra ; and

(d) the details regarding the utilisation of the said grant during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) Yes, Sir.

(b) The Grih Kalyan Kendra is a Society registered under the Societies Registration Act, 1860. It is given grant-in-aid to cover full expenditure for the promotion of welfare of Central Government employees in the following manner :

(i) Provision of training facilities in crafts, e. g. tailoring, embroidery, knitting etc. for the family members of Central Government servants.

(ii) Running of nursery classes for the children of the middle and low income groups of Central Government servants.

(iii) Arranging general extra-mural welfare activities like educational and recreational programmes, holiday trips etc.

(iv) Running Creches' for the babies of working mothers belonging to Central Government servant's families.

(v) Providing scope for women to earn and supplement family income through tailoring, knitting etc. which they can do even at their homes.

(c) The amount of grant-in-aid given to Kendra annually, is shown in the statement **[Placed in Library. See No. LT-3081/70]** Total amount of grant given so far is Rs. 26,36,793.

(d) Statements showing Receipt and Payment account of the Griah Kalyan Kendra for the last three years, 1966-67, 1967-68, and 1968-69, are attached. **[Placed in Library. See No. LT-3081/70].** These statements give the details regarding the utilisation of the grant.

कलकत्ता के भारतीय वानस्पतिक उद्यान में नैमित्तिक श्रमिकों के लिये दैनिक मजूरी

4977. **श्री गणेष घोष :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के भारतीय वानस्पतिक उद्यान में काम कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों की दैनिक मजूरी हाल में 2.50 रुपये से बढ़ाकर 3.54 रुपये कर दी गई है ।

(ख) क्या यह भी सच है कि उसी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये पश्चिम बंगाल सरकार की निर्धारित दर 4.57 रुपये है और भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण (कलकत्ता) की दर 4 रुपये और 4.30 रुपये है ;

(ग) 29 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5275 के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए कि सरकार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर कलकत्ता के भारतीय वानस्पतिक उद्यान में काम कर रहे नैमित्तिक मजदूरों की दैनिक मजूरी की दरों में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, कलकत्ता के भारतीय वानस्पतिक उद्यान में दैनिक मजूरी की कम दर में निर्धारित किये जाने के क्या कारण हैं और यह किस आधार पर निर्धारित की गई है ; और

(घ) उसे पश्चिम बंगाल सरकार की दर के बराबर लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). भारतीय वनस्पति उद्यान, कलकत्ता में नियुक्त नैमित्तिक श्रमिकों का न्यूनतम दैनिक वेतन 1-12-69 से 2.50 रु० से परिशोधित करके 3.54 रु० प्रतिदिन कर दिया गया है । ये परिशोधित दरें वही हैं जो कि पश्चिम बंगाल सरकार (श्रम विभाग) ने कृषि के काम में लगे हुए उन श्रमिकों के लिये निर्धारित किये हैं जिनके कार्य की प्रकृति भारतीय वनस्पति उद्यान के नैमित्तिक श्रमिकों के काम के समान ही है ।

पश्चिम बंगाल सरकार की 4.57 रु० की दरें तथा भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग की 4 रु० तथा 4.30 रु० की दरें दूसरी प्रकार के श्रमिकों के लिये हैं, जिनके कार्य भारतीय बनस्पति उद्यान के नैमित्तिक श्रमिकों के कार्यों की भांति नहीं हैं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा मजदूरों/बेलदारों/खलासियों के लिये निर्धारित न्यूनतम दरें केवल 3.50 रु० हैं, जो कि बनस्पति उद्यान के श्रमिकों के लिये स्वीकृत दरों से कम हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

इण्डियन बोटेनिकल गार्डन, कलकत्ता में नैमित्तिक कर्मचारी

4978. **श्री गणेश घोष** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन बोटेनिकल गार्डन, कलकत्ता में 1 सितम्बर, 1969 को नैमित्तिक कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी 1 सितम्बर, 1969 और 28 फरवरी, 1970 में निमित अस्थायी कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किये गये थे ; और

(ग) उपर्युक्त अवधि में उनकी सेवाओं में व्यवधान डालने के लिये कितने कर्मचारियों को एक या दो दिन के लिये सेवा मुक्त किया गया था ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 133

(ख) कोई नहीं ।

(ग) कोई नैमित्तिक मजदूर सेवा मुक्त नहीं किया गया था । फिर भी, उनकी सेवाएं तीन दिन के लिये 17 अक्तूबर, 1969 से 19 अक्तूबर, 1969 तक उपयोग में नहीं लाई गयी थीं ।

भारत में काम कर रही गैर-सरकारी विमान कम्पनियों के नाम

4979. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में कुछ गैर-सरकारी विमान कम्पनियां काम कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन विमान कम्पनियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) विमान कम्पनियां चलाने की अनुमति देने के लिये क्या माप दण्ड अपनाया जाता है ।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) निम्नलिखित प्राइवेट हवाई कम्पनियों को अनुसूचित हवाई परिवहन सेवायें परिचालित करने के लिये परमिट दिये गये हैं :

1. एयर सर्वे कम्पनी आफ इंडिया ।
2. एयरवेज इंडिया ।

3. भारत कामर्स एंड इंडस्ट्रीज ।

4. कैमवाटा एवियेशन ।

5. जामेयर कम्पनी ।

6. कलिंग एयरलाइंस ।

7. कस्तूरी एंड सन्ज ।

(ग) प्राइवेट हवाई कम्पनियों को उन सेक्टरों पर, जहां राष्ट्रीय एयरलाइन परिचालन नहीं करती, विमान सेवायें परिचालन करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि वे एयरक्राफ्ट नियमों में दी गयी शर्तों को पूरा करती हों ।

दिल्ली मिडिल स्कूल परीक्षा (मार्च 1970) के प्रश्न पत्रों का गायब हो जाना

4980. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली मिडिल स्कूल परीक्षा के प्रश्न पत्रों को 10 मार्च, 1970 को एक स्थानीय स्कूल से चुरा लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह चोरी किन परिस्थितियों में हुई ;

(ग) क्या इस चोरी में कुछ गुंडों पर शक है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि समाज अध्ययन से सम्बन्धित प्रश्न पत्रों का एक बंडल चोरी गया था । परीक्षा केन्द्र के पर्यवेक्षक, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली से स्कूल बस में प्रश्न पत्र ले जा रहे थे । रास्ते में, जब वह कुछ सरकारी कार्यवश, एक कार्यालय गये थे, प्रश्न पत्रों का एक बण्डल चुरा लिया गया था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता । किन्तु मामले की जांच पड़ताल की जा रही है ।

आवेदन-पत्रों का आगे भेजना

4981. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री अन्य विभागों को स्थानान्तरित स्थायी सरकारी कर्मचारियों का पूर्वाधिकार बनाये रखने के बारे में 6 मार्च 1070 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1808 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थायी सरकारी कर्मचारियों से अपने मूल कार्यालयों से त्यागपत्र देने, वहां वापिस आने के लिए लिखित रूप से बचन लेने के बाद उनके आवेदन-पत्रों को केन्द्रीय सरकार

के अन्य कार्यालयों में पदों के लिए भेजने के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया एफ० आर० 14-ए० के सांविधिक उपबन्धों के अनुरूप है ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसी प्रकिया निर्धारित करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि एफ० आर० 14-ए० में विशिष्ट रूप से निर्धारित प्रक्रिया यह है कि सरकारी कर्मचारी का किसी पद पर पूर्वाविकार उसकी सहमति होने पर भी, किसी भी, परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता यदि उसके परिणाम-स्वरूप उसे किसी स्थायी पद पर पूर्वाधिकार से वंचित होना पड़े अथवा निलम्बित पूर्वाधिकार मिले ; और

(घ) ऐसी परिस्थिति में जब कि कोई व्यक्ति किसी अन्य कार्यालय में उच्चतर पद पर काम कर रहा हो और अपने मूल कार्यालय में निम्नतर पद पर पूर्वाधिकार धारण कर रहा हो, पूर्वाधिकार को समाप्ति के लिये सहमति देने और त्यागपत्र देने का अपने अधिप्राय बताने के बीच क्या अन्तर है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां श्रीमान् ।

(घ) पूर्वाधिकार का समाप्ति के लिए सहमति देने का अर्थ केवल एक सरकारी कर्मचारी का एक स्थायी पद को धारण करने के अपने हक को छोड़ना है जब कि त्याग पत्र देने के इरादे को सूचित करना तथा बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे स्वीकार किये जाने का अर्थ होगा कि सरकारी कर्मचारी इस सेवा अथवा पद से अपने संबंध समाप्त कर रहा है जिससे उसका त्याग पत्र-स्वीकार किया गया है ।

बड़ौदा असैनिक हवाई अड्डा

4982 **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक** उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ौदा हवाई अड्डे पर थावन हवाई पट्टी की कुल लम्बाई कितनी है ;

(ख) अवतरण तथा रवानगी की कितनी उड़ानें की जा रही हैं तथा दैनिक यात्रियों की औसत संख्या कितनी है ;

(ग) इस हवाई अड्डे से यात्रियों से तथा माल भाड़े के रूप में विमान सेवा के पुनः आरम्भ किये जाने के बाद से 1969 के अन्त तक कुल कितनी आय अर्जित की गई ;

(घ) यात्रियों को क्या सुख-सुविधाएं दी जाती हैं ;

(ङ) बम्बई और दिल्ली जाने वाले यात्रियों की इतनी अधिक भीड़ होते हुए भी कैसेवेल विमान सेवा चालू न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(च) हवाई अड्डे की नई इमारत पर कितना धन व्यय किया गया ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : 6,000 फीट।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स बड़ौदा से बम्बई और अहमदाबाद के लिये दैनिक उड़ाने आई० सी०-141/142 परिचालित करती है, जिनमें वहां प्रतिदिन दो अवतरण और दो उड़ाने होती हैं। यात्रियों की औसत संख्या बम्बई/बड़ौदा/बम्बई खण्ड पर प्रतिदिन 32, और बड़ौदा/अहमदाबाद/बड़ौदा खण्ड पर प्रतिदिन एक थी।

(ग) 14-7-1969 से 31-12-1969 की अवधि के दौरान यात्रियों से 5·46 लाख रुपये, तथा माल के वहन से 0·55 लाख रुपये की आय हुई।

(घ) टर्मीनल भवन में, जो कि 1962 में खोला गया, यात्रियों के लिए 'लौंज' और 'टाएलेट' आदि जैसी सुविधायें प्रदान की गई हैं। वहां एक अलग आरक्षित लौंज भी है।

(ङ) इस समय यह विमान क्षेत्र कारवेल विमानों के परिचालन के लिए उपयुक्त नहीं है।

(च) टर्मीनल भवन के निर्माण पर 1,53,169/- रुपये की लागत आई थी।

गुजरात में 'पावागढ़' पहाड़ी का एक पर्यटक स्थान के रूप में विकास

4983. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में पंचमहल जिले में बड़ौदा के निकट स्थित पावागढ़ पहाड़ी एक प्रसिद्ध धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थान है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस पहाड़ी की महिमा का उल्लेख विभिन्न ऐतिहासिक प्रकाशनों में किया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि लाखों तीर्थ यात्री अपनी धार्मिक भावनाओं से प्रेरित हो कर प्रति वर्ष इस स्थान पर जाते हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक पर्यटक केन्द्र के रूप में इसका विकास करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) से (ङ). पर्यटन विभाग को पावागढ़ पहाड़ी के धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व एवं वहां के तीर्थयात्रियों के यातायात के बारे में जानकारी है। परन्तु, साधनों के सीमित होने के कारण, जिनका कि नियतन प्राथमिकताओं के आधार पर होता है, इसके एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने की भारत सरकार की कोई योजना नहीं है।

गोआ के उप-राज्यपाल का वापिस बुलाया जाना

4984. **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री गणेश घोष :
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री उमानाथ :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ के मुख्य मंत्री ने गोआ के उप-राज्यपाल श्री नकुल सेन को वापिस बुलाने के लिए केन्द्रीय सरकार को लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मुख्य मंत्री के अनुरोध पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). इस मामले पर उप-राज्यपाल और मुख्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया गया था और इसे वहीं छोड़ दिया गया ।

फाजिलका और अबोहर को हरियाणा को दिये जाने के बारे में हरियाणा सरकार से ज्ञापन

4985. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को फाजिलका और अबोहर को हरियाणा को हस्तान्तरित किये जाने के बारे में हरियाणा सरकार से कोई ज्ञापन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उपयुक्त ज्ञापन की मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). जबकि इस प्रकार का कोई ज्ञापन हरियाणा सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है, हरियाणा के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को सम्बोधित एक पत्र में 29 जनवरी, 1970 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में इसका उल्लेख था कि हरियाणा को फाजिलका तहसील के एक भाग के हस्तांतरण के फैसले पर उस आयोग की सिफारिशों पर, अन्य क्षेत्रों को हस्तांतरित करने के निर्णय का एक साथ प्रभाव पड़ेगा, जो कि मौजूदा अन्तर्राज्यीय सीमाओं के पुनः निर्धारण के दावों और प्रतिदावों की जांच करने के लिये नियुक्त किया जायेगा । हरियाणा के मुख्य मंत्री ने जोर देकर कहा था कि फाजिलका तहसील का एक भाग फौरन हरियाणा को हस्तांतरित किया जाना चाहिये और उसे प्रस्तावित आयोग की सिफारिशों पर हस्तांतरित होने वाले अन्य क्षेत्रों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए । सरकार का 29 जनवरी, 1970 को घोषित निर्णय में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु के कारणों की जांच

4986. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जनवरी, 1970 के अन्तिम सप्ताह में ब्लिट्ज नामक साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि वर्ष 1945 में अमरीकी सेना ने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की हत्या कर दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस समाचार की सच्चाई का पता लगाने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के गायब हो जाने की परिस्थितियों की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का निश्चय किया है और वह आयोग यथासमय ऐसे आरोपों की सत्यता की भी जांच करेगा ।

Appointment of a Hindi Stenographer in Education Minister's Office

4987. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3893 on the 21st March, 1969 regarding recruitment in Education and Youth Services Ministry and state :—

(a) whether it is a fact that the then Union Minister of Education had given orders for the appointment of a Hindi Stenographer on his personal staff and a written test was held on the 27th April, 1968 as a result of the said orders ; and

(b) if not, whether Government propose to take action against the persons found guilty?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

दिल्ली—उत्तर प्रदेश सीमा पर तस्कर व्यापारियों से बरामद प्राचीन वस्तुएं

4988. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश—दिल्ली सीमा पर तस्कर व्यापार करने वाले एक गिरोह से 30 लाख रुपये के मूल्य की प्राचीन वस्तुएं बरामद की गई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें से एक तस्कर व्यापारी इस प्रकार की तस्करी के बहुत से मामलों से संबंधित है; और

(ग) इस मामले की जांच करवाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 30 लाख रुपये के मूल्य की प्राचीन वस्तुओं की बरामदगी का कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है । फिर भी, 4-1-1970 को विद्युत दाह गृह के निकट रिंग

रोड पर एक कार से 4,650 रुपये के मूल्य की मूर्तियां पकड़ी गईं और 3 व्यक्ति पकड़े गये।

(ख) दोषी व्यक्तियों में से किसी के द्वारा ऐसा प्रगट नहीं किया गया।

(ग) पुलिस द्वारा मामले की जांच के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं और इन मूर्तियों के दावेदार का पता लगाने के लिए विस्तृत प्रचार किया गया है।

Seizure of Chinese Currency in Gauhati

4989. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri N. R. Laskar :**
Shri Bansh Narain Singh : **Shri Chengalraya Naidu :**
Shri Mayavan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the police had recovered Chinese Currency notes worth about Rs. 28,000 in Gauhati from the possession of some Nepali citizen in February, 1970 ; and

(b) if so, the number of persons arrested in this connection and the action taken by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Skukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The State Government have reported that in this connection a case under Foreigners' Act has been instituted and two persons have been arrested. The case is still under investigation.

Complaint against Senior Aerodrome Officer Palam Airport for Failure to Furnish Information Regarding, Crash of Fokker Friendship Plane of Royal Nepal Airlines

4990. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that after the crash of a Fokker Friendship plane of Royal Nepal Airlines near Palam Airport, New Delhi on the 25th January, 1970, the Senior Aerodrome Officer of the said airport was contacted by the local Press Correspondents at 11 P. M. to ascertain the details in respect of the said crash but he replied that he was not free and that he might be contacted after an hour ; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government against the said Senior Aerodrome Officer in view of the fact that the said crash took place at 7.15 P.M. but he expressed his inability to furnish the details in regard thereto to the Press Correspondents even at 11 P.M.?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). The Senior Aerodrome Officer, Palam, was contacted by several persons on the night of 25th January, 1970 on the telephone at about 10 P.M. in regard to the details of the accident to the Royal Nepal Airlines Fokker Friendship aircraft. He informed them that the aircraft had crashed at 7.15 p.m. and that 18 passengers were in a dazed condition suffering from shock and injuries. He, however, regretted his inability to give any reasons for the crash, and advised them to contact the Director of Air Safety, who was incharge of the investigation into the cause of the accident.

No action is contemplated against the officer.

Army Personnel Alerted on Rajasthan Border

4991. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that because of Pakistani infiltration and after a large number of Pakistani weapons having been found in the Ganganagar area of Rajasthan, Indian Army personnel deployed there have been alerted ; and

(b) if so, the details thereof and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). It is not a fact that personnel of the Indian Army were alerted in Ganganagar district because of Pakistani infiltration and recovery of large number of Pak weapons from them.

The State Government have intimated that sometime back personnel of the Indian army were alerted for going to the aid of civil authority because of apprehension of deterioration in the law and order situation in Ganganagar, due to the peasant agitation in the district.

Whenever any one was found in possession of unlicenced arms, action under the relevant law has been taken.

शिक्षा मंत्रालय द्वारा अवैतनिक ग्रन्थालय परामर्शदाता की अनुचित तरफदारी किए जाने के बारे में शिकायत

4992. **डा० प० मंडल:**

श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय तथा अन्य संस्थाओं की सलाह की उपेक्षा करके अवैतनिक ग्रन्थालय परामर्शदाता की अनुचित तरफदारी किये जाने के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा अन्य व्यक्तियों से कोई शिकायत प्रधान मंत्री को मिली है ; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि शिक्षा मंत्रालय के मंत्री तथा परामर्शदाता केन्द्रीय जांच ब्यूरो से एक मामला वापिस लेकर एक सेवानिवृत अधिकारी को यूनेस्को भेजने के लिए उत्सुक हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

देशबन्धु चितरंजन दास की जन्म शताब्दी मनाना

4993. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद के विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा इस वर्ष 5 नवम्बर को देशबन्धु चितरंजन दास की जन्म शताब्दी मनाने के बारे में प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) तो क्या सरकार देशबन्धु शताब्दी मनाने के बारे में समुचित कार्यवाही करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस अवसर के लिये तैयार किये गये कार्यक्रम का क्या ब्योरा है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). जी हां। सरकार ने देशबन्धु चितरंजन दास की जन्म शताब्दी यथोचित ढंग से मनाने का निर्णय किया है, जो 5 नवम्बर, 1970 को पड़ती है। इस सम्बन्ध में विभिन्न कार्यक्रमों के ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं।

Explosion of a Bomb near Sripur Coal Mine near Asansol

4994. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a bomb exploded near the Sripur Coal Mine near Asansol recently ;

(b) whether Government have examined the explosive material of the bomb ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) if not, the reasons there for ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir. The Government of West Bengal have intimated that bomb explosions occurred near Sripur Coal Mine during the period from February 22 to March 1, 1970.

(b) and (d). The remnants of the exploded bombs have been seized by the State police and are being sent by them to the Inspector of Explosives for examination and expert opinion.

विद्रोही मिजो लोगों से अमरीका में बने हथियार पकड़े जाना

4995. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले त्रिपुरा में विद्रोही मिजो लोगों के पास से अमरीका में बने हथियार जिनमें अप्रयुक्त राकट भी शामिल हैं, पकड़े गये थे या मिजो लोगों को उनका प्रयोग करते देखा गया था ;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में उनके पास से पकड़े गये हथियार किस प्रकार के थे ;

(ग) क्या अमरीका या पाकिस्तान से यह मामला उठाया गया है जिनसे मिजो लोगों ने स्पष्टतया ये हथियार प्राप्त किये थे ; और चूंकि पाकिस्तान ने अमरीका द्वारा निर्धारित की गई शर्तों का उल्लंघन करके मिजो लोगों को हथियार दिये हैं, कि पाकिस्तान द्वारा इन हथियारों का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जायेगा, क्या इस मामले में अमरीका सरकार से विरोध प्रकट किया गया है ; और यदि हां, तो किस स्तर पर ; और

(घ) कितनी बार यह मामला अमरीका सरकार के सामने उठाया गया है और उसका क्या परिणाम रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 3.5 के राकेटों की कुछ सेफ्टी क्लिपें, जिनमें अमरीका मूल के होने के चिह्न थे, पिनों के साथ उस क्षेत्र में बरामद किये गये थे, जहां 30-10-1968 को चौमानू की केन्द्रीय रक्षित पुलिस चौकी पर एम० एन० एफ० विद्रोहियों ने छापा मारा था।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पुस्तकालय के भूतपूर्व पुस्तकाध्यक्ष के विरुद्ध जांच

4996. **डा० प० मंडल :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को राष्ट्रीय पुस्तकालय के भूतपूर्व पुस्तकाध्यक्ष के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार आदि के कई आरोपों के बारे में मुकदमा दायर करने और इस बारे में जांच करने के लिये कब अनुरोध किया था ;

(ख) उक्त अधिकारी जो इस समय 3 फरवरी, 1969 की पी० ई० संख्या 6 में दी गई सूची के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अवैतनिक पुस्तकालय सलाहकार के रूप में काम कर रहा है, के विरुद्ध मुख्यतया क्या क्या आरोप लगाये गये हैं;

(ग) क्या विभागीय जांच के पक्ष में अब मुकदमा वापिस ले लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसा केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के मामले में अक्षमता और असफलता के कारण हुआ ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). राष्ट्रीय पुस्तकालय के भूतपूर्व पुस्तकाध्यक्ष के विरुद्ध कुछ आरोप प्राप्त होने पर, इस मंत्रालय ने 22 जनवरी, 1969 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया था। इस मामले की और आगे जांच करने पर, पता चला कि इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजना कच्ची बात थी, क्योंकि ऐसे मामलों को निपटाने से सम्बंधित कुछ स्थायी आदेशों का पालन नहीं किया गया था। इसलिये, केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करने की इस मंत्रालय की प्रार्थना को रद्द समझने का अनुरोध किया गया। उसके बाद स्थायी आदेशों के अनुसार शिकायत की विस्तारपूर्वक जांच की गई और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से मामला समाप्त कर दिया गया।

क्योंकि अधिकारी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं बने, इसलिये मुख्य मुख्य आरोपों को बताने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के कर्मचारियों की प्रबन्ध व्यवस्था के बारे में न्यायाधीश खोसला की रिपोर्ट

4997. **डा० प० मंडल :**

श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायाधीश खोसला ने राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के कर्मचारियों की प्रबन्ध व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय में कर्मचारियों के सम्बंधों के बारे में प्रस्तुत रिपोर्ट न्यायाधीश खोसला को जांच के लिये उपलब्ध की गई थी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट की जांच की जा रही है और अभी उसके ब्योरे बताना जन-हित में नहीं होगा ।

(ग) जी हां ।

कलकत्ते में भव्य होटल

4998. **श्री भगवान दास :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री बदरुद्दुजा :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कलकत्ते में भव्य होटल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) 31 जनवरी, 1970 को प्रत्येक मुख्य नगर में सरकारी क्षेत्र में कितने होटल थे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). भारत पर्यटन विकास निगम का कलकत्ता विमान क्षेत्र पर एक 100 कमरों वाले 'ट्रांजिट' होटल का निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम के चार होटल दिल्ली में तथा एक उदयपुर में है । रेलवे बोर्ड के पुरी, रांची तथा औरंगाबाद में एक-एक होटल हैं ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निदेशकों द्वारा उनके साथ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किये गये अनुचित व्यवहार के विरुद्ध शिकायतें

4999. **श्री रा० वें० नायक :**
श्री वे० अमात :
श्री धी० ना० देव :
श्री नंजा गौडर :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में निदेशकों के प्रति किये जाने वाले अनुचित व्यवहार के विरुद्ध अनेक निदेशकों ने शिकायतें की हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) प्रशासनिक व वित्तीय मामलों तथा वैज्ञानिक परियोजनाओं के बारे में कुछ समस्याएं राष्ट्रीय प्रयोग शालाओं व संस्थाओं से प्राप्त की जाती हैं। इन्हें बिना किसी भेदभाव के गुणावगुणों के आधार पर निपटाया जाता है।

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) के निदेशों सहित सभी कर्मचारियों को जांच समिति में अभ्यावेदन करने के लिये एक अवसर दिया गया था। समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति श्री ए० के० सरकार द्वारा की गयी थी।

(ग) जांच समिति की रिपोर्ट का पहला भाग पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और सभा पटल पर रख दिया गया है। समिति से सी० एस० आई० आर० के समूचे कार्यों के सम्बन्ध में दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा सुधार के उपाय व साधन सुझाने की उम्मीद की जाती है।

चण्डीगढ़ में मालिक और किरायेदार से झगड़े में पुलिस का हस्तक्षेप

5000. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 दिसम्बर, 1969 के 'ट्रिब्यून' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिखाया गया है कि चण्डीगढ़ में मालिक और किरायेदार के झगड़े में पुलिस ने मालिक का पक्षपात करने के लिए कथित हस्तक्षेप किया जिसके कारण दुकानदारों ने अपनी दुकानें बन्द कर दीं ;

(ख) क्या मामले की जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) सम्बन्धित पुलिस अधिकारी की निन्दा की गई है ।

थकाफत-उल-हिंद का मुख्य सम्पादक

5001. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् द्वारा जारी की जाने वाली अरबी की पत्रिका थकाफत-उल-हिन्द के मुख्य सम्पादक को अधिक अरबी भाषा नहीं आती ;

(ख) यदि हां, तो इस पत्रिका में ऐसे व्यक्ति को मुख्य सम्पादक के पद पर रखे जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) उनको प्रतिमास कितना वेतन दिया जाता है ;

(घ) क्या यह सच है कि उन्हें एक और गैर-सरकारी नौकरी करने की भी अनुमति दी गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या यह सच है कि इस पत्रिका के उपयुक्त मुख्य सम्पादक द्वारा शायद ही कभी कोई सम्पादकीय अथवा अन्य कोई लेख लिखा जाता हो, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) । (क) और (ख). परिषद् द्वारा प्रकाशित अरबी पत्रिका के सम्पादक को अरबी भाषा का आवश्यक ज्ञान है ।

(ग) परिषद् द्वारा उन्हें इस कार्य के लिये 350 रु० मासिक का नियत मानदेय दिया जाता है ।

(घ) क्योंकि परिषद् में उनकी नियुक्ति अंशकालिक है, इसलिये उनके मूल कार्यालय द्वारा अन्य कार्य करने की अनुमति दे दी गई है ।

(ङ) सम्पादक की मुख्य जिम्मेदारी, पत्रिका के लिये लेख आमंत्रित करना, उन्हें चुनना, चुने गये लेखों में से, ऐसे का अनुवाद करना अथवा अनुवाद की व्यवस्था करना, जो अरबी के अलावा अन्य भाषाओं में हों, प्रूफों की जांच करना और पत्रिका के प्रकाशन का आम पर्यवेक्षण करना है ।

छोटे अंदमान द्वीप में कारोबार आरम्भ करना

5002. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे अंदमान द्वीप में नाइयों, धोबियों, दर्जियों, सुनारों, पान-

दुकानदारों जैसे छोटे कारोबारियों को कारोबार आरम्भ करने की अनुमति देने में सरकार की क्या नीति है ;

(ख) सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि छोटे अंदमान द्वीप में उपभोग्य वस्तुएं पूरे वर्ष उपलब्ध होती रहें ;

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि पोर्ट ब्लेयर से छोटे अंदमान द्वीप और वहां से वापसी के लिये सप्ताह में कम से कम दो बार नियमित रूप से नौवहन सेवा उपलब्ध हों ; और

(घ) छोटे अंदमान द्वीप में उपभोक्ता सहकारी भंडार की शाखा के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3082/70]**

Reported Statement by Chairman of People's Action Committee of Kashmir Regarding Communal Riots in Ahmedabad

5003. **Shri Ram Gopal Shalwale**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement made by Maulvi Farooq, Chairman, People's Action Committee of Kashmir in which he has demanded capital punishment for those persons who created riots in Ahmedabad ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government have seen a booklet containing report of such a statement made by Maulvi Farooq.

(b) Action in all such cases has to be taken in accordance with the provisions of law.

पाकिस्तान द्वारा सिल्हट सीमा पर से सीमा स्तम्भ हटाये जाना

5004. **श्री विश्व नारायण शास्त्री :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सुरक्षा सेनाओं ने के० एण्ड एन० जे० हिल्स-सिल्हट सीमा पर संयुक्त सर्वेक्षण के बाद लगाये गये सीमा स्तम्भों को हटा दिया है ;

(ख) क्या सरकार इस सीमा के सीमांकन के लिये संयुक्त सर्वेक्षण के समझौते के उल्लंघन की कार्यवाही समझती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के उल्लंघनों को किस प्रकार रोकने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). यह सच नहीं है कि पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों द्वारा युनाइटेड खासी तथा जयन्तिया हिल्स-सिल्हट सीमा पर स्थित कुछ सीमा स्तम्भों को हटा दिया गया था ।

अगस्त-नवम्बर 1969 में पूर्वी पाकिस्तान औद्योगिक विकास निगम द्वारा उस क्षेत्र में विस्फोट तथा खुदाई करते समय कुछ सीमा स्तम्भ क्षतिग्रस्त हो गये थे तथा अपने स्थान से उखड़ गये थे और इस बात का पाकिस्तानी अधिकारियों से समुचित स्तर पर विरोध किया गया है। उसके बाद हुई सेक्टर कमांडरों की बैठक में पाकिस्तानी कमांडर इस बात के लिये सहमत हो गया था कि वह विस्फोट तथा खुदाई तब तक नहीं करेंगे जब तक कि स्तम्भों को पुनः मूल स्थिति में नहीं लगा दिया जाता । आसाम तथा पूर्वी पाकिस्तान के भूमि रिकार्डों के निदेशकों के बीच चालू फसल के दौरान सीमा स्तम्भों को पुनः स्थापित करने का कार्य शुरू करने के बारे में समझौता हो गया है ।

उस क्षेत्र में आवश्यक सतर्कता रखने के लिए सीमा सुरक्षा बल वहां पर तैनात रहेगी।

पार्श्व सड़क परियोजना का निर्माण

5005. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में अमीनगांव से उत्तर प्रदेश में बरेली तक पार्श्व सड़क परियोजना के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस परियोजना को 1963 में प्राथमिकता दी गई थी और 1966 में इस परियोजना का कार्य अचानक स्थगित कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप लगभग 282 लाख रुपये की मशीनें और उपकरण फालतू हो गये थे ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त फालतू मशीनों/उपकरणों का किस प्रकार उपयोग किया गया है / किया जा रहा है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) से (घ). पार्श्ववर्ती सड़क पर निर्माण कार्य 873 मील की कम की गई लम्बाई में चार संबंधित राज्यों में प्रगति के विभिन्न चरणों में है । 183 मील में सड़क कार्य पूरा हो चुका है, 268 मील में प्रगति पूरे होने वाले चरण में है और शेष लम्बाई में प्रगति विभिन्न चरणों में है, निर्माण किये जाने वाले 23 बड़े पुलों, 129 दरमियानी पुलों और 153 छोटे पुलों में से 16 बड़े पुल, 46 दरमियानी पुल और 47 छोटे पुल बन गये हैं। शेष पुलों पर कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है । पार्श्ववर्ती सड़क को आरम्भ में बहुत ऊंची प्राथमिकता दी गई थी परन्तु वित्तीय कठिनाई के कारण और बाद में इस सड़क के लिये प्राथमिकता घटाने से प्रयोजना का कार्य जिसमें 1966-67 तक ताव आ गया था, को धीमा करना पड़ा । इसका असर मशीनों की उपयोगिता पर आवश्यक रूप से पड़ा जो परिवर्तित स्थिति में सबके सब अधिकतम क्षमता तक उपयोग न हो सके ।

अब यह कार्यक्रम बनाया गया है कि परियोजना 73.30 करोड़ रुपये की कुल लागत पर कम कर दी गई व्याप्ति और विशिष्टियों के लिये 1970-71 के अन्त तक पूरी हो जाये। फलस्वरूप कुछ मशीनें जो पहले फालतू हो गयीं थी अब उपयोग की जा रही हैं। कुछ मशीनें अन्य राज्यों/परियोजनाओं को भी स्थानान्तरित कर दी गयी हैं।

मशीनों के फालतू भंडार की समीक्षा और इसके अधिकतम उपयोगिता के लिये उपाय सुझाने के लिये एक उच्च स्तर की समिति भी बनाई गई। इस समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है और जांच की जा रही है।

दिल्ली में एक आशुलिपिक की सर्किल राशनिंग अधिकारी तथा बाद में सहायक आयुक्त, बिक्री कर के रूप में नियुक्ति

5006. **श्रीमती सुचेता कृपालानी :**
श्री राजशेखरन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने 1965-66 में केन्द्रीय सचिवालय के एक आशुलिपिक को सर्किल राशनिंग अधिकारी के रूप में 425-680 रुपये के वेतनमान पर नियुक्ति की थी, जबकि संघ लोक सेवा आयोग ने इस पर सहमति नहीं दी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संघ लोक सेवा आयोग की सलाह के बिना उसे उपायुक्त, दिल्ली, के अधीन विशेष कार्य अधिकारी के रूप में 590-900 रुपये के वेतनमान पर नियुक्त किया गया था और बाद में उसे प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार दे दिये गए थे और उसे सामान्य सहायक के स्थायी पद पर स्थायी कर दिया गया था ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इसके बाद सहायक आयुक्त बिक्री कर का एक पद एक अन्य संघ राज्य क्षेत्र में बनाया गया था और उसकी पदोन्नति 900-1250 रुपये के वेतनमान प्रथम श्रेणी, में कर दी गई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय आशुलिपिक सेवा का एक आशुलिपिक जो 650 रु० प्रतिमाह का वेतन तथा 75 रु० प्रतिमाह का विशेष वेतन ले रहा था जिला राशन अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पद के लिये भरती नियमों के संदर्भ में नियुक्त किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग ने, जब उसको इसके बारे में सूचित किया गया, कहा कि यदि वह पद आयोग के जरिये प्रतियोगिता-प्रवरण द्वारा भरा जाना है तो खुले प्रतियोगिता प्रवरण द्वारा पद को भरे जाने के लिए उनको मांग पत्र भेजा जाय।

(ख) सम्बन्धित अधिकारी विशेष कार्य अधिकारी के रूप में 620-900 रु० के वेतनमान में उपायुक्त दिल्ली के कार्यालय में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था। उसका पद पर बने रहना बाद में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। तत्पश्चात् विशेष कार्य अधिकारी के पद का उसी वेतनमान में डिप्टी कमिश्नर के जनरल एसिस्टेन्ट के रूप में पुनः

नामकरण किया गया और सम्बन्धित अधिकारी को उस पर स्थायी कर दिया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय की सलाह पर उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को ध्यान में रखते हुए उस अधिकारी को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी दे दी गईं।

(ग) उसे दिल्ली में असिस्टेण्ट कमिश्नर, सेल टैक्स के रूप में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 400-900 रु० के वेतनमान में तथा 100 रु० का विशेष वेतन देकर केवल काम चलाऊ प्रबन्ध के रूप में नियुक्त किया गया है। दिल्ली प्रशासन को यह सूचित कर दिया गया है कि यह नियुक्ति भरती नियमों के अनुकूल नहीं है और स्थिति को सुधारा जाय।

डा० धर्म तेजा के विरुद्ध बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही

5007. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री एन० शिवप्पा
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री वि० नरसिम्हाराव :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जयन्ती शिपिंग कम्पनी के भूतपूर्व चेयरमैन डा० धर्म तेजा के विरुद्ध एक करोड़ रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान 14 फरवरी, 1970 के इण्डियन **मानीटर** (पृष्ठ 4) में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो उस **पर** सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) प्रश्नगत मुकदमा जयन्ती शिपिंग कम्पनी ने डा० तेजा और श्री कुलुकुंडिस के ऊपर 9632696 रुपये की वसूली के लिए 29-1-70 को दिल्ली उच्च न्यायालय में किया। कंपनी से उक्त राशि उन्होंने कंपनी के शेयरों की खरीद और कम्पनी की ओर से 7 लिबर्टी जहाज खरीदने के सम्बन्ध में ठगी थी। मुकदमा करने के समय तक के ब्याज को मिलाकर कुल दावा 13964198 रुपये का है।

(ख) 12-2-70 के इण्डियन मानिटर के पृष्ठ 4 पर उल्लिखित यह समाचार कि "वाणिज्य और कम्पनी कार्य मंत्रालय" ने डा० धर्म तेजा पर एक करोड़ रुपये की राशि की वसूली के लिए जो (उल्लिखित रिपोर्ट को जारी रखते हुए) मुकदमें के अनुसार, सरकार ने उसे जयन्ती शिपिंग कम्पनी स्थापित करने के लिए दी थी, गलत है।

राज्यपाल के चुनाव या कार्यपालिका को विधान सभा से स्वतंत्र बनाने के बारे में संविधान में संशोधन

5008. **श्री जय सिंह :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में सरकारों के अस्थिर रूप को दृष्टि में रखते हुए, जैसाकि गत आम चुनावों के बाद साबित हो गया है, सरकार का विचार राज्यपाल के पद को निर्वाचन द्वारा भरने या कार्यपालिका को विधान सभा से स्वतंत्र बनाने और उसके प्रति उत्तरदायी न ठहराने के लिये, जैसाकि स्विटजरलैण्ड में है संविधान में संशोधन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ग). सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Filling of Vacancies Reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes

5009. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri S. M. Solanki :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have not filled 59 per cent of vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes during 1968 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government would make an announcement in respect of filling these vacancies soon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b). Required information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

(c) The vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes which could not be filled by the candidates of the respective communities in a year have to be carried forward and the period of carry-forward has recently been raised from two to three subsequent recruitment years. The question of making any specific announcement by the Government in this regard does not arise.

Preference to Inter-Caste Married Employees of Government

5010. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to accord priority in the matter of appointment to

Government services to those young persons who marry outside their castes and religion, by amending relevant laws, in view of national integration and secularism ;

(b) if so, the time by which such an amendment would be made ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) There is no such proposal under consideration at present.

(b) In view of (a) above, the question does not arise.

(c) Article 16(1) of the Constitution guarantees "equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State." According to Article 16(2), "No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them, be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the State." In view of these provisions of the Constitution, no priority can be given in appointment to Government services to persons who marry outside their caste and religion.

राजनयिक थैले का दुरुपयोग

5011. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ जासूसी कांड के एक अभियुक्त मिस्टर इकबाल ने अपने बयान में कहा है कि उसको पाकिस्तान दूतावास के माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ करते थे ;

(ख) क्या ऐसे कार्यों के लिये राजनयिक थैले का प्रयोग करना जिसे निरीक्षण से छूट होती है स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुकूल है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत के अमित्र देशों के दूतावासों द्वारा अपनाये गए ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस अवस्था में कोई जानकारी देना जन हित में नहीं है क्योंकि जांच कार्य अभी चल रहा है ।

(ख) राजनयिक थैले मिशन के सरकारी पत्राचार के प्रयोग के लिये हैं ।

(ग) इस प्रश्न के लिये यह समय उपयुक्त नहीं है ।

Demand for Closing Schools and Colleges in Sowing and Harvesting Seasons Instead of in Summer

5012. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether a demand has been made by a section of people to the Government that instead of closing the schools and colleges in the country in Summer, they should be closed during the sowing and harvesting seasons during which there is a lot of work to be attended to ; and

(b) if so, the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). The required information is being collected from the Governments of the various States and Union Territories and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

Grant of Scholarships to Scheduled Caste and Scheduled Tribe Students Studying in VI to XI Classes in Delhi

5013. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Administration grants scholarships to the students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes studying in VI Class to XI Class ; and

(b) if so, the monthly amount of the scholarships and how does it compare with the amount of the scholarships being given in other States ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) The rates of scholarships are as follows :

Class V to VI	Rs. 30/-P.A.
Class VII to VIII	Rs. 40/-P.A.
Class IX to X	Rs. 50/-P.A.
Class XI	Rs. 60/-P.A.

The corresponding information relating to States is not readily available.

इथोपिया के लिये भारतीय शिक्षकों की भर्ती

5014. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने इथोपिया सरकार द्वारा भारत में शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी है ;

(ख) यदि हां, तो इथोपिया को शिक्षक भेजने के लिये क्या वैकल्पिक उपाय किए गए हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि इथोपिया सरकार के साथ कोई करार न होने के कारण इथोपिया में सेवा के लिए कोई शिक्षक नहीं चुना गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). भारत सरकार ने, इथोपिया सरकार द्वारा अध्यापकों की भर्ती को बन्द नहीं किया है ताकि उपयुक्त व्यक्तियों का चयन सुनिश्चित किया जा सके । इथोपिया सरकार को सुझाव दिया गया है कि भर्ती के मामले में भारतीय प्राधिकारियों द्वारा सक्रिय सहयोग की व्यवस्था की जाए । मामले पर अभी दोनों सरकारें विचार कर रही हैं ।

कच्छ में पाकिस्तानी वाष्प नौकाओं द्वारा भारतीय जल-सीमाओं का अतिक्रमण

5015. **श्री बलराज मधोक** :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दण्डपाणि :
श्री सामिनाथन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक पाकिस्तानी वाष्पनौकाओं ने कच्छ क्षेत्र में हाल ही में

फिर से हमारी जल-सीमाओं का अतिक्रमण किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय सीमा पुलिस ने कुछ पाकिस्तानी विमानों को रोका तथा पकड़ा था ; और

(ग) यदि हां, तो इन अतिक्रमणों के बारे में ब्योरा क्या है तथा इनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). जनवरी, 1970 के माह में 2 पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नौकायें, उनके चालक गण सहित जिनकी संख्या 24 थी, कच्छ तट से दूर हमारे जल प्रांगण में राज्य पुलिस द्वारा पकड़ी गईं ।

फरवरी, 1970 में राज्य पुलिस द्वारा कच्छ तट से दूर हमारे जल प्रांगण में राज्य पुलिस द्वारा एक पाकिस्तानी क्रीड़ा नौका पकड़ी गयी । चालक गण भाग गये किन्तु बाद में उनके पांच सदस्य पकड़े गये ।

कानून के अधीन आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

निरोधात्मक उपाय कड़े किये गये हैं जिससे सम्बन्धित सीमा/तटीय क्षेत्रों की कड़ी गश्त शामिल है ।

Arrest of Persons Involved in the Fire in Heavy Engineering Corporation, Hatia

5016. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7737 on the 25th April, 1969 regarding fire in the Heavy Engineering Corporation and state :

(a) whether Mohammad Moin, Abdul Qayum and Badruddin who had been declared absconders from amongst the persons convicted in the case of fire in the Foundry Plant of the Heavy Engineering Corporation, Hatia have since been arrested ; and

(b) if so, the circumstances in which they were arrested ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Government of Bihar have reported that the absconders have not been arrested yet.

(b) Does not arise.

Agreement with U.S.S.R. for Cooperation in Scientific Field

5017. **Shri Ramavatar Shastri** :
Shri Devinder Singh Garcha :
Shri Valmiki Choudhary :
Shri N. R. Laskar :
Shri Chengalraya Naidu :
Shri Saminathan :
Shri Mayavan :
Shri Dhandapani :
Shri N. K. Sanghi :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have concluded a fresh agreement with the U. S. S. R. for the extension of co-operation in the Scientific field ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the details of assistance to be received thereunder for the development in the said field ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan): (a) and (b). An Agreement for the implementation of the following three projects on Institute to Institute basis was signed in New Delhi on 27th February, 1970, by the Leaders of the Indian and the Soviet sides of the Indo-USSR Joint Committee for Scientific Collaboration :

Project	Main objects
(i) Studies of Geomagnetic and Geoelectric Micropulsations in India.	To study the electrical behaviour of the crust and upper mantle under the tectonic provinces in the sub-continent.
(ii) Cultivation and processing of medicinal and aromatic plants.	Co-operation with a view to knowing the special techniques employed in the U. S. S. R. for development and utilisation of medicinal and aromatic plants which constitute an important natural wealth of India.
(iii) Science Information Centre.	To set up, in co-operation with the U. S. S. R. Academy of Sciences, a Centre as part of the Indian National Scientific Documentation Centre, to make available literature on the scientific knowledge and advances in U. S. S. R. and to service the needs of scientists, specialists and institutions of higher education and research.

(c) The U. S. S. R. Academy of Sciences will provide scientific equipment, apparatus and Russian scientific literature needed for the projects, the services of collaborating Soviet scientists and facilities to Indian scientists to work in the research institutes of the Soviet Academy.

गांधी शताब्दी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति

5018. **श्री मजहरि महतो :**
श्री स० चं० सामन्त :
डा० प० मंडल :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांधी शताब्दी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति में लेखा तथा लेखा परीक्षा अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है ;

(ख) गांधी शताब्दी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति और गांधी दर्शन उप समिति और गांधी दर्शन सम्बन्धी नागरिक समिति के बीच यदि कोई करार किया गया है, तो उनके निबन्धन तथा शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त नागरिक समिति एक शासकीय निकाय है अथवा एक पंजीकृत संस्था है ; और

(घ) क्या इस नागरिक समिति को गांधी दर्शन शताब्दी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति द्वारा कोई निधि दी गई थी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) गांधी शताब्दी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति ने एक लेखाकार, दो लेखा-परीक्षक और चार लेखा सहायकों की सेवा के लिये अनुरोध किया था। इन अधिकारियों की सेवा गांधी शताब्दी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति के सुपुर्द कर दी गई है।

(ख) नागरिक समिति को स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य गांधी दर्शन के प्रचार तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के खर्चे को पूरा करने के लिये स्मारिका के प्रकाशन के जरिये धन राशि को बढ़ाना था। जिसके लिये राष्ट्रीय गांधी शताब्दी समिति के बजट-प्राक्कलनों में कोई व्यवस्था नहीं थी। नागरिक समिति की यदि कोई अतिरिक्त धन राशि थी, तो उसे भी गांधी दर्शन समिति में जमा किया जाना था।

(ग) यह एक गैर-सरकारी संस्था है। इसे सोसायटी के रूप में इसलिये पंजीकृत नहीं कराया गया है क्योंकि इसके उद्देश्यों की प्राप्ति होते ही, इसे समाप्त कर दिया जायेगा।

(घ) गांधी दर्शन की उप-समिति ने नागरिक समिति को 50,702,20 रु० का अग्रिम धन दिया था।

फोम कंक्रीट का निर्माण

5019. **श्री बाल्मीकि चौधरी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसन्धान संस्थान ने कच्चे माल के रूप में केवल चूना ओर फ्लाइएश के प्रयोग करके फोम्ड कंक्रीट बनाने का तरीका निकाला है, जो अब तक प्रयोग की जा रही है पोर्टलैंड सीमेंट और सिलिका चूर्ण का स्थान ले लेगा;

(ख) क्या यह सच है कि इस तकनीक से लागत काफी कम हो जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

शिक्षा तथा युयक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) चूना और फ्लाईएश के प्रयोग से फोम कंक्रीट बनाने की एक प्रक्रिया विकसित की गई है।

(ख) और (ग). इस तकनीक के फलस्वरूप कच्चे माल की लागत में लगभग 40 प्रशिशत की बचत होगी।

हिन्दुओं के बारे में पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री का वक्तव्य

5020. **श्री रामावतार शर्मा** : **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री गुरनाम सिंह के इस कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि हिन्दू चाहें तो वे पंजाबी बन सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सत्ताधारी व्यक्तियों की इस प्रकार की साम्प्रदायिक गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को ऐसे किसी वक्तव्य की जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के गांवों को राष्ट्रीय राजपथों से मिलाना

5021. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली के कितने गांवों का राष्ट्रीय राजपथों के साथ पक्की सड़कों से मिलाया गया है ;

(ख) गत तीन वर्षों में दिल्ली राज्य के कितने गांवों को राष्ट्रीय राजपथों के साथ मिलाया गया है ; और

(ग) उस पर कितना धन खर्च किया गया है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना दिल्ली के विभिन्न अधिकारियों से एकत्रित की जा रही है और उसे यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

'सार्वजनिक व्यवस्था' (पब्लिक आर्डर) को एक केन्द्रीय समवर्ती विषय बनाने के लिये संविधान का संशोधन

5022. **श्री हरदयाल देवगुण** :

श्री यज्ञदत्त शर्मा :

श्री जय सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में, विशेष रूप से चौथे सामान्य निर्वाचन के बाद, बढ़ती हुई हिंसा की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, पश्चिम बंगाल में बिगड़ती हुई कानून और

व्यवस्था की स्थिति जिसका उदाहरण है, सरकार का विचार सार्वजनिक व्यवस्था को केन्द्रीय समवर्ती विषय बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में संसद् में एक संविधान संशोधन विधेयक कब तक लाने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय सरकार को विश्वास है कि राज्य सरकारें हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिये कानून के उपबन्धों का पूरा पूरा उपयोग करेंगी ।

बम्बई पत्तन न्यास के पास रखे गये रेलवे के 350 वैगन

5023. **श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के 350 वैगन बम्बई पत्तन न्यास के पास रखे जाते हैं ;

(ख) उनके पास वैगन रखे जाने के क्या कारण है और प्रत्येक वैगन की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह): (क) बम्बई पत्तन न्यास रेलवे के 628 डिब्बे हैं न कि 350 ।

(ख) सब डिब्बे 50 वर्ष पुराने हैं । तथापि 444 डिब्बे काफी अच्छी हालत में हैं और वे पत्तन न्यास द्वारा जहाज द्वारा ले जाई जाने वाली मैंगनीज कच्ची धातु को लाने के लिये और गोदियों में जमा माल का पत्तन न्यास सम्पत्ति में स्थित गोदाम स्थानों में ढोने के लिये और अन्य गोदामों की और स्थानीय ढोलाई के काम के लिये प्रयुक्त किये जा रहे हैं। शेष 184 डिब्बे बेकार पड़े हुए हैं और वे यातायात सेवा के लिये अनुपयुक्त हैं । इस बात की संभावना पर विचार करने के बाद कि कुछ डिब्बों को भारत खाद्य निगम द्वारा अपेक्षित हापर डिब्बों में परिवर्तित किया जाय और कुछ डिब्बों को प्रत्याशित कैटेनर यातायात के लिये पत्ती में किया जाय । इन डिब्बों का प्रगामी निपटान क्रमिक रूप से शुरू किया जायगा ।

निम्न कारणों से इन डिब्बों का निपटान इससे पूर्व नहीं किया जा सका :

(1) अधिकांश सेवालायक संघनकों को बचाया जा रहा था ।

(2) भारत खाद्य निगम से कुछ डिब्बों को हापर डिब्बों में बदलने की आवश्यकता स्पष्टतया उपलब्ध नहीं हुई

(3) प्रत्याशित कैटेनर यातायात की तस्वीर स्पष्टतया पहले उपलब्ध नहीं हुई ।

(4) पिछले कुछ वर्षों में मैंगनीज खनिज धातु का निर्यात में अपरिवर्ती पत्तन पर आवश्यकता निश्चित करने के लिये लंबी अवधि तक ध्यानपूर्वक नजर रखनी पड़ी क्योंकि इससे स्थानीय ढुलान के लिये अधिकतर इन डिब्बों को प्रयुक्त किया जाता था ।

(ग) सेवा के अनुपयुक्त डिब्बों को पत्तन रेलवे पर दूर और निर्जन स्थानों पर रखा हुआ है । वे माल लादने उतारने की उपलब्ध रेल क्षमता में किसी प्रकार बाधा नहीं डालते हैं । इस सम्बन्ध में सरकार के ध्यान में कोई कठिनाई नहीं लाई गयी है ।

सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण

5024. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये उपबन्धित आरक्षण को क्रियान्वित करने के लिये "रोस्टर" ठीक ढंग से नहीं रखे जा रहे हैं ; और

(ख) क्या समाज कल्याण विभाग ने ऐसे रोस्टरों का समय-समय पर निरीक्षण करने के लिये एक प्रक्रिया बनाने के बारे में गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) सरकार के अधीन कुछ सेवाओं/पदों पर भर्ती में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण के कार्यन्वयन के लिए निर्धारित "रोस्टर" को गलत रखने के बारे में कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

(ख) विशेष "रोस्टरों" इत्यादि के निरीक्षण के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के कार्यालय में निरीक्षण एककों के निर्माण के बारे में समाज कल्याण विभाग द्वारा गृह मंत्रालय से परामर्श किया गया था ।

इण्डिया आफिस लाइब्रेरी लन्दन से पुस्तकों तथा चित्रों का अर्जन

5025. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के अनुसंधान संस्थान के एक शिष्ट मंडल ने

हाल में प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान इण्डिया लाइब्रेरी लंडन को ले जाई गई 250,000 से अधिक पुस्तकों तथा 30,000 से अधिक चित्रों को अभी तक भारत को नहीं लौटाया गया है ;

(ख) इन पुस्तकों की अनुमानित कीमत कितनी है ;

(ग) 13 जनवरी, 1970 को प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को देखते हुए इन बहुमूल्य तथा प्राचीन पुस्तकों को जो कि वास्तव में भारत की हैं वापस मंगाने के लिये कार्यवाही की गई हैं ; और

(घ) यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) से (घ). वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रधान मंत्री को दिये गये ज्ञापन के उत्तर में संस्थान को यह जानकारी दे दी गयी थी कि भारत में पुस्तकालयों में सामान उपलब्ध करने के बारे में सरकार को पूरी जानकारी है तथा उस मामले में कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार से इण्डिया आफिस लाइब्रेरी का सामान वापिस लेने के लिये निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। पंच-फैसले के लिये करार का प्रारूप उस सरकार के विचाराधीन है। भारत से ले जाई गई लाइब्रेरी की पुस्तकों आदि की कीमत मालूम नहीं है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन

5026. **श्री सामिनाथन :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री मयावन : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री दण्डपाणि :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के आमूल पुनर्गठन के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुख्य प्रस्तावों की जांच की जा रही है ;

(ग) कब तक अंतिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या सरकार ने इस प्रश्न की भी जांच की है कि क्या सब राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के प्रशासनिक नियंत्रण में रखने की वर्तमान पद्धति उनकी सेवाओं के इस्तेमाल के लिये लाभदायक, तथा दक्ष तथा प्रभावी है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) ऐसा कोई ठोस प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा में पाकिस्तानियों की घुसपैठ

5027. **श्री दे० अमात :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा में कोई घुसपैठ की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों में कितने व्यक्तियों ने घुसपैठ की और प्रत्येक क्षेत्र में गैर-कानूनी रूप से घुसपैठ करके आये व्यक्तियों के नवीनतम आंकड़े क्या हैं और उन्हें निकाल बाहर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में घुसपैठ के कुछ मामले हुए हैं ।

पश्चिम बंगाल सरकार पाकिस्तानी घुसपैठियों को विदेशियों के लिए अधिनियम, 1946 के अधीन आवश्यक आदेश उन पर तामील करने के बाद उन्हें देश से निष्कासित करने के प्रबन्ध करती है । त्रिपुरा सरकार ने एक न्यायाधिकरण की स्थापना की है जिसको, जांच-पड़ताल के बाद, संदिग्ध पाकिस्तानी घुसपैठियों के मामले सौंपे जाते हैं ।

सीमा पर सीमा सुरक्षा दल की निरंतर सतर्कता तथा घुसपैठियों का पता लगाने के लिये अपनाए गए कड़े उपायों के कारण घुसपैठ की समस्या पर पर्याप्त नियंत्रण कर लिया गया है ।

पता लगाए गए घुसपैठियों की संख्या के बारे में सही-सही आंकड़े पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सरकारों से एकत्रित किये जा रहे हैं और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दिये जाएंगे ।

मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद के बारे में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री का प्रधान मंत्री को पत्र

5028. **श्री रवि राय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद पर महाजन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों से भिन्न कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने उनसे यह अनुरोध भी किया है कि उन्हें आन्तरिक कार्य समिति की सब बैठकों में आमंत्रित किया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो उनके पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है तथा उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सदन इस बात को मानेगा कि प्रधान मंत्री और उसके मंत्रिमण्डल के सहयोगियों के बीच आदान प्रदान किये गये पत्रों के बारे में सूचना प्रकट करना सम्भव नहीं है ।

गांधी दर्शन काम्पलैक्स पर हुआ व्यय

5029. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

श्री जय सिंह :

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी शताब्दी समारोह के एक भाग के रूप में निर्मित गांधी दर्शन काम्पलैक्स पर कितना रुपया खर्च किया गया ;

(ख) इसके लिये कितनी जमीन खरीदी गई तथा इसकी कीमत क्या है ;

(ग) गांधी दर्शन उप-समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के रूप में कितना रुपया दिया गया ;

(घ) गांधी दर्शन काम्पलैक्स के हिसाब किताब पर लेखा परीक्षकों ने क्या-क्या आपत्तियां उठाईं तथा उनका मुख्य ब्योरा क्या है ;

(ङ) गांधी दर्शन काम्पलैक्स के सम्बन्ध में क्या किया जाय । क्या इस बारे में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है, यदि हां, तो वह क्या है ; और

(च) यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो इस देरी के क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) कोई जमीन नहीं खरीदी गयी थी ।

(ग) और (घ). उपर्युक्त (क) के अन्तर्गत जैसा दिया गया है ।

(ङ) और (च). इस प्रश्न की जांच की जा रही है । 30 मार्च, 1970 को राष्ट्रीय गांधी शताब्दी समिति के सामान्य निकाय की बैठक में यह पिछली बार उठा था । इसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

आनन्द कुमारस्वामी जन्म शताब्दी के लिये समिति का बनाया जाना

5030. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनन्द कुमारस्वामी की अगली जन्म शताब्दी मनाने के सम्बन्ध में कोई समिति गठित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब और सदस्य कौन-कौन होंगे तथा उसका कार्यक्षेत्र क्या होगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में लापता विदेशी

5031. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशियों की देशवार संख्या कितनी है जो गत तीन वर्षों में वीसा लेकर भारत आये हैं तथा लापता हो गये हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

वीजा लेकर भारत आये पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की गमशुदगी

5032. **श्री न० रा० देवघरे** :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 4000 पाकिस्तानी राष्ट्रजन जो वीजा लेकर भारत आये थे, लापता हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्, इनमें वे भी शामिल हैं जिनका पाकिस्तान में अल्प संख्यक समुदाय से सम्बन्ध है ।

(ख) पता-लगाओ नोटिसों के जारी करने के अतिरिक्त उन्हें खोजने के और कानून के अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री श्री० अ० डांगे का लघु मोर्चा सरकारें बनाने के बारे में वक्तव्य

5033. **श्री मधु लिमये** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री श्री० अ० डांगे द्वारा 3 फरवरी, 1970 के 'दि इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, कि लघु मोर्चा सरकारें राज्यपालों और राष्ट्रपति की दया पर निर्भर रहती है ; और

(ख) क्या केरल में लघु मोर्चा सरकार का प्रारम्भिक निर्माण इसलिये हुआ था क्योंकि राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति ने भारतीय साम्यवादी दल के नेतृत्व में बनाये गये लघु मोर्चे के प्रति कृपा दिखायी थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं ।

राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय झण्डे का फहराया जाना

5034. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय झंडा राष्ट्रीय समारोहों जैसे स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस पर भी नहीं फहराया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय झंडा फहराने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो इस बारे में निर्णय कब लिया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). वर्तमान प्रथा के अनुसार राष्ट्रपति का निजी झण्डा राष्ट्रपति भवन पर फहराया जाता है जब वे उपस्थित होते हैं और अन्य कोई झण्डा वहां नहीं फहराया जाता ।

(ग) राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय दिवसों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रश्न विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ।

बंगलौर में तमिल भाषी लोगों पर आक्रमण की घटनाएं

5035. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1970 के प्रथम सप्ताह में बंगलौर में हुई घटनाओं का ब्योरा क्या है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय-तमिल भाषी लोगों के घरों में आग लगाने, पत्थरबाजी और आक्रमण की घटनायें हुईं और तमिल नाडु के तमिल भाषी यात्रियों से भरी हुई एक बस को आग लगाने का भी प्रयत्न किया गया था ;

(ख) क्या मैसूर राज्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कोई उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार को तमिलनाडु में कन्नड़-भाषी लोगों पर इन घटनाओं की सम्भावित प्रतिक्रिया की जानकारी है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मैसूर सरकार ने सूचित किया है कि तमिल नाडु में श्री वटल नागराज, विधायक, की गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप फरवरी, 1970 के प्रथम सप्ताह में बंगलौर में पथराव की कुछेक घटनायें हुई किन्तु, वे सामान्य प्रकार की थीं और किसी खास व्यक्ति-वर्ग के विरुद्ध नहीं थीं । 31 जनवरी, 1970 को कुछ शरारतियों ने एक पर्यटक बस पर पत्थर फेंके, जिससे 3 व्यक्ति घायल हो गये ।

(ख) आवश्यक निरोधात्मक उपाय आरम्भ किये गये हैं और पुलिस रक्षक-दल नियुक्त किये गये हैं ।

(ग) निःसन्देह राज्य सरकार सर्तकता बरतेगी और सभी समुदायों के बचाव के लिये उपयुक्त कार्यवाही करेगी ।

शिव सेना प्रधान द्वारा समानान्तर पुलिस दल गठित किया जाना

5036. **श्री मुरासोली मारन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिव सेना प्रधान, श्री बाल थैकरे के हाल के इस वक्तव्य की जानकारी है कि वह बम्बई में तथाकथित "गुंडागर्दी तथा अराजकता" का सामना करने के लिए एक समानान्तर पुलिस दल गठित करने जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि श्री बाल थैकरे ने कहा था कि उन्होंने बच्चों को उठाने वालों को पकड़ने, समाजविरोधी तत्वों से निपटने तथा खोये हुए बालकों को खोजने में पुलिस की सहायता करने के लिये एक दल बनाया था और राज्य सरकार ने कहा है कि वे दल को पुलिस के कर्त्तव्यों और कार्यों को करने या उनमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे ।

चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के कर्मचारियों के वेतनमानों तथा भत्तों में विषमता

5037. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर तथा दिसम्बर, 1969 में सरकार को चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के गैर-नियत कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिसमें 1 नवम्बर, 1966 से पहले और 1 नवम्बर, 1966 के बाद संघ राज्य क्षेत्र की सेवा में आने वाले कर्मचारियों के वेतनमानों तथा भत्तों के बीच विषमता को दूर करने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). चण्डीगढ़ प्रशासन के गैर-नियत कर्मचारियों को पंजाब के वेतनमान पहले ही दे दिये गये थे क्योंकि यह मान लिया गया था कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 (i) के अनुसार वे पंजाब राज्य के कर्मचारी, किन्तु चण्डीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर सेवारत, समझे जाते हैं । जहां तक चण्डीगढ़ प्रशासन के लिए नियत किये गये कर्मचारियों तथा उन कर्मचारियों का संबंध है जिन्होंने 1-11-1966 को अथवा उसके बाद सेवा आरम्भ की, उनको सभी संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए एक समान नीति के अनुसरण में केन्द्रीय वेतनमान देने का निर्णय किया गया है ।

भोगल, दिल्ली के कारतूस बनाने के कारखाने में विस्फोट

5038. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री भोगल, दिल्ली में कारतूस बनाने के कारखाने में विस्फोट के बारे में 14 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3169 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपर्युक्त कारखाने में विस्फोट के बारे में पुलिस द्वारा दायर किये गये मामले में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या सरकार उस कारखाने को अन्यत्र ले जाने का विचार कर रही है, जो अभी तक रिहायशी क्षेत्र में है और जिससे वहां के निवासियों के लिए निरन्तर खतरा बना हुआ है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पुलिस द्वारा की गई जांच-पड़ताल से प्रकट होता है कि विस्फोट इस्पात भरने वाली मशीन के भीतर आकस्मिक चिंगारियों के कारण हुआ था और यह कि किसी व्यक्ति को उतावलेपन अथवा लापरवाही का दोषी नहीं ठहराया जा सका ।

(ख) कारखाने के अधिकारियों से अपने कारखाने को रिहायशी क्षेत्र से हटाने के लिए कह दिया गया है ।

सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित करना

5039. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 6 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3636 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत किसी सेवा या पद में वरिष्ठता निर्धारित करने के मामले में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के निर्णयों के बारे में जानकारी अब प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो जानकारी प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और देरी के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). 1960 से दिसम्बर, 1968 की अवधि की वरीयता निर्धारित करने के मामले में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णयों से सम्बन्धित सूचना एकत्रित कर ली गई है । केवल एक मामले में (जोधपुर में स्थित राजस्थान के लिये न्यायाधिकारी के उच्च न्यायालय में 1965 की लेख्य याचिका सं० 384—अनिल कुमार बनाम भारत सरकार और अन्य) उच्च न्यायालय की एकल न्यायपीठ का यह मत था कि उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर का प्रार्थी को वरीयता निर्धारित करने का कार्य स्वेच्छाचारी था । श्री अनिल कुमार चार्जमैन के रूप में चैन सिंह की उस ग्रेड में नियुक्ति से पहले नियुक्त हुआ था किन्तु श्री चैन सिंह को श्री अनिल से वरिष्ठ दिखाया गया था । एकल बेंच ने इस कार्य को स्वेच्छाचारी माना और श्री अनिल कुमार की लेख्य याचिका को अनुमति प्रदान कर दी । फिर भी, रेल प्रशासन द्वारा उच्च न्यायालय की एकल न्यायपीठ के निर्णय के विरुद्ध डिवीजन बेंच में अपील दायर की है ।

पालम हवाई अड्डे पर 'केटरर' से बकाया राशि की वसूली

5040. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री 9 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9134 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पालम हवाई अड्डे के 'केटरर' से बकाया राशि की वसूली के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : 28-2-1970 को समाप्त होने वाली विभिन्न अवधियों की कुल बकाया राशि, उच्च न्यायालय के पहले दिये गये आदेशों के अनुपालन स्वरूप 'केटरर' के अधिवक्ता (एडवोकेट) द्वारा प्राप्त 17,500/- रुपये की एक राशि को घटाने के बाद, 4,01,181.70 रुपये है। बकाया राशि के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति नीचे दिखाई गई है :

	अवधि	बकाया राशि रुपये	टिप्पणी
1.	1-3-67 से 31-7-67 तक 1-1-68 से 30-6-68 तक 1-9-69 से 30-11-69 तक	1,60,133.28	अदायगी के बारे में एस्टेट आफिसर के आदेशों के विरुद्ध केटरर ने पब्लिक प्रेमिसेज (इविक्शन आफ अन-आथोराइज्ड आक्यूपेन्ट्स) एक्ट, 1958 की धारा 9 के अन्तर्गत दिल्ली के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में अपीलें दायर कर दीं और 'स्टे' आर्डर ले लिये। मामलों की सुनवाई 10-4-1970 को रखी गई है।
2.	1-8-67 से 31-12-67 तक 1-7-69 से 31-8-69 तक	57,732.82	
3.	1-7-68 से 30-9-68 तक	34,886.50	
4.	1-10-68 से 31-12-68 तक	33,847.80	
5.	1-1-69 से 31-3-69 तक	34,718.80	
6.	1-4-69 से 30-6-69 तक	34,498.00	
7.	1-12-69 से 31-12-69 तक	11,275.96	उपरोक्त एक्ट के अन्तर्गत एस्टेट आफिसर द्वारा की जा रही कार्यवाही प्रगति पर है।
8.	1-1-70 से 31-1-70 तक	11,394.60	
9.	1-2-70 से 28-2-70 तक	11,313.58	
10.	1-4-61 से 30-6-65 तक (बिजली का खर्चा)	2,295.00	
11.	किराया, बिजली और पानी का खर्चा, तथा विलम्बित अदायगियों पर दण्ड स्वरूप ब्याज की अक्तूबर, 1964 से फरवरी, 1967 तक की विभिन्न अवधियों की बकाया राशि।	9,085.36	

राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग

5041. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद् सदस्यों ने राजस्थान में गंगानगर में निरन्तर प्रदर्शन की स्थिति तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर चेतावनी के बिना गोली चलाई जाने की घटनाओं को देखते हुए केन्द्रीय सरकार से यह विचार करने का अनुरोध किया है कि क्या राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करने की स्थिति उत्पन्न हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उनके अनुरोध का वास्तविक सार क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). यह सुझाव दिया गया था कि केन्द्रीय सरकार को पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटनाओं की न्यायिक जांच करवाने का आदेश देना चाहिए।

(ग) राज्य सरकार ने पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटनाओं की न्यायिक जांच पहले ही आरम्भ कर दी है। हाल के आन्दोलन से सम्बन्धित मामलों पर भी राज्य सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है।

मिजो विद्रोहियों द्वारा आक्रमण

5042. **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 जनवरी, 1970 को मिजो राष्ट्रीय फ्रंट के भारत विद्रोहियों के एक दल ने लाल जूरी बाजार (अगरतला से 225 किलोमीटर दूर) पर घातक अस्त्रों से आक्रमण करके उसे लूट लिया था और इसमें कम से कम 1 व्यक्ति मारा गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है और इसमें कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने घायल हुए और उसमें कितनी सम्पत्ति की हानि हुई ; और

(ग) उस राज्य में मिजो लोगों के बार-बार के उपद्रवों से ग्रस्त क्षेत्रों और त्रिपुरा में मिजो लोगों की निरंतर गड़बड़ियों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 28 जनवरी, 1970 को प्रातःकाल छः मिजो लोगों के एक दल ने, जिस पर विद्रोही होने का संदेह है, लाल-जूरी बाजार में दुकानें लूटीं और नकदी, सामान तथा 778 रु० के मूल्य के जेवर उठा ले गया। आक्रमणकारियों ने, जिनका स्थानीय लोगों ने पीछा किया, उन पर गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति मारा गया तथा चार अन्य घायल हुए।

(ग) उस क्षेत्र में एक पुलिस चौकी खोल दी गई है और पुलिस प्रबन्ध कड़े कर दिये गये हैं।

त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों का वेतन ढांचा

5043. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपनी अगरतला यात्रा के दौरान उन्होंने त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों के भावी वेतन ढांचे पर, पश्चिम बंगाल वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विचार-विमर्श किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में त्रिपुरा सरकार ने तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने क्या प्रस्ताव तथा मांगें पेश की थीं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). गृह मंत्री अथवा गृह मंत्रालय में मंत्री ने हाल में अगरतला का दौरा नहीं किया। अत: वेतन ढांचे पर विचार-विमर्श करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल के कोयला खान क्षेत्रों में डकैतियां

5044. **डा० कर्णी सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 26 दिसम्बर, 1969 को 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुए "बंगाल के कोयला खान क्षेत्रों में डकैतियों की घटनाओं में वृद्धि" शीर्षक के अंतर्गत छपे समाचार की जानकारी है ;

(ख) क्या यह सच है कि राजनैतिक भड़काने के कारण डकैतियों में वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस उत्पात को रोकने या घटाने के लिये निरोधात्मक कार्यवाही क्या की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). सरकार को मालूम है कि अन्तर-संघ शत्रुता के कारण आसनसोल की कोयला खानों में हिंसात्मक वारदातें हुई थीं। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार समाचार पत्रों में उल्लिखित तीन विशिष्ट घटनाओं के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा मामले दर्ज किये गये हैं और कानून के अनुसार जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस कोयला खान में सतर्कता बरत रही है।

Suggestions by National Council of Educational Research and Training for Uniform Standard Text-Books

5045. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Council of Educational Research and Training has urged Government that the text-books of the same standard should be prepared on All-India basis and that their price should be minimum ; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). The All India Conference on Text-books convened by the National Council of Educational Research and Training in January, 1970 recommended that the National Council should take steps to develop a common core syllabus for the entire school stage in all compulsory subjects with the active cooperation of the State level educational agencies. The Council conducted an analysis of the existing syllabi and the study revealed that there is a large percentage of common elements in the different States' syllabi.

The Council is working on the preparation of model curricula and text materials keeping in view the requirements in different States. A pilot project for teaching science according to the text-books produced by National Council of Educational Research and Training will be launched on all-India basis in 1970-71.

To minimise the price of text-books is also one of the main objectives of the NCERT Programme.

अन्तर्देशीय विमानों की उड़ानों में देरी

5046. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दिसम्बर और जनवरी में अन्तर्देशीय विमानों की उड़ानों में किसी न किसी कारण से देरी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में इस प्रकार कितनी उड़ानों में देरी हुई ; और

(ग) क्या उन सभी उड़ानों के बारे में जिनमें एक घण्टे से अधिक विलम्ब हुआ था यात्रियों को सूचित कर दिया गया था ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). दिसम्बर, 1969 और जनवरी, 1970 में अन्तर्देशीय सेवाओं पर किये गये परिचालनों की उड़ानों (टेक आफ्स) की संख्या क्रमशः 8169 और 8179 थी, और इसके मुकाबले 30 मिनट से अधिक की देरियों की संख्या क्रमशः 1278 और 2049 थी।

(ग) उन सभी मामलों में जिनमें कि देरी होने की संभावना पहले से प्रत्याशित थी, उन सब यात्रियों को जिनके टेलीफोन के पते इण्डियन एयरलाइन्स के बुकिंग आफिस में उपलब्ध थे, उचित सूचना प्रदान कर दी गई थी। उन मामलों में जहां इंजीनियरी त्रुटियों आदि के कारण देरी का बिल्कुल अंतिम में जाकर पता लगा, यात्रियों को समयाभाव के कारण सूचना नहीं दी जा सकी।

Take over of Selected State Universities by the Centre

5047. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government had drawn up a scheme to take over one University from each of the States and, if so, when this scheme is proposed to be implemented ;

(b) whether it is also a fact that the Central Government would take over the Sagar

University of Madhya Pradesh as it is the oldest University in the State and needs development ; and

(c) whether it is also a fact that this University has run into debts due to mismanagement and, if so, whether Government would take steps for its improvement ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) No, Sir.

(b) No such proposal is under consideration.

(c) As reported by the Government of Madhya Pradesh, the Sagar University's debts stood at Rs. 20,54,221 as on May 1, 1969, on account of unbalanced budgetting, lack of control over expenditure and certain financial irregularities during the last few years. To improve the financial position of the University, the State Government has increased the maintenance grant of the University from Rs. 10 lakhs to Rs. 16 lakhs from 1969-70 onwards. This will be subject to revision in 1974-75. A special grant of Rs. 36,618.50 P has also been sanctioned to the University during 1969-70 to set off its accumulated deficits.

The State Government is framing certain guidelines to ensure improvement of the University's financial position.

Pay Scale of Primary School Teachers

5048. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether any proposal is under consideration to provide some additional assitance to the State Governments during the next Five Year Plan with a view to improving pay scales of the Primary School teachers in the country ;

(b) whether Government would set an example by increasing the pay scales of Primary School teachers in the Union Territories ; and

(c) whether it is a fact that the pay scales of Primary teachers in some States are even lower than those of the peons ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir.

(b) Pay scales of teachers in the Union Territories are already being revised from time to time.

(c) The data available from most of the States reveals that the pay scales of Primary Teachers are not lower than those of the peons in those States.

Code of Conduct for Tours by Union Ministers

5049. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any code of conduct has been formulated for the Union Ministers and specially for the Prime Minister regarding their tours to the various States for party propaganda ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b). A Minister can visit any State in connection with party work. However, if official tour is combined with party work and the Minister has to undertake any additional journey or

exclusively devotes any day of halt for attending to party work, he is not entitled to draw any allowance for that journey or day, as the case may be. If a tour is undertaken exclusively for party work, he is not entitled to either daily allowance or travelling allowance.

Need for Traffic Signals and Pedestrian Crossings in Fourth Avenue, Lodi Colony, New Delhi

5050. **Shri Shri Gopal Saboo :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there remains great vehicular traffic on the Fourth Avenue in Lodi Colony, New Delhi;

(b) whether it is also a fact that this road is in the centre of the said colony and the children of the colony have to cross this road to go to their school and the bazar ;

(c) whether it is further a fact that traffic signals and pedestrian crossings have not been provided on this road due to which a great deal of difficulty is experienced by the children, ladies and old persons ; and

(d) whether Government propose to provide on this road traffic lights or pedestrian crossings especially near bus stands and, if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) As Fourth Avenue is situated near the main Shopping Centre in the Lodi Colony, the traffic there is a bit heavy during peak hours, though not abnormal.

(b) The road is in the centre of the colony but no difficulty is being experienced in crossing the road.

(c) and (d). Pedestrians crossings have since been demarcated on fourth Avenue near the Market. It has not been considered necessary from traffic point of view to provide an electric signal there.

दिल्ली सशस्त्र पुलिस और दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को सेवा से हटाया जाना/बहाली

5051. **श्री राम चरण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैनिक सेवा अस्थायी नियम, 1965 के अन्तर्गत अस्थायी सरकारी कर्मचारी की क्या परिभाषा है ;

(ख) क्या यह सच है कि यदि कर्मचारी ने तीन वर्ष से अधिक सेवा काल पूरा कर लिया है तो असैनिक सेवा अस्थायी नियम, 1965 के नियम 5(एक) के अन्तर्गत अस्थायी सरकारी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं ;

(ग) यदि हां, तो जनवरी, 1969 से अब तक दिल्ली सशस्त्र पुलिस और दिल्ली पुलिस के अनुसूचित जाति के कितने सिपाहियों को सेवा से निकाला गया है और कितनों को अपील करने पर पुनः सेवा में ले लिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वे सभी व्यक्ति, जो भारत सरकार के अधीन प्रतिरक्षा सेवाओं के सिविल पदों समेत एक सिविल पद पर हैं और जो राष्ट्रपति के नियम-निर्माण नियंत्रण के अधीन हैं किन्तु जो भारत सरकार अथवा किसी राज्य

सरकार के अधीन किसी पद पर पूर्वाधिकार अथवा एक निलम्बित पूर्वाधिकार नहीं रखते हैं, केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के अधीन अस्थायी सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं। उपरोक्त नियमों के नियम 1 के उप-नियम (4) में उल्लिखित सरकारी कर्मचारियों की श्रेणियां इस परिभाषा से अलग कर दी गई हैं। इन पृथक श्रेणियों के कर्मचारियों का एक विवरण संलग्न है।

(ख) अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं को, जो कि अर्ध-स्थायी सेवा में नहीं हैं, उनकी सेवा की अवधि पर ध्यान दिये बिना केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत नियुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

(ग) 23 ; कोई अपील पर बहाल नहीं किया गया है।

विवरण

उन सरकारी कर्मचारियों की श्रेणियों का विवरण जिन पर केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 लागू नहीं होते

(क) रेलवे कर्मचारी।

(ख) सरकारी कर्मचारी जो पूर्णकालिक नौकरी में नहीं हैं।

(ग) ठेके पर नियुक्त किये गये सरकारी कर्मचारी।

(घ) प्रासंगिक खर्च से भुगतान किये जाने वाले सरकारी कर्मचारी।

(ङ) अतिरिक्त अस्थायी संस्थानों अथवा कार्य-प्रभारित संस्थानों में नियुक्त व्यक्ति।

(च) डाक व तार विभाग में नियुक्त गैर-विभागीय टेलीग्राफिस्ट तथा टेलीग्राफमैन।

(छ) ऐसी अन्य श्रेणियों के कर्मचारी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा निर्धारित किये जायें।

अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की सेवा का समाप्त किया जाना

5052. **श्री राम चरण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियुक्ति अधिकारी अपनी इच्छानुसार अस्थायी असैनिक सेवा नियम 1965 के नियम 5 के अन्तर्गत अस्थायी सरकारी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर सकता है ;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है जिनकी सेवाएं झूठे आधार पर समाप्त की जाती हैं ;

(ग) क्या अस्थायी असैनिक सेवा नियम 1965 के नियम 7 का उपनियम 2 अस्थायी अनुसूचित जातीय कर्मचारियों को कोई सुरक्षा प्रदान करता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). नियुक्ति अधिकारी से, सभी सम्बद्ध तत्वों का वास्तविक रूप से विचार करते हुए केन्द्रीय असैनिक सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत उनमें निहित शक्तियों के प्रयोग किये जाने की आशा की जाती है । तद्नुसार किसी अस्थायी सरकारी कर्मचारी की सेवाएं झूठे आधार पर अथवा नियुक्ति अधिकारी की स्वेच्छा पर समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता । यदि किसी व्यक्ति को नियम 5(1) के अन्तर्गत पारित आदेशों से हानि पहुंचती है तो वह इस सम्बन्ध में अपनी हानि के निवारण के लिए उक्त नियमों के नियम 5 (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन दे सकता है ।

(ग) और (घ). केन्द्रीय असैनिक सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 का नियम 7 का उप-नियम (2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अर्ध-स्थायी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के हितों के संरक्षण करने वाले पृथक अनुदेश जारी किये गये हैं । यदि पदों की संख्या में कमी अथवा अन्य कारणों से पदावनति/सेवा से हटाया जाना अनिवार्य हो जाता है । देखिए गृह-मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या 54/6/53-सी० एस० (सी) दिनांक 5 सितम्बर 1958 (प्रति संलग्न) । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3083/70]**

निवारक निरोध अधिनियम की समाप्ति के बाद नागाओं, मिजो और नक्सलवादियों के विरुद्ध कार्यवाही

5053. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निवारक निरोध अधिनियम की समाप्ति से उत्पन्न हुई स्थिति का विशेषकर नागाओं, मिजो तथा नक्सलवादियों द्वारा किये जाने वाले विद्रोहपूर्ण कार्यों के संदर्भ में, पुनर्विलोकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). निवारक निरोध अधिनियम की समाप्ति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का पुनर्विलोकन करके आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा की सरकारों ने निवारक निरोध के लिये कानून बनाये हैं । महाराष्ट्र तथा आसाम सरकार निवारक निरोध सम्बन्धी अध्यादेश के स्थान पर अधिनियम बनाने के लिये कार्यवाही कर रही है । उड़ीसा के विधान को मनीपुर तथा त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू कर दिया गया है । जहां पर निवारक निरोध सम्बन्धी अलग कानून नहीं बनाये गये हैं वहां पर भारतीय दण्ड संहिता, आपराधिक तथा निर्वाचन कानून संशोधन अधिनियम, 1969, गैर कानूनी गतिविधि (निवारक) अधिनियम, 1961 अधिकारी रहस्य अधिनियम आदि सामान्य कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही करने की आवश्यकता पड़ेगी ।

मनीपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करना

5054. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मनीपुर के लोगों से और आसाम तथा त्रिपुरा के मनीपुरी भाषी

लोगों से कोई ऐसा अभ्यावेदन मिला है, जिसमें यह मांग की गई है कि मनीपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सरकार संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की सूची में कोई और विस्तार करने के पक्ष में नहीं है।

डमडम हवाई अड्डे पर यात्रियों को वातानुकूलित गैलरी से सीधे विमान तक जाने के लिये सुविधा प्रदान करना

5055. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डमडम हवाई अड्डे में अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों को वातानुकूलित गैलरी से सीधे विमान में जाने की कोई व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था में कुल कितना धन व्यय हुआ है ;

(ग) क्या वही सुविधाएं अन्य हवाई अड्डों में भी दी जायेंगी ; और

(घ) यदि हां, तो उन हवाई अड्डों के क्या नाम हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यात्री गैलरी से सीधे विमानों में जा सकें इस उद्देश्य से हवाईपुलों (एयरो-ब्रिजों) की व्यवस्था की जायेगी। परन्तु फिलहाल गैलरी के वातानुकूलन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) छः हवाई-पुलों पर 70 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। उपस्कर प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) और (घ). दिल्ली, बम्बई और मद्रास स्थित अन्य तीन अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर इसी प्रकार की सुविधायें प्रदान करने के प्रश्न पर उस समय विचार किया जायेगा जबकि इन विमान-क्षेत्रों पर नये टर्मीनल कॉम्प्लेक्सों का विकास हो जायेगा।

दिल्ली में सिनेमा टिकटों की चोरबाजारी

5056. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि फिल्मिस्तान और अल्पना छविगृहों में जब नई फिल्म लगती है तो वहां होने वाली टिकटों की चोर बाजारी में इन छविगृहों के प्रबन्धकों का हाथ होता है ;

(ख) यदि हां, तो 1969 में और जनवरी-फरवरी, 1970 में पुलिस अधिकारियों ने इन छविगृहों में कितनी बार छापे मारे ;

(ग) दिल्ली प्रशासन ने इन छविगृहों का कितनी बार निरीक्षण किया, छापे मारे और छविगृहों सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करने के कारण प्रबन्धकों का चालान किया ; और

(घ) सरकार ने अब तक उक्त छविगृहों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) स्थानीय पुलिस ने 1969 में और जनवरी-फरवरी, 1970 में "अल्पना" में छः बार छापे मारे । "फिल्मिस्तान" में कोई छापा नहीं मारा गया ।

(ग)

अवधि	नाम	सामान्य निरीक्षणों की संख्या	आकस्मिक निरीक्षणों/ छापा मारने की संख्या	चालान
वर्ष 1969 और जनवरी तथा फरवरी 1970	*फिल्मिस्तान छविगृह	597	9	—
	अल्पना छविगृह	155	7	—

(घ) "फिल्मस्तान" छविगृह को 4 दिसम्बर, 1969 को समाप्त होने वाले सप्ताह के लिये टिकटों की बिक्री की सूचना एक दिन देर से भेजने के लिये चेतावनी दी गई थी । इस छविगृह के प्रबन्धक-मण्डल को राष्ट्रीयगान को बजाने के बारे में हिदायतों का सख्ती से पालन करने के अनुदेश दिये गये ।

"अल्पना" छविगृह के विरुद्ध कर-वंचना के लिये न्यायालय में मुकदमा चल रहा है । दिल्ली फिल्म नियमों के उल्लंघन के लिये इस छविगृह को एक चेतावनी-पत्र दिया गया था ।

Increase in Rate of Entry Tickets at Red Fort, Qutab Minar in Delhi

5057. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have increased the entry fee in respect of the Qutab Minar and Red Fort in Delhi from 20 paise to 50 paise since 13th December, 1969 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether it is also a fact that the Archaeological Department requested his Ministry to increase the entry fee in the case of Qutab Minar only by five paise but the Ministry had increased the same by thirty paise ?

*फिल्मस्तान के आंकड़े 23 फरवरी, 1970 तक के हैं ।

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The increase in the rate of admission-fee is primarily for earning a reasonable revenue.

(c) No, Sir.

Provision of Public Conveniences at Red Fort, Qutab Minar and the Zoo at Delhi

5058. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the foreign and inland tourists who pay visit to the Red Fort, Qutab Minar and the Zoo in Delhi experience much difficulty in respect of public conveniences, potable water etc. and that potable water is sold at these places ;

(b) if so, whether Government would remove the said difficulty ; and

(c) the further steps taken by Government in respect of making these places more attractive ?

The Deputy Minister in the Minstry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) : (a) and (b). Public convenience facilities are provided at five places in the Zoo premises and drinking water is available at more than a dozen taps. So far as Red Fort and Qutab Minar are concerned, there is at present only one water top and two lavatories in each. Besides, Contractors are authorised to supply refrigerated drinking water at three paise per glass. It is felt that the present arrangements for the supply of water at Red Fort and Qutab Minar are not adequate. Suitable steps will be taken to provide free cool water at these places during the year 1970-71.

(c) The archaeological area around the Red Fort and Qutab Minar has been fully developed with suitable lawns and gardens. All attempts are being made to make the Zoo more attractive by way of Horticultural operations and acquiring new species of animals from foreign countries as well as from our own country.

सरकारी कर्मचारियों के आश्रित माता-पिता को रेलवे रियायत

5059. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उन रेलवे रियायतों के अन्तर्गत अपने पर आश्रित मां-बाप को ले जाने के लिये अनुमति नहीं है जो कि उन्हें पी० टी० ओ० आदि द्वारा मिलती है ;

(ख) क्या यह भी सच कि आश्रित मां-बाप को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय जैसी अन्य सुविधाएं दी जाती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस समय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जो यात्रा सम्बन्धी रियायतों का उपयोग कर रहे हैं उनको कर्मचारियों के मां-बाप को भी देने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों को (रेलवे के कर्मचारियों के अतिरिक्त) प्राप्त अवकाश यात्रा रियायतों के अन्तर्गत "परिवार" शब्द में आश्रित माता-पिता शामिल नहीं हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान् ; जहां तक चिकित्सा सुविधाओं का सम्बन्ध है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्। सरकारी कर्मचारियों के परिवारों पर अवकाश यात्रा रियायतों का लागू होना सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों पर उनके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर तबादला होने की दशा में यात्रा भत्ता देने के लिये लागू होने वाले नियमों पर आधारित है।

केरल में छिपाये शस्त्रों का पता लगाना

5060. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल पुलिस ने कोट्टायम, पालघाट, कोजीकोड, मालापुरम और कन्नानूर जिलों में बड़ी भारी मात्रा में छिपाये शस्त्र तथा गोला बारूद का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल के गृह-कार्य मंत्री श्री मुहम्मद कोया ने कहा है कि वे आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय आरक्षित पुलिस अथवा सेना तक के प्रयोग में लाने के विरुद्ध नहीं हैं ; और

(ग) जिन अपराधियों ने इन शस्त्रों को संग्रह कर रखा था, क्या उनका किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस द्वारा 1 नवम्बर, 1969 से 14 फरवरी, 1970 तक की अवधि में की गई तलाशियों के परिणामस्वरूप कोजीकोड, कोट्टायम, पालघाट, कन्नानूर, मालापुरम अल्लेप्पी तथा अर्नाकुलम जिलों में अनेक स्थानों से भारी मात्रा में शस्त्र तथा गोलाबारूद बरामद किया गया।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अधिकांश अपराधी उग्रवादी अथवा साम्यवादी मार्क्सवादी के कार्यकर्ता थे।

राष्ट्रीय राजपथ के रूप में घोषित सड़कें

5061. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1968 से अब तक राष्ट्रीय राजपथ के रूप में घोषित की गई सड़कों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उनके सुधार के लिये अब तक क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

संसद् कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 1 अप्रैल सन् 1968 से कोई भी सड़क राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Special Grant to Udaipur University

5062. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government propose to make a special grant to the Udaipur University in view of the peaceful demonstration staged by the teaching staff recently to register their dissatisfaction ;

(b) if not, the other steps so far taken by Government in this respect ;

(c) whether the Central Government would intervene in respect of removing the bottleneck which has developed in the said University ; and

(d) whether the State Government have been given some assurance of Central assistance in this respect so that the financial position of the said University is improved ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). No, Sir. According to the University authorities, the peaceful demonstration staged by the teaching staff of the Udaipur University had nothing to do with the finances of the University.

(c) According to the University, there is no financial bottleneck. The State Government has all along been appreciative of the needs of the University and all matters connected with grants are decided by mutual consultation and discussion.

(d) No, Sir. Further, the State Government has informed that it is already meeting the genuine financial requirements of the University through grants-in-aid.

Priority for Released Emergency Commissioned Officers in Recruitment to Industrial Security Force

5063. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the reasons for not according priority to the released Emergency Commissioned Officers in matters of appointment to posts in the Industrial Security Force ;

(b) whether Government are formulating any scheme in this respect ; and

(c) if so, the details thereof and, if not, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The intention of Government is to absorb as far as possible all suitable existing watch and ward personnel working in the Security Department of the various Industrial Undertakings, in the Central Industrial Security Force. If any occasion arises for outside recruitment, the released Emergency Commissioned Officers shall be given preference.

Gandhi Darshan Exhibition, Delhi

5064. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the total expenditure in lakhs incurred on organising the Gandhi Darshan Exhibi-

tion in Delhi and the amount out of that shared by the Centre and the sources from which the remaining expenditure was met ;

(b) the total expenditure incurred by the Central Government on constructing the stalls at the site of the said exhibition and the expenditure likely to be incurred on demolishing them ;

(c) the total value of the material that has gone waste in this exhibition and which cannot be utilised for any purpose in future ;

(d) whether Government could not utilise the said amount for setting up a permanent Gandhi Darshan Exhibition at some suitable place ; and

(e) if so, the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The information is being collected and will be laid on Table of the House.

(b) The Central Government has not incurred any expenditure on the construction of stalls. The Sub-Committee for Gandhi Darshan incurred and expenditure of Rs. 1,00,710/- from out of the Government of India's grant for the Gandhi Centenary, on the construction of shops and kiosks upto 31st January, 1970. Some outstanding bills have yet to be settled. The question whether the stalls should be demolished is still under consideration and as such it is not yet known whether and expenditure will be incurred on demolishing them.

(c) There has been no wastage.

(d) and (e). It is proposed to retain certain parts of the exhibition on a permanent basis.

मंगलौर पत्तन परियोजना के लिये तलकर्षण का कार्यक्रम

5065. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर पत्तन परियोजना का मूल तलकर्षण कार्यक्रम क्या था और इसके लिए कौन ड्रेजर (तलकर्षण) लगाये गए थे ;

(ख) बाद का कार्यक्रम क्या है और इससे परियोजना को पूरा होने में कितना विलम्ब होगा ;

(ग) तलकर्षण कार्य पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है ; और

(घ) यदि तलकर्षण कार्य को छोड़कर परियोजना मूल तिथि तक पूरी हो जाती है तो पत्तन और हसन रेलवे पर धन विनियोज पर वार्षिक ब्याज कितना होगा और मूल तलकर्षण कार्यक्रम के अनुसार तलकर्षण की लागत से यह कितना कम होगा ?

संसद कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). मंगलौर हारबर परियोजना में कुल लगभग 116 लाख घन मीटर मात्रा का निकर्षण किया जाना है । इसमें से लगभग 9.05 लाख घन मीटर तट निकर्षण और शेष गहरा सागर निकर्षण होगा । सरकार के एक निकर्षण पोत से पूंजीगत निकर्षण को अप्रैल, 1970 से करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त दो और निकर्षण पोतों के लिए आदेश दिया गया है और

उनके 1971 में प्राप्त होने की आशा है। मंगलौर में आगे निकर्षण इन निकर्षकों से किया जाएगा। अब जिन निकर्षकों के लिए आदेश दिया गया है उनकी प्राप्ति आधार पर यह विचार किया जाता है कि निकर्षण 1972-73 तक पूरा हो जाएगा। मंगलौर हारबर परियोजना में निकर्षण पर 498.85 लाख रु० की लागत आने का अनुमान है।

चूंकि मंगलौर हारबर परियोजना का काम वर्ष प्रतिवर्ष के आवंटनों के आधार पर किया जा रहा है अतः किए गए निकर्षण की लागत की तुलना में इस पत्तन पर लगायी गयी धनराशि के ब्याज के संगणन करने का प्रश्न नहीं उठता।

देश में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि

5066. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं जो 1965 में 72,000 थीं बढ़ कर 1968–में 1,70,000 हो गई हैं, और इन दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु की संख्या 1965 में 8,392 थी वह 1968 में 12,255 हो गई है और घायल होने वालों की संख्या 1965 में 42698 थी और 1968 में 61,105 हो गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष 1969 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कितनी थी और इनके फलस्वरूप मरे और घायल हुए लोगों की संख्या कितनी थी;

(ग) सड़क दुर्घटनाओं, उनसे मृत्यु होने और घायल होने के मामले में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और, पांचवें क्रम पर आने वाले नगरों के नाम क्या हैं; और

(घ) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) से (घ) . अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों और संघीय प्रशासनों से एकत्रित की जा रही और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायगा।

सड़कों पर सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन दल द्वारा प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना

5067. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़कों पर सुरक्षा के प्रश्न पर विचार करने के लिए जून 1969 में सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो अध्ययन दल द्वारा कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

संसद कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय यह बताना संभव नहीं है कि अध्ययन दल अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेगा ।

Appointment of General Secretary of Welfare Committee in R. K. Puram, New Delhi

5068. **Shri Chandra Shekhar Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Welfare Officers of the Ministry of Home Affairs have appointed an employee of the Home Ministry as General Secretary of the Welfare Committee in Sector II, R. K. Puram and he has been continuing as such for the last many years ;

(b) whether it is also a fact that the Welfare Officers of his Ministry write letters to high police officers over and over again with the intention of harassing the residents there in many ways through the aforesaid employee ;

(c) if so, whether copies of letters dated 13th August, 1969, 27th August, 1969 and 12th January, 1970 written by the Welfare Officers to the Superintendent of Police, South Delhi together with the complaints would be laid on the Table of the House ; and

(d) whether Government propose to instruct these Welfare Officers not to harass people in this manner ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) The General Secretary of the Residents' Welfare Association/Committee is elected under the provisions of the constitution of the association. An employee of the Ministry of Home Affairs was elected as General Secretary by the General Body of the Association on 24th March, 1968 and is continuing to hold that post as the elections of office bearers of this Association for the year 1969-70 could not be held due to civil litigation in the matter of election between rival groups in the Association.

(b) On receipt of information regarding the intention of some members to hold Independence Day Celebrations separately in the R. K. Puram, Sector II, the Superintendent of Police was informed on 13th August, 1969 so that the function organised by the existing office bearers of the Association on 15th August, 1969 could be held peacefully. No letter was written on 27th August, 1969. However, a letter dated 24th August, 1969 was sent to the Superintendent of Police requesting him to communicate the action taken on the letter dated 13th August, 1969. Similarly on 12th January, 1970 the Police were requested to give adequate facilities to the office-bearers of the Association to carry out the activities of the Association. There was no intention of harassing the residents of the area.

(c) Copies of this Ministry's letters dated 13th August, 1969, 24th August, 1969 and 12th January, 1970 are attached. [**Placed in Library. See No. LT-3084/70**].

(d) Does not arise in view of reply to (b) above.

अन्दमान प्रशासन में अध्यापकों के लिये विशेष वेतन

5069. **श्री के० आर० गणेश :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री अन्दमान प्रशासन में विशेष वेतन के बारे में 9 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9167 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य भूमि से स्थानीय उम्मीदवारों के लिये ग्राह्य शर्तों पर भर्ती किये गये सभी आठ अध्यापकों को अवकाश/छुट्टियों में निःशुल्क समुद्र जहाज यात्रा तथा ड्यूटी पर आने के लिये समय दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या एस० आर० 294—ए के अन्तर्गत स्थानीय उम्मीदवारों की ग्राह्य शर्तों पर नियुक्त/भर्ती किये गये व्यक्तियों को यह लाभ दिये जा सकते हैं ;

(ग) स्थानीय उम्मीदवारों के लिये ग्राह्य शर्तों पर मुख्य भूमि से भर्ती किये गये आठ अध्यापकों में से एक अध्यापक को बाद में अन्दमान विशेष वेतन देने के क्या कारण और परिस्थितियां थीं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि उसे अन्दमान विशेष वेतन भूतलक्षी प्रभाव से दिया गया था?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) सभी आठ अध्यापकों की मुख्य भूमि से अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कार्यभार संभालने के लिये निःशुल्क यात्रा की सुविधा को छोड़ कर स्थानीय उम्मीदवारों के लिये ग्राह्य शर्तों पर नियुक्ति की गई थी । नियुक्ति-पत्र में कार्य भार संभालने के लिये कोई समय देने का जिक्र नहीं किया गया है।

(ख) एस०आर० 109 (न कि एस०आर 294–ए) के अन्तर्गत मुख्य आयुक्त को मुख्य भूमि से नियुक्ति किये गये व्यक्तियों को निःशुल्क समुद्र जहाज यात्रा की सुविधा प्रदान करने का अधिकार है ।

(ग) एक अध्यापक के अलावा सभी आठों अध्यापकों ने अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह छोड़ दिया । आवेदन प्राप्त होने पर उसके मामले का मुख्य आयुक्त द्वारा विचार किया गया तथा उन्होंने उसको मुख्य भूमि से लिये जाने वाले उम्मीदवारों को ग्राह्य शर्तों की पेशकश की ।

(घ) नहीं श्रीमान् जी, उसे अप्रैल, 1962 से अन्दमान विशेष वेतन दिया गया था ।

अन्दमान में लोगों की भर्ती

5070. **श्री के० आर० गणेश :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री अन्डमान में लोगों की भर्ती के सम्बन्ध में 10 मई 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10482 के उत्तर में दिये गये आश्वासन को पूरा करने के बारे में 30 अगस्त, 1968 को सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अन्दमान अधिवासी व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें मुख्य भूमि से भर्ती

किया गया और उन्हें सबसे पहले किस तारीख को तथा कहां नियुक्त किया गया था और जिन्हें कभी स्थानीय लोगों में से भर्ती किया समझा गया है अथवा समझा जा रहा है और प्रत्येक की नियुक्ति करने वाले अधिकारी का नाम क्या है;

(ख) उनके नियुक्ति आदेशों में उल्लिखित सेवा शर्तों का पूरा पाठ क्या है; और

(ग) मुख्य भूमि से भर्ती किये गये अन्दमान अधिवासी व्यक्तियों और मुख्य भूमि से भर्ती किये गये तथा वहां अधिवासित व्यक्तियों की सेवा शर्तों में क्या अन्तर है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) . सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

श्री जे० बी० एक्स० डीक्रूज की मृत्यु के बारे में जांच

5071. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री श्री जे० बी० एक्स० डीक्रूज की मृत्यु की जांच के बारे में 21 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 862 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बीच गोवा के श्रमिक नेता श्री जे० बी० एक्स० डीक्रूज की गत मार्च में हुई मृत्यु सम्बन्धी जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस आरोप की जानकारी है कि गोआ प्रशासन रिपोर्ट को दबाने की कोशिश कर रहा है; और

(घ) क्या सरकार उस रिपोर्ट की प्रति तुरन्त मंगायेगी और उसे सभा पटल पर रखेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). जैसे पहले बताया गया है जबकि 21 नवम्बर, 1969 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 862 के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति की गई थी कि आयोग का मत है कि श्री डीक्रूज की मृत्यु उस जीप के ड्राईवर द्वारा हुई जिसके द्वारा उनको टक्कर लगी थी यद्यपि जानबूझ कर नहीं मारी गई थी । चिकित्सा अधिकारी, जिसने श्री डीक्रूज का उनके जख्मी होने के बाद उपचार किया था तथा पुलिस कर्मचारी जिन्हें उनके हिरासत में रखने का कार्य सौंपा गया था, की ओर से कर्तव्य अवहेलना हुई थी यद्यपि वह मामूली थी । आयोग की रिपोर्ट गोवा, दमन व दीव की सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है और सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 (क) के अधीन ड्राइवर के विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया जा रहा है । संघ राज्य क्षेत्र की सरकार ने भी 13 मार्च, 1970 को संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के पटल पर आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति रखी है । आयोग के निष्कर्ष स्थानीय अखबारों में छपे हैं ।

भारतीय न्यायालय शुल्क अधिनियम और भारतीय डाक टिकट अधिनियम को त्रिपुरा में लागू करना

5072. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र त्रिपुरा में क्रमशः भारतीय न्यायालय शुल्क अधिनियम और भारतीय डाक-टिकट अधिनियम, जो कि अब तक उस क्षेत्र में लागू था, के स्थान पर आसाम न्यायालय शुल्क अधिनियम और आसाम डाक-टिकट अधिनियम को लागू किया गया था जिसके कारण इसको लागू करने में त्रिपुरा में सम्प्रेषण कार्य के लिये न्यायालय शुल्क और डाक टिकट मूल्य में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) केन्द्रीय अधिनियमों के स्थान पर उस राज्य के अधिनियमों के क्या कारण थे; और

(ग) क्या त्रिपुरा के लोगों में व्याप्त पिछड़ेपन को देखते हुए सरकार आसाम अधिनियमों को पुनः लागू करने पर विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी):(क) और (ख) . भारतीय न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 तथा भारतीय डाक-टिकट अधिनियम, 1889 त्रिपुरा में 1950 में लागू किये गये । सिक्कों की दशमलव प्रणाली के लागू होने के कारण न्यायालय शुल्क तथा डाक-टिकट महसूल में यथोचित परिवर्तन करना पड़ा । यह भी समझा गया था कि आसाम और त्रिपुरा में इन दरों में समानता होनी चाहिए । अतः आसाम विधान मण्डल द्वारा यथासंशोधित तथा उस राज्य में लागू ये दो अधिनियम 15 जुलाई, 1963 से त्रिपुरा में लागू किये गये । आसाम की दरें पहले की दरों से ऊंची थीं ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

त्रिपुरा में सड़क परिवहन योजनाओं की कार्यान्विति

5073. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में त्रिपुरा में कार्यान्वित की गई सड़क परिवहन योजनाओं का ब्योरा क्या है और प्रत्येक योजना के काम में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) प्रत्येक योजना पर कितना धन व्यय किया गया है और सरकारी क्षेत्र में ऐसी योजनाओं के लिये 20 लाख रुपये के परिव्यय में से कितनी राशि का उपयोग किया गया है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान त्रिपुरा में कार्यान्वित की जाने वाली अन्य सड़क परिवहन विकास योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). त्रिपुरा संघ शासित क्षेत्र में यात्री और माल सड़क परिवहन सेवाएं चलाने के लिए त्रिपुरा में एक सड़क परिवहन निगम स्थापित किया गया है । इस निगम के लिए मोटर

गाड़ियां, इत्यादि, खरीद करने के लिए 1969-70 में 10 लाख रुपये का व्यय करने की मंजूरी केन्द्रीय सरकार ने त्रिपुरा सरकार को हाल ही में दी है। 1969-70 के संशोधित अनुमानों मे भी 10 लाख रुपये की व्यवस्था शामिल है।

(ग) त्रिपुरा के लिए कोई दूसरी सड़क परिवहन विकास योजना इस समय भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Investigation of Communal Riots in Kerala

5074. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the Current dated the 7th February, 1970 to the effect that the leaders of the C. P. I(M) had been conspiring to arouse communal riots in Kerala with the help of Shri Bafkhi Thangal, President of the Muslim League ; and

(b) if so, the factual position in this regard and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The State Government have no information that the CPM in Kerala were conspiring to arouse communal riots with the help of the Muslim League.

पालम हवाई अड्डे के ऊपर इंडियन एयरलाइन्स के केरावील विमान का एक घंटे से अधिक समय तक चक्कर लगाना

5075. **श्री हुचे गोडा :**
श्री स० कुण्दू :
श्री हेम बरुआ :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जनवरी, 1970 को प्रातःकाल बम्बई से दिल्ली आने वाला एक केरावील विमान दिल्ली में पालम हवाई अड्डे के ऊपर एक घंटे से अधिक समय तक चक्कर लगाता रहा ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) क्या पालम हवाई अड्डे के अधिकारी विमान के देर तक चक्कर लगाते रहने के लिये उत्तरदायी हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अवचक्र (अंडरकैरिज) के निकलने में कुछ कठिनाई उत्पन्न हुई थी, अतः विमान के कमांडर ने सामान्य अवतरण करने के उद्देश्य से हवा में रहते हुए विभिन्न वैकल्पिक पद्धतियों द्वारा अवचक्र निकालने का निर्णय किया।

(ग) जी, नहीं।

Premature Retirements of Government Employees

5076. **Shri J. Sundar Lal :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Om Prakash Tyagi : **Shri Narain Swaroop Sharma :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have framed certain rules under which Class I, Class II and Class III officers can be asked to seek retirement even prior to their due date of retirement because of being inefficient ; and

(b) if so, the details of the said rules and factors to be taken into account fer declaring an employee as inefficient ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affair (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Under Fundamental Rules 56, Article 459 of the Civil Service Regulations and Rule 2(2) of the Liberalised Pension Rules, powers vest in the appropriate authorities to retire a Central Government servant after he has attained a specified age or has completed a specified length of service, if it is necessary to do so in public interest, by giving three months' notice in writing. The Government servant also has a reciprocal right to so retire voluntarily, by giving three months' notice in writing. There are no rules under which a Government servant could be asked to seek premature retirement.

(b) Does not arise.

Newspapers and Magazines purchased for Air Passengers

5077. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the names of Hindi newspapers and magazines purchased for the use of air-passengers from February, 1967 to February, 1970 and the amount spent thereon annually ;

(b) the names of English newspapers and magazines along with the number of copies in each case bought during the said period and the amount spent on them annually ; and

(c) the names of newspapers and magazines in other Indian languages bought during the said period and the amount spent on them annually ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

दिल्ली पुलिस में सब-इन्सपेक्टरों की भर्ती

5078. **श्री जुगल मंडल :**
श्री काशीनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस द्वारा गत तीन महीनों में पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ग) क्या लिखित परीक्षा 25 तथा 26 फरवरी, 1970 को हुई थी और गणित तथा सामान्य ज्ञान के परीक्षा पत्र बहुत ही कठिन थे तथा अभ्यर्थियों की क्षमता से परे थे ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन दो विषयों में अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा लेने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 1770

(ग) उक्त लिखित परीक्षा 13 और 14 फरवरी, 1970 को हुई थी न कि 25 और 26 फरवरी, 1970 को । गणित का परीक्षा पत्र मिडिल स्कूल के स्तर का था और सामान्य ज्ञान का परीक्षा पत्र सचिवालय में सहायकों के पद की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित स्तरों के अनुसार था ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गैर सरकारी नौवहन कम्पनियों द्वारा यात्री सेवाओं का स्थगित किया जाना

5079. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर सरकारी नौवहन कंपनियों ने कोंकण तट पर तटीय यात्री सेवाएं स्थगित कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस यात्री सेवा के अकस्मात् स्थगन से यात्रियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उपचारात्मक कार्यवाही क्या की जा रही है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) कोनकन तटीय यात्री सेवा अभी चल रही है । सिंधिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी द्वारा चलाई जा रही यात्री सेवा मई, 1969 से बन्द कर दी गयी है । यह सेवा मारमोगोओ और करवार होकर बम्बई से मंगलौर तक थी ।

(ख) जहाजों के पुराना होने तथा सड़क परिवहन की प्रतियोगिता के फलस्वरूप यातायात में कमी आने के कारण यह सेवा मंहगी पड़ रही थी ।

(ग) और (घ). मैसूर सरकार से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें सरकारी क्षेत्र के पोतपरिवहन निगम से सेवा चलाने का अनुरोध किया गया था । निगम ने इस प्रश्न की जांच की और यह रिपोर्ट भेजी है कि इस सेवा में काफी हानि रहेगी और इस का चलाना लाभकारी सिद्ध नहीं होगा । तथापि इसकी यातायात संभावनाओं की ओर छानबीन की जा रही है ।

विशाखापटनम में बाहरी पत्तन योजना के लिये सलाहकार इंजीनियर

5080. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापटनम में बाहरी पत्तन योजना के लिये होवे (इंडिया) लिमिटेड को

सलाहकार इंजीनियर किन शर्तों पर चुना गया है ;

(ख) क्या होवे (इंडिया) लिमिटेड को इस कार्य के लिये चुनने से पहले अन्य फर्मों के साथ भी बातचीत की गई थी ;

(ग) होवे (इंडिया) लिमिटेड संयुक्त निदेशकों तथा शेयरों के माध्यम से अन्य किन-किन फर्मों से संबंधित है ;

(घ) होवे (इंडिया) लिमिटेड को अन्य कौन-कौन सी परियोजनाएं देने का विचार है और किन शर्तों पर ; और

(ङ) क्या सरकार ने इसके लिये किसी भारतीय फर्म के बारे में विचार किया है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) विशाखा पत्तनम बन्दरगाह परियोजना के परामर्शी इंजीनियरों के तौर पर मेसर्स होवे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिये जाने वाली सेवाओं के क्षेत्र में पूरे डिजायन सेवाओं की व्यवस्था, गढ़ाई में जल्दी करना, निरीक्षण, पूरे कार्य प्रबन्ध और निर्माण पर्यवेक्षण शामिल हैं। परामर्शी इंजीनियरों को उनकी सेवाओं के लिये देय पारिश्रमिक निम्न प्रकार से विनियमित किया जायेगा :

(1) वाह्य बन्दरगाह डिजायन पर पूरी डिजाइन सेवाओं के लिये जिसमें द्रवचालित अध्ययन और अभिन्याम, निकर्षण भूमि उद्धार, बचाव कार्य पनकट दीवार दिक् चालन साधन बन्दरगाह पोत परन्तु घाट शामिल नहीं है	कार्यों के लागत का 4 प्रतिशत
(2) खनिज घाट पर डिजाइन सेवाओं खनिज प्रबंध करने वाला संयंत्र और उपकरण और साहचर्य सिविल इंजिनियरी भवन को पूरा करने के लिये	कार्यों के लागत का 6 प्रतिशत
(3) जल्दी करने और निर्माण निरीक्षण के लिये	उपकरण के लागत का 1 प्रतिशत
(4) पूरे कार्य प्रबंध और निर्माण पर्यवेक्षण के लिये	कार्यों के लागत का 2 प्रतिशत

उपरोक्त आधार पर निकाली गई फीस 77.25 लाख रुपये की न्यूनतम और 116.25 लाख रुपये की अधिकतम फीस के अधीन है। इसके अतिरिक्त परामर्शी इंजीनियर के साहचर्य मेसर्स होवे इन्टरनेशनल लिमिटेड कनाडा को उनके अपने कार्यालय और अन्यत्र करने के लिये कार्य के लिये 3.25 लाख कनाडा के डालरों की फीस देय है जिसमें तकनीकी ज्ञान की व्यवस्था के लिये और भारत में कार्य करने के लिये भेजे गये विदेशी तकनीशियनों के लिये व्यवस्था शामिल है।

(ख) विशाखापत्तनम बाहरी बन्दरगाह परियोजना के लिये कोई मेसर्स होवे(इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड परामर्शी इंजीनियर के तौर पर सलाहकार इंजीनियरों की नियुक्ति प्रतियोगी निविदाओं

के आधार पर नहीं होता है जैसा उपस्कर की प्रतिपूर्ति के मामले में किया जाता है। सलाहकारों का वरण केवल उनके तकनीकी दक्षता पर और उचित तकनीकी सलाहकार सेवाएं प्रदान करने की योग्यता पर निर्भर करता है। इस सिद्धान्त का अनुसरण मेसर्स होवे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के मामले में किया गया था।

(ग) मेसर्स होवे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के 60 प्रतिशत शेयर विभिन्न गैर-सरकारी व्यक्तियों के हैं और शेष 40 प्रतिशत शेयर मेसर्स होवे इण्टरनेशनल लिमिटेड आफ कनाडा के हैं, जो इस सलाहकार इंजीनियरी कंपनी की स्थापना करने में प्रमुख सहयोगी हैं। कंपनी के 6 निदेशक हैं जिनमें से कंपनी के 4 पूर्णकालिक निदेशक और इंजीनियर हैं। 6 निदेशकों में से 2 निदेशक बाहरी निदेशक हैं जो केवल बोर्ड की बैठकों में आते हैं और कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्य में भाग नहीं लेते हैं। इन अंतिम दो निदेशकों में से केवल एक ही ऐसा है जो दो और कंपनियों का निदेशक है। इस प्रकार कंपनी के 6 निदेशकों में से 5 निदेशक ऐसे हैं जो मेसर्स होवे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के सिवाय किसी और कंपनी के निदेशक नहीं हैं।

(घ) मेसर्स होवे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को मारमुगाओ पत्तन विकास परियोजना और मद्रास आइरन और एडलिंग परियोजना सलाहकार इंजीनियर भी नियुक्त किया गया है। इन दो परियोजनाओं के लिए उसकी सेवाओं का विषय क्षेत्र वही होगा जो विशाखापत्तनम बाहरी हारबर परियोजना के लिए है। पारिश्रमिक निर्माण कार्य अथवा उपस्कर, जैसा भी मामला हो, की लागत की प्रतिशतता के आधार देय है। जहां तक मद्रास का संबंध है, देय शुल्क की शर्त यह है न्यूनतम 35 लाख रुपये जमा 1.72 लाख कनैडियन डालर और अधिकतम 38.50 लाख रुपये जमा 1.72 लाख कनैडियन डालर। मारमोगाओ मामले में शुल्क की शर्त यह है—न्यूनतम शुल्क 55 लाख रुपये जमा 2 लाख कनैडियन डालर और अधिकतम शुल्क 70 लाख रुपये जमा 2 लाख कनैडियन डालर।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि मेसर्स होवे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय कंपनी है जो भारत में पंजीकृत है।

Incidents of Violence in West Bengal

5082. **Shri Sharda Nand :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Shri Gopal Saboo :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri T. P. Shah :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have collected the information regarding the violent incidents created by the Naxalites in West Bengal from 1st January, 1968 till date ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the amount of the loss sustained by the public sector industries due to the said incidents ;

(d) the number of persons killed and injured as a result of these incidents ; the number of demonstrators arrested and the number of those, who have been prosecuted by the State Government ; and

(e) in case no information has since been collected, whether Government propose to collect the required information from the State Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (e). Facts are being ascertained from the State Government.

Bomb Explosions in West Bengal

5083. **Shri Sharda Nand :** **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have collected information about the number of incidents of bomb explosion that have occurred in West Bengal since 1st January, 1968 ;

(b) the number of live bombs recovered in that State during the said period ;

(c) the number out of them which were country-made and the number of those manufactured in foreign countries ; and

(d) the number of persons arrested in this connection and the nature of action taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (d). Facts are being ascertained from the State Government.

भारतीय पत्तनों का आधुनिकीकरण करने के बारे में राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड की अठारहवीं बैठक में निर्णय

5084. **श्री रवि राय :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड की अठारहवीं बैठक 24 जनवरी, 1970 को भुवनेश्वर में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय पत्तनों के आधुनिकीकरण के लिये उस बैठक में किये गये निर्णयों का ब्योरा क्या है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) बड़े पत्तनों के विकास और आधुनिकीकरण के लिये चतुर्थ योजना कार्यक्रम को बोर्ड ने नोट किया । छोटे और दरमियाने पत्तनों के बारे में विभिन्न समुद्री राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने विचार बताये गये । यह मान लिया गया कि ब्योरों और बकाये विन्दुओं को पोत परिवहन तथा परिवहन विभिन्न समुद्री राज्यों से अलग-अलग विचार विमर्श करें ।

Murder of Shri Baldev Singh

5085. **Shri Sharda Nand :** **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri T. P. Shah :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Shri Gopal Saboo : **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 940 on the 27 February, 1970 regarding murder of Shri Baldev Singh ; and state :

(a) whether the further enquiry under sections 287 and 304-A of the Indian Penal Code

has since been completed by the Police as per the instructions of the Deputy Commissioner, Kangra ;

(b) if so, whether a case has since been registered against Shri Milkhi Ram under Section 201 of the Indian Penal Code ; and

(c) if not, the time by which the enquiry is likely to be completed and a case registered ?

The Minister of the State in the Ministry of the Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). Himachal Pradesh Government have informed that matter is still being conducted by the local Police which has not so far been completed.

Recovery of Foreign Live Bombs near Presidency College, Calcutta

5086. **Shri Sharda Nand :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri J. K. Choudhury :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Dr. Shushila Nayar :
Shri S. M. Krishna :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some foreign live bombs were recovered near the Presidency College, Calcutta in the first half of March, 1970 ;

(b) whether Government have conducted a thorough enquiry into this ; and

(c) if so, the details thereof and the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (c). Facts are being ascertained from the State Government.

हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग के स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

5087. **श्री अदिचन :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग के स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में 29 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2744 के उत्तर में दिये गये आश्वासन की क्रियान्विति में 21 नवम्बर, 1969 को सभा पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कुछ कर्मचारियों के बारे में जिन्हें ऐसे आधारों पर नौकरी से निकाल दिया गया था जिनका उल्लेख उस प्रश्न के भाग (क) में दिया गया है और जिन्हें सदस्यों से शिकायत प्राप्त होने पर पुनः नौकरी पर रख लिया गया था, इस बीच संसद् सदस्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन अनुरोधों का सही-सही ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में केन्द्रीय सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मैसूर राज्य में पर्यटक केन्द्र

5088. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में किन स्थानों को पर्यटन केन्द्रों के लिये चुना गया है ;

(ख) क्या सभी पर्यटक केन्द्रों में परिवहन सुविधाओं तथा आवश्यक प्रबन्ध की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इन स्थानों के विकास के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) मैसूर राज्य में केन्द्रीय सरकार ने स्वयं अथवा राज्य सरकार के साथ मिल कर हस्सन, बीजापुर, हम्पी, जोग फाल्स, वृन्दाबन, एहोली, बादामी, सोमनाथपुर, मंगलौर तथा तुंगभद्रा पर पर्यटन सुविधायें प्रदान की हैं। भारत पर्यटन विकास निगम भी बंगलौर में एक होटल का निर्माण कर रहा है।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम का 1970-71 में बंगलौर में एक परिवहन यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है। पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची में शामिल कार परिचालकों के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित कारें भी उपलब्ध हैं।

(ग) कोई विशिष्ट राशि नियत नहीं की गई है।

नक्सलवादियों द्वारा कलकत्ता में चलचित्र गृहों पर हमले

5089. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : **श्री हिम्मतसिंहका** :
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** :
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री राम गोपाल शालवाले** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 मार्च, 1970 को कलकत्ता में नक्सलवादियों ने लगभग 20 चलचित्र गृहों पर हमला किया था तथा उन्हें जला दिया था तथा इसके कारण भारी हानि हुई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि "प्रेम पुजारी" तथा "धरती" दो हिन्दी फिल्मों को जिनमें चीन आक्रमण के दृश्य दिखाये गये हैं, नक्सलवादियों द्वारा पसंद नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ उग्रवादियों ने कुछ समाज-विरोधी तत्वों की सहायता से 3 मार्च, 1970 को कलकत्ता के अनेक चलचित्र गृहों पर, जिनमें एक हिन्दी फिल्म "प्रेम पुजारी" दिखाई जा रही थी, आक्रमणों का आयोजन किया। बताया जाता है कि इन आक्रमणों में बम और पटाके तथा अन्य विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग किया गया। सम्पत्ति को

क्षति पहुंची और तीन व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुए। पुलिस को एक चलचित्र गृह के बाहर उपद्रव को नियंत्रण में लाने के लिए अश्रुगैस का प्रयोग करना पड़ा। "धरती" नामक फिल्म दिखाने वाले चलचित्र गृहों पर ऐसे आक्रमणों के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ग) सरकार अराजकता के ऐसे कार्यों की निन्दा करती है। इन घटनाओं के सम्बन्ध में पुलिस ने मामले दर्ज किये हैं और 10 व्यक्ति गिरफ्तार किये हैं। इन मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

बम्बई में कन्नड़-भाषा-भाषी लोगों के जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा

5090. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में कन्नड़-भाषी लोगों का जीवन तथा सम्पत्ति सुरक्षित नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो हाल में हुए बम्बई बन्द को तथा गत वर्ष बम्बई में समाज-विरोधी तत्वों द्वारा कानून को अपने हाथ में लिये जाने पर कन्नड़-भाषा-भाषी लोगों द्वारा उठायी गयी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार उनकी सुरक्षा के लिये क्या उपाय करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। (ख) प्रश्न नहीं उठता।

नागालैंड में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना

5091. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड सरकार ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के बारे में अपनी असमर्थता प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या केन्द्र इस मामले में राज्य सरकार के विचारों से सहमत है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). दण्ड प्रक्रिया संहिता नागालैण्ड में लागू नहीं है किन्तु राज्य में अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 की धारा 6 के अन्तर्गत बनाये कुछ नियमों के द्वारा अपराधियों का अभियोजन नियंत्रित किया जाता है। जघन्य अपराधों के अतिरिक्त सभी आपराधिक मामलों को दोनों पक्षों के प्रथागत नियमों के अनुसार तय किया जाता है। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना आवश्यक नहीं समझती।

"न्यायप्रशासन" विषय राज्य के क्षेत्र में आता है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की कार्यवाही करना मूल रूप से राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है।

सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि

5092. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री रवि राय :**
श्री जी० वाई० कृष्णन् : **श्री यशवंत सिंह कुशवाह :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने के बारे में सरकार सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो आदेश कब जारी किये जायेंगे ; और

(ग) क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). भारत सरकार ने उनके अधीन पदों और सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लिये आरक्षणों का प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय किया है । गृह मंत्रालय संकल्प सं० 27/25/68-ईस्ट० (एस० सी० टी०) दिनांक 25 मार्च 1970 में पहले ही जारी किये गये आदेशों की एक प्रति संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-3085/70]**

संसद् में विरोधी दलों तथा ग्रुपों के मुख्य सचेतकों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था

5093. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद् में विरोधी दलों तथा ग्रुपों के मुख्य सचेतकों को कुछ सुविधाएं देने के लिये 1970-71 के बजट में कोई उपबन्ध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये बजट में कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ग) इसका किस प्रकार उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) योजना को कब चालू किये जाने की सम्भावना है ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) सरकारी क्षेत्रीय सचेतक और विरोधी ग्रुपों के मुख्य सचेतकों को कुछ सुविधाएं प्रदान करने के लिए बजट में व्यवस्था की गयी है ।

(ख) रु० 1,57,900-00

(ग) और (घ). इन सुविधाओं के देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

नये होटल स्थापित करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र का प्रोत्साहन

5094. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री सामिनाथन् :**
श्री दंडपाणि : **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **पर्यटन तथा नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये होटल बनाने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र को नये प्रोत्साहन देने के बारे में कोई प्रस्ताव है ताकि जम्बो जेट विमानों के चालू होने से अधिक संख्या में आने वाले पर्यटकों की होटल-सम्बन्धी आवश्यकता पूरी की जा सके ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से हैं ;

(ग) क्या विश्व पर्यटन के आंकड़ों के अनुसार विश्व को पर्यटन से होने वाली कुल आय का 0.2 प्रतिशत ही भारत का अंश है ;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ङ) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने पहले से ही होटल उद्योग को काफी प्रोत्साहन देने की घोषणा की है । इसमें आयकर में राहत ; मूल्यह्रास की उदार दरें ; विकास छूट की मंजूरी ; होटल-उद्योग की आवश्यकताओं पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना ; दिल्ली क्षेत्र में सरकारी भूमि का रियायती मूल्य पर विक्रय, तथा होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता शामिल है ।

(ग) विश्व पर्यटन आय में भारत का अंश 1967 में 0.24 प्रतिशत और 1968 में 0.25 प्रतिशत था । 1969 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) संभावित पर्यटन मार्केटों से भारत के लिये परिवहन की ऊंची लागत, एवं हमारे यहां पर्यटन के आधारभूत उपादानों की वर्तमान अपर्याप्तता, इसके प्रमुख कारण हैं ।

(ङ) स्थिति के सुधार के लिये सरकार द्वारा किये जा रहे विभिन्न उपायों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3086/70]**

Pak Nationals in Jabalpur

5095. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2849 on the 5th December, 1969 regarding Pak. Nationals in Jabalpur and state :

(a) whether the requisite information asked for in the Question referred to above has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the further time likely to be taken in collecting the same and the time by which it would be laid on the Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). A statement giving the information is attached. **[Placed in Library. See No. LT-3087/70].**

(c) Does not arise.

Recovery of Material Stolen from Jaipur Museum

5096. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 442 on the 5th December, 1969 regarding the recovery of material stolen from the museum of the Maharaja of Jaipur and state:

(a) the total value of 2008 paintings and 229 statues made of stones and other metals recovered from the house of Shri Sangram Singh of Jaipur;

(b) whether it could be maintained on the basis of the enquiry held so far that these statues were stolen goods; and

(c) the action taken by Government in this connection against the persons concerned?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The evalution of 13 identified paintings has been taken up. In regard to the other paintings, no evaluation has yet been made. Regarding the statues, information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House when received.

(b) Information has been called for from the State Government who are investigating this case and will be laid on the Table of the House when received.

(c) The cases are under investigation and action according to law will be taken against the accused persons on completion of investigation.

Additional Assistance by Central Government to U. P. Government for Implementing Agreement with Secondary Schools Teacher's Association

5097. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state the additional amount which the Central Government would pay to the Government of Uttar Pradesh in accordance with the agreement concluded by the State Government in regard to the charter of demands submitted by the Secondary Schools Teachers' Association in U. P.?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan): Education being a State subject, it is for the State Government of Uttar Pradesh to consider the demands of the Secondary School Teachers Association in Uttar Pradesh.

Loans given to Shipping Companies by Government

5098. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the amount of loans extended by Government to the various Shipping Companies during the last three years, separately; and

(b) whether it is a fact that there are certain Companies among them which have constructed buildings in cities with the loans obtained by them earlier for purchasing the ships?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) Loans for purchase of ships are granted from a fund called Shipping Development Fund. In most cases, the entire loan sanctioned is not advanced in lump but in instalments over a period of years. The relevant figures for the last 3 years are as follows :

In lakhs of rupees

	1967-68	1968-69	1969-70	Total
(i) Total amount of loans sanctioned	43,63.15	26,89.58	90,86.29	161,39.02
(ii) Out of the above, amount actually advanced	2,86.92	4,88.73	7,19.32	14,94.97
(iii) Amount Advanced against earlier sanctioned	10,86.40	14,82.31	17,57.46	43,26.17

(b) No, Sir. Two of the loanee companies have constructed/purchased buildings from their own resources partly for their own use, and partly as an investment. As the disbursements of the loans from the Shipping Development Fund were tied to the payments due to the foreign Shipyards and financiers, there could be no possibility of diverting these loans for investment in buildings.

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु के बारे में जांच के लिए आयोग

5099. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री दण्डपाणि :
श्री देवेन सेन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री देवकी नन्दन पटोदिया :
श्री सामिनाथन :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने यह निश्चय करने के लिए कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मर चुके हैं अथवा जीवित है, एक जांच आयोग गठित करने के लिए कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त आयोग के सदस्यों के बारे में निर्णय कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में कब तक घोषणा कर दिये जाने की सम्भावना है तथा उस आयोग के निर्देशपद क्या होंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):(क) से (ग). जी हां, श्रीमान् । सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त करने का निश्चय किया है । आयोग का गठन तथा उसके विचारार्थ विषय विचाराधीन हैं ।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति

5100. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री दण्डपाणि : **श्री सामिनाथन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में उपयुक्त मोर्चा सरकार ने कलकत्ता उच्च-न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के पद के लिए केन्द्रीय सरकार को किसी व्यक्ति का सुझाव दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) उक्त मामला सरकार के विचाराधीन है उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए सिफारिशें गोपनीय होती हैं और उनके ब्यौरे प्रकट करना लोक-हित में नहीं होगा ।

बम्बई में शिव-सेना द्वारा तमिल लोगों पर आक्रमण

5101. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री दण्डपाणि :
श्री सामिनाथन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में तमिल लोगों पर शिव-सेना द्वारा प्रायः आक्रमण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रवृति से देश को अत्यधिक हानि होगी ;

(ग) क्या केन्द्र ने राज्य सरकार से कहा है कि वह ऐसे कार्य के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करे ; और

(घ) क्या तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने इस बारे में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री तथा केन्द्रीय सरकार को लिखा था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). महाराष्ट्र सरकार के तथ्म मालूम किये जा रहे हैं ।

(ग) राज्य सरकार से, अल्प संख्यक वर्गों के लिये पूर्ण संरक्षण और सुरक्षा की पूरी पूरी भावना सुनिश्चित करने के लिये तथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिये, जो समुदायों के बीच बैर अथवा दुर्भावना फैलाते हैं, निवेदन किया गया था ।

(घ) तमिल नाडु के मुख्य मंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को पत्र लिखा है और उनके पत्र की एक प्रति तमिल नाडु सरकार से प्राप्त हुई थी ।

जामिया मिलिया, नई दिल्ली में आग लगने के बारे में जांच

5102. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस उप-महानिरीक्षक ने केन्द्र को अपने प्रतिवेदन में यह बताया है कि 29 अक्टूबर, 1969 की रात को जामिया मिलिया में जो आग लगी थी वह संस्थान के एक प्राध्यापक तथा कुछ पाकिस्तान-समर्थक तत्वों का कार्य था ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में उल्लिखित अन्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।
(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठाता ।

पश्चिमी बंगाल में बम बनाने वाले एक कारखाने का पकड़ा जाना

5103. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री दण्डपाणि :
श्री सामिनाथन :
श्री रा० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में हाल ही में बम बनाने वाला एक कारखाना पकड़ा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस कारखाने में विदेशी सामग्री का उपयोग किया जाता था ;

(ग) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जिनकी सामग्री का वहां उपयोग किया जाता था ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कुछ विदेशी भी पकड़े गये थे ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी). (क) से (ङ). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

पूर्वी भड़ौच में हड़प्पा काल के बाद के काल की वस्तुएं

5104. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी भड़ौच में कुछ वस्तुएं मिली हैं जो हड़प्पा काल के बाद के काल की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वहां प्राप्त वस्तुएं किस काल की होने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह): (क) तथा (ख) . जी, हां । हड़प्पा काल के अन्तिम दिनों के कुछ टूटे हुये बर्तन तथा एक जली हुई ईंट जो सम्भवतया हड़प्पाकाल से संलग्न हो, एम० एस० विश्वविद्यालय बड़ौदा के डा० एस० सी० मलिक द्वारा खोजे गये हैं ।

(ग) उक्त स्थान पर और अधिक कार्य करने के लिये विश्वविद्यालय विचार कर रहा है ।

वैज्ञानिकों के लिये एस० एस० भटनागर पुरस्कार

5105. **श्री बेनी शंकर शर्मा :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एस० एस० भटनागर वार्षिक पुरस्कार, जो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किये गये कार्य को मान्यता देने के लिए आरम्भ किया गया था, वर्ष 1965 के बाद नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद द्वारा इतने समय तक ऐसा न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या भटनागर पुरस्कार के सम्बन्ध में 45 वर्ष की उच्चतम आयु-सीमा निर्धारित करना निरर्थक है, और यदि हां, तो क्या इसे समाप्त करने के बारे में विचार किया गया है ; और

(घ) इस विचार के क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) एस० एस० भटनागर वार्षिक-पुरस्कारों के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :

(i) 1966 और 1967 वर्ष के पुरस्कारों पर विचार किया जा रहा है ।

(ii) 1968 वर्ष के पुरस्कार के लिए नामजदगियां आ गयी हैं और उन पर कार्यवाही की जा रही है ।

(iii) 1969 वर्ष की नामजदगियों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख न्यायिक समिति द्वारा 31 मार्च, 1970 निर्धारित की गयी है ।

(ख) पुरस्कारों के लिए प्राप्त नामजदगियों पर कार्यवाही न करने के कारणों की वास्तव में वजह वह थी कि न्यायिक समिति की अवधि 31 मार्च, 1968 को शासी निकाय की अवधि के साथ ही समाप्त हो गयी थी । यह समिति वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) के शासी निकाय के वैज्ञानिक सदस्यों से बनी थी और इसे 17 जून, 1969 को पुनः गठित किया गया था ।

(ग) और (घ). नयी न्यायिक-समिति ने, जिसकी बैठक 14 जुलाई, 1969 और 15 नवम्बर, 1969 को हुई थी, पुरस्कार की व्यवस्था सम्बन्धी नियमों में कुछ संशोधनों के सुझाव दिए हैं जिन्हें शासी निकाय की स्वीकृति मिलनी है । आयु से सम्बन्धित प्रश्न भी उठा दिया गया है ।

Confirmation of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Employees in Delhi Administration

5106. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes confirmed vide the Delhi Administration Secretariat, Delhi Order No. 515 dated the 22nd July, 1965 have been accorded seniority according to the Government of India, Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 9/11/55/ RPS dated the 22nd December, 1959 and its explanation given in Office Memorandum No. 9/45/60-Est. (D), dated the 20th April, 1961 ;

(b) if so, the details, category-wise, of the said employees who have benefited therefrom ; and

(c) if these employees did not derive any benefit so far, the reasons for which the said orders have not been implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Instructions contained in the Home Ministry's Offices Memorandum No. 9/11/55 RPS, dated the 22nd December, 1959 and Office Memorandum No. 9/45/60-Est- (D), dated the 20th April, 1961, indicating the manner on which seniority of temporary/officiating officers of the grade has to be fixed vis-a-vis the permanent officers of that grade have been incorporated in Delhi Administration Seniority Rules, 1965, which have come into force with effect from 31.7.1965. The Delhi Administration have taken steps to revise the seniority list of their employees accordingly.

(b) The exact number of employees who will be benefited will be known after the revised seniority list has been finalised.

(c) Does not arise.

Employees of Different Categories of Delhi Administration

5107. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of employees, category-wise, in the Delhi Administration Secretariat ; and

(b) the number of the employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes out of them in each category ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) There are 694 employees in the Delhi Administration Secretariat. Their break-up is as follows :

Class I	15
Class II	55
Class III	443
Class IV	171

(b) The position is as follows :

	Scheduled Caste	Scheduled Tribe
Class I	Nil	Nil
Class II	1	Nil
Class III	24	Nil
Class IV	32	Nil
Total	57	—

Agreement between Air India and Export and Import Bank of U.S.A. for Loans

5108. **Shri Atam Das :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the terms and conditions of the agreement reached between the Air India and Export and Import Bank of U.S.A. for advancing loan to the Air India ;

(b) whether the Air India had also obtained loans earlier from some foreign countries and

(c) if so, the steps taken to repay the said loans ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The terms and conditions of the two loan agreements entered into by Air-India with the Export-Import Bank of the U.S.A. for the purchase of three Boeing 747 aircraft are as follows :

	For the first two aircraft	**For the third aircraft**
Amount of loan	$25,000,000	$18,000,000
Rate of interest	6% p. a.	6% p. a.
Commitment fee	½% p. a.	½% p. a.
Terms of Repayment	In seven semi-annual instalments commencing March 1975 and ending March 1978	In fourteen semi-annual instalments commencing November 1972 and ending May 1979
Guarantee	Govt. of India	Govt. of India

(b) Yes, Sir.

(c) The repayment of these loans will continue to be made by Air-India out of their resources.

Filling of Posts of Hindi Translators and Hindi Officers

5109. **Shri P. M. Sayeed :**
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of Posts in various Union Ministries and Attached Offices which have been filled on **ad hoc** basis, but are required to be filled through the Union Public Service Commission ;

(b) the number out of them of the posts of Hindi Translators and Hindi Officers ;

(c) the number out of them of those which have since been referred to the Union Public Service Commission and also the time by which the remaining posts are likely to be referred to the said Commission ;

(d) whether it is a fact that the said posts have not so far been referred to the Union Public Service Commission in order to keep certain persons against those posts ; and

(e) the time by which the said posts are proposed to be referred to the Union Public Service Commission for making a regular appointment against those posts ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

संसद् में विरोधी पक्ष के नेता के लिए सुविधाओं की व्यवस्था

5110. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**

श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **संसद कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् में विरोधी पक्ष के नेता के लिए कुछ सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ख) उनके विशेषाधिकार, अधिकार तथा उत्तरदायित्व क्या होंगे ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). विषय विचाराधीन है ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण

5111. **श्री किकर सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों और गैर-अनुसूचित जातियों/गैर-अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के लिए उत्तीर्णार्थ (चयन के लिए नहीं) न्यूनतम अंक क्या हैं तथा "आरक्षित" और "अनारक्षित" रिक्त पदों के लिए अर्हतादायक मापदण्डों में न्यूनतम अंक सीमा कितनी है ;

(ख) 1955 की परीक्षा से लेकर आज तक बनाई गई प्रत्येक "चयन-सूची" में पृथक-पृथक अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जातियों के न्यूनतम कितने प्रतिशत अंकों वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था ;

(ग) (1) "टी० देवनदासन बनाम यूनियन आफ इण्डिया 1963" तथा (2) आरक्षित रिक्त पदों को भरने की सीमा के बारे में "4 दिसम्बर, 1963 के कार्यकारी अनुदेशों" के सम्बन्ध में सरकारी आदेशों पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिये थे ;

(घ) क्या 1960 की परीक्षा के गैर-अनुसूचित जातियों/गैर-अनुसूचित आदिम जातियों तथा 1963 की परीक्षा के अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों को राहत के तौर पर 17 आगामी रिक्त पद तथा 4 आरक्षित रिक्त पद क्रमशः दिये गये थे ; और

(ङ) क्या राहत 1963 की परीक्षा के लिए निर्धारित रिक्त पदों में से दी गई थी ; और यदि नहीं, तो इन रिक्त पदों की व्यवस्था कहां से की गई थी और यदि उनके विरुद्ध पदोन्नतियां भूतलक्षी प्रभाव से की गई थीं, तो बकाया राशि का कुल खर्च कितना था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अर्हता दायक अंकों का निर्धारण जब कभी आवश्यक है पूर्णतः संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर आधारित है जो उसे प्रकट नहीं करता है । इसी प्रकार आरक्षित और अनारक्षित रिक्तियों के लिये अर्हतादायक मापदण्डों में न्यूनतम अंक सीमा भी संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर पूर्णतः निर्भर करती है और उनके द्वारा प्रकट नहीं की जाती है ।

(ख) 1955 से 1963 तक के वर्षों के लिए परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर जब अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण के आदेश लागू थे, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश किये गये तथा प्रवरण सूचियों में शामिल किये गये अन्तिम अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत नीचे दिखाया गया है :

परीक्षा का वर्ष	अन्तिम अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों का प्रतिशत	
	अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी	अनुसूचित आदिम जाति का अभ्यर्थी
1955	45.0	किसी की सिफारिश नहीं की गई
1957	36.8	—तदेव—
1958	35.0	41.8
1959	35.2	35.0
1960	35.0	37.6
1963	50.17	किसी की सिफारिश नहीं की गई।

(ग) उच्चतम न्यायालय ने 29 अगस्त, 1963 को दिये गये अपने फैसले में (टी० देवनदासन बनाम यूनियन आफ इण्डिया 1963 की लेख्य याचिका संख्या 87) घोषित किया था कि 1955 में संशोधित आरक्षण के सम्बन्ध में आगे ले जाने वाला नियम अवैध था।

इस निर्णय के परिणामस्वरूप सरकार ने 4 दिसम्बर, 1963 को यह निर्दिष्ट करते हुये संशोधित अनुदेश जारी किये कि किसी अवसर पर भी सामान्य आरक्षित रिक्तियों तथा आगे ले जाई गई आरक्षित रिक्तियों को मिलाकर संख्या रिक्तियों की कुल संख्या के 45 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(घ) जी हां, श्रीमान्।

(ङ) उच्चतम न्यायालय के 8 सितम्बर, 1964 के आदेशों के अनुसरण में अनुभाग अधिकारियों की नियुक्ति के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश किये गये 17 अभ्यर्थियों को (i) मंत्रालयों/विभागों में तब मौजूदा/प्रत्याशित रिक्तियों पर जहां वे अधिकारी उस समय कार्य कर रहे थे तथा (ii) अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिये चयन सूची में शामिल जो नहीं हुए थे, केन्द्रीय सचिवाय सेवा 1962 के नियम 13 (2) के अधीन सहायक श्रेणी से पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों को पदावनत करके लगाया गया। दिनांक 8 सितम्बर, 1964 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार 17 अधिकारियों को उनकी अनुभाग अधिकारी के रूप में वास्तविक पदोन्नति की तिथि से पहले की अवधि का वेतन अथवा परिलब्धियों के दावे का हक नहीं था। अतः बकाया राशि का कोई खर्च नहीं है।

इन्जीनियरिंग विभागों में पदोन्नतियां

5112. **श्री सूरज भान :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश की दशा सुधरने में तकनीशियनों और इन्जीनियरों का उतना ही योगदान होता है जितना कि प्रशासनिक संवर्गों के अधिकारियों का होता है;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि जबकि प्रशासनिक अधिकारियों को जल्दी-जल्दी पदोन्नतियां मिलती हैं वहां केन्द्र सरकार के रेलवे, डाक व तार तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जैसे विभागों के इन्जीनियरिंग विभागों में बड़ी निराशा व्याप्त है क्योंकि इन विभागों में अधिकारियों को पदोन्नतियों के बहुत कम अवसर प्राप्त हैं ;

(ग) इन्जीनियरों में व्याप्त निराशा को दूर करने के लिये क्या सरकार इंजीनियरिंग संवर्गों के लिये 400-1800 रुपये के सर्वाधिक वेतन-मान निर्धारित करने के बारे में विचार कर रही है, जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पदोन्नति के लिए अवसर एक सेवा से दूसरी सेवा में तथा एक ही सेवा के भीतर भी समय-समय पर भिन्न-भिन्न होते हैं । बड़ी संख्या में इंजीनियरी कार्मिकों को नियोजित करने वाले मंत्रालयों/विभागों, जैसे रेलवे, डाक व तार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इत्यादि से यह मालूम हुआ है कि इंजीनियरी सेवाओं में भर्ती किये गये व्यक्ति अब तक एक उचित समय के भीतर पदोन्नतियां पा रहे हैं और उनमें निराशा व्याप्त होने का कोई कारण नहीं है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के बारे में वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक का प्रतिवेदन

5113. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में 5 दिसम्बर 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2848 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद ने वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक के प्रतिवेदन पर निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या कर्मचारियों की वर्तमान संख्या में कोई कटौती की जायेगी और यदि हां, तो छंटनी किये जाने वाले कर्मचारियों को कहां काम दिया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) (क) से (ग). परिषद में शासकीय निकाय ने स्टाफ निरीक्षण एकक की रिपोर्ट पर विचार किया इसने रिपोर्ट

में दी गई सिफारिशों में उलझनों के निरीक्षण के लिए एक समिति की स्थापना की है। समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जाने पर भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

चण्डीगढ़ स्थानीय सलाहकार समिति

5114. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ स्थानीय सलाहकार समिति को वर्ष 1970 के लिये पुनर्गठित किया गया है ; और यदि हां, तो इसकी सदस्य-संख्या क्या है ;

(ख) इसके सदस्यों के चयन के लिये क्या मापदण्ड निर्धारित है ;

(ग) विभिन्न राजनैतिक दलों को कितना-कितना प्रतिनिधित्व किया गया है ;

(घ) क्या राजनैतिक दल अपने-अपने प्रतिनिधित्व के बारे में असन्तुष्ट हैं ; और

(ङ) क्या सरकार राजनैतिक दलों को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिये इस समिति का पुनर्गठन करेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्। इसमें 41 सदस्य हैं (6 सरकारी तथा 35 गैर-सरकारी)।

(ख) विस्तृत आधार पर सलाहकार समिति के गठन के लिए विभिन्न हितों को प्रतिनिधित्व देने के प्रयत्न किये जाते हैं।

(ग) जन संघ — तीन
कांग्रेस (सत्ताधारी) — तीन
कांग्रेस (संगठन) — दो
भारतीय साम्यवादी दल — एक
(दक्षिणपंथी)
अकाली दल — दो

(घ) और (ङ). लगभग सभी राजनैतिक दलों ने उनको दिये गये प्रतिनिधित्व पर असन्तोष व्यक्त किया है किन्तु चण्डीगढ़ के मुख्य आयुक्त को राजनीतिक, वाणिज्यिक, व्यापारिक, औद्योगिक अनुसूचित जातियों, विश्वविद्यालय, व्यवसायों, समाचार-पत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, सामाजिक संस्थाओं इत्यादि विविध हितों के दावों को संतुलित करना पड़ा। सरकार का इस मामले में हस्तक्षेप करने का विचार नहीं है।

चण्डीगढ़ में कर्मचारियों को पंजाब राज्य के वेतन मानों के लाभ

5115. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र की सेवा में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें पंजाब राज्य के वेतन-मानों का लाभ नहीं दिया गया है ;

(ख) उन्हें उक्त लाभ न देने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या पांच साल के भीतर चण्डीगढ़ को पंजाब में शामिल करने के सरकार के निर्णय को देखते हुए क्या सरकार उस संघ राज्य क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को पंजाब राज्य वाले वेतन मान देने के बारे में विचार कर रही है ;

(घ) 1 नवम्बर, 1966 के बाद इस संघ राज्य क्षेत्र की सेवा में आने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या है तथा क्या सरकार उन्हें भी पंजाब राज्य वाले वेतन-मान देने के बारे में विचार कर रही है ;

(ङ) ऐसे कर्मचारियों की क्या संख्या है जिन्हें अस्थायी रूप से इस संघ राज्य क्षेत्र की सेवा में नियुक्त किया गया है ; और

(च) इन्हें किन कारणों तथा परिस्थितियों के वश होकर अस्थाई रूप से इस सेवा में नियुक्त किया गया ; और क्या इस अस्थायी नियुक्ति से पूर्व उनकी इच्छा के बारे में पूछा गया था ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 3,872

(ख) समस्त संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतनमान देने की सरकार की समान नीति के अनुसरण में इन कर्मचारियों को पंजाब के वेतनमान नहीं दिये गये।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) 1,928 उपरोक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए सरकार का उनको पंजाब के वेतन-मान देने का विचार नहीं है।

(ङ) 1,530।

(च) भूतपूर्व पंजाब राज्य के पुनर्गठन के समय कर्मचारी वृन्द का अस्थायी आवंटन लोक सेवा की अपेक्षाओं के आधार पर सभी सम्बन्धित तत्वों तथा नये एककों की प्रशासनिक आवश्यकताओं पर विचार करते हुए किया गया था। अस्थायी नियुक्ति करने के लिए कोई विकल्प नहीं मांगा गया था।

राष्ट्रीय स्वस्थता दल संगठन को समाप्त करने पर कर्मचारियों को फालतू घोषित करना

5116. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीति में परिवर्तन के कारण केन्द्रीय राष्ट्रीय स्वस्थता दल संगठन को समाप्त करने के बारे में 1965 में निर्णय किया गया था ;

(ख) क्या राष्ट्रीय स्वस्थता दल निदेशालय के सभी प्रशासकीय पर्यवेक्षी, लिपिक-वर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अब 12 दिसम्बर, 1969 से फालतू घोषित कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो प्रभावित व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा अब तक कितने व्यक्तियों को अन्य विभागों में काम पर लगाया गया है ; और

(घ) सम्बन्धित कर्मचारियों के सेवा अधिकारों/वरीयता/पदोन्नति/स्थायीकरण तथा अन्य विभागों में खपाने के उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है, क्योंकि उनके स्थानान्तरण में विलम्ब से अन्य विभागों में उनकी वरीयता में उन्हें हानि होगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) से (घ). 1965 में हुये शिक्षा सचिवों के सम्मेलन में किये गये निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अनुदेशकों को राज्य सरकारों को भेजकर प्रशासन को विकेन्द्रीकृत करने का निर्णय किया गया। यह अनुमान लगाया गया था कि इन अनुदेशकों को राज्यों में ले लिये जाने पर तो राष्ट्रीय स्वस्थता निदेशालय को समाप्त कर दिया जायगा। इन अनुदेशकों को अभी तक काम पर नहीं लगाया गया है इसीलिए निदेशालय के पुराने कर्मचारी अभी भी वहीं पर कार्य कर रहे हैं। इन कर्मचारियों के लिए नियमों के अन्तर्गत सेवा की वर्तमान शर्तों को बनाये रखते हुए वैकल्पिक नौकरियां ढूंढने के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है।

राष्ट्रीय स्वस्थता दल योजना का राज्यों को हस्तान्तरण किया जाना

5117. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार इस निर्णय पर कैसे पहुंची है कि राष्ट्रीय स्वस्थता दल कार्यक्रम राज्य का विषय है जबकि राज्यों ने केन्द्रीय सरकार को कभी भी इस योजना को उनके हस्तान्तरण के लिए नहीं लिखा ;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने इस आधार पर राष्ट्रीय स्वस्थता दल योजना को हस्तान्तरित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को लिखा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार इस योजना का विकेन्द्रीकरण करने पर क्यों डटी है विशेषकर जब कि राज्य चाहते हैं कि उच्चतर स्तर को बनाये रखने के लिए तथा राष्ट्रीय एकता के लिए यह योजना केन्द्र के अधीन चलायी जाये ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). कुंजरू समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, राष्ट्रीय स्वस्थता दल के रूप में शारीरिक शिक्षा का एक समेकित कार्यक्रम 1959 में विकसित किया गया था। 1964 में हुई केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा की गयी सिफारश के अनुसार, राज्य सरकारों के परामर्श से शारीरिक शिक्षा का समेकित कार्यक्रम तथा इसको अमल में लाने की स्वीकृति के मामले पर फरवरी, 1965 और अप्रैल, 1965 में राज्य शिक्षा सचिवों तथा जनशिक्षा निदेशकों व शिक्षा निदेशकों की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था, तब यह निश्चय किया गया था कि समेकित कार्यक्रम को स्कूल शिक्षा के भाग के रूप में लागू किया जाना चाहिए और कि राष्ट्रीय अनुशासन-योजना के अधिशिक्षकों को, जो केन्द्र के नियंत्रण के अन्तर्गत आते थे, राज्यों को हस्तांतरित किया जाना

चाहिए । चूंकि शिक्षा राज्य का विषय है, अतः इसका अर्थ वस्तुतः यह है कि शारीरिक शिक्षा का नया समेकित कार्यक्रम, जो सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, राज्य का विषय भी है । चूंकि राज्य सरकारों के प्रतिनिधि दोनों बैठकों के प्रस्ताव से सहमत थे, अतः राज्य सरकारों का हस्तांतरण के लिए केन्द्रीय सरकार को लिखने का प्रश्न नहीं उठता । राष्ट्रीय स्वस्थता दल योजना को राज्य सरकारों को हस्तान्तरित करने का कोई प्रश्न ही नहीं था क्योंकि यह शारीरिक शिक्षा के कर्यक्रम के रूप में राज्यों में पहले से ही अमल में लायी जा रही थी । राज्यों को राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अधिशिक्षकों के नियंत्रण को विकेन्द्रीकरण के लिए शिक्षा सचिवों के सम्मेलनों में की गयी सिफारिशों के अनुसार, राज्य-सेवा में राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अधिशिक्षकों का विलयन कर रही है ।

Liquidation of Dacoit Menace in Madhya Pradesh

5118. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Madhya Pradesh need modern equipment for the liquidation of dacoit menace and the State Government have asked for the assistance of the Central Government in this regard ; and

(b) if so, the reaction of the Central Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir, but the request is for modernisation not merely from the angle of liquidation of the dacoit menace, but of bringing about general improvement in the working of the police in all its activities.

(b) A loan of Rs. 3.75 lakhs and grant of Rs. 1.25 lakhs was sanctioned to the Government of Madhya Pradesh for modernisation of Police Forces.

दमदम पुलिस स्टेशन पर हमला

5119. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दमदम पुलिस स्टेशन पर कुछ उपद्रवकारियों द्वारा किये गये हमले की घटना की ओर आकर्षित किया गया है जिसके फलस्वरूप 10 मार्च, 1970 को एक पुलिस अधिकारी की मृत्यु हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में तथा विशेषकर पश्चिम बंगाल में समाज-विरोधी तत्वों की ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

दिल्ली उच्च न्यायालय में हिन्दी का प्रयोग

5120. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री वंश नारायण सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली उच्च न्यायालय में हिन्दी का प्रयोग करने की अनुमति देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । कानूनी राय के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए हिन्दी के प्रयोग की अनुमति से पहले संसदीय विधान लाना आवश्यक होगा ।

पिछले मध्यावधि चुनावों के दौरान प्रधान मंत्री के दौरे के संबंध में हुआ खर्च

5121. **श्री कवंरलाल गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री मध्यावधि चुनावों के दौरान प्रधान मंत्री के दौरों पर हुए खर्च के बारे में दिनांक 19 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4571 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर एक विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3088/70]**

जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानी तोड़ फोड़ कर्ताओं की गिरफ्तारी

5122. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन दो पाकिस्तानी तोड़-फोड़ कर्ताओं के क्या नाम हैं ; जिन्हें हाल में जम्मू स्यालकोट सेक्टर में रामगढ़ के सीमाक्षेत्र में गिरफ्तार किया गया था और उनसे क्या सामग्री बरामद की गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ सामग्री उन्हें 'काश्मीर स्टाफ' अधिकारियों तथा बशीर अहमद नामक एक व्यक्ति द्वारा दी गई थी, और यदि हां, तो संदिग्ध अधिकारियों के नाम क्या हैं जो सह-अपराधी थे ;

(ग) पाकिस्तान द्वारा स्थापित 'काश्मीर स्टाफ' नामक एजेन्सी को जम्मू तथा काश्मीर में बिना बाधा के काम क्यों करने दिया जाता है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि बशीर अहमद सात वर्ष पूर्व जम्मू पुलिस की हिरासत से भाग गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जम्मू तथा काश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, बशीर अहमद और शहीद मंजूर नामक पाकिस्तानी राष्ट्रिक 6 दिसम्बर, 1969 को पकड़े गये थे। उनके पास से एक कैमरा, कुछ विस्फोटक, कुछ प्रचार इश्तहार, सूचना एकत्रित करने के लिए एक कार्यपत्र तथा कुछ भारतीय मुद्रा बरामद की गई।

(ख) से (घ). उक्त मामले की जांच की जा रही है और ब्योरे प्रकट करना लोक-हित में नहीं होगा। राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल गतिविधियों की रोक-थाम करने में सरकार सतर्क है।

Holding of Vintage Car World Rally in India

5123. **Shri Deven Sen:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Lord Montagu of Beaulieu, the proprietor of Vintage Car Museum, London said during his Indian tour that a rare-Vintage Car World rally could be held in India in 1973 in case the Government of India and other organisations helped in this connection; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan): (a) Neither the Ministry of Education and Youth Services nor the Ministry of Shipping and Transport have such information.

(b) Does not arise.

Research Officers and Technical Employees in Commission for Scientific and Technical Terminology

5124. **Shri Ram Swarup Vidyarthi:**
Shri Bansh Narain Singh:

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2100 on the 7th March, 1969 regarding the Commission for Scientific and Technical Terminology and state:

(a) whether the Senior Research Officers and the technical employees working in the Administration Section of the Commission for Scientific and Technical Terminology have been relieved of their non-technical duties and assigned technical duties;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the time by which they would be relieved of their present duties?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan): (a) and (b). No, Sir. Due to exigencies of work, it has not been possible to relieve one Senior Research Officer and two Technical Assistants from their existing administrative duties.

(c) The question of reorganising the work of the Commission is under consideration. As soon as decision is taken about it the question of employing these persons on technical duties will be considered.

Appointments in commission for scientific and technical terminology and Central Hindi Directorate

5125. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the total number of posts in the Commission for Scientific and Technical Terminology and the Central Hindi Directorate against which appointments have been made on **ad-hoc** basis which are required to be filled through the Union Public Service Commission ;

(b) the reason for which requisitions have not so far been sent to the Commission ;

(c) whether it is a fact that the U. P. S. C. has not so far been approached in order to continue some persons appointed on **ad-hoc** basis against the said posts ; and

(d) the time by which it is now proposed to refer the said posts to the Union Public Service Commission for making regular appointments against those posts ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) 31 (Thirty-one)

(b) to (d). In seven cases references have already been made to the Union Public Service Commission for filling up the vacancies on regular basis. The reasons, as to any other posts have not yet been notified to U. P. S. C. for regular filling, are because a number of posts were initially sanctioned for short durations. There is also a proposal under consideration for the reorganisation of the Commission for Scientific and Technical Terminology and the Central Hindi Directorate. The question of making a formal reference to U. P. S. C. will be considered after the reorganisation proposal has been finalised and posts on long term basis have been created.

Appointment of Research Assistants in Commission for Scientific and Technical Terminology

5126. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that **ad-hoc** appointments have been made against the various posts of Research Assistants in the Commission for Scientific and Technical Terminology and in the Central Hindi Directorate whereas the appointments against the said posts are required to be made through the U. P. S. C. ;

(b) whether the U. P. S. C. has been approached to make regular appointments against the said posts ; and

(c) if not, the reasons therefor and the time by which it is proposed to approach the U. P. S. C. in this regard and also the time by which it is proposed to make appointments against the said posts through the U. P. S. C. ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a). Yes, Sir.

(b) and (c). Some of these posts have already been advertised by the U. P. S. C. Recruitment to other posts will be entrusted to the Commission as soon as they are sanctioned on a regular basis.

Use of Hindi in Home Ministry

5127. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Ramesh Chandra Vyas :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of orders, circulars, notices, etc., concerning Class I, Class II, Class III and Class IV employees of his Ministry issued during the second half of 1968 and the number of those out of them which were issued in Hindi;

(d) the number of applications, petitions etc., received from the said employees in Hindi during the aforesaid period and the number of cases in which decisions taken thereon were communicated to them in Hindi ;

(c) the total number of letters received in his Ministry in Hindi during the second half of 1968 ;

(d) the number of those out of them which were replied in Hindi and in English separately ;

(e) whether the letters etc. received in Hindi were not replied in Hindi due to the anti-Hindi attitude of officers of his Ministry ; and

(f) the time by which it is proposed to issue replies to Hindi letters in Hindi and also to issue all the office orders etc. in Hindi ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). A statement showing the position is enclosed. **[Placed in Library. See No. LT 3089/70]**

(e) No, Sir.

(f) Instructions already exist that replies to letters received in Hindi should be given in that language and that all general Orders should be issued both in Hindi and English. There has been a steady progress in the implementation of these instructions. During the quarter ending December, 1969 only 16 Hindi letters were replied to in English whereas 2433 Hindi letters were replied to in Hindi. During this quarter only one general order was issued in English only whereas 71 general orders were issued both in Hindi and English.

Tutorial Classes for Children of Low-Income Group Parents

5128. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarhti :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 819 on the 29th August, 1969 regarding the result of the Central Board of Higher Secondary Examination held in 1969 and state :

(a) whether it is a fact that the students who secured first and second positions in the examination studied in schools having English medium and belonged to well-to-do families influenced by Western way of life ;

(b) whether Government propose to run free tutorial morning and evening classes for the children of low-income group parents so that the children of affluent families do not get higher marks on the strength of money ; and

(c) if so, the time by which the said classes would be run and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan): (a) This is not a fact, so far as the result of the Higher Secondary Examination conducted for the Schools of Delhi is concerned. But the result of the All India Higher Secondary Examination of the Board does indicate that first and second positions were obtained by students who studied in English medium schools.

(b) and (c). The Delhi Administration have started a number of remedial teaching and study centres. All students can attend such classes on payment of a nominal registration fee.

As far as possible, classes for remedial teaching have been located in slum areas, rural areas, economically backward areas, and other areas, where the schools show poor results.

So far as the All India Higher Secondary Examination is concerned, the schools affiliated to this examination are special schools generally serving all India needs. The Central Government have already instituted a scheme of national scholarships to enable meritorious children of low-income group parents to take advantage of the Special Schools. Beyond this, the Central Government have no scheme of the type indicated in part (b) of the question.

Work got done by personal staff in the name of Ministers

5129. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the personal staff of various Ministries get their various types of improper work done from Government on the pretext of "Minister desires"; and

(b) if not, whether Government propose to institute a surprise enquiry into it ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No such instance has come to the notice of this Ministry.

(b) It is not possible to conduct a roving inquiry into the matter. Specific instances if brought to notice can be looked into.

Complaints against Ministers and Officers

5130. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have stopped to look into the anonymous complaints made against the Ministers and Officers and the complaints bearing names and addresses are also sent to the very Officers against whom the said complaints have been made ;

(b) whether Government have taken any steps to ensure that the complainants who give their names and addresses on the complaints in respect of corruption, are not victimised ; and

(c) if so, the details thereof and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government have issued orders that action should not be taken on anonymous or pseudonymous complaints. Complaints against officers are not generally referred to them except when their remarks are required on any point.

(b) and (c). The Santhanam Committee had recommended that **bona-fide** complainants should be protected from harassment or victimisation. The Government accepted this recommendation in principle and issued instructions to all the Ministries and Departments to take appropriate measures accordingly.

Recommendation of Administrative reforms Commission Re-Employment of Ladies in Government Service

5131. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Administrative Reforms Commission has recommended that the ladies whose husbands and fathers are in Governmet service should not be taken in Government service ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ;

(c) whether Government are aware that as a result of husband and wife and father and daughter being in Government service, class-consciousness is spreading in the society and the said ladies are not able to discharge their official duties properly ; and

(d) whether Government propose not to take such ladies in Government service in future whose fathers or husbands are in Government service keeping in view the unemployment problem and bringing about efficiency in Government work ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Administrative Reforms Commission in its Report on Personnel Administration has only recommended that "it would be reasonable to impose restrictions on the employment of more than one member of a family, at least under Government. For this purpose, the family should be taken to mean only the husband and wife. Both the husband and wife should not be employed under Government at the same time."

(b) to (d). The recommendation is still under the consideration of the Government.

Acquisition of Records of Proceedings and Judgment in the case of Shri Madan Lal Dhingra

5832. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3209 on 6th December, 1967 regarding Shahid Madan Lal Dhingra and state :

(a) whether the Government of India have since collected a copy each of the court's proceedings, courts judgement and other relevant documents in respect of the case filed against Shri Madan Lal Dhingra, a freedom fighter, who had been sentenced to death on the charge of murder of Sir Curzon Ville in London in 1908-09 ;

(b) if so, the place where the said papers are available and whether Government would lay on the Table of the House a copy thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) : A microfilm copy of the depositions made at the trial has been obtained from the Public Records Office in Britain. It contains only the verdict.

(b) Microfilm copy is available in the National Archives of India for consultation by bonafide research scholars. There is a restriction on the duplication of this copy.

(c) Does not arise.

पदोन्नति पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद राष्ट्रीय स्वस्थता कोर निदेशालय में पदों की पूर्ति

5133. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्वस्थता कोर निदेशालय में इस आधार पर रिक्त पदों को अभ्यर्पित किया गया था और उनको भरा नहीं गया था कि और आगे पदोन्नतियाँ करने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद वरिष्ठ सुपरवाइजरों के पांच राजपत्रित पदों की पूर्ति की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी भेदभाव पूर्ण नीति अपनाने के क्या कारण हैं, जिससे अराजपत्रित कर्मचारियों को हानि पहुंची है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां, । सरकार ने निर्णय किया है कि किसी भी रिक्त पद पर कोई नियुक्ति न की जाय, क्योंकि राष्ट्रीय अनुशासन योजना का विकेन्द्रीकरण किया जायगा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कर्मचारी संघ को मान्यता

5134. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कर्मचारी संघ को संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के अन्तर्गत मान्यता प्रदान की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के अधीन समझौते के अनुसार सरकार ने कर्मचारियों/पदाधिकारियों का दमन न करने तथा उन्हें परेशान न करने का आश्वासन दिया है और यह सरकार की नीति भी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मुख्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पदाधिकारियों का दमन तथा उन्हें परेशान किये जाने के आरोपों के आधार पर संघ की ओर से कई शिकायतें की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन आरोपों के बारे में तथा दमन और परेशान करने के उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) तथा (ख) . हां, श्रीमान् जी ।

(ग) राष्ट्रीक स्वस्थता दल कर्मचारी संघ द्वारा समय समय पर छोटी छोटी शिकायतें की गई थीं परन्तु इन शिकायतों की ध्यान पूर्वक जांच करने से पता चला है कि संघ के पदाधिकारियों का न तो कोई दमन किया गया और न उन्हें परेशान ही किया गया।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Central Government Employees Consumer Co-operative Stores, New Delhi

5136. **Shri Onkarlal Bohra :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased fo state :

(a) the profit charged on the sale of goods in the Central Government employees' Consumer Cooperative Stores, New Delhi ;

(b) the sale proceeds from the imported goods during the last three months in the said stores, their total cost and the percentage of profit earned therefrom ;

(c) whether Government have fixed the percentage of profit to be earned by the Stores ;

(d) if not, the reasons therefor and, if so, the details thereof ; and

(e) the quantity of the imported goods sold to the officers and employees of the Stores separately out of the total sale of imported goods ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) The percentage of profit charged on various goods sold by the Stores varies from item to item. The percentage of profit usually charged on various categories of commodities is given below :—

1. Rationed articles	.. 2 to 3%
2. Grocery	.. 3 to 10%
3. General Merchandise (consumer) ..	.. 2 to 8%
4. Textiles	.. 14 to 18%
5. Footwear	.. 15%
6. Confiscated (Luxury goods)	.. 10 to 20%

(b)

Period	Sale Proceed	Cost	Percentage of Profit
December, 69 to February, 70	Rs. 1.34 lakhs	1.12 lakhs (approximately)	19.6%

(c) and (d). The Government do not fix the prices of commodities. Power of fixing prices of commodities is exercised according to the by-laws of the society by the management of the Society.

(e) Out of total sale of Rs. 1.34 lakhs during the last three months (December, 1969 to February, 1970) goods worth Rs. 2,000/- and Rs. 2,600/- (approximately) were sold to officers and employees of the Stores respectively.

Sale of Imported Goods by Central Government Employees' Consumer Cooperative Stores, New Delhi

5137. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that imported goods are sold in the Central Government Employees' Consumer Co-operative Stores, New Delhi ;

(b) whether such goods are sold only to the members of the Store and if not, the reasons therefor ;

(c) the quantity of such goods sold to its members and to the general public, separately, during the last three months ; and

(d) the quantity of goods sold during the last three months by the employees and officers of the Stores to their friends and acquaintances after the normal working hours of the Stores without any queue and without having any regard to the quantity of goods purchased by them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) In respect of items of imported goods received in small quantities, the sale is restricted to members only. In other times the sale is open to non members also.

(c) In view of (b) above no separate account about the sale of goods to members and non-members is kept.

(d) Nil.

Transfer of Middle Schools to Delhi Administration

5138. **Shri Onkarlal Bohra :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether the Middle Schools of Delhi, which were to be Transferred to the Delhi Administration have since been handed over to the said Administration ;

(b) if not, the reasons for the delay and the time by which these schools would be transferred to the Delhi Administration ;

(c) whether Government are aware that the teachers of these schools are not able to teach properly in the absence of a decision in this regard as the entire situation is hanging in the balance ; and

(d) whether Government have taken into consideration all the repercussions of this transfer and, if so, the details in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan): (a) No, Sir.

(b) The terms and conditions of transfer are being finalised by the Delhi Administration keeping in view the interests of all concerned parties.

(c) There is no reason why the teachers should not devote themselves to their duties.

(d) Yes, Sir ; the Delhi Administration is keeping in view all the implications of the transfer.

Theft of Idols in Rajasthan

5139. **Shri Onkarlal Bohra :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether he has received complaints from various quarters about the thefts of idols in Rajasthan ;

(b) if so, the action taken so far in that connection ; and

(c) whether Government would take steps at a high level to unearth the gang of idol-thieves so that these culprits could be awarded severest punishment ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Some Press Reports have come to the notice of Government and regarding thefts of idols in Rajasthan.

(b) and (c). Information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House on receipt. Further action would be considered on the receipt of report from the State Government.

श्री नाना साहिब धेंधूपन्त के राज महल तथा स्मारक का रख-रखाव

5140. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश में कानपुर के निकट बिठूर में स्वतंत्रता सेनानी श्री नाना साहिब धेंधूपन्त का राजमहल तथा स्मारक उजाड़ हालत में है ;

(ख) क्या सरकार के पास स्वतंत्रता के इस महान सेनानी के उपरोक्त स्मारक का रख-रखाव करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1951 के अधीन इस राजमहल तथा स्मारक स्थलों को अपने नियंत्रण में न लेने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क), (ख) और (घ) . बिठूर में ऐसी कोई इमारत नहीं है जिसे असंदिग्ध रूप से नाना साहब की मान ली जाए । वह इमारत जिसे कुछ व्यक्ति नाना साहब का महल मानते हैं, एक बहुत ही साधारण किस्म की प्राइवेट इमारत है, जिसे किसी भी प्रकार नाना साहब का भवन नहीं समझा जा सकता । यह भवन टूटी फूटी अवस्था में है । स्मारक 1957 में बनाया गया था और इसकी देख भाल राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाती है । क्योंकि यह इमारत हाल ही की बनी हुई है, इसलिए राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण द्वारा इसे संरक्षित नहीं किया जा सकता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सड़क निधि से महाराष्ट्र के लिये नियतन

5141. **श्री देवराज पाटिल** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 के लिये केन्द्रीय सड़क निधि से महाराष्ट्र सरकार के लिये कितनी राशि नियत की गई ;

(ख) क्या यह सच है कि अन्य राज्यों के लिये नियत की गई राशि की अपेक्षा दोनों वर्षों के लिये नियत की गई यह राशि कम है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 1969-70 के लिये 3399 लाख रुपये। संसद् द्वारा 1970-71 के बजट के पारित किये जाने के बाद इस वर्ष की संगत संख्या को अंतिमरूप दिया जायगा।

(ख) और (ग). किसी वित्तीय वर्ष में किसी राज्य के लिये व्यवस्था, जारी निर्माण कार्यों जिनका व्यय केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया जाता है, के लिये आवश्यक धन राशि तथा केन्द्रीय बजट में उस वर्ष के लिये उपलब्ध धन राशि पर निर्भर करती है। जहां तक महाराष्ट्र राज्य का सम्बन्ध है, 1969-70 में उसे आवंटित की गई राशि 5 राज्यों को आवंटित की गई राशि से कम है लेकिन शेष राज्यों के लिये निर्धारित राशि से अधिक है।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में 200 से अधिक कमरों वाली इमारत का निर्माण

5142. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में 200 से अधिक कमरों की एक इमारत बनाई है जो होटल के रूप में प्रयुक्त किये जाने के लिये बहुत ही उपयुक्त है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा पूछे जाने पर नई दिल्ली नगर पालिका ने बताया था कि वह उसे 20 लाख रुपये वार्षिक किराये पर देने के लिये तैयार है ;

(ग) क्या सरकार ने अभी तक अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया है जिस कारण नई दिल्ली नगर पालिका एक गैर-सरकारी पार्टी के साथ जिसने उतना किराया देने की अपनी उत्सुकता प्रकट की है, सौदा नहीं कर सकी और इसके परिणामस्वरूप वह प्रति दिन 6000 रुपये से अधिक की आय से वंचित हो रही है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो नई दिल्ली नगर पालिका को इस कारण अब तक कितनी हानि हुई है और सरकार उसकी प्रतिपूर्ति कैसे करना चाहती है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (ग). कोई ऐसी पूछ-ताछ नहीं की गई है।

मद्रास पत्तन न्यास द्वारा मद्रास में गोदी परियोजना के लिये शक्तिशाली कर्षनौकाओं (टगों) के लिये क्रयादेश

5143. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास पत्तन न्यास ने मद्रास में प्रस्तावित गोदी परियोजना के

लिये शक्तिशाली कर्षनौकाओं (टगों) की आवश्यकता महसूस की थी और उसने 10 जुलाई, 1968 को एक कलकत्ता फर्म को दो नौकर्षक टगों के लिरे क्रयादेश दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि क्रयादेश की क्रियान्विति में केन्द्रीय सरकार ने विलम्ब किया है और इस मामले पर सरकार ने केवल 10 अक्तूबर, 1969 को अर्थात् क्रयादेश देने के 15 महीने बाद ध्यान दिया ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता फर्म ने मद्रास पत्तन न्यास को सूचित किया है कि क्रयादेश की पुष्टि में विलम्ब के कारण, वह इन पहले दो टगों को सितम्बर, 1971 से पूर्व नहीं दे सकेगी ;

(घ) क्या मद्रास पत्तन न्यास ने अब केन्द्रीय सरकार से इनमें से एक टग का आयात करने के लिये 40 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा देने का अनुरोध किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या प्रशासनिक अकुशलता के कारण इस परियोजना में या तो विलम्ब होगा अथवा उसके लिये परिहार्य अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ेगी ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) और (ख). सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद मद्रास पत्तन न्यास ने 10 जुलाई 1968 को मैसर्स एनड्रयू यून एण्ड कम्पनी कलकत्ता को दो उच्च विद्युत कर्षनाव के लिये आदेश दिये । सरकार ने संघटक और मशीनों के आयात के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा का मोचन सिद्धांत रूप से मान लिया है । यह मोचन इस शर्त के अधीन होगा कि विदेशी मुद्रा का वास्तविक मोचन आयात किये जाने वाले विभिन्न मदों के लिये तकनीकी विकास महा-निदेशालय से आवश्यक मंजूरी प्राप्त होने और उस आधार पर उनकी विदेशी मुद्रा आवश्यक-ताओं का मूल्यांकन करने के बाद किया जायेगा । विभिन्न संघटकों के और उनके मूल्यों को अभिनिश्चय करने के लिये फर्म को पश्चिमी जर्मनी में विभिन्न निर्माताओं से पत्र व्यवहार करना पड़ा । साथ साथ फर्म में तकनीकी विकास महानिदेशालय से संघटकों के आयात के लिये देशी स्वीकृति मांगी । जबकि तकनीकी विकास महानिदेशालय के कुछ मदों के लिये स्वीकृति दी फर्म को दूसरे मदों के लिए देश के विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित करने को कहा गया । फर्म को उन देशी विक्रेताओं से पत्र व्यवहार करना पड़ा जिन्होंने देश के स्रोतों से संघटकों की पूर्ति करने में असमर्थता प्रकट की । मामले में शीघ्रता करने और बकाये बिन्दुओं को निपटाने के लिये 10 अक्तूबर, 1969 को तकनीकी विकास महानिदेशालय, पत्तन अधिकारियों और फर्म की एक बैठक हुई ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, हां । मद्रास पत्तन न्यास ने अपने आवश्यक जरूरतों की पूर्ति के लिये कलकत्ता के फर्म को दो कर्षनावों को दिये गये आदेश के अतिरिक्त सरकार को एक कर्षनाव के आयात के लिये लिखा है । पत्तन के स्वयं अपने कर्षनावों के उपलब्ध होने तक यह प्रश्न कि क्या कर्षनाव आयात किया जायेगा या किराये पर लिया जाये, सक्रिय विचाराधीन है ।

(ङ) तेल गोदी परियोजना को जल्दी से पूरा करने के लिये हर प्रयास किया जा रहा

है । परियोजना का 1971 तक पूरे हो जाने की आशा है । तब तक रिफाइनरी के लिये सुविधा दी गई है ताकि वे सूखे मौसम में जो कि वर्ष में लगभग 8 महीने रहता है में 36 फुट तक के डुबाव में तेल वाहकों को ला सके । बरसात में बन्दरगाह के अन्दर ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रश्न सक्रिय विचाराधीन है ।

मद्रास में गोदी-परियोजना के लिये मद्रास पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तुत योजना

5144. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मद्रास पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तुत मद्रास में 4.55 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली, जिसमें 1 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी शामिल है, गोदी-परियोजना के निर्माण के लिये एक योजना को स्वीकृति दे दी थी ;

(ख) क्या बाद में वित्त मंत्रालय ने कोठियों (केसन्स) के निर्माण हेतु चादरी लट्ठों (सीट पाइल्स) के आयात के लिये विदेशी मुद्रा देने से इंकार कर दिया जिसके फलस्वरूप इंजीनियरों को विवश होकर 1.19 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च से भारत में निर्मित अधिक कीमती चादरी लट्ठों का प्रयोग करने के लिये कोठियों का डिजाइन पुनः तैयार करना पड़ा ;

(ग) क्या बाद में यह कोठी-तकनीक अप्रभावी सिद्ध हुई जिसके फलस्वरूप इसके लिये संरक्षक शील्ड (प्रोटिक्टिव शील्ड) की आवश्यकता होगी और उसमें लाखों रुपयों का अतिरिक्त व्यय आयेगा ।

(घ) क्या परियोजना की कुल लागत अब 15 करोड़ रुपये आने का अनुमान है और यह अभी तक पूरी नहीं हुई है यद्यपि आरम्भ में इसके पूरी होने का समय अक्तूबर, 1968 था ; और

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त प्रशासनिक अदक्षता के क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप कितना सार्वजनिक धन बर्बाद हुआ ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी, हां ।

(ख) पत्तन न्यास ने जैसे मूल रूप से योजना बनायी उसमें आयातित इस्पात शीट पाइल के उपयोग का विचार है जिसमें विदेशी मुद्रा में लगभग 1 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है । विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति के कारण लगभग 1.19 करोड़ रुपये की लागत का देशी इस्पात शीट पाइलों के उपयोग का आश्रय लेना पड़ा था ।

(ग) परियोजना के वास्तविक कार्य करने के दौरान, पनकट दीवारों के निर्माण के बारे में कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा था । कैसनों का डुबाव संतोषप्रद नहीं चल रहा था और कुछ कैसन क्षतिग्रस्त हो गये थे । अतः पत्तन न्यास ने समस्याओं की जांच करने के लिये एक विशेष तकनीकी समिति गठित की । समिति ने पनकट दीवार को सशक्त करने के लिए अनेकों उपचारी उपायों की सिफारिश की । समिति की मुख्य सिफारिश चक्रवात स्थितियों के

अन्तर्गत पनकट दीवार की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिये पहले ही डुबाये गये कैसनों को तुरन्त भरना और कैसनों के विस्तृत अगले हिस्से और एड़ी की सुरक्षा के बारे में है। समिति ने यह वांछनीय समझा कि पनकट दीवार के उस हिस्से के लिये जिसका अभी निर्माण किया जाना है, कैसन का डिजाइन त्याग दिया जाय। समिति की सिफारिशें मद्रास पत्तन के कार्यान्वयन के अधीन हैं।

(घ) और (ङ). 1966 में जब परियोजना प्रारम्भ में मंजूर की गई तब तेल गोदी पर 39 फुट तक के डुबाव के तेल वाहक जहाज आ-जा सकेंगे, के आधार पर लागत का अनुमान 4.55 करोड़ रुपये था। बाद में आइल रिफाइनरी के प्रार्थना पत्र पर डुबाव को 42 फुट तक बढ़ाना पड़ा ताकि बड़े आकार के तेल वाहक जहाज आ-जा सकें। इसको और परियोजना में कुछ और परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए जनवरी 1969 में 8.15 करोड़ रुपये की राशि का एक पुनरीक्षित अनुमान मंजूर किया गया था। पनकट दीवारों को सशक्त करने के उपचारी उपाय के कारण परियोजना की अनुमानित लागत मंजूर की गई राशि में अधिक होगी। सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक नया पुनरीक्षित अनुमान मद्रास पत्तन न्यास द्वारा तैयार किया जा रहा है। बाहरी बाजू विस्तार के सिवाय परियोजना के 1971 में तैयार होने की आशा है। आवश्यक अध्ययनों के बाद बाहरी बाजू विस्तार किया जाने वाला कार्य का बड़ा मद है।

स्थायीकरण तथा पदोन्नति के प्रयोजन के लिए गैर-हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हिन्दी में परीक्षा

5145. **श्री जय सिंह :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री हाल ही में उनसे मिले थे और उन्होंने उनसे अनुरोध किया था कि स्थायीकरण तथा पदोन्नति के प्रयोजन के लिये हिन्दी में परीक्षा पास करने की शर्त से केन्द्रीय सरकार गैर-हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों वाले कर्मचारियों को छूट दी जाए ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार तमिल-नाडु के मुख्य मंत्री तथा इस मत वाले अन्य व्यक्तियों को समझाने का है कि वे हिन्दी-विरोधी रवैये को छोड़ दें अथवा क्या सरकार राजनैतिक कारणों से उनके मत के आगे झुकने जा रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). स्थायीकरण तथा पदोन्नति के प्रयोजन के लिए हिन्दी में परीक्षा पास करने की कोई अपेक्षाएं नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भी ली जाने वाली उर्दू अथवा हिन्दी परीक्षाओं के स्थान पर विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय सिविल सेवाओं की श्रेणी-1 में भर्ती किये गये व्यक्तियों के लिए सदा हिन्दी में मिडिल स्तर की विभागीय परीक्षा निर्धारित

की गई है । उक्त शर्त न तो कोई नई अपेक्षा है और न ऐसी अपेक्षा ही है जिसके कारण अतीत में हिन्दी न जानने वाले भर्ती किये गये व्यक्तियों को कोई घाटा हुआ हो । इसलिए वर्तमान नियमों में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

Memorandum Presented by Deputation of D. T. U. Employees' Union to Prime Minister

5146. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a deputation of the Delhi Transport Undertaking Employees' Union met the Prime Minister on the 28th January, 1970 ;

(b) if so, whether it is also a fact that the deputation presented a memorandum to her ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the reaction of Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) to (d). Some representatives of the Delhi Transport Udertaking Karamchari Sangh met the Prime Minister in January, 1970 and presented copies of representations earlier made by the Sangh. These representations contained complaints against the management of the Delhi Transport Undertaking, suggested taking over of the Undertaking by the Government and appointment of a High-Power Committee to make a probe in its working. Since all the administrative powers of the Central Government under the D. M. C. Act, 1957 have been delegated to the Lt. Governor of Delhi, the representations were forwarded to the Delhi Administration for necessary action.

दिल्ली के स्कूलों में नई परीक्षा प्रणाली लागू करना

5147. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के स्कूलों में यूनेस्को परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1968 से नये पाठ्यक्रम चालू करने और छठी तथा ग्यारहवें स्टैण्डर्ड के छात्रों के लिये परीक्षा की नई प्रणाली लागू करने के परिणामस्वरूप वर्ष 1969 में बहुत से छात्र अनुत्तीर्ण हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में विशेषत: बालिका बिड़ला उच्चतर माध्यमिक स्कूल में छठी, सातवीं, नवीं तथा दसवीं कक्षाओं में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए ;

(ग) इन कक्षाओं के विद्यार्थी को कितने विषय पढ़ाये जाते हैं ;

(घ) क्या यह जानने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है कि क्या छात्रों के लिये इतने विषय अधिक तो नहीं है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली के अन्य स्थानीय निकायों से एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

एल० पी० स्कूल, मनीपुर के चौकीदारों के वेतन का पुनरीक्षण

5148. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल० पी० स्कूल के चौकीदारों के जिन्हें केवल 3 रुपये प्रतिमाह दिये जाते हैं, वेतन का पुनरीक्षण करने के लिये मनीपुर प्रशासन ने कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षण के मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है और उन चौकीदारों की संख्या कितनी है जिन्हें यह नाम मात्र की राशि दी जाती है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). एल० पी० स्कूलों में 54 चौकीदार हैं जिन्हें तीन रुपये प्रतिमास के हिसाब से अदा किया जाता है । उनके वेतनों के परिशोधन का प्रश्न प्रशासन के विचाराधीन है ।

मनीपुर के स्कूलों में स्नातक प्रधानाध्यापकों के वेतन मान

5149. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री मणिपुर में एम० ई० तथा जे० बी० स्कूलों में स्नातक प्रधानाध्यापकों के वेतनमानों के बारे में 21 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3962 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर प्रशासन ने मनीपुर में एम० ई० और जे० बी० स्कूलों की स्नातक प्रधानाध्यापकों को स्नातक वेतनमान देने के बारे में निर्णय ले लिया है और केन्द्रीय सरकार ने उसे स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) तथा (ख). यह मामला मनीपुर प्रशासन के विचाराधीन हैं ।

प्रजातंत्र पत्रिका के सम्पादक को इम्फाल में भूमि का आवंटन

5150. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री इम्फाल में भूमि के आवंटन के बारे में 21 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3961 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रजातंत्र पत्रिका/इम्फाल के सम्पादक, श्री जय चन्द्र सिंह ने सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया था और उसने भूमि के उस बड़े प्लाट पर जो उसके प्रेस के लिये वर्ष 1961 में उसे मनीपुर सरकार द्वारा दिया गया था, कुछ इमारतें बनाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके विरुद्ध बेदखली कार्यवाही की गई है और उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या मनीपुर के भूतपूर्व मुख्य आयुक्त ने उन्हें 2 लाख रुपये का ऋण देने की और आगे सिफारिश की है ; और

(घ) क्या इस आवंटित भूमि के छोटे-छोटे प्लाट बनाकर अन्य प्रयोजन के हेतु प्रयोग करने के लिये बेचने पर इस सम्पादक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है, यद्यपि उसे प्रेस स्थापित करने के लिये असाधारण रूप से बड़ा प्लाट दिया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). मनीपुर सरकार ने सूचित किया है कि प्रजातंत्र पत्रिका, इम्फाल के सम्पादक श्री जय चन्द्र सिंह ने सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया था। वह इस पर एक भवन का निर्माण कर रहा है। सहायक सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त अधिकारी ने बेदखली के आदेश जारी कर दिये हैं और कार्यान्वयन के लिए पश्चिम इम्फाल के एस० डी० सी० को भेज दिये गये हैं।

(ग) लोक सभा प्रश्न संख्या 9915 के भाग (च) और (छ) में जैसा पहले ही सूचित किया गया है, दैनिक पत्र प्रजातंत्र के लिए मनीपुर सरकार द्वारा 2 लाख रुपये के एक ऋण की सिफारिश की गई थी।

(घ) मनीपुर सरकार भूमि के आवंटन की कतिपय शर्तों का उल्लंघन करने के लिए प्रजातंत्र पत्रिका के सम्पादक के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है।

मनीपुर में प्राइमरी इन्वेस्टीगेटरों के वेतनमान

5151. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार के अधीन सांख्यिकीय विभाग में प्राइमरी इन्वेस्टिगेटरों का वेतनमान 1 अप्रैल, 1964 से पुनरीक्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षण से पूर्व वेतनमान क्या थे और पुनरीक्षित वेतनमान क्या हैं;

(ग) क्या इस वर्ग के कर्मचारियों के साथ उक्त पुनरीक्षण से अन्याय हुआ है क्योंकि पुनरीक्षण से पहले वही वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को उच्चतर वेतनमान दिया गया था ;

(घ) क्या उन्हें दो अग्रिम वेतन वृद्धियां भी दी जाती हैं यदि वे स्नातक हों ;

(ङ) यदि हां, तो क्या मनीपुर सरकार ने उन प्राइमरी इन्वेस्टिगेटरों को भी दो अग्रिम वेतन वृद्धियां दी हैं जो 1 अप्रैल, 1964 के बाद स्नातक हुए हैं ; और

(च) यदि नहीं, तो उन्हें ये वेतन वृद्धियां जो 1 अप्रैल, 1964 से लागू होती हैं, न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्राइमरी इन्वेस्टिगेटरों के पद का संशोधन पूर्व वेतनमान 100-6-160-द० रो०-8-200 रु० था। इस वेतनमान को संशोधित कर इसे 140-6-170-द० रो० 7-205-द० रो०-7-275 रु० बना दिया गया।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) से (च). अग्रिम वेतन वृद्धियां उन स्नातकों को दी गई हैं जो 1-4-1964 को अथवा उसके बाद सेवा में आए। ये वेतन वृद्धियां उनको नहीं दी जाती जो सेवा में रहते हुए स्नातक बने। फिर भी, कर्मचारियों के इस वर्ग को आसाम के नमूने पर उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों के वेतन के बराबर का लाभ दिया जाता है।

सेन्ट्रल स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्र

5152. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में अब तक कितने सेन्ट्रल स्कूल खोले गये है ; और

(ख) इन स्कूलों की कुल छात्र संख्या में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों की संख्या कितनी है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 122

(ख) कुल दाखिल 71,827 विद्यार्थियों में से 2609

Samaj Sadan for Thyagaraj Nagar, New Delhi

5153. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Welfare Committee, Thyagaraj Nagar, New Delhi, has been demanding construction of a 'Samaj Sadan' for the welfare activities of the residents of the said colony for the last several years ;

(b) if so, the action taken so far by Government in this connection and the steps proposed to be taken in future ;

(c) whether it is a fact that in the colonies where 'Samaj Sadans' have not so far been constructed, separate quarters have been allotted to the recognised societies for their welfare activities ; and

(d) if so, the reasons for this discrimination in the case of the Thyagaraj Nagar Welfare Committee ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) The Community Halls are being constructed under a phased programme and Thygaraj Nagar has been given a high priority in that programme.

(c) Yes, Sir.

(d) Welfare Committee, Thyagaraj Nagar has been using a shed for their Welfare activities, hence their request for allotment of another quarter could not be supported.

Pakistani Infiltrators in Jammu and Kashmir

5154. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of Pakistani infiltrators are entering the Indian territory in Jammu and Kashmir across the cease-fire line ; and

(b) if so, the action taken to check such type of infiltration ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No. Sir.

(b) Does not arise. Government are, however, vigilant.

Scheme for Bringing Aided and Recognised Schools under Control of Central Government

5155. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have under consideration a scheme to bring all aided and recognised schools in the country under the control of Central Government ;

(b) if so, the time by which the said scheme is likely to be implemented ; and

(c) if not, the reasons therefor when the implementation of the aforesaid Scheme is essential to bring the pay scales of teachers of these schools at par with those of their counterparts in the Government schools ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

(c) The matter primarily concerns the State Governments, because education is a State subject.

Alleged Interference by Union Deputy Minister of Law in the Affairs of Poona Municipal Corporation

5156. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Beni Shanker Sharma :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Poona Municipal Corporation has expressed resentment against the alleged undue interference by the Union Deputy Minister of Law in the affairs of the Corporation ; and

(b) if so, the reasons for which the Union Deputy Minister interfered in the affairs of the State Government ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affaits (Shri Vidyachaaan Shukla) : (a) Yes Sir.

(b) The Deputy Law Minister has written to the State Government explaining that there was absolutely no intention to embarrass or intervene in the affairs of either the State Government or the Corporation of Poona City.

दिल्ली में नव-वर्ष समारोह के अवसर पर की गई गिरफ्तारियां

5157. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष नव-वर्ष समारोह के अवसर पर दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में हुल्लड़-बाजी पदोन्मत्तता की घटनाओं के कारण गिरफ्तारियां की गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) नव-वर्ष समारोह के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों में हुल्लड़बाजी, जुएबाजी और मदोन्मत्तता के कारण 101 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे । की गई कार्यवाही के ब्यौरे इस प्रकार है :

	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति	चालान किये गये	दोष सिद्ध	लम्बित पड़े मुकदमे
1. पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 34 के अधीन :	11	11	11	—
2. बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 110/112/117 के अधीन	79	79	75	4
3. पंजाब आबकारी अधिनियम; 1914 की धारा 61 के अधीन	11	11	8	3
कुल :	101	101	94	7

भारत से ऐतिहासिक अभिलेख बाहर जाना

5158. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

श्री सु०कु० तापड़िया :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश से ऐतिहासिक अभिलेखों के बाहर जाने के बारे में ऐतिहासिक अभिलेख आयोग द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर ध्यान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 38वें अधिवेशन (1967) में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने, ऐतिहासिक महत्व की पुरातत्वीय तथा अन्य सामग्री को विदेशों को भेजने से रोकने के लिए, एक अध्यादेश जारी करने का सुझाव दिया था । बाद में आयोग ने पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947 में संशोधन करने की सिफारिश की थी ।

उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा स्तर में विषमता तथा असमानता

5159. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में विभिन्न राज्यों में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर में समानता नहीं है और बहुत सी विषमतायें हैं, यदि हां, तो समानता के अभाव तथा ऐसी विषमताओं का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसी असमानताएं पाठ्यक्रमों में तथा विद्यार्थियों के स्कूल में रहने की अवधि के बारे में भी हैं ; यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विभिन्न इंजीनियरी तथा चिकित्सा संस्थाएं केवल उन्हीं विद्यार्थियों को दाखिल करती है; जिन्होंने उनके द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से ही शिक्षा प्राप्त की हो, यदि हां, तो इसका ब्योरा तथा इसके कारण क्या हैं ; और

(घ) समूचे देश में एक समान शिक्षा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और ऐसी समानता कब तक आने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). स्कूल शिक्षा, राज्यों की जिम्मेदारी होने के नाते, विभिन्न राज्यों की स्कूल पद्धतियों में कुछ भिन्नता है ब्योरे, शिक्षा आयोग (1964-66) की रिपोर्ट के पृष्ठ 26 और 27 पर दिए गए हैं ।

(ग) इंजीनियरी और मेडिकल कालेज या तो विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध है या अपनी डिग्रियां प्रदान करने के लिए प्राधिकृत हैं । इन पाठ्यक्रमों में वे सभी छात्र दाखिला पा सकते हैं जिन्होंने किसी सम्बद्ध विश्वविद्यालय अथवा संस्था द्वारा आयोजित निर्धारित परीक्षा अथवा उसके समकक्ष मान्य परीक्षा पास की हो ।

(घ) शिक्षा राज्य विषय होने के नाते, भारत सरकार, सारे देश के लिए किसी दृढ़ एक रूपता को व्यावहारिक नहीं समझती है ।

दिल्ली नगर निगम के बारे में मुरारका आयोग की सिफारिशें

5160. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष ने शिकायत की है कि केन्द्रीय सरकार मुरारका आयोग की नगर निगम के अनुकूल बैठने वाली सिफारिशों को क्रियान्वित न करके केवल उन्हीं सिफारिशों को क्रियान्वित करके जो नगर निगम के प्रतिकूल बैठती हैं ; नगर निगम से सौतेली मां का व्यवहार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष ने ग्रामीण अनुदान के लिए बजट प्रावधान किये जाने के बिना, जिसके लिए भी आयोग द्वारा समान रूप से सिफारिश की गई थी, जांच आयोग की सिफा-

रिशों के आधार पर हस्तान्तरित संस्थानों के लिए 64.52 लाख रुपये का कमी किये गये बजट प्रावधान का उल्लेख किया था। सरकार ने अब 1969-70 के लिए पुनरीक्षित अनुमानों में हस्तान्तरित संस्थानों के लिए 96.78 लाख रुपये का सामान्य वार्षिक अनुदान पुनः स्थापित कर दिया है और 1969-70 में निगम को सम्पूर्ण धन-राशि का भुगतान कर दिया गया है।

देश में आग लगाने तथा हत्या की घटनाएं

5161. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 में अब तक राज्य-वार हत्याओं तथा आग लगाने के कुल कितने मामले पंजीकृत किये गये हैं ; और

(ख) देश में हो रही ऐसी बर्बरतापूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) असम, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त, 28 फरवरी, 1970 तक की, सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3090/70]**

शेष राज्यों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर सदन के सभापटल पर रख दी जायगी।

(ख) पुलिस राज्य विषय है और राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र ऐसे मामलों को रोकने तथा उनसे निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाती हैं।

कलकत्ता तथा कूच-बिहार के बीच विमान सेवाएं

5162. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कोई ऐसा वक्तव्य दिया है कि कलकत्ता तथा कूच-बिहार के बीच डकोटा सेवा 31 मार्च, 1970 तक जारी रखी जायेगी और इसे आगे जारी रखने के प्रश्न पर बाद में विचार किया जायेगा ;

(ख) क्या उन्होंने कलकत्ता कूच-बिहार विमान सेवा को 31 मार्च, 1970 के पश्चात् नियमित रूप से जारी रखने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस कलकत्ता-कूच बिहार सेवा का 31 मार्च, 1970 के बाद भी परिचालन करती रहेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Clashes between Police and Naxalites

5163. **Shri Om Prakash Tyagi**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the total number of Naxalites and Policemen, killed or injured so far in the clashes between the two in the various States; and

(b) the total number of Naxalites in the country as per information of Government?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) According to information received from the State Governments/Union Territory Administrations, no clashes have taken place between extremists and policemen in the Union territories, Haryana, Tamil Nadu and Mysore. In Andhra Pradesh four extremists were killed and five injured and thirteen policemen were injured in such clashes in 1968 In 1969, 84 extremists were killed and 12 injured and one policeman was killed and 14 injured. In January and February, 1970, four extremists have been killed and one injured and one policeman has been injured. In Orissa some extremists fired upon a police party on March 11, 1970, injuring one constable. Another constable while going to join his duty on September 12, 1969, was murdered by the extremists. In Punjab one police officer and two extermists have been injured in clashes. Information from the remaining State Goverments is awaited.

(b) The estimated strength of extremists in the various States is being ascertained.

इण्डियन क्रिश्चियन एसोसिएशन, दिल्ली

5164. **श्री भारत सिंह चौहान**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन क्रिश्चियन एसोसिएशन, दिल्ली (पंजीकृत) राजनीति में सक्रिय भाग ले रही है ;

(ख) क्या सरकारी कर्मचारी भी इसके सदस्य हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इसे एक राजनैतिक दल घोषित किया है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) नहीं, श्रीमान्, जी।

(ख) कुछ सरकारी कर्मचारियों का इसके सदस्य होने की जानकारी प्राप्त हुई है।

(ग) नहीं, श्रीमान् जी।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के सचिव के विरुद्ध जांच-पड़ताल

5165. **श्री भारत सिंह चौहान**: क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के सचिव के विरुद्ध जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सचिव के विरुद्ध लगाये गये किसी आरोप के लिये उसे दोषी पाया गया है ; और

(ग) क्या उसका सेवाकाल बढ़ाया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के अध्यक्ष ने बताया है कि शासी निकाय ने जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार किया था और सचिव के विरुद्ध भ्रष्टाचार अथवा बदनीयती का कोई साबूत नहीं पाया गया था।

(ग) शासी निकाय ने निर्णय किया है कि सचिव की नियुक्ति स्थायी आधार पर है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 990 के उत्तर में शुद्धि
CORRECTION IN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTION NO. 990

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : श्रीमान्, विमान-क्षेत्र परिचालकों (एयरोड्रोम आपरेटरों) के चयन के बारे में श्री चन्द्रिका प्रसाद के 27 फरवरी 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 990 के भाग (क) के उत्तर में इसे मैंने निम्नलिखित सूचना दी थी :-

गत दिसम्बर में हुए विमान क्षेत्र परिचालक (एयरोड्रोम आपरेटर) ग्रेड 1 के पदों के लिये साक्षात्कार (इन्टरव्यू) के सम्बन्ध में		
प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की संख्या		1750
साक्षातकार के लिये बुलाये गये आवेदकों की संख्या	...	1698
चयन किये गये आवेदकों की संख्या	...	48

उक्त आंकड़े उन चार प्रदेशों में से जिनमें असैनिक उड्डयन विभागों के अधीन हवाई अड्डों तथा केन्द्रों के प्रशासन के प्रयोजन के लिए देश को बांट रखा है, एक दिल्ली प्रदेश से प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में है। चूंकि प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य शायद देश भर से प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों से सम्बन्धित आंकड़ों को जानना चाहेंगे इसलिये निम्नलिखित जानकारी भी दी जाती है :

विमान-क्षेत्र परिचालकों के पदों के लिये देश भर से प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की कुल संख्या	..	3534
उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए ऐसे आवेदन-पत्रों की संख्या (इनमें से 899 आवेदन-पत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों से प्राप्त हुए)	...	1300
लिखित परीक्षा के पश्चात इन्टरव्यू के लिये योग्य पाये गये आवेदकों की संख्या (इनमें से 78 आवेदक उत्तर प्रदेश से थे जिनमें 35 उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के शामिल थे)	...	812
देश भर में नियुक्ति के लिये योग्य पाये गये व्यक्तियों की कुल संख्या (इनमें से 14 व्यक्ति जिनमें 8 उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के शामिल थे, उत्तर प्रदेश के थे)	...	280

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तान को टैंक बेचने की संयुक्त राज्य अमरीका की कथित योजना

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस विषय पर वक्तव्य दें ।

"तुर्की के जरिये पाकिस्तान के अमरीकी टैंक बेचने की संयुक्त राज्य अमरीका की कथित योजना ।"

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : सदन को समय-समय पर इस बात से अवगत कराया गया है कि पाकिस्तान प्रत्यक्ष रूप से या तीसरे देश के माध्यम से अमरीकी शस्त्र प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहा है ।

हमारी सूचना के अनुसार पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रों की सप्लाई पुनः आरम्भ करने का प्रश्न, जिसमें अमरीका द्वारा निर्मित सौ टैंकों की सप्लाई भी शामिल है । अभी संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के विचाराधीन है । खबर मिली है कि हालांकि इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, फिर भी शस्त्र सप्लाई नीति पर पुनर्विचार करने में, जो अभी संयुक्त राज्य अमरीका के विचाराधीन हैं, यह विशेष अनुरोध कई कारकों में एक कारक होगा ।

सरकार ने राजनयिक माध्यमों से और उच्च स्तर पर भी संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार को कई बार यह बतलाया है कि पाकिस्तान को संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा सैनिक हथियार सप्लाई करने से अपने प्रतिरक्षा संबंधी दायित्वों और उपमहाद्वीप में शान्ति बनाए रखने के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में गंभीर परिणाम निकलेंगे । यह प्रयास निरन्तर जारी है । यह भी उन्हें बतलाया गया है कि इस प्रकार शस्त्रों की और सप्लाई से, भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने में भारत के प्रति पाकिस्तान का रवैया और भी दुराग्रही हो जायगा ।

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : शस्त्रास्त्रों को देने के इस समाचार के साथ साथ यह समाचार भी मिला है कि पाकिस्तान को कुछ शस्त्र ईरान द्वारा भी देने की योजना है । ईरान के एयर चीफ आजकल पाकिस्तान में हैं और उसकी गुप्त बातचीत चल रही है । इससे पूर्व भी ईरान ने पाकिस्तान को कुछ शस्त्र विशेष रूप से लड़ाकू जहाज आदि दिये थे । परन्तु यह खेद का विषय है कि जब हम सरकार से इन बातों के बारे में पूछते हैं तो उसे कोई जानकारी ही नहीं होती । दुख की बात तो यह है कि उनके पास कोई सूचना नहीं होती तथा उन्होंने कई बार इस बात से इन्कार किया है कि इस प्रकार की कोई योजनायें चल रही हैं ।

आपको शायद मालूम होगा कि जब तुर्की द्वारा पाकिस्तान को 200 पैटन टैंक देने का सौदा तय हो रहा था तो सारी दुनिया इसे जानती थी परन्तु हमारी सरकार ने उस वक्त भी कहा था कि उन्हें इसके बारे में कोई सूचना नहीं है । तुर्की के प्रवक्ता ने भी इस समाचार का खंडन किया था । इन सभी बातों से तो यही मालूम होता है कि विदेश मन्त्रालय के हमारे

अधिकांश नौकरशाह आराम से रहकर केवल जीवन का आनन्द उड़ाते रहते हैं उनकी किसी प्रकार की सतर्कता नहीं होती। मंत्री तो खैर कहीं भी काम नहीं करते हैं। अब समय आ गया है जब हमें इस ओर ध्यान देना होगा कि हमारे राजदूत क्या करते हैं और हमारे दूतावासों में क्या हो रहा है। पाकिस्तान इस प्रकार की सौदेबाजी प्रमुख रूप से इटली, बैलिजयम, ईरान और तुर्की के माध्यम से करता है। जिन देशों के माध्यम से अमरीका पाकिस्तान को सशस्त्र सहायता देता है वहां की सूचना प्राप्त करने के लिए उन क्षेत्रों में हमें विशेष गुप्तचर कक्षों का निर्माण करना होगा। केवल विरोध पत्रों से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि वे इनकी रंचमात्र भी परवाह नहीं करते हैं।

अमरीका और रूस दोनों देशों में होड़ लगी है। दोनों ही पाकिस्तान को अपना मित्र बनाना चाहते हैं और दोनों ही उसे शस्त्रों से सहायता दे रहे हैं। हमारी सरकार यह तर्क देती है कि रूस भी हमें सहायता दे रहा है पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायना उससे कहीं कम है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुये मैं फिर सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह इन देशों में जिन के माध्यम से पाकिस्तान को सहायता दी जाती है, कोई विशेष गुप्तचर कक्ष बनाने की योजना रखती है ? ताकि सरकार हर प्रश्न पर यही उत्तर न दे कि "हमें इसकी कोई सूचना नहीं है" या "इसकी सूचना प्राप्त की जा रही है"।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : माननीय सदस्य ने अभी तक केवल यही सुझाव देने का प्रयत्न किया है कि सरकार को इन सम्बद्ध देशों में अपने विशेष गुप्तचर कक्षों की स्थापना करनी चाहिये। मैं सदन को पहले ही सूचना दे चुका हूं जब कोई इस प्रकार का समाचार होता है तो उसकी सूचना हमें समय पर मिल जाती है। 1967 के सौदे के बाद पाकिस्तान को नाटो देशों ने गत तीन वर्षों में कभी और टैंक नहीं भेजे। इस विशेष सौदे के बारे में भी मैं पहले ही कह चुका हूं कि अमरीका सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया।

श्री रणजीत सिंह : मंत्री महोदय ने नाटो (उत्तर अटलांटिक संधि संगठन) देशों से सहायता की बात कही है। परन्तु मेरा प्रश्न यह नहीं था। मेरा प्रश्न उन शस्त्रों के बारे में था जो अमरीकी क्षेत्र से किसी न किसी रूप में पाकिस्तान प्राप्त करता है। साथ ही मन्त्री महोदय ने कहा कि उन्हें इस प्रकार के कार्य की सूचना पहले ही मिल जाती है तो 19 अक्टूबर 1968 को वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय के प्रवक्ता का यह वक्तव्य कि हमें पाकिस्तान और तुर्की के टैंकों से सौदेबाजी की कोई सूचना नहीं, कहां तक सत्य था ?

Shri Rabi Ray (Puri) : It is evident from the written answer given by the Minister that our foreign Policy is an utter failare. In fact both U.S.A. and U.S.S.R. behave in a manner as if they are our bosses. In July, when Foreign Minister Shri Dinesh Singh was in America, American Secretary of State said that America will not sell its tanks to Pakistan through any other country. At the same time it was stated by the US Defence Secretary that America is considering whether to permit the sale of 100 American tanks from Turkey to Pakistan. Our Government did not pay any heed to these contradicting statements. Did the Government send a note of

protest to American Government on this issue ? At the same time I want to know the action of which our Government contemplates against American Government who promised **not** to sell tanks through a third country to Pakistan but violated the same thrice. Is it correct that U. S. Sub-marine named "Ghazi" was given to Pakistan for training purposes and that it has been now sent to America for repairs and overhauling after being damaged in Indo-Pak conflict.

Shri Surendra Pal Singh : In 1967 American Government finalised a policy under which it decided not to give free Military aid to any country. It decided not to send lethal weapons, however, spares for lethal weapons already sent could be supplied. There was no restriction on the supply of non-lethal weapons. America did not supply any lethal weapon either to India or Pakistan since 1967. It was further decided that no military armaments will be supplied to India or Pakistan through any third country. Till today America was abiding by this policy but now this policy is being reviewed, and that is perhaps because they want to supply the said tanks.

So far as the issue of sub-marine is concerned, it was given to Pakistan for training purpose whose term has now perhaps been extended.

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हौर) : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान की कूटनीति बहुत सफल रही है क्योंकि उसने यूरोप और एशिया दोनों ही महाद्वीपों के देशों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सैनिक सहायता प्राप्त कर ली है। 1950 से 1960 तक अमरीका पाकिस्तान को इसलिए सहायता देता रहा कि वह साम्यवादियों का सामना कर सके परन्तु बाद में उसे मालूम हुआ कि उसके शस्त्र पीकिंग या मास्को की अपेक्षा नई दिल्ली के विरुद्ध प्रयोग में लाये गये। अमरीका अपनी गाजी पनडुब्बी (सब-मैरीन) भारतीय महासागर में चला कर, उस पर अपना कुछ प्रभुत्व रखना चाहता है। रूस ने पाकिस्तान को सबसे अधिक गोलाबारूद दिया है। चैकोस्लोवाकिया जैसे देश भी पाकिस्तान को सहायता दे रहे हैं। 1967 की बाड संधि को तोड़ते हुये पश्चिमी जर्मनी पाकिस्तान के साथ मिलकर ऐन्टी टैंक कोबरा मिसाईल (टैंक भारक कोबरा प्रक्षेपणास्त्र) बनाने लगा है। गत 26 मार्च को रक्षा मन्त्री ने कहा कि फ्रांस की बन्दरगाह से शस्त्रों भरा एक ब्रिटिश जहाज पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका है, समस्या तो यही है कि जो भी सहायता पाकिस्तान को दी जाती है उसका प्रभाव भारत की अखण्डता और प्रभुसत्ता पर पड़ना अनिवार्य ही है।

अब जबकि यह विशेष विषय अमरीका सरकार के विचाराधीन है और इस पर अन्तिम निर्णय लिया जाने वाला है, मेरा विचार है कि हमारे मन्त्री महोदय को वाशिंगटन जाकर भारतीय सरकार और लोगों की प्रतिक्रिया से अमरीकी सरकार को अवगत करवाना चाहिये। वह अमरीकी सरकार को स्पष्ट करदें कि उनके द्वारा पाकिस्तान की इस प्रकार से दी जाने वाली सशस्त्र सहायता से दोनों देशों के सम्बन्धों में तनाव बढ़ेगा और साथ ही अमरीका को भारत की मित्रता से भी हाथ धोना पड़ेगा। इन बातों के लिए मन्त्री महोदय को वाशिंगटन जाने में क्या आपत्ति है ?

दूसरी बात मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि रूस प्रयत्नों के फलस्वरूप जो ताशकंद समझौता हुआ, उसका प्रमुख लाभ तो पाकिस्तान को हुआ। भारत सदा समझौते की शर्तों को मानता रहा और पाकिस्तान ने निरन्तर उनकी अवहेलना की। पाकिस्तान ने चीन के साथ जो गठजोड़ कर रखा है, उससे भी भारत की सुरक्षा को भारी खतरा है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : माननीय सदस्य का प्रमुख प्रश्न यही है कि हमने अमरीकी सरकार को अपनी प्रतिक्रिया से अवगत करवाया है या नहीं । विदेश मन्त्री जब संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक भाग लेने के लिए वाशिंगटन गये थे, तभी उन्होंने अमरीकी सचिव श्री रोगड़ से इस विषय पर बातचीत की थी । इसके अतिरिक्त 1969 में चार बार इसी विषय पर अमरीका से बातचीत हो चकी है । वह हमारे दृष्टिकोण से पूर्णतया अवगत हैं और आशा है कि अन्तिम निर्णय लेते समय भी वह इसे अपने ध्यान में रखेंगे ।

उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ संसद सदस्यों को दिये गये नोटिसों के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGES RE : SUPREME COURT NOTICES TO CERTAIN M.Ps.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It has been brought to my notice that five members of this House viz. Sarvshri Sanjeev Reddy, N. K. P. Salve, S. M. Banerjee, Y. B. Chavan and Shankaranand have been served with notices by Supreme Court. It has been stated in the notice that if they wish to contest appeal they should enter appearance within 30 days either in person or by an advocate.

It has been clearly stated in Section 105(2) of our constitution that speech and action of a Member of Parliament is subject only to the discipline of the House itself and no proceedings, civil or criminal, can be instituted against him in any court in respect of the same.

Supreme Court should not have issued such a notice. We can take it as a contempt of the privileges of this House and initiate action against Supreme Court. But I am not in favour of any action against Supreme Court because ultimately it will lead to struggle between the privileges of this House and Supreme Court. I only wish that Supreme Court should withdraw its notices and these members should be assured that no action will be taken against them.

Article 19 of our Constitution provides the freedom of speech even to the common man. Under Article 121 this House is not supposed to condemn the Supreme Court. Therefore this House and Supreme Court both have got their own limitations and we must abide by them. If Article 105(2) is violated and proceedings are initiated against Members in High Court or Supreme Court, members will be afraid to speak out their minds freely and express their views.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री मधु लिमये को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मामले पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है । हमें संविधान के अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत उन्मुक्ति प्राप्त है । अत: किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वह हमारे ऊपर उस बात पर मुकद्दमा चलाये जो हमने इस सभा में कही हो । यदि सभा सदस्यों को विशेषाधिकारों की रक्षा नहीं करेगी तो संसद और न्याय-पालिका में गम्भीर विरोध उत्पन्न हो जायेगा । संसद सदस्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का सम्मान करते हैं । उच्चतम न्यायालय को भी संसद सदस्यों का सम्मान करना चाहिए । अत: मैं आपसे अनुरोध करना है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये । पिछली बार भी विधि मंत्री और अध्यक्ष ने हमें यह परामर्श दिया था कि हम न्यायालय में पेश न हों ।

अब पुनः उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर वाले समन हमें मिले हैं। यदि उच्चतम न्यायालय इस सभा का सम्मान नहीं करती तो वह भी सभा के अवमान का दोषी है। यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं एक बार पहले भी यह स्पष्ट कर चुका हूं। अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत संसद और संसद सदस्यों को असीमित विशेषाधिकार प्राप्त हैं। संसद में जो भी कार्यवाही होगी, उस पर न्यायालय में मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता। संसद ने अपने नियमों के अनुसार ही संसद में किये जाने वाले भाषणों के बारे में कुछ प्रतिबन्ध स्वेच्छा से लगा रखे हैं। मैंने पहले भी महान्यायवादी से उच्च न्यायालय को इस स्थिति से अवगत कराने के लिये अनुरोध किया था और ऐसा किये जाने पर मुकद्दमे रद्द कर दिये गये थे। अब भी हम यही उपाय अपनाना उचित समझते हैं। मैं महान्यायवादी से यह अनुरोध करूंगा कि वह उच्चतम न्यायालय में जाकर अनुच्छेद 105 के उपबन्धों की ओर उसका ध्यान दिलायें। इस बीच सदस्यों को न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर तो विवाद की गुंजाइश ही नहीं है। मेरी इच्छा यह थी कि उच्चतम न्यायालय इस याचिका को स्वीकृति देने से पहले ही सभा के विशेषाधिकार, उसकी शक्तियां और उन्मुक्तियों को मान लेती। मंत्री महोदय ने पहली बार ही स्थिति स्पष्ट कर दी थी। मुझे सचमुच आश्चर्य हुआ है कि इसके बावजूद उच्च न्यायालय ने अपील करने की स्वीकृति दे दी। मैं समन स्वीकार नहीं करूंगा और सदस्यों को सलाह देता हूं कि वे न्यायालय में पेश न हों। माननीय मंत्री उच्चतम न्यायालय के समक्ष संवैधानिक स्थिति स्पष्ट किये जाने की व्यवस्था करेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, दिल्ली के लेखे तथा नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाउन्ड्री एण्ड फोर्ज टेक्नालोजी और भारतीय विज्ञान संस्था के वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पर रखता हूं :

(1) प्रौद्योगिकी संस्थाएं अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, दिल्ली, के वर्ष 1968-69 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) वर्ष 1968-69 के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाऊण्ड्री एण्ड फोर्ज टेक्नालाजी, रांची के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(3) वर्ष 1968-69 के लिए भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखे का विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3072/70]

दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड तथा सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 19 मार्च 1970 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) के अन्तर्गत 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कलकत्ता, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 3073/70]**

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :

(एक) वर्ष 1968-69 के लिए सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी लिमिटेड के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) वर्ष 1968-69 के लिए सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०3074/70]

रेलवे सुरक्षा आयोग का कार्य सम्बन्धी प्रतिवेदन

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं वर्ष 1968-69 के लिए रेलवे सुरक्षा आयोग के कार्य सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3075/70]**

डाक तथा तार का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, डाक और तार, 1970, की एक प्रति ।

(2) वर्ष 1968-69 के लिए विनियोग लेखे डाक और तार, की एक प्रति ।
[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3076/70]

भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमों में संशोधन

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं

अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में पहले संशोधन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 7 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 409 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3077/70]**

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूं कि लोक-सभा द्वारा 28 मार्च, 1970 को पास किये गये हरियाणा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 1970 से राज्य सभा अपनी 1 अप्रैल, 1970 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

विधेयकों पर अनुमति
ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किए गये और अनुमति प्राप्त निम्नलिखित ग्यारह विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1970
(2) प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक, 1970
(3) विनियोग विधेयक, 1970
(4) मणिपुर विनियोग विधेयक, 1970
(5) मणिपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1970
(6) पश्चिमी बंगाल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1970
(7) पश्चिमी बंगाल विनियोग विधेयक, 1970
(8) विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1970
(9) विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 1970
(10) आवश्यक वस्तु (संशोधन) चालू रखना विधेयक, 1970
(11) कलकत्ता पतन (संशोधन) विधेयक, 1970

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

111वां प्रतिवेदन

श्री तिरुमल राव (काकीनाडा) : मैं भूतपूर्व शिक्षा मंत्रालय—भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार—पर समिति के 69वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का 111वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 15 मिनट म० प०
तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till a Quarter past Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 17 मिनट म० प० पर पुनः
समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Seventeen minutes past Fourteen of the Clock.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

'अनुदानों की मांगें 1970-71
DEMANDS FOR GRANTS, 1970-71

गृह-कार्य मंत्रालय

Shri Sheo Narain (Basti) : Mr. Chairman, yesterday I was relating the story of murders in Burdwan. This massacre took place there even in the presence of police officers and magistrates. As there is Presidents rule in this State, I request the Central Government to order a judicial enquiry or set up an All Parties Parliamentary Committee to enquire into this incident. As regards the question of boundary dispute I would like to say that the Government should stick to the decision once taken in respect of inter-State boundary disputes.

Communal forces are on the increase these days in the country. There should be no discrimination between Hindus and Muslims in India. It is the prime duty of the Government to pay full attention to this issue. In political sphere the tendency of defection is rapidly increasing. It should be discouraged. Those who defect from their parties should not be allowed to fight the next election. In order to solve the problem of defection Government should take some concrete steps.

The problem of Harijans is still there. There is a great unemployment in Harijans, particularly educated Harijans are facing difficulty in getting employment. Reservation for them is only on papers.

India is still facing the problem of national language. Hindi should be accepted as the national language but it should not be imposed on any body. I also demand that Urdu should be given the status of second language. There is a great indiscipline in Universities. Government should take steps to control it. In the end, I want that a fair enquiry should be made into the causes of death of Shri Lal Bahadur Shastri in Tashkent. With these words. I oppose the demands.

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : श्रीमान् श्री चह्वाण एक बड़े संसद-विद् हैं । वह जो बात कहते हैं उस पर दूसरों को विश्वास हो जाता है किन्तु वह स्वयं उसके बारे में विश्वस्त नहीं होते । राज्यपालों का मामला लीजिए । तीन या चार राज्यपालों ने भिन्न-भिन्न स्थितियों में बिना गृह मंत्री से परामर्श लिए ही काम किया और मंत्री महोदय ने उन सभी के कार्य को ठीक बताया है । आज कार्य इस प्रकार से चल रहा है ।

प्रशासन सुधार आयोग के बारे में यह कहा गया था कि उसकी सिफारिशें क्रियान्वित

की जायेंगी । किन्तु लोक पाल की नियुक्ति अब तक भी नहीं हो पाई है । जिस मामले पर निर्णय कुछ ही महीनों में हो जाना चाहिए था उसके बारे में निर्णय करने में पूरे चार वर्ष का समय लगाया गया । लोकपाल सम्बन्धी विधेयक अभी राज्य सभा द्वारा पारित किया जाना शेष है ।

जहां तक तेलगांना का सम्बन्ध है, इस प्रतिवेदन से यह मालूम होता है कि 1956 में एक करार किया गया था और 1964 में कुछ कमियों का पता लगा था जो पूरी की जानी चाहिए थी । यह निर्णय किया गया था कि सिफारिशों की क्रियान्विति के लिए शीघ्रता से कार्यवाही की जायगी । किन्तु वहां अभी तक उनका अध्ययन ही किया जा रहा है । स्वयं श्री चह्वाण ने एक बार यह कहा था कि पृथक तेलंगाना के प्रश्न पर विचार किया जायगा । वहां वातावरण शांत होते ही सरकार ने तेलंगाना की समस्या पर विचार करना ही छोड़ दिया । वहां पर लगभग 300 व्यक्ति मौत के घाट उतरे किन्तु एक भी मामले में न्यायिक जांच न कराई गई । आखिर, तेलंगाना के लोग चाहते क्या हैं ? वे देश से बाहर जाना नहीं चाहते हैं । वे तो केवल यह चाहते हैं कि राज्य प्रशासनिक दृष्टि से दो इकाइयों में विभक्त कर दिया जाये । क्या यह ऐसी मांग है जिसे स्वीकार करना बहुत ही कठिन है ? स्वयं श्री यशवन्त राव चह्वाण ने आर्थिक क्षमता और क्षेत्र विशेष के लोगों की इच्छा को पृथक राज्य बनाये जाने का आधार माना था । आर्थिक क्षमता को देखते हुए तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने ही तेलंगाना को पृथक बनाने की सिफारिश की थी । तेलंगाना में जो हो रहा है उससे वहां के लोगों की इच्छा प्रकट होती है । अतः मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह पृथक तेलंगाना राज्य की मांग पर पुनः विचार करें ।

निर्वाचनों में विदेशी धन के उपयोग की बात संसद में उठाई गई थी और इस मामले में जांच भी कराई गई थी । किन्तु यह ज्ञात नहीं हुआ कि उच्च जांच का क्या निष्कर्ष निकला और विदेशी धन का उपयोग करने वाले लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा इस प्रकार से धन देने वाले देशों से विरोध प्रकट किया गया या नहीं ।

जहां तक दल-बदल का सम्बन्ध है, उसका तो अब रूप ही बदल गया है । अब तो एक दल से दूसरे दल में जाना, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बैठना भी दल बदलने के लिए आवश्यक नहीं रहा है । आज तो स्वयं कांग्रेस दल ही एक ही नाम और चुनाव-चिह्न रखते हुए दो दलों में विभक्त है । अब तो केन्द्रीय नेता राज्यों में सरकार को गिराने या सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों से गठजोड़ करने जाते हैं ।

यदि देश में ऐसी ही स्थिति रही तो केन्द्रीय मंत्रियों को राज्यों में घुसपैठियों के रूप में समझा जायेगा । उन्होंने ऐसी स्थितियां उत्पन्न की हैं कि दल-बदल बिना किसी रोक टोक के चल सके और साम्प्रदायिकता को भी बढ़ाया है । इनके विरुद्ध कोई कारगर उपाय नहीं किए हैं । जम्मू और काश्मीर में ये लोगों को प्रान्तीयता के आधार पर विभाजित कर रहे हैं । अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार हो रहा है । क्या इन सब स्थितियों में सुधार करने के लिए गृह-कार्य मंत्री जिम्मेदार नहीं हैं ?

हिन्दी के मामले में हिन्दी भाषी राज्यों में वह उत्साह नहीं दृष्टिगत होता और न ही दक्षिण राज्यों की मांगों के अनुरूप ही अपनी नीति में परिवर्तन किया है। बड़े राज्य बनाने की सरकार की नीति वास्तव में विघटनकारी है। अहिन्दी भाषी राज्य समुद्रतट के साथ ही स्थित हैं और भाषा के प्रश्न को लेकर यदि ये राज्य भारत से पार्थक्य की मांग करें तो सरकार को बड़ी विषम स्थिति का सामना करना पड़ जायगा। अतः केन्द्रीय मंत्री ही देश के विनाशक बन गए हैं।

श्रीमती इला पालचौधरी (कृषनगर) : बंगाल के बजट के सम्बन्ध में मैने अपने विचार पहले ही व्यक्त कर दिये हैं। पश्चिम बंगाल में घेरावों की समस्या के बारे में, घेरावों का शक्ति से सामना करना होगा जिससे की बंगाल की अर्थ व्यवस्था नष्ट न होने पाये। पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने बताया है कि संयुक्त मोर्चे की सरकार के दौरान 689 घेराव तो सरकारी क्षेत्र और 78 घेराव गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हुए। 48 घेराव कालेजों में और 29 घेराव स्कूलों में हुए। उच्च न्यायालय ने इन घेरावों के विरुद्ध अपना निर्णय दिया है फिर भी ये घटनाएं रुकी नहीं। घेराव की इन घटनाओं का सख्ती से सामना करना चाहिए और उनको समाप्त करना चाहिए और शान्ति और व्यवस्था बनाये रखा जाना चाहिए।

दूसरी बात है कि जिस समय बर्दवान में हड़ताल हुई थी उस समय वहां के टेलीफोनों के कनेक्शन काट दिये गए थे जबकि पश्चिम बंगाल के अन्य सभी स्थानों में टेलीफोन कार्य करते रहे। टेलीफोन तथा अन्य अनिवार्य सेवाओं में गड़बड़ी नहीं होने दी जानी चाहिए अपितु इन सेवाओं को सुरक्षित रखना चाहिए क्योंकि बाहर के संसार के लोगों के साथ सम्पर्क बनाए रखने के लिए घटनाग्रस्त लोगों का यही अन्तिम माध्यम होता है। और हड़ताल ग्रस्त बर्दवान के लोगों को इस सुविधा से वंचित कर दिया गया था।

यह तो प्रसन्नता का विषय है कि इस बार सीमा सुरक्षा बल, औद्योगिक सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के लिये निश्चित धनराशि में वृद्धि हो गई है। फिर भी असमानता बनी हुई है। सीमा सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आता है जबकि सीमावर्ती सड़क संगठन नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। जब तक सड़कों की दशा में सुधार नहीं किया जायेगा और उन्हें हर मौसम के अनुकूल नहीं बनाया जायेगा सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो सकती। पाकिस्तान और चीन की सड़कें जो हमारी सीमा से लगती हैं वे सब हर मौसम के अनुकूल हैं।

स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को पेंशन नहीं मिली हैं। कुछ की पेंशनें तो जून-जुलाई 1969 से बन्द कर दी गई हैं। जब सरकारी कर्मचारियों को जीवन पर्यन्त पेंशन मिलती हैं तो अन्दमान के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को पेंशन जीवन पर्यन्त क्यों नहीं मिलती। मंत्री महोदय को इस मामले का स्पष्टीकरण देना चाहिए।

हम सब भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियों को समाप्त करने का समर्थन करते हैं। परन्तु इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 291, 362, 366 और उप खण्ड (22) का संशोधन करना पड़ेगा। परन्तु इसके साथ उनको न्यायालय में जाने के लिए भी अधिकार देना चाहिए

और अनुच्छेद 363 को भी समाप्त करना चाहिए। जिससे इन भूतपूर्व नरेशों के साथ न्याय हो सके।

सुना गया है कि अन्दमान में काल कोठरी वाली जेल को हस्पताल के रूप में परिवर्तित किया जायेगा। परन्तु हस्पताल किसी अन्य स्थान पर बनाना चाहिए और इस जेल को भारत के लोगों के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में ही बनाना चाहिए जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले और उन महान पुरुषों के नाम उस काल कोठरी वाले जेल के प्रस्तरों पर स्वर्णाक्षरों में लिखने चाहिए जिन्होंने इसमें यातना भुगती हैं।

Shri Latafat Ali Khan (Muzaffarnagar) : Our country is passing through the most critical conditions since the split in the Congress party. The opposition congress comprises big capitalists who have been creating difficulty and hurdles in the socialistic programme of the Government. These elements have been creating conditions in the country adverse to the general masses so that poor people might not become in a position as to demand their rights. They have been creating communal tension in the masses of the country and have been making people fight each other. In these conditions of uncertainty and agitations prevailing all over the country created on the instance of these capitalist elements, it is the duty of the Government to check and take stern action against such elements. These disintegrating capitalist forces in their own vested interests have been creating violence in the name of religion and language for the last twentytwo years. A few days back National Integration Council had taken certain decisions in order to check these violence but the news papers had started propaganda against these decsions of the National Integration Council and diverted Governments' attention from implementing those decisions. Government must be vigilant from such propaganda.

There has been propoganda for some time back that most of the communal disturbances which occurred in the country were started by the Muslim community. This sort of propaganda is wrong and even harmful for the country. Moreover the Home Ministry have also supported the propaganda. Even in its report the Home Ministry have alleged the Muslims supposed to have provided the first cause in erupting communal riots in the country. Rather more distressing and disappointing is to say Pakistans' high handedness having been alleged in spreading the communal passions in the country. This sort of propaganda tacticts against Muslims and any country is not correct and rather more unjustified. This is only because of the fact that our relations with Pakistan have become strained. It is not proper and Justified blaming Pakistan for feeding communal riots in the country when various political parties are involved in these gruesome happenings in the country. However, if there is some truth in this matter why Government have not taken prompt and stern actions against those guilty of these heinous activities in the country ? Government should ensure that the communal riots are stopped and law and order is maintained.

A new slogan of 'Indianisation' has taken place for some time back. In view of the fact that ours is a multilingual and multiracial country, this slogan is very dangerous for the integrity and communal harmony. This slogan is no doubt very attractive from its very surface but its motive is all the more destructive. The people propagating this slogan are greatest enemies of the minority community of the country. They want to annihilate Muslims in India. I request the Minister to take strong and punitive action against those elements in the country propagating such communal instigations harmful and destructive for the integrity and communal harmony of the country.

Shri S. M. Joshi (Poona) : Sir, I want to clear the misunderstanding regarding Maharashtra, Mysore border dispute. This dispute has become a chronic one and even the then hon. Home Minister, late Shri Gobind Ballabh Pant had admitted in 1956 that this question had to be solved. But this has not been solved. The dispute connot be solved by simply accepting the recommendations of the Mahajan commission by the Government of Maharashtra or the Government of Mysore. But it is question of 10 lakh people of these states and their satisfaction in this matter of prime importance and essential.

Regarding ill-treatment and harassment to the people belonging to scheduled caste community I have read a news item two days back that Caste Hindu members of the Panchayat in Shahidgarh in Panjab beat the Scheduled Caste people with barbed-wires. When Government were asked to intervene in the matter they expressed their inability. The hon. Minister should take powers in his hands under Criminal Procedure Code to tackle this social evil and ensure that the people of Scheduled Caste Community are not harassed and ill-treated by the Caste-Hindus.

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : It is wrong on the part of the hon. Minister when he says that the differeances between Uttar Pradesh and Bihar are because of the border dispute which could be settled by arranging mutual discussions. But since both these States could not settle their differences mutually hence the Trivedi Award came into being. But this could not be enforced because of Prohibitory Orders having been issued by Patna High Court. U. P. Government has already agreed for mid-stream survey. In order to know actual position the survey should be conducted. It is only because of the faulty policy of Government of India that the peasants have been killed, their property have been destroyed. Compensation should be given to them. In some areas of Eastern Uttar Pradesh some land was allotted for the Harijans on the basis of consolidation of land but no possession has been given to them so far. Government must help those poor Harijans in giving them possession of land.

Compensation should be given to the bereaved family members of Shri Ali Imam who was killed by a bullet which aimed at Shri Jyoti Basu.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

सभापति महोदय : मैं समझ गया आप महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद के प्रश्न पर बोलना चाहते हैं ।

श्री सोनावने (पेंढरपुर) : यह अपना भाषण दे चुके हैं । यदि उन्हें अवसर दिया गया तो मुझे भी समय मिलना चाहिए ।

श्री लोबो प्रभु : मैं मंत्री महोदय से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाजन आयोग की नियुक्ति के लिए आग्रह नहीं किया था और क्या उन्होंने आयोग के निष्कर्षों को अन्तिम रूप में स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है । क्या इस नये सिद्धान्त को जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं महाजन आयोग के सम्मुख नहीं रखा गया था और क्या आयोग ने इसको अस्वीकार नहीं किया था । क्या सरकार इस सिद्धान्त को बेलगांव और मैसूर पर लागू करेगी और कासरगोड मैसूर को दिया जायेगा । यदि इस सिद्धान्त को समान रूप से लागू नहीं किया गया तो महाराष्ट्र के हित में मैसूर के एक भाग पर इस सिद्धान्त को क्यों लागू किया जा रहा है ?

सभापति महोदय : इस प्रकार के प्रश्न करने से पूर्व गृह मंत्री महोदय के भाषण को सुनना ठीक होगा ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : गृह कार्य मंत्रालय की मांगों पर लगभग दस घंटे तक चर्चा हुई है। परन्तु प्राय: उन समस्याओं को लेकर चर्चा बहुत हुई है जिन पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं और सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। समयाभाव के कारण मैं उन पर चर्चा नहीं करूंगा और न ही उन मामलों पर चर्चा करूंगा जिन पर श्री शुक्ल जी बोल चुके हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : परन्तु सीमा सम्बन्धी प्रश्न के बारे में उनका उत्तर बहुत ही असन्तोषजनक है, जिससे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस मामले में सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है और उसे पुन: दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं। कानून और व्यवस्था का प्रश्न कुछ सदस्यों ने बहुत ठीक उठाया है। और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनेक कारणों से देश भर में हिंसात्मक घटनायें हुई हैं, परन्तु देखना यह है कि हिंसा की ये घटनायें किन परिस्थितियों में हुईं। ऐसी स्थिति में यह केवल कानून और व्यवस्था और पुलिस की स्थिति का प्रश्न नहीं रह जाता। यह उन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तनावों की अभिव्यक्ति करती है जो देश भर में और हमारे समस्त ढांचे में फैली हुई है। 1967 से लेकर हिंसा की घटनाएं किसी न किसी रूप में घटती चली आ रही हैं। कभी साम्प्रदायिकता को लेकर तो कभी भूमि की समस्या को लेकर तो कभी युवक समस्या को लेकर तो कभी उग्रवादी राजनीतिक दर्शन को लेकर हिंसा की घटनाएं होती हैं। मैं यह भी अच्छी प्रकार जानता हूं कि डकैती और हत्याओं की स्थिति में जो समस्या उत्पन्न होती है वह ही नितान्त कानून और व्यवस्था की समस्या होती है। एक विचार यह भी व्यक्त किया गया था कि जब ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है। मैं केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं चुराना चाहता। मैं सामान्य सिद्धान्त स्वीकार करता हूं कि देश की एकता संविधान के सुचारु रूप से कार्य संचालन के लिये तो अन्तत: केन्द्रीय सरकार ही जिम्मेदार है। परन्तु इसके साथ साथ जब भी हम यह कहते हैं कि राज्य सरकारों को भी कुछ कार्य करना है तो हमने केवल इस बात पर आवरण डालने के लिए नहीं कहा है कि जो कार्य हम नहीं कर रहे वह उन्हें करना चाहिए, अपितु वस्तुत: यह उस कार्य का स्पष्ट रूप में बंटवारा है जिसका संकेत स्वयं संविधान में किया गया है। मैंने यह बात केवल इसलिए कही है कि कुछ विवादास्पद तर्क दिये गये हैं। केन्द्र राज्य सम्बन्ध के बारे में भी प्रश्न उठाए गए हैं और कहा गया है कि राज्यों में जो भी घटनाएं हों उनकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार को स्वयं लेनी चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। केन्द्र राज्य के सम्बन्धों की समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या है और यह समस्या हमारे सम्मुख तभी से चली आ रही है जब से संविधान ने कार्य संचालन आरम्भ किया है और 1967 के आम चुनावों के उपरान्त तो यह समस्या और भी महत्वपूर्ण बन गई है क्योंकि देश में सरकारों की राजनीतिक ढांचे में कुछ परिवर्तन हो गए हैं। केन्द्र-राज्य-सम्बन्धों के बारे में हमने कई बार प्रश्न उठाये, विभिन्न राज्यों के अपने अनेक मत थे, क्योंकि उनकी अपनी कुछ समस्याएं थीं जैसे विकास की समस्या। भाषा की समस्या। कभी-कभी एक राज्य में मांगों और आंकाक्षाओं के बारे में लोगों में विवादास्पद परिस्थिति पैदा हो जाती थी। 1967 के पश्चात विभिन्न राज्यों में भिन्न राजनीतिक दलों के सत्ता में आने से इस समस्या की ओर अब विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

गत कुछ वर्षों में इस समस्या के बारे में अनेक सुझाव दिए गए हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस प्रश्न पर विचार किया है। उन्होंने एक विख्यात विधिवेत्ता श्री सीतलवाद की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल की नियुक्ति की, जिसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी कुछ सिफारिशें की हैं। इनका प्रतिवेदन जून 1969 में सरकार को मिल गया है जिस पर अध्ययन हो रहा है और सरकार इस बारे में शीघ्र ही कुछ निष्कर्ष निकालेगी।

राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थायी समिति में भी यह प्रश्न उठाया गया था। वहां यह निर्णय लिया गया कि इस पर आगे चर्चा की जायगी। परिषद में जिन दलों ने भाग लिया था; वे इस विषय पर अपना मत प्रकट करने को सहमत थे। साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल ने अपना मत व्यक्त किया। मगर हमने सोचा कि इस मामले का पूर्ण रूप से अध्ययन करना अधिक उचित है।

प्रशासनिक सुधार आयोग की सबसे मुख्य सिफारिश केन्द्र और राज्यों के बीच के सम्बन्ध के बारे में है। आयोग का विचार है कि इसके लिये संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। असल में इस समस्या के दो-तीन विभिन्न पहलू हैं। एक, राज्यपालों की भूमिका के सम्बन्ध में है जो आजकल बहुत विवादास्पद बन गयी है। दूसरा पहलू राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सम्बन्ध का है। ये दोनों अधिक महत्वपूर्ण विषय हैं। अतः ये हमारे विशेष ध्यान के विषय हैं।

राज्यपालों के सम्बन्ध में अक्सर यह कहा जा रहा है कि वे विभिन्न राज्यों में विभिन्न मानदंड अपना रहे हैं। असल में, केवल दो या तीन विषयों में राज्यपाल अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। पहला, मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के विषय में, दूसरा मंत्रिमंडल के भंग करने और तीसरा विधान सभा के भंग के विषय में। और एक विवादास्पद समस्या विधान सभा का अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान के सम्बन्ध में है। ये सभी समस्यायें कई राज्यों में हुईं।

पहली समस्या मुख्यमंत्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में समस्या तब पैदा हो जाती है जब एक भी दल का पूर्ण बहुमत नहीं होता। राजस्थान में यह समस्या पैदा हुई थी। उक्त समस्या पर यहां सदन में चर्चा भी हुई। हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गये कि इस सम्बन्ध में ऐसी कोई परम्परा कायम की जाय जो राज्यपालों को तत्सम्बन्धी निर्णय लेने में सहायक बने। जिन लोगों से हमने इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया था, वे सब इस बात से सहमत थे कि राज्यपालों को विभिन्न दलों के नेताओं की राय लेनी चाहिये कि मुख्यमंत्री चुने जाने वाले व्यक्ति को स्थायी बहुमत प्राप्त है या नहीं। इस सम्बन्ध में यही मानदंड माना जाता है। आगे के सभी मामलों में राज्यपालों ने इसी मानदंड को अपना लिया।

दूसरी समस्या मंत्रिमंडल को मुअत्तिल करने के सम्बन्ध में है। यह समस्या बंगाल में हुई। तत्कालीन परिस्थिति इसके लिये अनुकूल थी या नहीं, यह अलग से चर्चा का विषय है। मगर

मंत्रिमंडल को निकालने का राज्यपालों का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है। तीसरी समस्या विधानसभा को भंग करने के राज्यपालों के अधिकारों के सम्बन्ध में हैं। सौभाग्य से यह समस्या अभी तक नहीं उठी है।

चौथी समस्या विधान सभा की बैठक बुलाने और भंग करने के सम्बन्ध में है। इस संबंध में कई दलों ने कहा कि हम अपनी सुविधा के आधार पर स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। मगर असली बात यह है कि इन राजनैतिक दलों ने अपनी सुविधा एवं हितों के अनुकूल राज्यपाल के अधिकारों में परिवर्तन करना चाहा। उत्तर प्रदेश में यही हुआ था। बंगाल का मामला यह है कि राज्यपालों को विधान सभा की बैठक बुलाने या भंग करने का अधिकार है या उन्हें केवल मुख्य-मंत्रियों को तत्सम्बन्धी सिफारिश देने का अधिकार है। बंगाल में उन्होंने केवल मुख्यमंत्री से सिफ़ारिश की है। अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया।

इस सम्बन्ध में मेरा मत यह है कि मुख्यमंत्री कभी-कभी गलत सलाह दे सकता है। मान लीजिये सदन के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव पड़ा है। मुख्यमंत्री चाहता है कि सभा भंग की जाय। ऐसे अवसर में मुख्यमंत्री की यह सलाह उचित नहीं मानी जा सकती।

असल में इस स्थिति के लिये संविधान दोषी नहीं है। दोषी है हमारी राजनीति। राज-नैतिक बुराइयां चाहे कुछ भी हों, मगर संविधान से उन्हें उलझाना उचित नहीं है। अगर हम अपने राजनैतिक हितों से ऊपर उठकर संविधान के मूल्यों का पालन नहीं करते हैं तो इस तरह की और इससे भी बढ़कर कई कठिनाइयां उत्पन्न होती रहेंगी। हम जनता के अधिकारों की रक्षा करने वाले हैं। हम संविधान की उस तरीके से व्याख्या करें ताकि जनता के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

केन्द्र सरकार का यह कर्त्तव्य है कि संविधान के सिद्धान्तों का उचित कार्यान्वयन किया जाय और राष्ट्र की एकता की शक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाय। संविधान के अन्तर्गत अपने कार्यों को उचित ढंग से चलाने का राज्य सरकारों का कर्तव्य है। जब कभी राज्यों में केन्द्र के हस्तक्षेप का अवसर आया है, केन्द्र अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा है। और यह खास तौर पर ध्यान देने योग्य बात है कि पिछले कई वर्षों से एक न एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा रहा है। यह इस बात का द्योतक है कि हमारी राजनीति में कहीं न कहीं कुछ गलती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मैं हर दल से, हर व्यक्ति से यह आग्रह करता हूं कि वे इस पर गंभीर रूप से विचार करें।

हमें 1969 में कई राज्यों में मध्यावधि चुनाव कराना पड़ा। दुर्भाग्य से ये राज्य अब भी राजनैतिक अस्थिरता से मुक्त नहीं हुए। अत: हमें देखना चाहिये कि हमारी राजनीति की मूलभूत त्रुटि क्या है। इसके लिये सारे राजनैतिक दलों को इस मामले की गहराई में जाकर उसका हल खोज निकालना चाहिये।

उग्र राजनीतिक विचारधारा ही देश में बढ़ती हिंसात्मक गतिविधियों के लिये जिम्मेदार है। कुछ सदस्यों ने दल-बदल के बारे में विचार किया। पहले जब हमने इस पर विचार किया

था उसी समय इस निष्कर्ष पर पहुंच गये थे कि इस दल-बदल की परिभाषा देना कठिन है। दल-बदल के बारे में अध्ययन करने के लिये नियुक्त समिति ने उचित ही कहा था कि इस समय देश में बदलती परिस्थितियों के साथ ही साथ इनसे तालमेल बिठाने के लिये राजनैतिक विचार-धारा में सतत रूप से परिवर्तन होता रहता है। उस समय यह आशा व्यक्त की गयी थी कि कई राजनैतिक दलों में फूट और कई में आपसी मेल-जोल होगा जो बाद में सत्य सिद्ध हुई। दल-बदल के केवल एक ही पहलू पर विचार करना आवश्यक समझा गया था। यह 1967 के निर्वाचन के उपरांत, कई दलों में सत्ता प्राप्त करने के लिये बढ़ती गयी दल-बदल की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में था। अत: दल-बदल के बारे में अध्ययन करने के लिये नियुक्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुंच गयी कि केवल इस पर विचार किया जाय कि सत्ता के लोभ में दल-बदलने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है या नहीं।

इस समिति ने मंत्रिमंडल के आकार में कमी करने का सुझाव भी दिया था। यह भी एक महत्वपूर्ण सुझाव था।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : जब श्रीमती इन्दिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थीं, उस समय कार्यकारी समिति ने निर्णय किया था कि किसी दूसरे दल से आने वाले को तभी कांग्रेस में शामिल किया जायगा जब वह नये सिरे से चुनाव जीत ले। उन निर्णयों का आज क्या हो गया।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जब कांग्रेस अविभक्त था तो कई निर्णय लिये गये होंगे। अब उनके बारे में कहने से क्या फायदा है ? ·· **(व्यवधान)** ···

श्री बलराज मधोक (दिल्ली दक्षिण) : उस एक मत निर्णय का क्या हुआ ? क्या सरकार ने उसको कार्यान्वयन करने का कदम उठाया है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस समस्या पर एक छोटी सी समिति ने विचार किया था। हमने निर्णय किया कि इसके प्रतिवेदन पर दोनों सदनों में चर्चा की जाय और चर्चा के बाद सदन की आम राय के आधार पर तत्सम्बन्धी विधेयक का रूप निर्धारण किया जाय। राज्य सभा में इस पर चर्चा हुई, मगर यहां न हो पायी। हम फिर से इस पर समग्ररूप से विचार करें और एक निष्कर्ष पर पहुंच जायें।

सांप्रदायिक दंगे हमारे देश का एक दुखद पहलू है। सरकार ने यह कभी नहीं कहा है कि मुसलमानों की पहल के कारण ही दंगे हुए हैं। हम इसके कारणों की खोज कर रहे हैं। एक बात निश्चित है। अवसर और अनवसर पर जनता के मन में एक तरह की भावना पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि देश के एक खास समुदाय में देश के प्रति निष्ठा नहीं है। जब ऐसी शंकायें जनता के मन में बैठ जाती हैं तो साम्प्रदायिक दंगों की आग के भभकने में देर नहीं लगती। भारतीयकरण की मांग इस कोटि में आती है।

राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थायी समिति की बैठक में, जिसमें जनसंघ को मिला के सारे राजनैतिक दल शामिल थे हमने एक निर्णय लिया था कि इस देश में किसी भी समुदाय पर किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं लगाना चाहिये। असल में सांप्रदायिक दंगों का बढ़ते जाना हर

राजनैतिक दल के लिये चिंता का विषय है। साम्प्रदायिक दंगों की समस्या देश के हर राजनैतिक दल को एक नाजुक हालत में पहुंचा देगी। अगर हम देश के विभिन्न समुदायों के बीच सद्भावना और मैत्रीभाव को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो देश की वर्तमान स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा।

अब मैं दूसरे प्रश्नों पर विचार करूंगा। सदन में संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देने के संबंध कई प्रश्न पूछे गए इसके संबंध में हिमाचल प्रदेश ने मुख्य रूप से मांग की है। मांग करने वाले अन्य संघ राज्य हैं मणिपुर, त्रिपुरा आदि। हमें कुछ वित्तीय सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर इस पर विचार करना चाहिये। राजनैतिक हित भी भूला नहीं जा सकता। इस सम्बन्ध में सरकार की नीति यह है कि इन प्रदेशों को राज्य का दर्जा देने के साथ इनमें आर्थिक सुस्थिरता भी कायम होनी चाहिये। असल में प्रश्न वहां की जनता को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का है। इस समय कई राज्यों में और संघ राज्य क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों का बहुत अधिक दायित्व केन्द्र सरकार को ढोना पड़ता है। इस सम्बन्ध में हमने हिमाचल प्रदेश के साथ विचार-विमर्श की दौर शुरू की है। आशा है कि यह प्रयत्न फलदायक होगा और वहां की जनता की समस्या को सुलझाने में सहायक होगा।

Shri Rabi Ray (Puri) : The Government must hold discussions with Tripura and Manipur also.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इन्हें अपनी खास समस्यायें हैं। इस समय हिमाचल प्रदेश की समस्याओं पर विचार किया जा रहा है।

एक शुभ समाचार अब मैं देता हूं वह मेघालय राज्य के उद्घाटन के सम्बन्ध में है। बहुत समय पहले से इस सदन के अन्दर एवं बाहर इसके लिये प्रयत्न किया जा रहा था और अंत में हमने तत्सम्बन्धी विधेयक पारित किया और मेघालय राज्य की सृष्टि की। एक माननीय सदस्य ने स्वाधीनता सेनानियों को मिलने वाली पेंशन की ओर संकेत किया है। देश में दी जाने वाली पेंशन की राशि लाखों रुपयों में है। अब तक स्वीकृति नीति यही रही है कि सम्बद्ध राज्य स्वाधीनता सेनानियों की समस्या की ओर ध्यान दें और कुछ राज्यों ने इस बारे में कुछ विस्तृत योजनायें भी तैयार की हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। एक तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, वह यह है कि इस शताब्दी के तीसरे दशक से अब तक राजनैतिक पीड़ित और नेता अण्डमान भेजे जाते रहे हैं। उनको पेंशन देने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार ने संभाली है। कुछ मामलों में 200 रु० और 300 रु० की पेंशन भी स्वीकृति की गई है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (भोपाल) : डा० मस्कैरनहास को लिस्बन जेल से मुक्त कराने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? क्या सरकार उनकी पत्नी को कुछ राहत देने पर विचार कर रही है?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : सरकार डा० मस्कैरनहास की मुक्ति के लिए हर संभव उपाय अपनाने के लिए तैयार है।

Shri Jagannath Rao Joshi : I am asking regarding pension to his wife.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इस पर विचार करूंगा। यह निश्चित ही एक अच्छा सुझाव है। माननीय सदस्य इस विषय पर मुझसे चर्चा करने की कृपा करें।

एक अन्य प्रश्न अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों और उनको रोजगार देने से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में है। समस्या के दो पहलू हैं—एक तो यह कि आरक्षण की नीति को सख्ती से लागू किया जाय। इस बारे में हमने कदम उठाये हैं। समस्या का दूसरा पहलू यह है कि आरक्षण की सीमा में वृद्धि की जाय। आरक्षण का वर्तमान प्रतिशत अनुपात 1951 की जनगणना पर आधारित था। 1961 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि के आदेश जारी कर दिये गये हैं। अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा में आरक्षण का प्रतिशत अनुपात 12½% से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। प्रतियोगिता परीक्षा से भिन्न भर्ती में आरक्षण का अनुपात 16.2% ही रखा गया है। अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में प्रत्येक प्रकार की भर्ती के लिए आरक्षण का प्रतिशत अनुपात 5% से बढ़ाकर 7½% कर दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के भरने की अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया है। इस प्रकार आरक्षित कोटा आसानी से व्यपगत नहीं होगा।

Shri Onkar Lal Berwa : Orders are not implemented. Mere increase in percentage of quota would not serve any purpose.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हमने यह भी निर्णय किया है कि एक वर्ग से दूसरे वर्ग के पदों पर पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति और आदिम जाति के व्यक्तियों को कुछ विशेष सुविधायें दी जायं। इन जातियों के योग्य और वरिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति की जाय। इस नये निर्णय के कार्यान्वयन से स्थिति में सुधार होगा।

श्री बूटा सिंह : अनुसूचित जाति और आदिम जाति के व्यक्तियों पर बढ़ते अत्याचार के बारे में सरकार ने क्या किया है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस समस्या पर मैं विचार व्यक्त करने जा रहा हूं।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : आप पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : आप अपने सुझाव को कृपया लिखित रूप में भेज दें और मुझसे इस विषय पर चर्चा कर लें।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : आदिम जाति के व्यक्तियों की जमीन पर गैर-कानूनी कब्जे को हटाकर उन्हें जमीन वापस देने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : बिहार में आदिम जातियों की भूमि पर गैर-कानूनी कब्जे के बारे में इस सदन में अनेक बार चर्चा हो चुकी है। बिहार सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति में माननीय सदस्य ने उक्त समस्या को उठाया था और हमने उस पर चर्चा की थी। परामर्शदात्री

समिति द्वारा पारित किये गये विधान को कार्यान्वित किया जा रहा है। मेरे विचार से वर्तमान बिहार सरकार इस नीति का तत्परता से अनुसरण करेगी।

माननीय सदस्य श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने पाकिस्तानी नागरिकों के यहां निर्धारित समय-सीमा से अधिक अवधि तक ठहरने का प्रश्न उठाया है।

श्री पीलु मोडी : वे पाकिस्तानी नागरिक नहीं हैं, बल्कि ऐसे भारतीय नागरिक हैं, जो नागरिकता अधिकार से वंचित हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : कुछ उक्त प्रकार के भी व्यक्ति हैं। उन्हें नागरिकता अधिकार नहीं दिये जा सकते, इसलिए उन्हें वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर यहां ठहरने दिया जाता है। उनमें कुछ अवांछित व्यक्ति भी होते हैं।

श्री पीलु मोडी : उनके कष्टों की ओर भी ध्यान दीजिए।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किये गये हैं। पाकिस्तानी नागरिकों का अल्प संख्यक समुदाय यहां आता है। वास्तव में हमें इस मानवीय समस्या का हल ढूंढ़ना होगा।

श्री पीलु मोडी : मुस्लिमों को पारपत्र और अन्य नागरिकता अधिकारों के बारे में क्या किया गया है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : उस पर भी विचार करना होगा।

श्री बाकर अली मिर्जा ने तेलंगाना की समस्या की चर्चा की। सदन में इस पर अनेक बार चर्चा हो चुकी है। पृथक्करण की मांग को बार-बार दुहराते रहने से न तो तेलंगाना की जनता और देश का ही भला होगा और न राज्य का। समस्या का रचनात्मक ढंग से अध्ययन करना होगा। वहां की मूलभूत समस्यायें क्या हैं ? पहली तो यह है कि उस क्षेत्र के विकास के लिए अधिक अवसर प्रदान करना और दूसरी यह है कि स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार हेतु उचित वातावरण प्रदान करना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने उस क्षेत्र के विकास हेतु 45 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था करने की सिफारिश की है। सरकार उस सिफारिश को क्रियान्वित करने को सहमत है।

रोजगार सम्भावनाओं से सम्बन्धित समस्या के दो पहलू हैं। एक तो है विभिन्न सेवाओं के एकीकरण की समस्या। निवारक उपाय किये गये हैं। कुछ समितियां भी नियुक्त की गई हैं चर्चा अभी भी जारी है।

स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देने के बारे में बनाये गये कानून को उच्च-न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने ही रद्द कर दिया है। न्यायाधीशों की समिति ने स्थानीय व्यक्ति को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु नौकरी में भर्ती को जिला स्तर पर विकेन्द्रीकृत करने का सुझाव दिया है। आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने सिफारिश स्वीकार कर ली है।

आन्ध्र प्रदेश के गठन के समय क्षेत्रीय समिति को समस्याओं पर चर्चा करने के लिए

अधिक अधिकार देने के बारे में हमने विचार किया था। क्षेत्र के विकास हेतु वित्त-व्यवस्था करने के प्रश्न पर भी उस समिति में चर्चा की जा सकती है।

उपर्युक्त रचनात्मक कार्यक्रमों पर मैं सदन के सभी पक्षों के पूर्ण समर्थन की आशा करता हूं।

प्रधान मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु की ओर भी संकेत किया गया। शास्त्री जी की मृत्यु के तत्काल बाद भी इस मामले पर सदन में चर्चा हुई थी।

Shri Prakash Vir Shastri : These facts could not be brought at that time.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : आज भी कुछ नये तथ्य आए हैं, ऐसा मैं नहीं मानता।

तत्कालीन विदेश मन्त्री ने सदन में विस्तृत वक्तव्य दिया था। उस समय प्रत्येक पहलू पर विचार किया गया था। शास्त्री जी की मृत्यु हमारे राष्ट्रीय जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना थी। यह दुर्भाग्य ही है कि वह व्यक्ति, जिसने सशस्त्र संघर्ष में राष्ट्र का गरिमामण्डित नेतृत्व किया; शान्ति-वार्ता से जीवित वापस न आ पाया। मृत्यु के बारे में हमें सन्देहों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सायं चार बजे से रात के लगभग 10 बजे तक अधिकांश समय मैं उनके साथ रहा। वह अच्छी हालत में थे और दिन भर कार्यशील रहे।

श्री बाकर अली मिर्जा : अत्यधिक श्रम।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह एक कारण हो सकता है। प्रधान मन्त्री कोसीगिन द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में मैं रात 10 बजे से कुछ मिनट पहले उनसे मिला था। वे लोगों के साथ मिल-जुल रहे थे और मित्रों के साथ हंसी खुशी बातें कर रहे थे। तदनन्तर हम मनोरंजन कार्यक्रम देखने गए। मैं और श्री शास्त्री जी एक ही पंक्ति में बैठे थे। रात के दस बजे से कुछ पहले उन्होंने हमसे और सोवियत नेताओं से बिदा ली और तब मैंने उन्हें अन्तिम बार देखा था। बाद में प्राप्त समाचारों के अनुसार उन्होंने परिवार के सदस्यों से बातें की। उनके निजी नौकर ने उन्हें दूध दिया और दूध पीने के बाद लगभग 12-30 बजे वे सो गए। चूंकि हमें सुबह ताशकन्द से काबुल रवाना होना था अतः हम सामान बांधने में व्यस्त हो गए और इस प्रकार मैं एक बजे तक जागता रहा था। अचानक मेरा सहायक दौड़ते हुए आया और मुझे बताया कि श्री शास्त्री जी बीमार पड़ गए हैं। उस समय लगभग डेढ़ बजा था। जहां शास्त्री जी ठहरे थे, वह जगह लगभग हमारे होटल से दो-ढ़ाई सौ गज की दूरी पर थी। जब हम वहां पहुंचे तो डा० चुघ, जो भारत से हमारे साथ गए थे, तथा अन्य दो व्यक्ति उनके शरीर की मालिश कर रहे थे। उसके बाद रूसी डाक्टर भी आए। इसी बीच स्वयं श्री कोसिगिन, शास्त्री जी को देखने आए। डाक्टरों ने शास्त्री जी की चिकित्सा की और चिकित्सा प्रमाण-पत्र भी दिया। डा० चुघ ने आखिरी क्षणों में उनका इलाज किया था। तब दिल का दौरा पड़ने की घटना हुई। उनकी मृत्यु पर संदेह करने वाली कोई बात नहीं। अतः इस बारे में जांच कराने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : If Shri Shastri had died owing to heart attack, then

why medical report and other report varies ? The matter of suspicion is this that no conduct could be made after he had been given milk and when the deadbody was brought here, it had turned to blue. No postmortem was carriedout. I can put more facts, if any commission is appointed.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुझे जो सूचना मिली है उसके अनुसार उनके नौकर ने, जो कई वर्षों से उनके साथ था, उन्हें दूध दिया था और साढ़े बारह बजे तक उनके साथ रहा था। अगर कोई संदेह करता है तो वह करे परन्तु उस संदेह के आधार पर हम अपने प्रिय नेता के साथ संदेह भरी कहानी नहीं जोड़ सकते।

कुछ सदस्यों ने निजी थैलियों का प्रश्न उठाया है। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने अस्थाई भते देने तथा योजना बनाने का निर्णय किया है।

Shri Rabi Ray (Puri) : Whether a bill will be introduced in this session ?

Shri Y. B. Chavan : I have already told that I will introduce the bill in this session.

श्री चं० चु० देसाई (साबरकंठा) : मैं जानना चाहता हूं कि जम्मू तथा काश्मीर के भूतपूर्व नरेश को जो धन दिया गया वह निजी थैली के रूप में दिया गया था या अनुग्रहपूर्वक धन-राशि के रूप में अथवा राजनैतिक पेंशन के रूप में और क्या वह राशि कर-योग्य थी और यदि हां, तो उस पर कितना कर दिया गया था ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इसका लिखित उत्तर दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने कल उच्चतम-न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले की सुनवाई के बारे में प्रश्न उठाया था। इस सम्बन्ध में मुझे मुख्य न्यायाधीश से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, जिसे मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं। जब यह प्रश्न उठा तो न्यायाधीश शाह ने वकील को सूचित किया कि न्यायाधीश वर्ग में बैठने वाले कुछ न्यायाधीशों के बैंकों में खाते हैं और कुछ न्यायाधीशों के हिस्से हैं। क्या उनके न्यायपीठ में बैठने पर कुछ आपत्ति हो सकती है ? सरकार की ओर से महान्यायवादी ने उत्तर दिया कि कोई आपत्ति नहीं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : ये सब तथ्य विधि मंत्री को बताने चाहिये थे। यह जानबूझ कर न्यायपालिका को बदनाम करने के लिये किया गया है और हम विधि मंत्री के इस कार्य की निन्दा करते हैं।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : हम यह अनुभव करते हैं कि न्यायाधीशों को स्वेच्छा से ही न्यायपीठ पर नहीं बैठना चाहिये था।

श्री बलराज मधोक (दक्षिणी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, सदन में न्यायाधीशों की इस प्रकार निन्दा करना संगत नहीं। न्यायपालिका कभी पक्षपात नहीं करती।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय गृह-मंत्री ने अभी दो न्यायाधीशों तथा महान्यायवादी के उत्तर के सम्बन्ध में बताया। यह एक विवादस्पद विषय हो गया है क्योंकि श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने 29 मार्च को कानपुर में संवाददाताओं को बताया था कि जिन्होंने निर्णय दिया है वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि जो दो न्यायाधीश इस

मामले में डटे थे, उन्हें असल में सरकार के वकील ने हटने के लिये कहा था। चूंकि इस मामले में वकील स्वयं महान्यायवादी थे—**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : महान्यायवादी को सभा में स्पष्टीकरण देना चाहिये।**

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : **इन पर अभियोग क्यों न चलाया जाए ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Was it not improper not to raise this issue against Attorney-General at that time when Chief Justice Gajendra Gadkar has given a decision in which he told—"Pecuniary interest no matter how small." So I find much fault lies on the part of Attorney-General. It is his duty to present himself in the Parliament and protect our rights. It was the duty of the judges not to sit on the bench. I do not say that they have shown partiality, but it was good if they would not have participated. So while dealing such matters Government should give the decision that judges should not sit on the bench.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : श्री इन्द्रजीत गुप्ता जी ने कहा था कि उन न्यायाधीशों को स्वेच्छापूर्वक ही न्यायपीठ में नहीं बैठना चाहिये था।

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : मैं अध्यक्ष महोदय का ध्यान श्री स० मो० बनर्जी द्वारा न्यायालय के बारे में कही गई आपत्तिजनक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

श्री स० मो० बनर्जी : ** **(व्यवधान)**।

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम) : मैं एक पूर्वघटित बात का उल्लेख करना चाहता हूं। एक मामले में मुख्य न्यायाधीश श्री हिदायतउल्ला न्यायपीठ की अध्यक्षता कर रहे थे। इस मामले में दिल्ली काटन मिल्स लिमिटेड ने दिल्ली नगर निगम के विरुद्ध अपील की थी। स्वयं हिदायतउल्ला दिल्ली कॉटन मिल्स लिमिटेड के हिस्सेदार थे परन्तु उन्होंने निर्णय उसी के अपील के विरुद्ध दिया था।

श्री पीलु मोडी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अनुच्छेद 121 के अनुसार "उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को आगे उपबन्धित रीति से हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष रखने के प्रस्ताव पर चर्चा के अतिरिक्त कोई और चर्चा संसद् में ऐसे किसी न्यायाधीश के अपने कर्त्तव्य पालन किए गए आचरण के विषय में न होगी।"

अत: श्री स० मो० बनर्जी द्वारा न्यायालय के बारे में कहे गए शब्दों को कार्यवाही सारांश से निकाल दिया जाना चाहिये।

**अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the chair.

श्री श्रीचन्द गोयल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री बनर्जी ने अभी कहा कि**

श्री स० मो० बनर्जी : **मैंने यह नहीं कहा कि वे भ्रष्ट हैं।

श्री श्रीचन्द गोयल : ये आरोप गृह-मंत्री की उपस्थिति में लगाए गए। क्या उस समय उनका कर्त्तव्य नहीं था कि वे सभा में कहें कि सरकार के अनुरोध से ही न्यायाधीशों को न्याय-पीठ में बैठने की अनुमति मिली थी ? मैं श्री स० मो० बनर्जी से अनुरोध करूंगा कि वे न्यायाधीशों के सम्बन्ध में कहे गये शब्द वापिस ले लें अन्यथा उन शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जायगा।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : श्री गोयल ने कहा कि कुछ दल न्यायाधीशों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दल की ओर से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम केवल उन न्यायाधीशों पर अभियोग लगा रहे हैं जो बैंक राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित न्यायपीठ में बैठे थे उन्हें स्वेच्छापूर्वक पीछे हट जाना चाहिये था।

श्री पीलु मोडी : इन शब्दों को भी कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने कुछ प्रश्न उठाये थे और माननीय गृह-मंत्री ने उत्तर दिया था। वाद-विवाद की अनुमति नहीं दी गई थी। यदि किसी ने कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे हैं तो उसे वाद-विवाद में शामिल नहीं किया जा सकता। अगर वास्तव में आपत्तिजनक शब्द कहे गए हैं तो उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जायगा।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हरिजनों की समस्या को मानवीय ढंग से सुलझाया जाना चाहिये। सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से बातचीत की है। राज्य सरकार अधिकांश ऐसे मामलों की उच्चस्तरीय जांच करवाने के लिये मान गई है।

मैंने स्वयं राज्यपाल और मुख्य मंत्री दोनों को मामले में शीघ्र कार्यवाही करने के लिये लिखा है। समाज के कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करने की उनकी विशेष जिम्मेदारी है। अगर कुछ भी परिणाम नहीं निकलता, तो मैं अन्य उपाय अपनाऊंगा।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : तेलंगाना की जनता की अलग राज्य की मांग पर विचार करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने आठ उप समितियां नियुक्त की हैं जिनके अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार के सचिव हैं। तेलंगाना की जनता को समितियां नहीं, बल्कि अलग राज्य चाहिये।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : तेलंगाना के मामले पर मैं सरकार का दृष्टिकोण पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव सं० 10 से 16 और 27 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The cut motion No. 10 to 16 and 27 were put and negatived

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

कटौती प्रस्ताव सं० 21 से 26 और 28 से 32 सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

Cut motion Nos. 21 to 26 and 28 to 32 were by leave withdrawn

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव सं० 37 से 49, 59 से 77, 83 से 112 117 से 150 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The cut motions Nos. 37 to 49, 59 to 77, 83 to 112, 117 to 150 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1970-71 के लिये गृह कार्य मन्त्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

The following Demands in respect of the Ministry of Home Affairs were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
			रुपये
42	गृह मंत्रालय	..	30,81,000
43	मंत्रिमण्डल	..	12,28, 000
44	न्याय प्रशासन	...	43,000
45	पुलिस	...	11,51,35,000
46	जनगणना	...	1,04,64,000
47	अंक-संकलन	...	69,56,000
48	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	...	38,000
49	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें	...	4,80,000
50	दिल्ली	...	8,53,93,000
51	चंडीगढ़	...	1,20,47,000
52	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	...	1,55,23,000
53	आदिम जाति क्षेत्र	...	4,62,61,000
54	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र	...	11,41,000
55	लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीन-दीवी द्वीप समूह	...	22,20,000
56	गृह मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	...	2,19,31,000
121	संघीय राज्य क्षेत्रों और आदिम जाति क्षेत्रों का पूंजी परिव्यय	...	4,43,23,000
122	गृह मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	...	35,50,000

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

साठवां प्रतिवेदन

श्री भालजी भाई परमार (दोहद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 60वें प्रतिवेदन से, जो 1 अप्रैल, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 60वें प्रतिवेदन से, जो 1 अप्रैल, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

बेरोजगारी की समस्या के बारे में संकल्प
RESOLUTION RE: UNEMPLOYMENT PROBLEM

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा देश में समाज के शिक्षित और अशिक्षित दोनों वर्गों में रोजगार की तेजी से बिगड़ती हुई स्थिति पर गहन चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि वह देश में बेरोजगारी की गंभीर समस्या के समाधान के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उपयुक्त व्यवस्था करे।"

देश में जो समस्यायें हैं, उनमें बेरोजगारी की समस्या एक विकट समस्या है। शिक्षित और अशिक्षित दोनों वर्ग के लोग इस समस्या के शिकार हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में यह समान रूप से व्याप्त है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 46 लाख व्यक्तियों को प्रति वर्ष रोजगार की जरूरत होती है, लेकिन रोजगार 10 लाख से भी कम व्यक्तियों को उपलब्ध हो पाता है। यदि यह स्थिति बढ़ती गई, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह इतनी गम्भीर बन जायेगी कि इस पर नियन्त्रण करना सम्भव नहीं होगा। पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में बेरोजगारों की संख्या 33 लाख थी। पहली योजना अवधि के अन्त में यह बढ़कर 53 लाख हो गई। दूसरी योजना के अन्त तक यह 71 लाख और तीसरी योजना के अन्त तक बेरोजगारों की संख्या 96 लाख हो गई।

[**श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुए**
Shri Shri Chand Goyal in the Chair]

योजना अवकाश के तीन वर्षों के दौरान बेरोजगारों की संख्या 218 लाख तक पहुंच गई। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जो रोजगार दिये जा सकते हैं, उनको देने के बाद

भी इस योजना के अन्त तक बेरोजगारों की संख्या 486 लाख होगी। इस प्रकार लगभग 5 करोड़ बेरोजगार व्यक्तियों की यह संख्या रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या के आधे के बराबर होगी। 1966 के अन्त में रोजगार दफ्तर में दर्ज व्यक्तियों की संख्या लगभग 26,22,000 थी, जो 1969 में बढ़कर 34,23,000 हो गई। यह स्थिति तो तब है जबकि प्रत्येक नौकरी चाहने वाला व्यक्ति रोजगार दफ्तर में अपना नाम पंजीकृत नहीं कराता। सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में विज्ञापित पदों की कुल संख्या 5,48,870 थी। इनमें से भी 59% पदों पर ही व्यक्ति नियुक्त किये गये। देश को इस कठिन स्थिति से निकालने के लिये उपचारी कदम उठाने होंगे। पहली तीन योजनाओं में रोजगार के अवसर बढ़ाने के बारे में काफी कुछ व्यवस्था की गई थी, परन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। दस्तावेज में केवल यह उम्मीद की गई है कि इस प्रकार की परिस्थिति तैयार हो सकेगी जिसमें प्रति व्यक्ति 27 रु० प्रति माह उपलब्ध होंगे और वे भी 1967-68 की कीमतों के आधार पर। परन्तु रोजगार की समस्या का इससे समाधान होने वाला नहीं है।

श्रम मन्त्रालय की समीक्षा में यह कहा गया है कि मार्च 1967 में संगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर 131·9 लाख से बढ़कर 163·2 लाख हो गये और मार्च, 1968 में यह संख्या बढ़कर 163.3 लाख ही हो सकी। 1966-67 में सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर 2·7% थे और 1967-68 में घटकर 1.7% ही रह गये। बेरोजगार इंजीनियरों की संख्या 1968 में 57,000 थी जो इस समय 60,000 है और चौथी योजना के अन्त में यह संख्या बढ़कर 1,00,000 हो जायगी। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगार मैट्रीकुलेट, स्नातकों और इंजीनियरों की संख्या क्रमशः 40 लाख, 15 लाख और 1.25 लाख हो जाने की आशंका है। अगर इस समस्या का समाधान न किया गया, तो देश विनाश की ओर अग्रसर होगा।

इस वर्ष के बजट में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान बारानी खेती हेतु किया गया है। लगभग 2 करोड़ रुपये की धनराशि के इस थोड़े प्रावधान से रोजगार के कौन से अवसर पैदा किये जा सकते हैं? बजट प्रस्तावों में हमारे वित्त मन्त्री ने बड़ा शोर शराबा किया कि वह 45 नई ग्रमीण निर्माण परियोजनाओं को प्रारम्भ करने जा रहे हैं। परन्तु 5 करोड़ नवयुवकों के बेरोजगार होने का तात्पर्य यह है कि 45,000 परिवार बेरोजगारी से प्रभावित हैं। पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यक्रमों के लिये केवल 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। यह धनराशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जब तक इस कार्य के लिये लगभग 200 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था नहीं की जायेगी, तब तक ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना में सरकार 70 लाख व्यक्तियों को ही रोजगार दे सकी, जबकि बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 123 लाख थी। प्रति वर्ष 46 लाख व्यक्तियों को रोजगार चाहिये। चौथी योजना में और बजट में जो प्रावधान किया जा रहा है, वह वास्तव में स्थिति से निपटने के लिए नहीं के बराबर हैं। जहां तक रोजगार देने का सम्बन्ध है, हमारे देश के नवयुवकों की निराशा समाप्त करने में सरकार को सफलता नहीं मिल सकेगी।

बेरोजगारी का मूल कारण है हमारी अर्थ-व्यवस्था का अविकसित होना। अन्य बहुत से कारण भी हैं हमारी कोई राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं है। खाद्यान्नों का पर्याप्त उत्पादन होने के बावजूद भी कीमतों में 30% की वृद्धि हुई है।

देश में सहायक रोजगारों की सर्वथा कमी है। गान्धीजी कुटीर उद्योगों पर बल देते थे, क्योंकि इससे काफी संख्या में असहाय व्यक्तियों को रोजगार मिलता था। कुछ क्षेत्रों में निस्सन्देह कुटीर उद्योग हैं और कुछ क्षेत्रों में ये बढ़ भी सकते हैं, किन्तु सरकार की ओर से देश के प्रत्येक गांव में कुटीर उद्योग का विस्तार करने के लिये कोई नियोजित और भारी प्रयास नहीं किया गया है।

एक अन्य कारण बड़े-बड़े इस्पात कारखानों की उत्पादन-क्षमता का पूरा उपयोग न किया जाना है। इससे रोजगार के अवसरों में तो कमी आई ही है, इस्पात और उससे निर्मित वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। सरकारी धन का अपव्यय होता है और साथ ही साथ भारी-भारी राशियों के व्यय में अव्यवस्था, अनियमिततायें और भी होती हैं।

सरकार ने एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया है, जिसमें केवल सचिवीय सफेदपोश रोजगार की आवश्यकता है। श्रम के महत्व का विचार पूरी तरह समाप्त हो गया है। अतः लोग गांव से शहरों की ओर भाग रहे हैं। जब तक समुचित प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती और रोजगार के लिये संतुलित अवसर नहीं दिये जाते, तब तक स्थिति में सुधार की सम्भावना नहीं है।

वेतन नीति का भी सही निर्धारण नहीं किया गया है। आई० सी० एस०, आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और आई० एफ० एस० अधिकारियों तथा उच्च-न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों में **एतदर्थ** वृद्धि कर दी जाती है। खेतों में कार्यरत नवयुवकों और सरकारी उपक्रमों तथा कार्यालयों में कार्यरत व्यक्तियों के वेतन में भारी असमानता है।

सरकार को पहले श्रम की महत्ता पैदा करनी चाहिए। दूसरे उसे छोटे पैमाने के उद्योगों का समुचित विस्तार करने और विशेष रूप से बारानी कृषि क्षेत्रों में कृषि विकास द्वारा गांवों में रोजगार के अवसरों का समुचित विस्तार करने का भी प्रयास करना चाहिए। बांधों आदि का निर्माण करके सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए।

प्रधान मन्त्री ने अपने बजट भाषण में आने वाले दस वर्षों का तो जिक्र किया, परन्तु भावी दस वर्षों में रोजगार के अवसर जुटाने के लिये प्रयास करने की ओर कोई संकेत नहीं किया। इसलिये, मेरा सुझाव है कि रोजगार की गम्भीर समस्या को हल करने के लिये एक विशेष दस वर्षीय योजना बनाई जाय।

किसी भी व्यक्ति को रोजगार प्रदान करना सामाजिक न्याय का अविभाज्य अंग होना चाहिए। वेतन ढांचा स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित किया जाना चाहिए। देश के अल्प संसाधनों की उत्पादकता बढ़ायी जानी चाहिए। बढ़ रहे मुद्रास्फीति के दबावों को

हटाया जाना चाहिए और रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करने के लिये देश के सभी संसाधन जुटाये जाने चाहिए। हमें एक राष्ट्रीय रोजगार नीति बनानी चाहिए ताकि जो कोई भी कार्य करना चाहे उसे कार्य दिया जाये; अन्यथा हम देश के नवयुवकों में व्याप्त निराशा को समाप्त नहीं कर पायेंगे और बेरोजगारी की समस्या भयंकर रूप धारण कर लेगी। हमें वेतन का ऐसा मानदण्ड भी निर्धारित करना चाहिए, जिससे कोई यह अनुभव न करे कि उसे उसका वास्तविक वेतन नहीं दिया जा रहा है।

सभापति महोदय : कुछ माननीय सदस्यों ने उपर्युक्त संकल्प के बारे में संशोधनों के लिये नोटिस दिये हैं। क्या वे अपने संशोधनों को पेश कर रहे हैं ?

श्री यशपाल सिंह : (देहरादून) : मैं संशोधन सं० 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : मैं संशोधन सं० 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु : (उदीपी) : मैं संशोधन सं० 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त : (दिल्ली सदर) : मैं संशोधन सं० 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री बेदब्रत बरुआ (कलियाबोर) : इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। हाल ही में योजना आयोग ने कहा है कि बेरोजगारों की संख्या दिन-प्रति दिन बढ़ती जा रही है। इसके लिये अधिक रोजगार पैदा किये जाने का एक ही समाधान है। मन्दी वाली अर्थ-व्यवस्था में जहां उत्पादन नहीं बढ़ रहा है तो यदि इसे कल्याणकारी उपाय समझें भी तो क्या हो जबकि लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। सरकारी-क्षेत्र के उद्यमों तथा सरकारी विभागों में इकट्ठे हो रहे अनावश्यक विस्तारों को भी छोड़ देना चाहिये।

योजना के व्यापक अंग से बेरोजगारी का सम्बन्ध है। जिसके लिये हमें सहयोग की आवश्यकता होती है तथा योजना इतनी बड़ी होनी चाहिये कि उसके लिये साधन जुटाये जा सकें तथा अर्थ-व्यवस्था के एक क्षेत्र पर ही नहीं अपितु सभी क्षेत्रों पर कर लगाये जा सकें। धनवान व्यक्तियों को कर लगाने से बचाना संभव नहीं है चाहे वे कृषि-क्षेत्र में हों अथवा औद्योगिक क्षेत्र में हों। ग्रामीण कार्य-सम्बन्धी कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिये हमें समर्थ होकर करों में वृद्धि करनी होगी ताकि देश में एक नयी बात उत्पन्न हो। लाखों लोगों को रोजगार देने के लिये हमें ग्रामीण कार्य सम्बन्धी कार्यक्रमों जैसे—पीने का पानी, सिंचाई के लिये नहरों की खुदाई, बांध आदि बनाने पर कुछ करोड़ रुपया खर्च करना होगा। ऐसा करने से योजना को और अधिक व्यापक बनाने में ऐसे सरकारी व्यय जिनसे उत्पादन नहीं होता है उनमें कमी हो जायेगी। यह मामला श्रम तथा रोजगार मंत्रालय से ही सम्बद्ध नहीं है बल्कि समस्त योजना मंत्रालय के लिये भी है।

यह प्रश्न केवल नारों तक ही सीमित नहीं है। इस मामले में व्यावहारिक कदम भी उठाये गये हैं तथा राष्ट्रीय रोजगार नीति अपनाने के लिये और अधिक व्यावहारिक कदम उठाये जाने हैं। रोजगार देने के सम्बन्ध में वेतन सम्बन्धी कोई बात नहीं की जायेगी। यदि हम सही मार्ग पर चलें तो लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। हमें अब भी इंजीनियरों तथा

तकनीकी व्यक्तियों की आवश्यकता है परन्तु वे यह देश छोड़कर चले जाते हैं। पाश्चात्य देशों का कहना है कि वे भारत जैसे देश को बहुत सहायता देते हैं उसके इंजीनियरों को प्रशिक्षण देकर यहां भेजते हैं फिर भी ये इंजीनियर कहीं अन्यत्र चले जाते हैं। आज स्थिति यह है कि सरकारी-क्षेत्र के उद्यमों में इन इंजीनियरों आदि को पुनः प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जब तक हम प्रत्येक स्तर पर कार्य कुशलता के लिये कार्य-क्षम व्यक्तियों को नहीं रखते हैं तक तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।

हमें सरकारी-क्षेत्र उद्यमों की आलोचना ही नहीं करनी है अपितु वहां पर वास्तव में त्रुटि है उसे ढ़ढ़ना है क्या हम सरकारी-क्षेत्र उद्यमों में इंजोनियरों को प्रबन्धकों के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते हैं ? उदाहरण के लिये टाटा उद्योग-संस्थानों में उनके इंजीनियर ही प्रबन्धकों का कार्य कर रहे हैं। जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, हमें उचित स्थान पर उचित व्यक्ति को ही रखना चाहिये तथा मेरे अध्ययन के पश्चात मेरी यह मान्यता है कि जब तक उचित स्थान पर उचित व्यक्ति को नहीं रखा जायेगा तब तक सरकारी-क्षेत्र उद्यमों में उत्पादन के मामले में जो धांधली हो गई है वह दूर नहीं की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति कार्य-क्षम नहीं होता है तो उसे वहां से हटा देना चाहिये। उसे कोई दूसरा अधिक अच्छा रोजगार दे देना ठीक रहता है जिससे वह राष्ट्रहित को हानि नहीं पहुंचाये। उद्यमों की देखभाल करने के लिये वरिष्ठता का आधार नहीं माना जाकर सुयोग्य एवं कार्य-क्षम व्यक्तियों को ही कार्य सौंपा जाना चाहिये जिससे की कार्य अच्छा हो।

हमने समाजवाद को हमारा लक्ष्य माना है। हमारे देश जैसी पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था में अधिक साधन जुटाये जाकर ही अर्थ-व्यवस्था विकसित की जा सकती है। जब तक हम सभी सरकारी क्षेत्र-उद्यमों को चला कर फिर से अर्थ-व्यवस्था का प्रजनन नहीं करते हैं, तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। सरकारी क्षेत्र के उद्यम देश के भाग्य की कुंजी के रूप में होते हैं।

Mr. Chairman : Shri Virendra Kumar Shah.

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह (जूनागढ़) : 'सामाजिक न्याय के साथ वृद्धि की ओर' लेख्य का कुछ अंश यह बताता है कि हमारी योजनाओं का मूल्य उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार देना है। आय-व्ययक प्रस्तुत करते समय प्रधान-मंत्री ने यह बताया कि रोजगार के अवसरों का उपबन्ध एक कल्याणकारी उपाय ही नहीं है बल्कि गरीब देश में विकास करने का आवश्यक अंग भी है। मैं समझता हूं कि प्रधान-मंत्री जी की इस बात से कोई असहमत नहीं होगा परन्तु क्या ये केवल पवित्रशब्द ही हैं अथवा गत 20 वर्षों में कुछ हुआ भी है ? पूरी तीन योजनायें तथा आधी चौथी योजना के बाद आज हमें क्या मिला ? योजनाओं के अन्तर्गत सबसे प्रमुख उद्देश्य अधिकतम रोजगार देने का था परन्तु 1951 में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या जो 30 लाख थी वह अब बढ़कर 340 लाख हो गई है। 710 लाख नये आने वाले लोगों में से जिन्हें रोजगार देना था केवल 360 लाख लोगों को रोजगार मिल सका है। यदि हम उन लोगों को शामिल करें जिनको अल्प रोजगार दिये गये हैं तो यह संख्या बढ़कर 600 से 700 लाख ऐसे लोगों की हो जायेगी जिन्हें पूरी तरह रोजगार नहीं दिया गया है।

हाल ही में हमें मालूम हुआ कि एक वर्ष में केवल 18 प्रतिशत शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिला । 1967 में भी यही था । गन्दी बस्तियों के बारे में स्वर्गीय नेहरू जी ने भी कहा था कि उन्हें हटाया जाकर नयी मकान बनाने की सुविधा प्राप्त की जाये । प्रति वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में लोग आ रहे हैं तथा पियर्सन समिति के प्रतिवेदन के अनुसार सन्, 2000 में भारत के बड़े शहर में 350 लाख आदमी हो जायेंगे इस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ती है तथा इसके कारण अपराध, गरीबी और कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं जिनसे हमारे प्रजातान्त्रिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना भी अनिवार्य है । अत: हमें इस स्थिति को उत्पन्न करने वाले उत्तरदायी मूल कारणों को ढ़ूढ़ना चाहिये और उन्हें दूर करना चाहिये ।

उसका कारण क्या है ? जहां तक मैं समझता हूं हमारी योजनाओं का दिशानिर्धारण ही दोष पूर्ण है । रूस के अनुसार हमारी योजनाओं में भारी इंजीनियरी भारी उद्योग और मूल उद्योग का ढांचा बनाया गया है । एक विशेष पद्धति वाली सरकार जैसी कि सोवियत-संघ में है वहां पर तो वह उपयुक्त है । परन्तु सरकार का जो ढांचा हमने अपनाया है उसे देखते हैं तो क्या भारी इंजीनियरी आदि यहां उपयुक्त है ? इस पर हमें विचार करना है ।

हमने अनुभव कर लिया है कि प्रथम योजना मुश्किल से कोई योजना थी । दूसरी तीसरी योजना में भी वही पद्धति जारी रही और पिछले पन्द्रह वर्षों में जो पूंजी हमने विभिन्न उद्योगों में लगाई उसके हिसाब से रोजगार का अनुपात बहुत ही कम रहा इन योजनाओं के अन्तर्गत दुर्लभ साधनों का उपयोग किया गया तथा प्रधान-मंत्री का कहना है कि हमें साधनों का पूर्ण उपयोग करना चाहिये । इन सब बातों को देखते हैं तो मालूम होता है कि इन से लाभ तो दूर रहा—रोजगार के रूप में भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ । राजकोष पर लाभ की अपेक्षा इन योजनाओं से हानि ही हुई साथ ही रोजगार भी नहीं मिला । वे ऐसे उद्योग हैं जो ऐसी सीमा तक रोजगार नहीं दे सकते जिससे अनिवार्य रूप से देश के लोगों को भोजन मिल सके ।

यह भी अनुभव किया गया है कि 20 वर्षों में इससे अधिक रोजगार के अवसर उस तेज गति से नहीं बढ़े हैं जितनी तेज गति से जनसंख्या की वृद्धि और शिक्षितों की वृद्धि हुई है । जो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से निरन्तर निकल रहे हैं । हमारी दोषपूर्ण नीतियां जो हमने अब तक अपना रखी हैं जिसके पणिास्वरूप केन्द्रीयकृत नियन्त्रण हुआ है जिससे कार्य-क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र में निर्णय देने में देरी हो रही है । आज इस केन्द्रीय कृत नियन्त्रण के कारण कोई भी नई कम्पनी अथवा कारखाना पनपने नहीं पा रहा है । यहां तक कि जो पुराने कार-खाने हैं उनके लिये भी किसी बात का निर्णय करने में महीनों लग जाते हैं ।

मैं ऐसे मामले के बारे में आज सुबह ही मालूम हुये कोटा स्थित उद्योग की अवस्था का उदाहरण दूं । राजस्थान के मुख्य-मंत्री द्वारा श्री फखरुद्दीन अली अहमद एवं श्री बलिराम भगत को एक तार दिया गया जिसमें 1000 व्यक्तियों को रोजगार देने वाला तार बनाने का एक कारखाना बन्द किये जाने का जिक्र था कि वहां पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को, एक या दो दिन में यदि आवश्यकता के कच्चे सामान की व्यवस्था नहीं की गई अथवा उसमें निर्णय देने में देरी की गई तो उन कर्मचारियों को रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा । ऐसा लगता

हैं कि गत छैः या आठ महीनों में बेरोजगारी की स्थिति अधिक खराब हो रही है। कहने में तो यह आता है कि बेरोजगारी की समस्या पर काबू पा लिया जायगा परन्तु वास्तव में जो वे कर रहे हैं उससे विपरीत की कार्यवाही हो रही है।

यदि हम इस हालत को सुधारना चाहते हैं तो दिशा निर्धारण में पूर्णतः परिवर्तन अनिवार्य है। योजनायें रोजगार दिलाने वाली होनी चाहिये। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत अधिक धन ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किया जाना है। उदाहरणार्थ यदि 100 करोड़ रुपया केवल सड़कों के बनाने में व्यय करना है तो यह न केवल ग्रामीण क्षेत्रों को मूल स्वरूप ही प्रदान करेगा अपितु वह स्वयं ही धन को पैदा करेगा और ऐसी स्थिति ला देगा जिससे लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों को आकर और समस्यायें खड़ी करने की बजाय वहां रहकर वे परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। यदि सड़क बनाने में उन्हें जो रोजगार मिलता इसकी अपेक्षा गांवों से शहरों तक सड़कें हो जायेंगी तो आना-जाना सुगम हो जायेगा तो वे वहां पर बस कर जीविका कमाने लगेंगे।

तब हमें और अधिक धनराशि छोटी सिंचाई के लिये देनी होगी जो कि न केवल रोजगार ही देगी अपितु उससे खाद्यान्न भी उत्पन्न होगा।

यदि ग्रामीण विद्युतीकरण को लिया जाये तो उससे भी और अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को रोजगार मिलना चाहिये। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि गत 20 वर्षों में हम ऐसा करने में असफल रहे हैं। अतः मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि और अधिक रोजगार के लिये सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना चाहिये।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा): बेरोजगारी की समस्या इस दशा तक पहुंच गई है कि यदि शीघ्र ही सरकार द्वारा इसे ठीक नहीं किया जायेगा तो देश में अब तक जितनी भी प्रगति हुई है, उसे खतरा पहुंचेगा अथवा वह सारी की सारी की गई प्रगति बेकार हो जायेगी।

25 मार्च के **हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड** में कुछ आंकड़े दिये गये हैं जो इस प्रकार हैं—पश्चिम बंगाल में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या गत दिसम्बर तक रोजगार कार्यालय के रजिस्टर से 182,000 तक बढ़ रही थी। फिर उत्तर प्रदेश में काम ढूंढ़ने वाले लोगों की संख्या 154,000, केरल में 143,000, महाराष्ट्र में 125.000, बिहार में 124,000, तमिलनाडु में 118,000 मैसूर में 116,000 और आन्ध्र प्रदेश में 100,000 थी तथा 31 दिसम्बर तक कुल संख्या 15,26,000 थी। यह तो काम ढूंढ़ने वालों की संख्या थोड़ी ही है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति तो अपना नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज ही नहीं करवाते हैं। पश्चिम बंगाल में बेरोजगार कारीगर भी बहुत बड़ी संख्या में हैं तथा बिहार में काम ढूंढ़ने वाले लोगों की संख्या 1,00,000 तक थी।

यह तो समाचार-पत्रों द्वारा दिया गया थोड़ा सा विवरण है। रोजगार दफ्तर इस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जिनसे कि बेरोजगारों में विश्वास पैदा कर सकें।

बेरोजगारी से गरीबी होती है तथा गरीबी से भविष्य के लिए खतरा पैदा हो जाता है। यदि हमें देश में एकता चाहिये तो निर्धनता को समाप्त करना होगा। हमारे संविधान द्वारा बताये गये राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुसार निर्धनता को हटाना चाहिये।

यदि हम हमारे देश से निर्धनता का उन्मूलन करना चाहते हैं तो देश के लोगों के लिये कार्य प्राप्त कर दें। गत तीन योजनाओं तथा चौथी योजना के अन्तर्गत हमने जो बेरोजगारी समाप्त करने की नीति अपनाई थी वह पूरी नहीं हुई है।

भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है किन्तु हमने कृषि के क्षेत्र में सुधार करने के लिये छोटी सिंचाई परियोजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं को भी हाथ में नहीं लिया है। यदि ऐसा किया होता तो संभवतः ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी की समस्या हल हो गई होती। बेरोजगारी के कारण देहातों से असंख्य लोग नगरों की तरफ दौड़ते हैं जिसके कारण अन्य सामाजिक तथा आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न होती है। अतः हमें कुछ ऐसा ढंग निकालना पड़ेगा जिससे बेरोजगारी की समस्या शीघ्र हल हो जाये। यदि सरकारी अथवा गैर सरकारी उद्योगों को बड़ा बनाने पर ही बल दिया जायेगा तो इससे समस्या का कोई समाधान नहीं मिल सकता। आधुनिकीकरण के नाम पर कारखानों में स्वतः चालित मशीनों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है जिससे अधिक लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। अतः हमें लघु तथा मध्य स्तर के उद्योगों पर आश्रित रहना पड़ेगा।

हमें शिक्षा की पद्धति में भी सुधार करना पड़ेगा। आज ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसे पाकर विद्यार्थी कोई अपना उद्योग धंधा चला सके तथा क्लर्की आदि पर निर्भर न रहे।

यदि हमने पहले अपने देश में कुटीर उद्योगों को विकसित किया होता तो अनेकों लोगों को रोजगार दिया जा सकता था। हमने इस क्षेत्र की ओर ध्यान ही नहीं दिया। पूंजीपतियों के प्रति शोषण की नीति अपनाये जाने के कारण मजदूरों तथा पूंजीपतियों के सम्बन्ध खराब हो जाने से अनेकों समस्यायें पैदा हो गई हैं। हड़तालों, घेराव और अन्य कारणों से बहुत से कारखाने बन्द हो चुके हैं। पश्चिमी बंगाल में यह समस्या इतनी गम्भीर हो चुकी है कि जब तक श्रम मंत्रालय इस ओर ध्यान देकर ऐसी स्थिति पैदा नहीं करता कि मजदूरों और पूंजीपतियों में स्वस्थ सम्बन्धों की स्थापना हो सके तब तक वहां रोजगार प्रदान करने के अवसर पैदा करना सम्भव नहीं होगा।

जहां रोजगार उपलब्ध भी है, हमारी वेतन नीति इस प्रकार की है कि हम न्यूनतम वेतन देने के लिये भी इन्कार कर रहे हैं। जब तक आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं कर दिया जाता, और श्रम-मंत्रालय द्वारा ऐसी नीति नहीं अपनायी जाती, तो कुछ लोगों के रोजगार पर लगे रहने पर भी असन्तोष बना रहेगा। मैं श्रम मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस समस्या की ओर ध्यान दें।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : If we fail to evolve remedial measures to solve the crucial problem of unemployment then certainly, India will have to face a very grave situation. The following figures bear a testimony to the fact that the Government has proved a failure as regards the creation of employment potential to our unemployed millions. By the end of third

five year plan the number of unemployed reached between 22 to 23 millions. The existing rate of providing employment opportunities by the Government is such that it will lead to more unemployment and probably the figures by the end of 1976 may rise to 30 millions and upto 48 millions by the end of 4th five year plan.

It is because of the family planning by the Government which had based our plans on the model of western countries. There in western countries are less labourers and more work, but the conditions in India are entirely different from those western countries. Here we have more labourers and less work. Therefore, the western mode does not suit us. India needs Gandhi and Gandhian planning and as such, we should have stressed upon decentalization and cottage industries. But that has not been done. On the other hand the Government has made city the basis of its planning and consequently all the capital of the country has been concentrated in few cities and the villages have been neglected.

The system of education started by Lard Macaulay is being blindly followed by Government which has resulted in producing white collarerd people who would not like to go to villages for employment purposes. The result is that the number of educated unemployed is increasing. Therefore, it is necessary to reform the system of education.

The position of the country would not have been so bad in case there were only uneducated unemployment but the is entirely different in India. There were 13.1 Lakhs of educated unemyloyed at the end of 1968. Such a vast unemployment is dangerous to the country because it may lead to destruction and anarchy.

Our planning system needs a change. It is based on western model. This requires to be Indianized. The basis of planning should be mass production and not the mechanized production. Cottage industries should be strengthened as remedial measures against unemployment and the villages of the country should be made electrfied and industries be established there.

As regards employment opportunities, priority should be given to Harijans and scheduled castes who had neither Land nor a house to live in.

Banks have been nationalized but there is no material gain to the poor the money of the banks should be utilized for opening small scale industries so that more and more people may get employment. We should make people trained and when they are considered competent to run these factories on co-operative basis they should be made factory owners.

Shri Randhir Singh (Rohtak) The resolution proposed by Dr. Ram Subhag Singh has rendered a great service to the poor specially those residing in villages. Poor villagers suffering from unemployment have been brought to time light. This unemployment problem has assumed alarming proportions and it should be dealt with on war footings.

India is an agricultural country. If the Government pays its attention to the advancement of agriculture, the problem of rural unemployment may be solved to a great extent.

People are shifting from rural areas to urban areas because all the facilities of life are available in towns and not in villages. As against this situation poverty is rampant in villages. The income, of the people there, is as low as Rs. 40 per month.

A sum of Rs. 4000 crores has been invested in public sector undertaking. That is no doubt a good investment. If that amount would have been invested to operate small and cottage

industries in villages, the problem of unemployment could not have taken such a acute turn. I am making a reference to the poor and only those who have got one or two acres of land. In case they were provided employment they would have raised their standard of living. In order to solve the problem of educated unemployment in villages, 80 percent of the vacancies in a lethl services should be reserved for rural areas. A proper attention regarding—set up of industries, electrification, adequate water supply, and means of transportation in the villages may lead to the enhancement of production and supplementary income to the villagers and thereby providing a relief to the larger section of the country.

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : मेरे से पहले भी अनेक सदस्य बता चुके हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। यदि हम केवल भीख मांगने वाले लोगों की ओर ध्यान दें तो भी यह ज्ञात हो जाता है कि देश के अन्दर बेरोजगारी की समस्या कितनी प्रबल है। विगत 25 वर्षों में सरकार ने इस बुराई को समाप्त करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया है। श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय इस समस्या को दूर करने के लिये कोई उचित कार्यवाही नहीं करते हैं। जब तक हम बेरोजगार लोगों के लिये उद्योगों का विकास नहीं करते हैं, तब तक हम इस समस्या को हल नहीं कर सकेंगे।

सरकार और योजना आयोग की विभिन्न रिपोर्टों से पता चलता है कि बेरोजगारी के इस महत्वपूर्ण पहलू पर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया है। योजना कार्य से सम्बन्धित सदस्य बेरोजगारी के इस महत्वपूर्ण मामले पर ध्यान न देने का कारण यह बताते हैं कि यदि हम उद्योगों के विस्तार पर बल देंगे तो इस समस्या का निदान स्वयं ही हो जाएगा।

भारत सरकार ने पिछले कई वर्षों से चौथी योजना के मसौदे में भी श्रम-गहन उद्योग के लिये प्राथमिकता का व्यवहार नहीं किया है। वह प्रार्थना पत्रों में लाइसेंसों के लिये दावा भी नहीं कर सकते हैं, इसमें अधिकतम श्रम गहन क्षमता है और उन्होंने इसे पूर्णत: स्पष्ट कर दिया है। वास्तव में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों और स्थानीय क्षेत्रों का पता लगाने और प्रोत्साहन देने, औद्योगीकरण के लिये आवश्यक आधार भूमि तैयार करने और तत्पश्चात् ग्रामीण उद्योग को प्रोत्साहन देने और इसके विकास के लिये कार्य करने के संबंध में अभी तक जो कुछ किया गया है वह बहुत असंतोषजनक है।

भारत सरकार की नीति थी कि औद्योगिक बस्तियों के विकास के लिये जीवन बीमा निगम को पेशगी ऋण देना चाहिए। लेकिन नीति को इस तरह लागू किया गया कि राज्य सरकार को अपने प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजने पड़ते थे जिसके कारण उन्हें इतने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी और वे इतने निराश और हताश हो जाते थे तथा अपनी स्वत: प्रेरणा को खो बैठते थे। इसी तरह ग्रामीण औद्योगीकरण करना भी सुगम नहीं है क्योंकि उद्योग वहीं पनप सकते हैं जहां सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों। भारत सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है।

इस देश से भिक्षावृत्ति को दूर करने के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है क्योंकि यह देश के लिए कलंक की बात है। एक बार सरकार की ओर से यह कहा गया था कि भिक्षावृत्ति का प्रश्न बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है और वह इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकती।

संसार में भिक्षावृत्ति के बराबर दूसरी कोई समस्या नहीं है और भिक्षावृत्ति के दृष्टान्त मेरे राज्य में दूसरे राज्यों की अपेक्षा अधिक हैं। लेकिन यह खेद का विषय है योजना बनाने में, भिक्षावृत्ति के उन्मूलन अथवा बेरोजगारी की गम्भीरता को कम करने के लिए कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। यदि सरकार पूरी गम्भीरता से कुछ सुझाव बना सके और उस दिशा में कुछ कार्य आरम्भ करे, तभी हम बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के सम्बन्ध में कुछ कर सकते हैं। सरकार को ग्रामीण औद्योगीकरण के लिये कुछ न कुछ आवंटन अवश्य करना चाहिए। सारे देश को इसमें शामिल किया जाना चाहिये। जहां बेरोजगारी की समस्या राज्य के कुछ क्षेत्रों में बहुत ही गम्भीर है वहां तो हमें देखना चाहिये कि उन क्षेत्रों में अधिक औद्योगिक बस्तियां स्थापित की जायें। पुराने कुटीर उद्योगों को स्थापित करने का कोई लाभ नहीं है। इसके विपरीत हमें आगे सोचना है और जापान और थाइलैण्ड जैसे देशों से सीखना है जहां आधुनिकतम टैक्नोलोजी को घरों में अपनाया गया है और छोटे यूनिटों में भी इसे लागू किया गया है, जिससे सभी लोगों को रोजगार मिल सका है।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : बेरोजगारी के बारे में मैं अपना संकल्प पेश करना चाहता हूं जिसके बारे में कुछ महीने पहिले ही एक दूसरे संकल्प के रूप में विचार-विमर्श किया जा चुका है। राष्ट्रपति के भाषण पर विचार-विमर्श करते समय भी इसका जिक्र हुआ था।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : डा० राम सुभग सिंह का यह संकल्प पूर्ण रूप से विवादास्पद नहीं है। इसमें केवल यह कहा गया है :

> "देश में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या के समाधान के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उपयुक्त व्यवस्था करे।"

इसे काफी पहले ही स्वीकार कर लिया जाना चाहिये था।

श्री क० नारायण राव (बोम्बिली) : बेरोजगार की गम्भीर समस्या को ध्यान में रखते हुए, इसकी चर्चा के लिए समय को बढ़ा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : सभा की सर्वसम्मति यह है कि इस संकल्प पर अगले दिन विचार किया जाये।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : The problem of unemployment in our country is very serious and in coming years it will become more acute. At times, various agencies had provided different statistical data about the problem. It is not known that what was the actual number of unemployed persons in the country as a whole and areawise. In order to have a correct record of these things, it is duty of the Government to make it a point that during the next census in 1971, information may be collected areawise about the unemployed persons—educated and uneducated.

There is lot of work in the fields but the things, needed by the farmer, are not available. The first question in respect to the solution of unemployment problem was that its causes should be found out and then efforts should be made to remove those causes. If the basic requirements of agriculture and industry were fulfilled, the problem would be solved to a certain extent. If we want to solve the problem of unemployment we should see that water and electricity may be made available to the farmers. Also, we should be ensured that our

industries developed in the proper manner and their production increased. Besides, the people would have to be familiarised with the thinking and the working of certain elements who were interested only in keeping a production at a low level because it served their political ends. We have to remain cautious from such people who want to make disturbances and the labourers and the poor class will have to be taught to safeguard their own interest.

Almost all the Members who had participated in the debate had said that policies followed by the Government were responsible for the present state of unemployment. In a big country with a population of 55 crores, the Government alone could not solve such a gigantic social problem ; the agencies other than the Government—private sector industries—would have to give their co-operation. We find that about 56 percent investment has been made by the capitalists and their main deficiency is to produce less so that their product may be sold more. This is a common principle that if the production is less, the opportunities of employment would also be less. In fact, the capitalists, who were the owners of the private sector industries deliberately reduced production, it gave them more profits. The Government should check this anti-social practice.

The condition of our villages is also miserable and something should be done to uplift the farmers and labourers living in the villages. Many schemes and statements are made for villages but these schemes are not implemented. All the facilities are provided to the city dwellers but no attention is paid towards villages where a large population of India lives. If we want to achieve the goal of socialism in the right sense, then the labourers, farmers and Harijans living in the village have to be attended and something solid should be done to change their plight.

If the Government is really interested in solving the problem of unemployment, the surplus land be given to the Harijans and farmers on lease basis or otherwise so that production could be possible on those lands. Besides, proper arrangement of water may be made on those lands.

Nepotism is going on in our Employment Exchanges. Something should be done to check the same. The Government should introduce a scheme of giving unemployment allowance to the unemployed in the country.

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : The Hon. Member, Dr. Ram Subhag Singh, while moving his motion on the unemployment has expressed his grave concern on this problem and has shown his sympathy to the unemployed persons. But it is strange that the Hon. Member did not feel this growing unemployment in the country for the last 22 years as a problem when he was part and parcel of this Government. The problem of unemployment could not be solved in a capitalistic structure of economy merely by slogans and giving speeches. This problem of unemployment is prevailing in the capitalistic countries like America, Germany, France etc. and they have not been able to solve this problem completely. Therefore, this problem could not be solved in this capitalistic structure inspite of huge amount being spent for eliminating this problem. Moreover this problem has been constantly increasing because of unhelpful attitudes of the capitalists, and industrialists. They had retrenched their employees, locked out their factories. In our country these monopolist capitalists were all powerful and were so influential in the Government that they openly defy the request and directives of the Government and also the agreements reached with the labour and Government. When such is the position of the Government that the monopoly—capitalists do not even care for the requests of the Government it is all the more impossible to over come this unemployment problem in the country. If we take the examples of the socialist countries, according to the available data you

will find that China is a burning example which had solved its unemployment problem with a very rapid pace. But here in this country people have said the unemployment problem could not be solved ; because of its large population.

The unemployment problem could be solved through planned development of economy. But in our country the bureaucrats have been made incharge of the planned development programmes, and public sector undertaking, but they had no faith in the planned development of the country. So long as these bureaucrats are there our public sector undertakings would not succeed. Some drastic changes should be made in the policy of the Government.

Countries like West Germany and Japan after Second World War, have solved their problem of unemployment to a great extent because of their rapid rate of economic development. We would, therefore have to accelerate the growth of our socialistic economy and would have to make necessary changes in our policies for tackling the unemployment problem.

As some of the hon. Members have asked for electrification of villages, which is a good suggestion and the villages should be electrified. This would encourage the villagers to establish small scale and Agro-Industries which would provide employment to many unemployed persons in the rural areas secondly the country side village road should be constructed. The construction of the roads on a big scale in the rural area is essential for the development of the country which would also provide Job to the skilled and unskilled labour. For all that, it is therefore, necessary that our Fourth Five Year Plan should be on a much larger scale.

I have to draw the attention of Government that the figures of the unemployed persons collected from the Employment Exchanges by the authorities were not correct. Moreover those figures were under estimated and Government do not know correct number of unemployed in the rural areas. A large number of educated villagers had not got their names registered with the Employment Exchanges. The problem of unemployment in the villages was so serious that many educated persons could get jobs for only 20 or 25 days in a year and for the rest of the year they remained without job. Apart from that the labour policy of the Government was faulty as a result of which the workers could not get need based minimum wages. Because of the increasing price level of the essential commodities the real wages of the employed persons had gone down. Therefore we would have to change our development policies. We would have to make planned-developments in the socialistic structure of our economy. Particular attention would have to be paid in increase irrigation potentiality and bring about land reform.

We would have to control private sector industries in a more stricter manner so that their management may not resort to retrenchment and lockouts leading the country to face unemployment problem. Government should take some concrete steps to eliminate unemployment problem otherwise there would be red revolution in the country.

Shri Rabi Ray (Puri) : Sir, first of all I have to express my thanks to Dr. Ram Subhag Singh for drawing the attention of House for the second time to this serious problem. The Government have not taken any concrete steps, during the last 20 or 22 years for solving the unemployment problem. Nearly 3 million both boys and girls pass High School and College Examination every year only to face unemployment and roam about on the roads but there is no programme to absorb them in the services. There were nearly 5.5 crores people both in the rural areas and in the urban areas seeking employment in the country. It is also an admitted fact that 70,000 engineers are unemployed. The unemployment problem has become very serious in the country. In the present economic policies the Government would not be able to solve this problem. Therefore these policies should be changed so that this problem could be tackled.

While the top leaders and stalwarts in the Government talked much about sacialism, they live aristocratic life in an ostentatious manner. Therefore, there must be check on personal expenditure and luxurious life of the Prime Minister, Ministers and big capitalists. Prime Minister and the other Ministers even after taking oath of allegiance violate the Constitution. Therefore they are rather more dangerous.

Moreover the unholy alliance prevailing among the Ministers, big capitalists and great bureaucrats must be checked and curbed, because this triangular alliance had destroyed the economic structure of the country.

The growing indiscipline and violence among the students of Calcutta University and other Universities are due to the fact that the student community is not certain of their future and opportunity of getting employment. This is only the result of the growing unemployment reflected in increasing indiscipline and violence all over the country. These young students resort to violence and anti-social activities because they were not certain of their future. The Government should read the writings on the walls and should take necessary measures to tackle the unemployment problem immediately rather on war footings.

The personal expenditures of the Ministers, and big capitalists should be controlled to the bare minimum and a ceiling should be fixed from Rs. 1,500 to Rs. 2,000 per month for these expenditures. This would save two hundred million of rupees. This money could be utilised in organising an army of 10 lakhs educated and land army consisting of the unemployed which can cultivate 17 crore acre land which is now lying uncultivated.

There will be a procession and demonstration on the 6th of this month and thousands of unemployed persons will participate in the demonstration lead by the S. S. P., but prohibitory order under Section 144 has been in force in this area. Government should lift the prohibitory order under Section 144 in order to enable these thousands unemployed persons to request the Government to take measures to solve this problem.

Shri Deo Rao Patil (Yeotmal) : The growing unemployment has become a very serious problem. According to the National Sample Survey, one-third population of our country is very poor. Despite the progress made during the last 20 years this Section of our population, living in the rural and urban areas is living on an income of Rs. 15/- and Rs. 24/- per month respectively. Therefore 81 per cent of the population was existing on an income which was less than Re 1/- a day. This poverty is a direct outcome of unemployment situation. The economic discussions show that the number of unemployed persons is constantly and continuously increasing in the country. Even in the most advanced and prosperous States like Punjab and Maharashtra the unemployment is on the increase day by day. This problem becomes more acute in the educated classes both in the urban as well as in the rural areas ; because there was an average increase of matriculates of 12 per cent during 1961 and 1966, which further increased to 17 per cent in 1966-67. It has been estimated that by the end of the Fourth Five Year Plan the number of unemployed would be much larger than at present.

The Government and this House generally devote their attention towards unemployment prevailing in the cities and tried to find out ways to provide jobs to the educated and skilled workers living in the cities whereas those living in the villages are completely ignored. This is a partisan attitude of the Government and this House which is all the more unfair as the problem of unemployment is rather more serious in the rural areas. There are not enough Employment Exchanges. Only one Employment Exchange was in the district and those who went there were registered for Employment. I can say that our plans had been urban oriented whereas rural

areas have been completely ignored while formulating the plans. According to the last Economic survey there were 4.5 crores agricultural labourers and out of them 3.62 crores are unemployed. Moreover small agriculturists remained unemployed for six months in a year. All these figures and datas and economic talks show that the unemployment is constantly increasing in the country. Therefore our city oriented plans have been utter failure in creating Employment potentialities in the country.

I want to give some suggestions which can be of some help in arresting unemployment problem in case these suggestions are implemented.

First priority in providing employment should be given to those who have no lands and who had received education by taking loans, and for this purpose changes should have to be carried out in the Employment rules and regulations. The factor of Poverty-cum-merit should be given priority until and unless this problem is solved.

It is claimed by the Government that they have tried their level best for agricultural development ; and green revolution is also claimed to have been brought in the country. It is also claimed that national income has also increased ; which is not correct ; because the income of small cultivators and agricultural labourers has not increased. Only big farmers and contractors etc. have increased their income. Mechanisation of the agriculture and rural industries have aggravated this problem further, because the farmers have to go to district places for undergoing training in the use of tractors and electric pumps for agricultural purposes. Therefore, these training centres should be opened in the villages so that there might be some employment to the unemployed villagers.

The report of the Home Ministry had made it clear that the minimum wages act enforced in some States has not been implemented so far. Therefore land reforms should be enforced and made effective immediately. The available lands should be given to the landless labourers for cultivation.

Housing and Urban Development Corporation has been established for urban Housing Rs. 200 crores have been allotted for the purpose in the Fourth Five Year Plan and Government has also decided to purchase its shares. But nothing has been done for solving the housing problem in the rural areas. Government should stop giving loans to people for building houses in the cities and money should be advanced to the rural areas also for housing purposes.

All the plans formulated by the Government are city oriented. Rural areas have been completely ignored. Therefore Government should make drastic and basic changes in its plans and these plans should be rural oriented ; if Government want to solve the problem of unemployment.

श्री के० एम० अब्राहम (कोट्टयम) : बेकारी की समस्या ने बहुत गम्भीर रूप धारण कर लिया है । इस समस्या की ज्वाला किसी समय भी भड़क सकती है । देश के कुछ लोग देश भर की दौलत खींच रहे हैं । परन्तु 23 वर्ष पुराना कांग्रेस का शासन बेकारी की समस्या को दूर नहीं कर सका अपितु इस समस्या को और भी बढ़ाया है । पिछली तीन योजनाओं की अवधि में बेकार व्यक्तियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है । राज्यों के विभिन्न रोजगार कार्यालयों से प्राप्त किए गए आंकड़ों को देखकर यही पता चलता है कि बेकारों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है जबकि ये आंकड़े सही नहीं है । केवल केरल में इस समय 8 लाख व्यक्ति

बेकार है और जिनको कुछ थोड़ा बहुत रोजगार प्राप्त है उनकी संख्या 12 या 14 लाख है। अतः दो करोड़ की जनसंख्या में 22 लाख व्यक्ति बेकार है।

अब हम जरा यह विचार करें कि कांग्रेस के गत 23 वर्ष के राज्य में उद्योगों का क्या हुआ ? उदाहरणार्थ बगीचा उद्योग को लीजिये। चाय और रबड़ उद्योग ने 50 प्रतिशत कर्मचारियों को निकाल दिया है इसी प्रकार पटसन उद्योग ने भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों को काम से निवृत कर दिया। नारियल और वस्त्र उद्योग के कर्मचारियों को भी काम से हटाया जा रहा है। दूसरी ओर इन्हीं उद्योगों से उद्योगपतियों की आय दुगनी हो गई है। सरकार पर मेरा प्रथम आक्षेप यही है कि इसने कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों में सुधार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

सभापति महोदय : अगले दिन जब हम पुनः इस प्रस्ताव पर बहस करेंगे तो आप अपना भाषण जारी रखियेगा। अब हम आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करेंगे।

*अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय में संशोधन

*AMENDMENT CONVENTION OF INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION

Shri Molahu Prasad (Bansgoan) : I am thankful to the Chairman for permitting me to raise this discussion. First of all I would like to read out my original unstarred question No. 4371 dated 21st August 1969, which is as under :—

(a) whether Government proposes to make it obligatory for the direct applicants or those seeking Employment Exchanges to submit a certificate of monthly or annual income of their guardians from a senior officer of the Revenue Department in addition to the certificates pertaining to their qualifications and caste ;

(b) whether Government also propose to give priority to those candidates whose guardians belong to the lowest income group in the matter of recruitment ; and

(c) if not, the reasons therefor and if so, whether the views of the different State Governments in this regard will be invited.

This question was answered by Shri Bhagwat Jha Azad as under :—

(a) and (b). Yes Sir.

(c) The Employment Exchange sends candidates to Employers according to their qualifications and requirements of the post.

In this connection the second question No. 718 was asked on 21st November, 1969 whose answer is as under :—

(a) will it be against the socialistic pattern of society to give priority to candidates who produce low income certificates alongwith certificates of caste and qualifications ; and

(b) If so, how and if not, then do you intend to give up socialistic pattern of society and its policies ?

Shri Bhagwat Jha Azad : (a) and (b). This suggestion is not practicable and it does not reconcile with the spirit of International Labour Organisation Amendment No. 88. The employment Exchange has to send the candidates to Employers according to the requirements and qualifications as asked by the Employer.

*आधे घंटे की चर्चा

*Half-an-hour discussion

The third question No. 716 which was asked on 26th February, 1970 is as under :—

(a) whether Government of India propose to take initiative in having the spirit of convention No. 88 of the International Labour Organisation amended with a view to giving practical shape to the suggestion that priority be accorded to the applicants belonging to the low-income group in the international field ; and

(b) if so, when and, if not the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) No.

(b) Recruitment of workers has to be made on the basis of qualifications laid down by employers and the merits of the candidates.

Shri Molahu Prasad : The International Labour Organisatian Convention Amendment No. 88 which is being quoted, its English translation is as under :—

(a) To assist in Employment Insurance and help the unemployed.

(b) To assist the Public and Private bodies in creating better opportunities of Employment.

So my suggestion does not violate the provisions of the above quoted clause.

The International Labour Organisation in its 52 sessions has accepted 128 conventions and 131 recommendations so far. Out of these 128 conventions 29 have been recognised by India. After formal recognisation of some the main provisons of the others are also being implemented.

India's tripartite delegation participated in the International Labour Organisation's 52nd Session held in Geneva in June, 1968. Three meetings of the Managing Committee of International Labour Organisation were held in 1968, in which representatives of India also took part. The sixth Asian Session of International Labour Organisation was held in Tokyo from 2nd September 1968 to 13th September 1968. A meeting of the Asian Labour Ministers was held in New Delhi from 28th January to 31st January 1969. Including India, fifteen Asian countries participated in it. Even in the fifty years history, no body knows about this clause. The corruption and nepotism are the only qualifications for employment. Those who were poor before independence are poorer today. Nothing has been done to improve the condition of the common-man. There is long talk of socialism by congress but its policy and programme indirectly supports capitalism. Firstly no legislation is framed for poors in this country but if any is framed it is not implemented. The reason is that those who are to implement these policies do not believe the framers of policies. When there was a strike on 19th September, it was stated by many members in this House that Central Government should look into the problems of village labours. Even after 22 years of independence, nothing has been done to raise their standard of living. Minimum wages act was implemented in1948 but in 1956 this right was transferred to State Governments. Has the Central Government appointed any authority who can act as in case of dispute between farmer labour and the landlord. Even after 22 years of Independence children of agricultural labour are not getting any education. There are many villages where labour is paid Re. One per day during harvest season and seventy five or fifty paisa when there is no harvest season. The children of this labour class is not getting even the primary education. Only a few people are benefited by the plans of Social Welfare Department. Only a few people of scheduled and backward classes who were not dependent on agriculture, have got the chance of getting basic education. I therefore request the Government that this issue must be considered by Labour Ministry and a clear policy should be formulated about it. This problem can not be solved by mere solgans of Naxalities

and newspaper reports. At the same time, no Government rule with the help of Police and Army. It is necessary for a popular Government to win the confidence of the masses.

It is often said that suitable candidates are not available in backward classes. If this is the case, should I presume that Harijan's are are not fit for agriculture ? If the profession is to be finalised on the basis of qualifications, then agriculture should go into the hands of cultivators. He should be the sole owner of land. Will the Government or the Labour Minister give its verdict on this issue.

So far as the issue of safe guarding the interests of Scheduled Castes is concerned if they come in competition on the basis of their qualifications, there will be no need for any reservation for them. If the reservation is to be given, their minimum qualification should also be accepted. But today the Employment Exchange does not offer Employment on the basis of qualifications, it is offered on the basis of bribery and nepotism.

When Indira Gandhi had been to Bombay for the session of New Congress, people expected that she will do some thing for the poor masses but nothing has been done so far. I will therefore, request the Labour Ministry to consider this issue and formulate a final policy in consultation with State Labour Ministers. The Minimum Wages act should also be amended and a Gazetted Officer should be appointed at District level to settle the disputes between agriculture labour and the landlord. If these measures are not taken it will lead to Gheraos and frustration.

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : The question which has been referred to by Hon. Members only relates to the issue that the applications of the applicants which are received in Employment Exchanges, the clause of income should be added to it.

The hon. Member has said that the replies to the question are deliberately avoided. If he kindly goes through the reply to the question No. 716 he will certainly come to know that all the replies are quite clear, I never tried to avoid any question. Apart from this the rules laid down in the Manual of the Convention of International Labour Organisation are quite clear so far as the sending of the candidates to the employers are concerned. So far as the selection of the applications for referring them with the employers are concerned Employment Exchanges should do it without being partial to any party. The policies and the procedures of the Employment Exchanges are formulated by the Centre in consultation with the State Governments. Thus the question of difference of opinion on this matter does not arise. It has also been stated under Article 16 of the Constitution that :

(1) There shall be equality of opportunity for all citizens in the matters relating to employments or appointment to any office under the State.

(2) No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them be eligible for, or discriminated against in respect of any employment office under the State.

Not only this under the convention No. 88 of the International Labour Organisation it has been laid down therein that the employment machinery should be organised in such a way by which the employment would be made effectively and the due assistance could be provided to the candidates in getting employment in accordance with their physical ability and qualifications.

It has been accepted by the Government. Thus it is not correct to say that the replies to the questions referred by the hon. Member are ambiguous. What has been done is based on the provisions of the Constitution and on the policies which have been formulated by the Government in consultation with the State Governments. The nature of service rendered by the employment exchanges should also be kept in the mind. They serve employers as well as those who require employment without charging any kind of payment or fee. If the services of the employment exchanges are put at the disposal of the people of a particular income group the very purpose of this machinery would be defected. By doing so we will defy the spirit of the Constitution.

I welcome the feeling of the hon. Member that a special consideration should be given to the people of the backward class in the matter of providing them employment. I agree that their incomes are low. But my submission is that it is not proper to help them. No priority can be given to any person because he belongs to low income group in connection with employment. However, this problem has been kept in the mind at the time of drafting Fourth Five Year Plan. Much emphasis has been laid on the construction of roads, works of small irrigation, soil conservation, rural electrification, etc. during the Fourth Plan period. I hope these people will also be helped at the time when these works will be undertaken by the Government. The Government, too, wanted to provide more employment opportunities to those whose economic condition are not good or who are socially backward. These opportunities would be made available to them by the measures which are proposed to be taken by the Government.

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : Sir, the Hon. Minister has admitted that those who are economically backward would be given special consideration in providing with employment opportunities. I hope the Hon. Minister might be aware of the fact that whenever certain factories under the Public or Private sector are set up, more than hundred villages are uprooted. The land of the agriculturists is acquired by the Government. These persons hope that they would at least be provided with jobs in the factory. But I am sorry to mention that in the name of merit and qualifications the poor fellows of these villages are not given any employment in the factory and people belonging to other regions are given employment.

The Hon. Minister has mentioned that in the matters of employment and appointment Government would not act partially. That is right. But my submission is that the existence of backwardness in any part of the society will prove dangerous for the country. In this context, may I know whether any revision of policy relating to providing the employment opportunities to the people will be made in order to help those people who have been deprived of their houses and arable land due to the establishment of the factories ?

Shri Rabi Ray (Puri) : Sir, I think the Hon. Minister could not understand the intention of the Hon. Member. He has not accepted the demand of the Hon. Member in connection with the qualification. He has also admitted that the economically and socially backward persons are not getting proper employment. If the employment will be provided on the basis of fixed qualification, it is quite obvious that Harijans, women and other such persons can not get services comprehensively.

May I know whether the steps would be taken to amend the Constitution if the proposed provisions contravene certain articles. May I also know whether the Bill introduced by Shri Ram Sewak Yadav would be accepted by the Government ?

I want to know whether the Hon. Minister will ask the representatives of the International Labour Organisation to submit an amendment to the Section 88.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, the words "right to work" should be incorporated in the Article 16 of the Constitution. If my amendment which is to this effect is accepted there would be full employment in the society. It is the demand of the socialism.

If the Government do not want to accept it they should accept the suggestions made by the Lok Nath Committee.

They should at least accept the recommendation of the Jay Prakash Committee that the Government should adopt a policy of full employment in the Tribal Areas. May I know whether the Government are going to accept all these suggestions ?

Shir Bhagwat Jha Azad : As I have already stated the applications of the candidates are forwarded in accordance with experience and qualifications for the job and the utility of the person concerned. I have also specifically mentioned that their policy is in consistence with the spirit of the Article 16 of the Constitution. We are not going to change this policy. I personally and cordially feel that the people who are backward both economically and socially should be given special assistance. But, as I have already mentioned, this assistance can only be provided to them with the help of the projects proposed to be undertaken during the Plan period. If we change the policy of the employment exchanges we will loose the cooperative understanding between the employers and the employment exchanges. We will have to solve this problem through our planning and the same applies to the question of the regional employment put by Shri Tyagi.

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार 6 अप्रैल, 1970/16 चैत्र, 1892 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday April 6, 1970/ Chaitra 16, 1892 (Saka).

P.L.S. 48. XXXVIII. 30. 70 (N)
340

© 1970 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
व्यवस्थापक, तेज कुमार प्रेस, लखनऊ द्वारा मुद्रित।

© 1970 By the Lok Sabha Secretariat

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure ai
Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and
Printed By the Manager, Tej Kumar Press, Lucknow.